

स्वाज्ञासंघान टिन्नेंन्सरी रोड, १९५५
(समस्त शाब्दिक नियमों सहित)

मुख्यमंत्री एवं मोर्चा

मूल्य दस रुपये

प्रशासक :

= : राज पंचायत प्रकाशन : =

पामाली मार्ट, खोड़ा राता,
जयपुर (राज०)

मवौधिकार सुरक्षित
अप्राप्यित अनुबाद

मुद्रक

= : योद्दार प्रिन्टर्स : =

धी वालों रास्ता, दाई की गली,
जयपुर (राज०)




जयपुर [राजस्थान]

१६ मार्च, १९६८

शुभकामना

मुझे यह जान कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि श्री मुरेशचन्द्र एवं मायुर द्वारा लिखित राजस्थान टिनेसी एक्ट का 1968 मंस्करण हिन्दी में प्रकाशित हो रहा है।



श्री मायुर को राजस्व, न्याय एवं विधि विभागों में काम करने का दीर्घ अनुभव है तथा वे हिन्दी एवं अंग्रेजी शब्दों भाषाओं में समान अधिकार पूर्वक विधि पुस्तकों लिख चुके हैं जिनकी मम्बन्धित खेत्रों में समुचित दर्शाना हुई है।

प्रत्युत पुस्तक में राजस्थान टिनेसी एक्ट में हुए आदिनांक संशोधनों का समावेश कर लिया गया है और विभिन्न धाराओं के प्रावधानों का स्पष्टीकरण सरल भाषा में करने के साथ साथ विभिन्न हाईकोर्टों एवं राजस्व मण्डलों के निर्णयों के धाराएँ पर मुद्रोग्य टिप्पणी भी दे दी गई हैं।

प्रदासन कार्य में हिन्दीकरण के लिए राज्य सरकार की भीति की कार्यान्वित करने की दिशा में ऐसे प्रयत्नों का स्वागत किया जाना चाहिये। विधि दिशा का माप्यम हिन्दी हो जाने पर श्री मायुर जमे मुद्रोग्य एवं अनुभवी लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों पाठ्य-पुस्तकों का रूप ले सकती है।

श्री मायुर उके परिधम य लगन के लिए बधाई के पात्र हैं। मैं उनकी सफलता की शामना करता हूबा आशा करता हूँ कि यह पुस्तक राजस्व अधिकारियों, बच्चों एवं विधि अध्यापकों व छात्रों के जिए समान रूप से उपयोगी प्रमाणित होगी।

राजस्थान टिनेंसी एकट, १९५५

विषय-सूची

संह्या

विषय

पृष्ठ

अध्याय १

प्रारम्भिक

१.	संक्षिप्त दीर्घक, विस्तार तथा प्रारम्भ	२
२.	विलोपित	२
३.	निरसन	२
४.	विलोपित	३
५.	परिमापाद	३
६.	प्रधिकार इत्यादि रखने वाले व्यक्तियों में उनके पूर्वाधिकारियों तथा उत्तराधिकारियों का सम्मिलित होना	१६
७.	अधिनियम का राज्य सरकार पर लागू होना	१६
८.	एवेन्ट के माफ़त कार्य करने की शक्ति	१६

अध्याय २

सुदकारत

९८.	सुदकारत प्रधिकार	२०
९९.	उत्तराधिकार और हस्तान्तरण	२०
१००.	सुदकारत को किराए पर दिये जाने पर प्रतिबन्ध	२१
१०१.	सुदकारत का घबसान	२१
१०२.	पुनर्प्रहरण पदवा उम्मूलन होने पर सातेदारी अधिकारों का होना	२२

अध्याय ३

आसामियों की श्रेणियाँ

१४.	आसामियों की श्रेणियाँ	२३
१५.	सातेदार आसामी	२३
१५-ए.	राजस्थान नहर धोन में सातेदारी अधिकारों वा ग्रोदमूत न होना	२५

१५क. घम्बर प्रोटोट थोर मे गातेदारी अधिकारी का गुण मामलों में प्रोटोट न होना	२६
१५रा. घम्बर तथा सुनेत थोरों मे गातेदार आवायी	२६
१६. भूमियों जिनमे गातेदार अधिकारी वाल्सा नहीं होते	२७
१६क. गुदकारत के आवायी	२८
१७. गेर गातेदार आवायी	२८
१७क. मानिक	२९
१८. विलोपित	२९

अध्याय ३--का

कतिपय शिक्षी आवायियों तथा खुदकारत के आवायियों
को मुआवजे का भुगतान होने पर अधिकार प्रदान किया जाना

१९. कतिपय खुदकारत के आवायियों को शिक्षी आवायियों को अधिकार प्रदान किया जाना	२६
२०. मुआवजे के दावों का पेश किया जाना	२२
२१. विलोपित	२३
२२. विलोपित	२३
२३. गातेदारी अधिकारी के लिए मुआवजा	२३
२४. सुधारों मे अधिकारों के लिए मुआवजा	२३
२५. नालयट के बदले मुआवजे के ग्राह की संगणना	२४
२६. मुआवजे का गठन	२५
२७. मुआवजे के भुगतान का तरीका	२५
२८. विलोपित	२६
२९. विलोपित	२६
३०. कुष्टेक विशिष्ट गामलों मे मुआवजे के भुगतान के लिए विशेष उपदेश	२६
३०का. बचाव तथा विचाराधीन आवेदन पत्रों का निष्ठारा	२६

अध्याय ३--खा

अधिकतम थोर से अधिक भूमि धारण करने पर प्रतिबन्ध

३०रा. परिभापाद	३७
३०गा. अधिकतम थोर का विस्तार	३७
३०गा. घारा ३०गा. के अन्तर्गत अधिकतम थोर निश्चित करने के लिए कतिपय अन्तरणों को न माना जाना	३७
३०टा. अधिकतम थोर जो धारण किया जा सकता है तथा भावी भवायियों पर प्रतिबन्ध	३८
३०चा. घारा ३० टा. के अन्तर्गत समर्पित भूमियों का भावटन	३८

३०८। पारा ३० डा. के अन्तर्गत समिति नूमियों के लिए एवं उनमें किए हुए	३६
मुधारों में अधिकारों के लिए मुद्रावज्ञा	
३१। ३०जा. पारा ३० डा. के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली	४०
भूमियों पर मार सम्बन्धी उपचंथ	
३२। ३०का. सामान्य प्रवार के अपवाद	४१
३३। ३०वा. पारा ३०वा. में अन्तर्विष्ट कीई बात	४१
 अध्याय ३-गा.	
 आसामियों के ग्राम्यमिक अधिकार	
३४। रहने के मकान का अधिकार	४२
३५। निवित पट्टे (लीज) तथा उसकी दूसरी पट्टत का अधिकार	४४
३६। पट्टों (सीजों) का रजिस्ट्रेशन के स्वान पर प्रमाणीकरण	४४
३७। नज़राने ग्राम्या वेगार का प्रतिषेध	४५
३८। सगान से भिन्न मुगतान का प्रतिषेध	४६
३९। सामयी का उपयोग	४६
४०। नालबट में अधिकार की अवाप्ति	४६
४१। न्यायालय दी प्रक्रिया से जट्ठी, कुर्बी तथा विश्व पर रोक	४७
 अध्याय ४	
 अवतरण, अन्तरण, विनिमय तथा विभाजन	
४२। आसामियों का हित	४८
४३। वसीयत	४८
४४। आसामियों का उत्तराधिकार	४९
४५। प्रातेदार के हित को अन्तरणता	५०
४६। विक्री, दान (गिफ्ट) तथा वसीयत पर सामान्य प्रतिक्रिय	५०
४७। वन्धक	५१
४८। अविनियम के लागू होने से पूर्व इए गए ऐपि-भूमि के वन्धकों के	
सम्बन्ध में उपचरण	५२
४९। वादत या विवादी वादत के लिए देने पा अधिकार	५४
५०। वादत तथा विवादी वादत के लिए देने पर प्रतिक्रिय	५४
५१। घरदाद हिदति से भूमि का लाभत पर या विवादी वादत पर दिया जाना	५५
५२। अनुशूचित जातियों द्वारा अनुशूचित जन जातियों से सदस्यों द्वारा वादत या	
विवादी वादत पर दिये जाने के लिए विविष्ट उपचंथ	५५
५३। विवादी पट्टे से उत्तराधिकारी का पादद होना	५६
५४। धारा, अन्तर तथा मुनेत थोरो में विनिमय अन्तरणों के सम्बन्ध में उपचरण	५६
५५। भूगि वा विनिमय	५७

४६. यरकारी से निति विभाग	५७
४८। प्रदूषित जलीयों परामर्श दा-जाइनों द्वारा विभाग के निए विभिन्न उत्तराः	५८
५०. विनियम हो जाने पर आसामियों के अधिकार	५८
५१. प्रदूष भूमियों के विनियम में पारदित भूमियों में अधिकार	५८
५२. लगियार घनिलेग में विनियम वी प्रविष्टि	५९
५३. भूमि धोन का विभाजन	५९
५४. क्षतियां गाम रो में भूमि धोनों की विवेद	६०

अध्याय ५

समर्पण, परित्याग तथा अवसान

५५. समर्पण	६१
५६. भूमिधारी को नोटिस	६१
५७. लगान वृद्धि की दशा में समर्पण	६२
५८. समर्पण को रद्द करने हेतु दावा	६३
५९. समर्पित भूमि धोन का कड़वा लिया जाना।	६३
६०. परित्याग	६३
६१. परित्यक्त माने गये भूमि धोन का कड़वा लेने के पहिले की प्रक्रिया	६४
६२. उन आसामियों के अधिकार जिनके बारे में यह अनुमान कर लिया गया हो कि उन्होंने अपने भूमि धोन परित्याग कर दिये हैं	६५
६३. कृपि-अधिकार का बब अवसान होगा	६६
६४. अधिकार का अवसान होने पर भूमि खाली किया जाना	६८

अध्याय ६

सुधार

६५. सुधार करने वा सरकार का अधिकार	६८
६६. सुधार करने का सातेदार आसामियों का अधिकार	६८
६७. सुधार करने का भूमिधारियों का अधिकार	६८
६८. अनुमति तहसीलदार द्वारा कब दी जा सकेगी और कब उसके लिए इंकार किया जा सकेगा	७०
६९. भूमिधारों तथा आसामी धोनों की इच्छा एक ही सुधार करने की होने की स्थिति में उपवध	७०
७०. अन्य आसामियों का सुधार करने का अधिकार	७०
७१. सुधार करने पर प्रतिवध	७०
७२. सम्पूर्ण लगान का दायित्व	७१
७३. हानि के लिए सुभ्रावजा	७१

७४. सुधार के लिए मुम्रावजा ७१
 ७५. मुम्रावजे की रकम ७२
 ७६. अन्य भूमियों को लाभ पहुँचाने वाले सुधार-कार्य ७३
 ७७. सुधार की सागत का रजिस्ट्रेशन ७४
 ७८. सुधार सम्बन्धी विवाद ७४

अध्याय ७

वृद्ध

७९. आसामी का वृद्ध लगाने का अधिकार ७५
 ८०. इस प्रविनियम के प्रारम्भ के समय विद्यमान वृद्धों में आसामी का अधिकार ७६
 ८१. अनधिकारित भूमि में हितन वृद्ध ७६
 ८२. वृद्धों का भूमि से पृथक्तया भगतरणीय नहीं होना ७७
 ८३. वृद्धों को उत्तराधिकारी के सिवाय अन्यथा नहीं हटाया जा सकना ७७
 ८४. वृद्ध कव प्रीर किसके द्वारा हटाये जा सकेंगे ७७
 ८५. वृद्धों से सम्बन्धित विवाद ७८
 ८६. अवैध रोति से हटाये जाने पर शास्तियां ७८
 ८७. विलोपित ७८

अध्याय ८

घोपणात्मक दावे

८८. अधिकार की पोषणा किये जाने हेतु दावे ८०
 ८९. काश्तकारी-वर्ग आदि के लिए दावे ८१
 ९०. भूमि के तुदकाश होने की घोपणा के लिए दावा ८२
 ९१. अन्य अधिकारीं की घोपणा के लिए दावा ८३
 ९२. कई भूमि-सीरों के सम्बन्ध में एक ही दावा ८४
 ९३. निषेधात्मक के लिए दावे ८४

अध्याय ९

लगान का निर्धारण तथा उसमें परिवर्तन

९४. लगान भुगतान करने का दायित्व ९४
 ९५. प्रारम्भ लगान ९५
 ९६. लगान के सम्बन्ध में घुमान ९६
 ९७. अधिकार नवद लगान यो मरणार धूम कर मवेगी ९७
 ९८. अधिकार नवद लगान निर्दोषित पर्तने वाली सत्ता ९८
 ९९. भू-साम्राज्य बन्दोबस्तु में निर्दिष्ट हो जाने की दशा में अधिकार लगान ९९

१९.	ऐसे थोंजों में जिनमें लगान बदोबरता में निश्चित किया जा गुण हो, अधिकारतम् लगान	८०
२००.	वासिपद दशाओं में उच्चतर प्रधिकारतम् रानि	८०
२०१.	अधिकारतम् रानि यत्तमान लगान दर से ऊपर पूर्वाकरण हेतु क्रियाशील नहीं होगी	८८
२०२१.	अधिकारम् सम्बन्धी उपबन्ध उन भूमियों में लागू नहीं होगे जिनमें फनदार गृथ हो तथा जिनका यन्त्रोधस्त नहीं हृपः हो	८८
२०२.	घमूरी वर्ती गई प्रतिरिक्ष रक्षम् की घमूरी	८८
२०३.	कतिपय मामलों में जिन्हीं लगानों पा ननद लगानों में परिवर्तन	८८
२०४.	जिन्हीं लगान थीं उच्चतम् दरें	८८
२०५.	जहाँ उपज में भूमिपारी योगदान देता हो वहाँ जिन्हीं लगान की दर उच्चतर होना	८८
२०६.	लगान का हिसाब कैसे लगाया जायगा	९०
२०७.	कतिपय स्थितियों में लगान की दरों का निश्चयन	९०
२०८.	लगान की दरों की अवधि	९०
२०९.	लगान अधिकारी की अतिरिक्त शक्तियाँ	९१
२१०.	साक्षियों (हल्को) का निर्माण तथा मृदा (मिट्टी) वर्गाकरण	९१
२११.	दरों के आधार	९२
२१२.	प्रस्तावित दरों द्वारा, उनमें संशोधन करते हुए या विना संशोधन के ध्ययहार में साया जाना	९२
२१३.	विगिष्ठ मामलों में दरों की व्यवस्था	९२
२१४.	लगान-दरों के प्रकाशन तथा उनकी स्वीकृति की प्रणाली लगान वा निश्चयन	९३
२१५.	आशिक वेदखली मा समर्पण की दशा में लगान का निश्चयन	९४
२१६.	वतिपय मामलों में लगान के सम्बन्ध में विवाद	९४
२१७.	लगान का अन्तर्वर्तन	९५
२१८.	लगान चालू रहने की अवधि	९५
२१९.	लगान के फैरकार की प्रणाली	९७
२२०.	लगान में लृदि विये जाने के आधार	९८
२२१.	लगान में लृदि विये जाने के आधार	९८
२२२.	लृदि की सीमाएँ	९८
२२३.	लृदि के लिए वाद या प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आसामी की दरोंल	९९
२२४.	लगान में पटोतरी करने के लिए आधार	९९
२२५.	लृदि व्यवया कमी वा तो लागू होगी	९९
२२६.	हुगि सम्बन्धी आपत्तियों के समय लगान की छूट या स्थगन	१००
२२७.	परिमीमन-प्रवधि की गणना करने में स्थगन बाल छोड़ दिया जायगा	१००
२२८.	छूट दिये गये या स्थगित किए गए लगान की घमूरी नहीं की जायेगी	१००
२२९.	सट्टाकाल में लगान वा पुनरीकार	१००

अध्याय १०

लगान का भुगतान और वसूली

१३०.	लगान के भुगतान के मद्दे पेंदावार को बदक रखना	१०१
१३१.	बासामी द्वारा भुगतान के विषय में अनुमान	१०१
१३२.	लगान के भुगतान वा उपयोग	१०२
१३३.	लगान का भुगतान जिस भाँति होगा	१०२
१३४.	मनो प्राईर की रसीद के विषय में अनुमान	१०२
१३५.	भासामी का रसीद पाने का अधिकार	१०३
१३६.	रसीद का विवरण	१०३
१३७.	रसीद-वही द्याने और प्रदाय करने वा दायित्व सखार का होना	१०४
१३८.	सेवा विवरण प्राप्त करने वा बासामी का अधिकार	१०४
१३९.	लगान को तहनीलदार के व्यायालय में जमा कराया जाना	१०४
१४०.	जमा कराई हुई रकम का तहनीलदार द्वारा व्यवस्थारन	१०४
१४१.	बाद के विवारायीन-कान में लगान का व्यायालय में जमा कराया जाना	१०५
१४२.	बादों पर राक	१०५
१४३.	स्थिति विषये पाराएँ १३६ में १४२ तक नापूँ नहीं होगी	१०६
१४४.	पेंदावार के सम्बन्ध में अधिकार पौर दायित्व	१०६
१४५.	जिसी लगान उपक के बाहरिया विभाजन के जरिये पारित वसूली होना	१०७
१४६.	चोई गाड़ी-माड़ा न दिया जाना	१०७
१४७.	बल्कट द्वारा, प्रबन्धित मूल्यों को नाचिका उत्तमित दिया जाना	१०७
१४८.	विभाजन, अनुमान या कू ते करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति के नियमित प्रारंभना पत्र	१०८
१४९.	ऐसे प्रारंभना पत्र के विषय में कार्य प्रणाली	१०९
१५०.	सरब के स्तर में लगान की बदाया के लिए बाद	११०
१५१.	रिसोर्टी वा नियत दिया जाना	११०
१५२.	लगान वा बदाया होना	१११
१५३.	बदाया के बास्तु नियमानी वा नियोग वा तियेव	१११
१५४.	बदाया वसूल करने वा लरीदा	१११
१५५.	सह बासामी के विषद् बाद	११२
१५६.	बदायाद्यों वा संदोक्त	११३
१५७.	बदाया के दाये में हिन्दी देने वाले व्यायालय द्वारा दियति के पाराएँ द्यू	११३
१५८.	विशद् वी बदायाद्यों के लिए बाद	११४
१५९.	विशद् बदायाद्यों को यहाँ से नू-राजन्य वी स्त्र में दिया जाना	११४
१६०.	दुष्टान ये सामान्य इतारी वी दाना में बदाया वी वसूली	११४

अध्याय ११

वेदसत्ती

१६१.	वेदसत्ती अधिनियम के प्रयुगार होना	११६
१६२.	वेदसत्ती होने पर वकाया की मांग की पूर्ति होना	११७
१६३.	विलोपित	११७
१६४.	वेदसत्ती होने की दशा में सुपार वार्य के लिए प्रतिकर (मुमायजा)	११८
१६५.	प्रतिकर का भुगतान	११८
१६६.	वेदसत्ती होने पर कसलों तथा वृक्षों सम्बन्धी अधिवार	११८
१६७.	नोटिस की अन्तर्वस्तु तथा तामील	१२०
१६८.	रिहायशी मकानों से वेदसत्ती नहीं होना	१२१
१६९.	दकाया के भुगतान के लिए और भुगतान न करने पर वेदसत्ती के लिए नोटिस जारी करना	१२१
१७०.	नोटिस जारी होने के पश्चात कार्य प्रणाली	१२२
१७१.	धारा १७० के अन्तर्गत दो गई आज्ञा का परिणाम व स्पष्टिन	१२३
१७२.	उपस्थित होने पर, सुआवजे के लिए आसामी का दावा	१२४
१७३.	बुद्ध दशाघों में वादों और प्रायंता पत्रों पर रोक	१२४
१७४.	संग्राम को बकाया की डिक्री को निष्पादित करने में वेदसत्त लिया जाना	१२५
१७५.	अवैध अन्तरण या शिकमी-पट्टे पर देने के कारण वेदसत्ती	१२६
१७६.	धारा १७५ के अन्तर्गत डिक्री अथवा आज्ञा	१२६
१७७.	हानिप्रद वार्य या शांत भग के कारण वेदसत्ती	१३०
१७८.	धारा १७७ के अन्तर्गत डिक्री या आज्ञा	१३१
१७९.	सुआवजे प्रादि के लिए काद	१३२
१८०.	खुदकाइ के आसामियों या गैर खातेदार आसामियों या शिकमी आसामियों की वेदसत्ती के लिए अतिरिक्त उपचन्द्र	१३२
१८१.	धारेवदन पत्र और नोटिस	१३५
१८२.	नोटिस जारी किये जाने के पश्चात की कार्यवाही	१३६
१८३.	धारा १८० के अन्तर्गत दिये जाने वाले कतिपय प्रार्थना पत्रों के लिए समय की घटविधि	१३७
१८४.	व्यक्तिगत काशन के अन्तर्गत नहीं लाई जाने वाली भूमि को लौटाना	१३७
१८५.	कतिपय अतिक्रमियों की वेदसत्ती	१३७
१८६.	प्रवर्तन का समय	१३८
१८७.	डिक्री या आज्ञा के निष्पादन का तरीका	१४०
१८८.	विमुक्त	१४०
१८९.	अवैध वेदसत्ती वा प्रतिकार	१४०
१९०.	धारा १८७ के उपचर्घों का कतिपय परिवेदित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होना	१४२

अध्याय ११

बेदसली

१६१.	बेदसली अधिनियम के अनुमान होना	११६
१६२.	बेदसली होने पर बकाया की मांग को पूर्ति होना	११७
१६३.	विलोपित	११७
१६४.	बेदसली होने को दसा मे सुधार कार्य के लिए प्रतिकार (मुआवजा)	११८
१६५.	प्रतिकर का भुगतान	११८
१६६.	बेदसली होने पर फसलों तथा वृक्षों सम्बन्धी अधिकार	११८
१६७.	नोटिस की अन्तर्वस्तु तथा तामील	१२०
१६८.	रिहायशी मकानों से बेदखली नहीं होना	१२१
१६९.	बकाया के भुगतान के लिए और भुगतान न करने पर बेदखली के लिए नोटिस जारी करना	१२१
१७०.	नोटिस जारी होने के पश्चात कार्य प्रणाली	१२२
१७१.	धारा १७० के अन्तर्गत दी गई आज्ञा का परिणाम व लक्षण	१२३
१७२.	उपस्थित होने पर, मुआवजे के लिए आसामी का दावा	१२४
१७३.	कुछ दशाओं मे वादों और प्रार्थना पत्रों पर रोक	१२४
१७४.	लगान की बकाया की डिक्टी को निष्पादित करने मे बेदखल किया जाना	१२५
१७५.	अवैध अन्तरण या शिकमी-पट्टे पर देने के कारण बेदखली	१२५
१७६.	धारा १७५ के अन्तर्गत डिक्टी अधिका	१२६
१७७.	हानिप्रद कार्य या दातृ भग के कारण बेदखली	१३०
१७८.	धारा १७७ के अन्तर्गत डिक्टी या आज्ञा	१३१
१७९.	मुआवजे आदि के लिए वाद	१३२
१८०.	खुदकाश्त के आसामियों या गैर खातेदार आसामियों द्या शिकमी आसामियों की बेदखली के लिए प्रतिरिक्त उपचार	१३२
१८१.	आवेदन पत्र और नोटिस	१३५
१८२.	नोटिस जारी किये जाने के पश्चात की कार्यवाही	१३६
१८३.	धारा १८० के अन्तर्गत दिये जाने वाले कतिपय प्रार्थना पत्रों के लिए समय की अवधि	१३७
१८४.	व्यक्तिगत काश्त के अन्तर्गत नहीं लाई जाने वाली भूमि को लौटाना	१३७
१८५.	कतिपय अतिक्रमियों की बेदखली	१३७
१८६.	प्रयत्न का समय	१३८
१८७.	डिप्री या आज्ञा के निष्पादन का तरीका	१४०
१८८.	विनुप्त	१४०
१८९.	अवैध बेदखली का प्रतिकार	१४०
१९०.	धारा १८७ के उपचारों का कतिपय परिवेदित व्यक्तियों के लिए उपतब्ध होना	१४२

अध्याय १५

राजस्व न्यायालयों की कार्य प्रणाली तथा उनकी अधिकारिता

२०६.	विचाराधीन मामलों शादि के लिए व्यवस्था	१५८
२०७.	केवल राजस्व न्यायालय द्वारा ही विचारणीय वाद तथा प्रारंभना पत्र	१५३
✓२०८.	सिविल श्रोतीजर कोड का लागू होना	१५४
२०९.	बादी को कोई ऐसी सहायता देना जिसे पाने का वह हकदार हो	१५४
२१०.	सदमावना से किसी तीसरे व्यक्ति को भुगतान किया जाने की इलीम पेश करने की दशा में कार्य-प्रणाली	१५५
२११.	सह माधियों द्वारा वाद इत्यादि	१५५
२१२.	व्यादेश तथा रिसीवर की नियुक्ति का उपबंध	१५६
२१३.	लगान को बकाया की डिक्री के निष्पादन में लातेदार आसामी के हित का बेचा जाना	१५७
२१४.	इस अधिनियम के अन्तर्गत दावों की परिसीमा	१५८
२१५.	देय न्यायालय शुल्क	१५९
२१६.	राजस्व न्यायालय के बैठक का स्थान	१६०
२१७.	विभिन्न थेरेण्यों के राजस्व न्यायालयों को साधारण शक्तिया	१६०
२१८.	राजस्व न्यायालयों की स्वामाविक क्षक्तियाँ	१६१
२१९.	राजस्व न्यायालय की प्रतिरक्त क्षक्तियाँ	१६१
२२०.	न्यायालय जिनमें कार्यवाही दावर की जायेगी	१६१
२२१.	राजस्व न्यायालयों की अधीनस्थता	१६२
२२२.	जब तक इस अधिनियम द्वारा अनुमत न हो अपील नहीं होगी	१६२
२२३.	मूल डिक्रियों की अपीलें	१६२
२२४.	अपील में पारित डिक्रियों की अपीलें	१६३
२२५.	आज्ञायों की अपीलें	१६३
२२६.	किसी अपील को सरसरी तीर पर अस्वीकार करने की बोर्ड की क्षक्ति	१६४
२२७.	अधिनियमितता के कारण किसी डिश्री या आज्ञा को पत्ता या उपास्तरित न किया जाना	१६४
२२८.	अपीलों के निमित्त परिसीमा	१६५
२२९.	बोर्ड तथा अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा पुनरावलोकन किये जाने की क्षक्ति	१६६
२३०.	बोर्ड बोर्ड वाद मागवा भेजने की क्षक्ति	१६६
२३१.	हाई कोर्ट की बादों को मागवा भेजने की क्षक्ति	१६७
२३२.	रेकार्ड मागवा तथा बोर्ड की निर्देश करने की क्षक्ति	१६८
२३३.	रेकेन्यू बोर्ड द्वारा मामलों का अन्तरण	१६९
२३४.	विलुप्त	१६९
२३५.	कलन्टर मध्यवा सबडिवीजनल आक्सिसर द्वारा मामलों का अन्तरण तथा उन्हें वापिग लिया जाना	१७०

२३६.	विनुप्ति	१६९
२३७.	कलबटर या सब डिकीजनल आफिसर द्वारा मामलों का अन्तरण	१७१
२३८.	हाई कोर्ट द्वारा राजस्व अपीलों का अन्तरण	१७३
२३९.	स्वामित्व के अधिकार की दलील प्रस्तुत किये जाने की दशा में कार्य प्रणाली	१७५
२४०.	पारा २३६ के अन्तर्गत अपीलों के लिए परिमीमा उपरा न्यायालय शुल्क	१७१
२४१.	स्वामित्व के अधिकार के प्रदन के निर्णय हेतु अभिलेख में सामग्री उत्तरव्य	१७१
	न होने की दशा में, अपीलों के बारे में प्रक्रिया	१७१
२४२.	सिविल न्यायालय में टिनेसी के अधिकार की दलील पेश की जाने की दशा में प्रक्रिया	१७२
२४३.	अधिकारिता के प्रदन को हाई कोर्ट में निर्देशित करने की शक्ति	१७३
२४४.	अपील में यह दलील पेश करना कि वाद गलत न्यायालय में प्रस्तुत	१७४
	किया गया था	१७४
२४५.	आपत्ति प्रथम न्यायालय में उठाई जाने को दशा में कार्य प्रणाली	१७५

अध्याय १६

विविध

२५६.	राजस्व, साम इत्यादि की वकाया	१७६
२५७.	मुगतान किए हए राजस्व की वकाया के लिए वाद	१७७
२५८.	इत्तरेकारों या ठेकारों द्वारा या उनके विहङ्ग वाद	१७८
२५९.	हिसाब का निवारा करने के लिए वाद	१७८
२६०.	कुछ मामलों में पदों का संयोजन	१७८
२६१.	रास्ते तथा अन्य मिशी सुचाचार के अधिकार	१७९
२६२.	आसामी, वर्वेष रूप से ली गई रकमों के लिए प्रतिकर का हक्कदार होना	१८०
२६३.	रसीद देने में विफलता	१८१
२६४.	इस प्रधिनियम के अन्तर्गत किये गये कार्य का संरक्षण	१८१
२६५.	सबों घाडि की वसूली	१८१
२६६.	सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक	१८२
२६७.	सरकार की नियम बनाने की शक्ति	१८२
२६८.	बोर्ड की नियम बनाने की शक्ति	१८३
२६९.	नियमों का पूर्व प्रकाशन की दार्त्त के अधीन होना	१८४
२७०.	अपवाद	१८४
	प्रथम अनुमूल्य	१८५
	द्वितीय अनुमूल्य	१८६
	तृतीय अनुमूल्य	१८७
	चतुर्थ अनुमूल्य	२०६

राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम, १९५७

विषय सूची

१.	संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ	२०६
२.	परिभाषा ^ए	२०९
३.	राजस्थान राजस्व विधियों का संशोधन	२०९
४.	राजस्थान राजस्व विधियों में सामान्य हृषि भेद	२०६
५.	राजस्थान राजस्व विधियों तथा उनके अन्तर्गत नियमों आदि का विस्तार	२१०
६.	प्रधिकारियों तथा प्राधिकारियों का निर्देश	२१०
७.	अर्थ लगाने का नियम	२१०
८.	कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति	२१०
९.	निरहन तथा बचाव प्रथम अनुमूली द्वितीय अनुमूली	२११ २११ २११

टिनेंसी (सरकार) नियम, १९५५

अध्याय १

प्रारम्भिक

१.	संक्षिप्त शीर्षक व प्रारंभ	२१४
२.	व्याख्या	२१४

अध्याय २

३-७.	घारा ५ के खण्ड (२८) के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम	२१४
------	---	-----

अध्याय ३

८.	घारा ३१ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम
९.	मासानियों वो रिहायशी महान के लिए भूमि दिये जाने हेतु प्रारंभना-पत्र

२१५

क्र-१७, शृणि-श्रविष्म की दस्तकार द्वारा रिहायशी मकान के लिए भूमि स्थल
हेतु भावेदन-पत्र

२१६

अध्याय ४

अधिनियम की धारा ३२ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम

१८. पट्टी तथा चतुर्भुजी प्रतिपत्ती के प्रपत्र	२१७
१९-२०. वंजियन के बदले पट्टी का प्रमाणीकरण	२१८
२१. प्रमाणीकरण का प्रपत्र	२१८
२२. अधिक जो दस्तावेज को प्रस्तुत कर सकेंगे	२१९
२३-२४. प्रविष्टियाँ जो भू-अभिलेख के निरीक्षक द्वारा की जायगी	२१९

अध्याय ४क

२५-क. एकट की धारा ५३ (१) के प्रयोगनार्थ न्यूतनम दोषफल का निर्धारण	२१९
---	-----

अध्याय ५

२५. अधिनियम की धारा ८४ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम	२१९
--	-----

अध्याय ५क

धारा ६२, ६६, १०० तथा १०४ के प्रावधानों को क्रियान्वित
करने के लिये नियम

२५-व. जहाँ भू-राजस्व निर्दिष्ट दिया जा चुका हो उस दशा में अधिकतम लगान	२२०
२५-स. उन दोनों में जहाँ लगान निर्दिष्ट कर दिया गया है अधिकतम लगान	२२०
२५-ग. कठिपय मामलों में उच्चतर अधिकतम लगान	२२०
२५-घ. जिसी लगान की अधिकतम दर	२२०

अध्याय ६

२६. अधिनियम की धारा १२६ के प्रावधानों पर -क्रियान्वित करने के लिए नियम	२२१
२७-२८. आया सगान-स्थगन की विस्तारित की जानी चाहिए इसका निर्णय करने के लिए तिदानत	२२१
३०. विदानत दिनके अनुमात यह निर्णय दिया जायगा कि स्थगित वी ही सगान-राजि व्यवस्था की जानी चाहिए यद्यपि नहीं	२२२

निरीक्षण तथा चति का अनुमान

३१. पतलों की दशा पर निरन्तर नियरानी राजने की प्रावधयकता	२२२
३२. विशेष जांच	२२३
३३. गैतों का वर्णीकरण तथा मुङ्गान का अनुमान	२२३
३४. सामान्य दोष	२२५

३५.	प्रारम्भिक रिपोर्ट जो कमिशनर को भेजी जायगी	२२५
३६.	कलबटर को प्रारम्भिक रिपोर्ट पर कमिशनर के आदेश	२२७
३७.	नुकसान का लगारा व रितीक सतीती में इन्ड्राज	२२७
३८.	निश्चित लगान देने वाले आसामियों के भूमि देनों में सहायता की गणका	२२८
३९.	इन्ड्राजों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच	२२८
४०.	एक-सी सति होने के कठिनय मामलों में रितीक सतीती का आवश्यक न होना	२२९
४१.	शिक्षी आसामियों को रितीक	२२९

अध्याय ७

अधिनियम की धारा १३७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

४२.	रसीद वहियों और तहसीलदार का उत्तरदायित्व	२२६
४३.	लेखा प्रपत्र	२३०
४४.	वहियों को जारी करने प्राप्ति के बारे में नियम	२३०

अध्याय ८

अधिनियम की धारा १३८ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के हेतु नियम

४५.	आसामी कब लेखा-विवरण मांग सकेगा	२३०
४६.	फोस जो मांग के साथ दी जावेगी	२३०
४७.	भूमिधारी द्वारा लेखा-विवरण का भेजा जाना	२३१

अध्याय ९

अधिनियम की धारा १४८-१४९ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

४८.	फसलों का विभाजन, अनुमान प्रथा मूल्यांकन करने के लिए अधिकारी का नियत किया जाना	२३१
४९.	मुक्त (फोस)	२३१

अध्याय १०

अधिनियम की धारा १६० के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

५०.	प्रार्थना वन पर न्यायालय मुक्त	२३१
-----	--------------------------------	-----

५१.	द्वेष विष के बारे में प्रायंना पत्र होणा	२३१
५२.	भनुमूलियाँ जो प्रायंना पत्र के साथ समाई जायेगी	२३२
५३.	प्रायंना पत्र के साथ रसीद वही का प्रस्तुत किया जाना	२३२
५४.	प्रायंना पत्र वा सत्यापन	२३२
५५.	प्रायंना पत्र पर बायर्वाही	२३२
५६.	भनुमूली की कलवटर द्वारा जांच	२३२
५७.	बमूली करने वाले कमंचारी वर्ग	२३२
५८.	अतिरिक्त कमंचारी वर्ग	२३२
५९.	प्रतिरिक्त कमंचारी वर्ग के लकड़े की सीमा	२३२
६०.	रसोद दिया जाना	२३३
६१.	बमूल की बकाया को रकम का व्यवस्थापन	२३३
६२.	मुगवान की गई रकम का इन्ड्राज केन बुक में किया जाना	२३३
६३-६४.	हिसाब का मोलान	२३३

अध्याय ११

अधिनियम की धारा १८० के प्रावधानों को क्रियान्वयित
करने हेतु नियम

६५.	मुदकादत व गैर सातेदार आमामियों अथवा निकमो आमामियों को वेदत्तत वरने को प्रलाप्ति	२३३
६६.	धारा १८० के संदर्भ (क) के प्रयोजनार्थ न्यूनतम लेव्र का निर्धारण भनुमूली प्रपत्र के से ज	२३४
		२३५
		२३६

टिनेंसी (राजस्व मंडल) नियम, १९५५

अध्याय १

प्रारम्भिक

१.	गणित नाम तथा प्रारंभ	२४६
२.	प्रारंभ	२४६

अध्याय १क

धारा ५ के स्थान (१४) के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

२६. उपवनों के अभिसेखन सम्बन्धी नियम	२४६
२७. विवरण जो दिया जाना चाहिए	२४६
२८. हित अन्तरण की रिपोर्ट उपवन-यारी द्वारा किया जाना	२४७
२९. उपवन की अवास्ति की सूचना दिया जाना	२४७
३०. उपवन यदि अपने स्वरूप में न रहे तो रिपोर्ट किया जाना	२४७

अध्याय २

धारा १६-३० के प्रावधानों को क्रियान्वित किये जाने के लिये नियम

३. विलोपित	२४७
४. धारा २०(१) के अन्तर्गत मुआवजे के दावे का विवरण	२४७
५. धारा २०(२) के अन्तर्गत नोटिस का प्रवध	२४८
६. मुद्यारों का मूल्य निश्चित करने में आग्य विचारणीय मामले	२४८
७. विलोपित	२४८
८. नालबट के अधिकार की प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र	२४८
९. धारा ३६-क की उप-धारा (२) के अन्तर्गत नोटिस	२४८
१०. धारा ३५-क (२) के अन्तर्गत मुआवजे के दावे का विवरण पत्र	२४८
११. नालबट के अधिकार की अवास्ति का प्रमाण पत्र प्रक्रिया 'ड' में होगा	२४८

अध्याय ३

अधिनियम की धारा ४८-५२ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

१२. आवेदन पत्र के साथ पेश होने वाले दस्तावेज	२४८
१३. नोटिस जारी किया जाना	२४९
१४. प्राप्तियों का नियटरा संघ आगे की प्रक्रिया	२४९
१५. सरान का विमाजन	२४९
१६. वित्तमय के पारदेश देने में पालनीय सिद्धान्त	२५०
१७. नवशा तंत्यार किया जाना	२५०

अध्याय ४

धारा ५३-५४ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम भूमि चेत्रों (होलिडंग) का विमाजन

१८. भूमि शेत्र का मूल्यांकन	२५०
१९. विमाजन करने में पालनीय सिद्धान्त	२५०
२०. नवतों का तंशार किया जाना तथा उप-विमाजित नवतों का सीमांकन	२५१
२१. विक्रय की दशा में भूमि शेत्र को लेने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारे का निरायंक	२५१

अध्याय ५

धारा ६० से ६२ तक के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम लगान के भुगतान का प्रबंध

२२. पारा ६० के अन्तर्गत नोटिस	२५१
२३. उद्योगणा जारी किया जाना	२५१
२४. उद्योगणा की सामील करने की रीति	२५१
२५. पारा ६२ के आवेदन-पत्र का प्रपत्र	२५१

अध्याय ६

अधिनियम की धारा ७७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

२५-१. पारा ६६ या पारा ६७ के अन्तर्गत आवेदन-पत्र का प्रपत्र	२५२
२५-२. पटवारी की रिपोर्ट	२५२
२५-३. नगरपालिका से विचार विमर्श	२५२
२५-४. आवेदन-पत्र का निपटारा	२५२
२५-५. परिस्थितियाँ जिनमें स्कीड़ित ही या सहजी हैं	२५२
२५-६. परिस्थितियाँ जिनमें आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जायगा	२५३
२६. आवेदन-पत्र की विषय वस्तु	२५३
२७. नोटिस जारी करना	२५४
२८. गुपार का निरीक्षण	२५४
२९. आपत्तियों का निपटारा और रकम का निश्चयन	२५४
३०. गुपार रजिस्टर	२५४

अध्याय ६क

अधिनियम की धारा ८० के प्रावधानों को क्रियान्वित करने लिये नियम

१०-क. भावेदत पत्र की विषय वस्तु	२५५
३०-ख. लोटिय जारी करना	२५५
३०-ग. भूमि देव का निरीक्षण	२५५
३०-घ. आपत्तियों का निरुद्ध तथा मुआवजे का निकालन	२५५
३०-ड. मुआवजे की रकम जमा करना।	२५५

अध्याय ७

धारा ८४ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

३१. लाइसेन्स	२५६
३२. विशेष लाइसेन्स	२५६
३३. सामान्य लाइसेन्स	२५६
३४. विलोपित	२५७
३५. लाइसेन्स फीस	२५७
३६. लाइसेन्स जारी करते समय ध्यान में रखने घोष्य बातें	२५७
३७. लाइसेन्स की शर्तें	२५७
३८. लाइसेन्स का निरीक्षण	२५८
३९. लाइसेन्स रद्द किया जाना	२५८
४०. लाइसेन्स का समर्पण	२५८

अध्याय ८

अधिनियम की धारा ११४ तथा ११७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

४१. लगान की दरों का प्रबोधन	२५८
४२-४३. तहसीलदार द्वारा जांच एवं निश्चय	२५८

अध्याय ९

धारा १२६-१४० के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

४४-५६. लगान का तहसील में जमा कराना	२५९
------------------------------------	-----

अध्याय १०

अधिनियम की धारा १४७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

५३. फसल काटने के समय प्रचलित भावों को एक नक्शा तैयार करना

अध्याय ११

अधिनियम की धारा १६६, १७०, १७४ से १७६ तक, १७७ तथा १७८ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

५८. आवेदन पत्र की विधय बस्तु	२६१
५९. आवेदन पत्र का सत्यापन	२६२
६०. नोटिस	२६२
६१-६२. भूमि हेत्र के इस भाग का निश्चयन जिससे आसामी बैद्यत विए जाने को है	२६२
६२-६३. धारा १७७ के प्रत्यंगत किसी मामले में भाग निश्चित करना	२६३

अध्याय १२

**अधिनियम की धारा १८०-१८२ को क्रियान्वित करने के लिये नियम
खुदकाश्त या गैर सातेदार आसामी अथवा
शिकमी आसामी की बंदखली**

६३-६४. आवेदन का प्रथम	२६३
६५. संग्रह वा विभाजन	२६५

अध्याय १३

६६-६८. अधिनियम की धारा १७९-१८८ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम	२६५
---	-----

अध्याय १४

**अधिनियम की धारा २१३ के प्रावधानों को क्रियान्वित
करने के लिए नियम**

६९. आसामी की भूमि का सूत्यांकन	२६६
७०. भूमि के शिमी भाग में निहित-हित का विश्लेषण	२६६
७१. विकल्प दी थोड़ता	२६७
७२. विकल्प वा स्पान	२६७

८४-८५. विकाय के सिए प्रक्रिया

२६७

अध्याय १५

अधिनियम की धारा २३६ तथा २४२ के प्रावधानों को कियान्वित करने के लिए नियम

८७.	आदेशिका-शुल्क प्रश्न उठाने वाले पदा द्वारा दिया जाना	२६७
८८.	पक्षो को नोटिंग	२६८
८९.	सिविल न्यायालय को प्रेपण	२६८
९०.	रजिस्टर मुकदमे में इन्द्राज	२६८
९१.	कागजात का नत्यो 'क' और नस्थी 'स' में बर्गीकरण	२६८
९२.	सिविल न्यायालय द्वारा प्रेपण	२६८
९३.	प्रेपण रजिस्टर में इन्द्राज	२६८
९४.	प्रेपण रजिस्टर	२६९
९५.	प्रेपण काइल	२६९
९६.	प्रेपण को भाहवारी नवशों में बताया जाना	२६९

अध्याय १६

शपथ-पत्र सम्बन्धी नियम

१७.	शपथ-पत्र के अनुसार शपथ लेना	२७१
१८.	फौस	२७१
१९.	ध्यक्तियों तथा स्थानों वा पूरा विवरण दिया जाना	२७१
२००	ध्यक्ति जो शपथ ले सकते हैं	२७०
२०१.	शपथ पत्रों के प्रपत्र	२७०
२०२.	जानकारी में होने वाले तथ्यों प्रथवा ओवरों का बताया जाना	२७०
२०३.	शपथ लेने वाले की धहिचान	२७०
२०४.	पर्दानशीन स्त्री द्वारा शपथ-पत्र	२७१
२०५.	शपथ के प्रपत्र	२७१
	प्रपत्र	२७२-२७२

राजस्थान टिनेंसी एकट, १९५५

(एकट संख्या ३, सन् १९५५)

(राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक १४ मार्च, १९५५ को प्राप्त हुई)

आमुख

हुणि-दूसियों के हुणिकरण से मध्यभिन्न कानून को समेवित तथा संगोष्ठित करने और भूमि की उन्नति के कुछेक उपायों व तत्सम्बन्धीय मामलों को व्यवस्था करने के लिये अधिनियम।

राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा मारत गणराज्य के इन बर्ख में निम्न रूपेण अधिनियमित किया जाता है:—

टिप्पणी

१. आमुख:— आमुख निस्सन्देह अधिनियम वा एक भाग होता है परन्तु उसका उपयोग अधिनियमित करने वाले भाग वा म्पटीकरण करने के लिए किया जाता है न कि उसका नियंत्रण करने के लिए। आमुख का प्रयोजन सामान्य रूप में उस उद्देश्य को बनाना होता है जिसके लिए कि अधिनियम पासित किया जाता है, परन्तु उसमें उन सब घाँटों का उल्लेख कर दिया जाय जिनकी पूर्ति के लिए वह अधिनियम बनाया गया था।

२. रामेश्वर एवं सशीधन:—समेकन एवं संशोधन वरने वाले अधिनियम का शुरू निकालते समय न्यायालय को पुराने नियंत्रण पर विचार करने का भी अधिकार है। यदि अधिनियम के किसी सण्ठ का न्यायालय द्वारा कोई विर्य निकाला जाने के पदचाल उसी रूप में पुनः अधिनियमित किया जाता है तो वही समझा जायगा कि विधान मण्डल ने उस विर्य को घोगीकर कर दिया है।

३. प्रारंभ की तारीख:—यह अधिनियम १५ अक्टूबर १९५५ से राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० एफ १ (१०) रे० ११३/५५ ता० १४ अक्टूबर १९५५ द्वारा प्रभावीन किया गया था।

४. विस्तार:—यह अधिनियम अब समूत राजस्थान राज्य में लागू है जिसमें आगू, अजमेर एवं सुनेज क्षेत्र भी ११ जून १९५८ से मिलनित हैं। इस विषय में राजस्व (उ) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १ (२८१) रे० ६१/५६ दिनांक २७ मार्च १९५८ राजस्थान राज्य भाग ४(ग) ता० ८-५-१९५८ में पृष्ठ २५ पर प्रकाशित हुई थी।

अध्याय १

प्रारम्भिक

१. सक्रिय शोर्वंक, विस्तार तथा प्रारम्भ—(१) यह अधिनियम राजस्थान दिनांकी १.५.८८, १९५५ कहा जायगा ।

(२) इसवा विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।

(३) यह उस तारीख से प्रभावशील होगा जो राज्य मरकार इस गवर्नर में राजस्थान राज पत्र + में अधिसूचना के द्वारा नियत करे । ।

२. विलोगितः—+ +

धारा २ को राजस्थान नियमी (प्रथम संशोधन) ^{अधिनियम १९५६} द्वारा विस्तृत किया गया जिसके द्वारा केन्द्रीय सामाजिक सेंड अधिनियम के इष्टान पर राजस्थान सामाजिक वड अधिनियम १९५५ लागू किया गया ।

३. निरसन—(१) जिस दिन यह अधिनियम प्रभावशील हो जायगा उस दिन को तथा उस दिन से उल्लिखित निरसित हो जायेगे :

(क) प्रथम प्रनुसूची के स्तम्भ २ में बताई गई अधिनियमितिया, अनुसूची के स्तम्भ ३ में निर्दिष्ट सीमा तक; ३१ ल. १०० पृष्ठ ५५५ ।

(ब) छण्ड (क) में उल्लिखित अधिनियमितियों के अलावा, कोई तदनुहप वानून जो संघिपनात्मक राज्यों से किसी राज्य में अब तक लागू रहा हो, उस सीमा तक जहाँ तक वे कानून इस अधिनियम में समाविष्ट होते हैं अथवा जहाँ तक इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हैं, [प्रीर

(ग) इस उप-धारा के पूर्ववर्ती खण्डों में उल्लिखित अधिनियमितियों अथवा वानूनों में संशोधन करने वाले कोई कानून ।] + + +

(२) + + + किसी अधिनियम, अध्यादेश, आनियम, नियम, आदेश, संकल्प, अधिसूचना, अथवा उप-नियम जो एतत्द्वारा अथवा राजस्थान राजस्व विधि (विस्तार) अधिनियम १९५६ द्वारा निरस्त नहीं हुए हैं, में, अथवा जागीर या जमीदारी, या बिस्तेदारी अधिकार, को स्वीकृति प्रदान करने वाली या स्वीकृति की मान्यता प्रदान करने वाले किसी आदेश अथवा लिखित को शासी अथवा प्रतिवंधों में अन्तर्विष्ट कोई बात जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिवूल अथवा असंगत है 'त्रियांशील नहीं रहेगी अथवा उन उपबंधों पर विसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं रखेगी ।

+ देलिए राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८

+ + देलिए राजस्थान अधिनियम संख्या २७ सन् १९५६

+ + + उपरोक्त

+ + + + उपरोक्त

+ (३) हृषि-भूमियों के उपर्युक्त करण सम्बन्धी कोई रीति या रिवाज जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय, राज्यों के पुनर्गठन से पूर्ववर्ती राजस्थान राज्य—सिरोज देश को छोड़कर के विसी भाग में, भयवा राजस्थान राजस्व विधि (विस्तार) अधिनियम १९५७ के प्रारम्भ के समय, आवृ, अजमेर यथवा सुनेल क्षेत्र में, प्रवृत्त हो, तथा विधि का इन रखती हो, यदि उक्त रीति या रिवाज इस अधिनियम के उपर्युक्तों के विरुद्ध भयवा असंगत हो तो, जहां तक विरुद्ध भयवा असंगत है, उस सीमा तक कियासील नहीं रहेगी।

+ + (४) उक्त प्रारम्भ के समय विद्यमान तथा नियाशील हृषिमियों के उपर्युक्त करण सम्बन्धी विसी इकरानामे के उपर्युक्ते, जो इस अधिनियम के उपर्युक्तों से विरुद्ध भयवा असंगत है, उन व्याकृतियों (सेविज) के प्रयोग रहते हैं जिनका इस अधिनियम में अन्यत्र भयवा राजस्थान राजस्व विधि (विस्तार) अधिनियम १९५७ में प्रावधान है, यून्ह दो जायेगे और उक्तहयेण विरुद्ध भयवा असंगत होने की सीमा तक कियासील नहीं रहेगा।

- ४. विसोपित—X

टिप्पणी

चालू भार्यवाहियों पर दिलुक्ति का प्रभावः—धारा २०६ (१) के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रवर्तन के समय और किसी राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पड़े हुए भव दावे, मामले, आपीने, आवेदन पत्र, निदश (रेकरेंस) और कार्यवाहियों जो उन वातों में सम्बन्धित हैं जिनका समावेश इस अधिनियम में किया गया है, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ निए हुए समझे जायेगे। अतः राजस्थान आसामी संरक्षण अध्यादेश १९४६ (आर. बी. टी. थो.) के नीचे राजस्व न्यायालय के “समक्ष विचाराधीन कार्यवाहियों अव इस अधिनियम के अनुसार की जायेगी।

— पृष्ठभाषाएः—इस अधिनियम में जब तक प्रवंशवाद अन्यथा अवैधित न होः—

(१) “हृषि वं”—से पनिप्राप्त १ जुलाई से प्रारम्भ होकर आसामी ३० जून को समाप्त होने वाले वर्ष से होगा,

टिप्पणी

ग्रिगोरियन कॉर्नेल का वर्ष १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक का गिना जाता है जब कि हृषि वर्ष १ जुलाई से ३० जून तक का माना जाता है।

(२) “हृषि”—में उदात्-कार्य सम्मिलित होगा;

टिप्पणी

कृषि का मूल धर्य भूमि जोनने से है और इस अर्थ में हृषि करने से समान्य अभिन्नाय साय सब्जन एवं फल (मनुष्यों के लिए), और पशुप्राणों के लिए चारा उगाने के

+ देखिए राजस्थान अधिनियम मंडला २ दान १९५८

+ + उपरोक्त

X देखिए राजस्थान अधिनियम मंडला ३ दान १९५८

लिए भूमि जो तने से है। इगमें वायवानी भी उद्यान कर्म भी समिनित है।

(३) "प्राइवेटर" ने अधिकार्य द्वारा छर्टिंग में होगा जो तभि घरवा पशु पालन में अपने आग घरवा नोकरों या आमासियों के द्वारा पूर्णः अथवा गुरुमय पशु जीवन नियंत्रण करता है;

(४) "सहायक कलक्टर" से प्रभिप्राय राजस्थान टेरीटोरियल डिवीजन आडिनेस १९५९ के अन्तर्गत प्रथवा तत्त्वमय प्रवृत्त तितो अन्य बाबून में अन्तर्गत नियुक्त लिए गए सहायक कलक्टर से होगा;

(५) "विस्वेदार" + + से प्रभिप्राय द्वारा छर्टिंग में होगा जिसे राज्य के किंगी भाग में कोई मांव अथवा गोव का कोई भाग विस्वेदारी पृष्ठानुसार दिया जाता है तथा जो अधिकार प्रभिनेन (मिसल हकीयत) में विस्वेदार अथवा स्वामी के स्वयं में दबं किया जाता है और उसमें अन्तर्गत का खेलटार समिनित होगा;

(६) "बोर्ड" + से प्रभिप्राय राजस्थान बोर्ड आफ रेवेन्यू आडिनेस १९४६ के अन्तर्गत या तत्त्वमय प्रवृत्त किसी अन्य बाबून के अन्तर्गत राज्य के लिये स्थापित तथा गठित राजस्व मंडल से होगा;

टिप्पणी

बोर्ड आफ रेवेन्यू आडिनेस १९४६ की धारा १९ के नीचे मुकदमे सुनने को जिन अतिरिक्त कमिशनरों को नामाहिष्ट किया गया था वे बोर्ड के अधीनस्थ न्यायालय नहीं माने जा सकते। अतः धारा १९ के नीचे सौंपे गये मामलों का पुनरीक्षण करने की अधिकारिता बोर्ड को नहीं है।

(६-का) "अधिकारम क्षेत्र" + + से, समूर्ण राज्य में वही भी विसी अधिकारिता द्वारा जिसी भी हैसियत में घारित भूमि के प्रसंग में, अभिप्राय भूमि के इस अधिकारम क्षेत्र से होगा जो कि उक्त अधिकारिता के प्रसंग में धारा ३०-ग के अन्तर्गत नियत किया जा सके;

(७) "कलक्टर" से प्रभिप्राय, राजस्थान टेरीटोरियल डिवीजन आडिनेस १९४६ के अन्तर्गत या तत्त्वमय प्रवृत्त किसी अन्य बाबून के अन्तर्गत नियुक्त लिये गये कलक्टर या अतिरिक्त कलक्टर से होगा;

(८) विलोपित + + +

१. डिवीजनेरी आफ सौ—एडरसन

१. किशोरसिंह V राजस्व मंडल राजस्थान, 1953 R.L.W. 21

+ + उपरोक्त

+ देविए राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८

+ + देविए राजस्थान अधिनियम संख्या ४ सन् १९६०

+ + + देविए राजस्थान अधिनियम संख्या ८ सन् १९६२

(६) "कसलो" में छोड़दूध, ज्ञाहियों, पीये, तथा देल जैसे गुरुत्व की भाड़ियाँ, पान की देल, मेहदी की भाड़ियाँ, केले तथा परीते सम्मिलित होने परन्तु उसमें चारा व प्राहृतिक उपत्र सम्मिलित नहीं होगी।

ट्रिपणी

"कसलो" शीघ्रक के नीचे स्वल्पापु बाले पीधों की गिनती वेवन द्वाटान रूप में की गई है न कि सबों ग रूप में। 'सम्मिलित है' के प्रयोग का अभिप्राय यही है कि परिभोया अपने नदृज रूप में समझी जाव और उसका विषय थेव योड़ा विस्तृत करके उसमें ऐसे पीये जैसे जावें जो सामान्यतः उसमें सम्मिलित नहीं नममें जाते।'

ESTATE

(१०) "मू-सम्पत्ति" में अभिप्राय जागीरदार यारिन जागीर-भूमि या जागीर-भूमि में हिन से होगा और उसमें विस्तृदार X [" "] या जमीनदार द्वारा धारित भूमि या भूमि में हित सम्मिलित होगा;

CIVIL 55

(११) "मू-सम्पत्ति-धारक" — से अभिप्राय तत्त्वमय मू-सम्पत्ति के किसी धारक पर्याय जागीरदार X [" "] विस्तृदार या जमीनदार में होगा,

CIVIL 55 STATE JURISDICTION

(११-बा) "विद्यमान जागीर कानून" — में तीर्त्तिये इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय सम्मुखी राज्य या उसके किसी माग में जागीर भूमियों या जागीरदारों के सम्बन्ध में प्रवृत्त किसी अधिनियम, अध्यादेश, आनियम, नियम, आदेश, सत्रल, अधिसूचना या उपनियम में होगा और इसमें—

(क) इम-अनियम के प्रारम्भ के समय सम्मुखी राज्य या उसके किसी माग में उक्त जागीर भूमियों या जागीरदारों के सम्बन्ध में प्रवृत्त तथा विधि-वन रखने वालों द्वारा दीति या दिवाज, और

CIVIL 55

(ख) जागीर भूमियों वा वन्दुदान बरने वाले अम्बवा छनके अनुदान को मान्यता प्रदान बरने वाले किसी दादेश अथवा लियन में अन्तविष्ट प्रतिवंश तथा नहते, सम्मिलित होंगी।

CIVIL 55

(११-ग) "प्रपालन" + — से अभिप्राय भूमि के सेम टकड़े में होगा जो राज्य मर्कार द्वारा पारा ५३ को उप-पारा (१) के प्रयोगनार्थ विहित स्वनाम से देवफल में वर्त हो;

CIVIL 55

+ + (१२) 'अनुदान' में अभिप्राय राज्य के किसी माग में भूमि प्रारण बरने वा भूमि में हित रखने के अनुदान प्रदया अधिकार से होगा और वह स्पति किसे उक्त अधिकार दिया जाय उक्त अनुदान-प्रदान कहना चाहिएगा;

CIVIL 55

१. बंगाल प्रान्त Vs धीमती हिंगल बुमारी, AIR 1946 Cal. 217

× देविए राजस्वान अधिनियम मंद्या २७ सन् १९५६

+ देविए राजस्वान अधिनियम मंद्या ४ सन् १९६०

+ + देविए राजस्वान अधिनियम मंद्या २ सन् १९५८

+ + 4. (३) "मनुरूप लगान-दर पर अनुदान"—से अभिप्राय [राज्य के दिगी माग में] ऐसे लगान पर किये गये अनुदान से होगा श्रीमनुरूप लगान दर, अनुरूप लगान दर के लगान से एक ही तथा जिसमें अनुदान की दातों के अनुमार, अध्याय १ से अन्तर्गत होर के न दिया जा सके; और ऐसे अनुदान दर की तो "मनुरूप लगान दर पर अनुदान पूरीता" इहा जायगा जिस अभिव्यक्ति में गुरुते दोन का रियायत पूरीता भी गमिष्ठित माना जायगा।

(४) "उपवन धारी"—से अभिप्राय जब तक उपवन धारे में स्थान में स्थित हो, लातेदार धारामी थथवा मुद्रकारत-धारी हो-होगा।—जो कि प्रपने मध्यांग भूमि-धेन या इसके विशी माग पर उपवन रखता हो घोर विहित रीति से उमे पापजान गे उपवन दर्ज किया हुआ हो;] x

टिप्पणी

जिस भूमि पर पेड़ लगे हो उस पर काविज व्यक्ति को जो उपवनधारी होते का दावा करे सावित करना होगा कि उसने उपवन उस भूमि पर लगाया है जो उमे उपवन लगाने वो दी गई थी।

(५) "उपवन-भूमि"—से अभिप्राय (राज्य के दिगी माग में) भूमि के दिगी विशिष्ट द्रुक्षें से होगा जिस पर धृष्ट ऐसी सव्या में लगे हों कि जो उक्त भूमि को धथवा उसके दिगी अभिप्राय माग को किसी अन्य कृपि-प्रयोगन के लिये मुख्यतया काम में लाने से रोकते हो धथवा पूर्णतः बढ़ जाने पर रोकेंगे और तत्फलेण लगाये गये धृष्ट उपवन के हृष में होंगे;

टिप्पणी

१. विषय—जिस उपवन भूमि के लिए लगान दिया जाना है वह एक विशिष्ट भूमि होता है जिस पर पेड़ इतने पास ३ लगे होते हैं कि भूमि का उपयोग सिवाय उपवन लगाने के और किसी बाम के लिए नहीं किया जा सकता। पदि पेड़ छोट हो तो मामूली रेती की जा सकती है परन्तु उनके बड़े होने पर खेनी में रकावट होती है। परन्तु जब पेड़ बेवल भूमिखण्ड की सीमा पर लगे हो और उसके बड़े भाग पर रेती होने में रकावट नहीं ढालते तो उमे भूमि खण्ड को उपवन भूमि नहीं कहा जा सकता। । — — —

२. भूमि का विशिष्ट द्रुक्षः—उपवन भूमि के दिगी विशिष्ट द्रुक्षे पर होना चाहिए इसका अर्थ सम्भवतः यह है—कि विशिष्ट हुए पेड़ जैसे कि सड़क के किनारे के पेड़ उपवन का निर्माण नहीं कर सकते।

३. उपवन का नट होना—इस बात का निश्चय करने के लिए कि उपवन के लक्षण मिट गये हैं या नहीं यह देखना आवश्यक है कि वया उस भूमि के द्रुक्षे के अधिकांश-भाग का उपर्युक्त विशी अन्य बाम के लिए विया जा सकता है। उपवन नट हो जाने पर

१. काशी V अमूर्वाई, 18 R. D. 13

+ + + देविर राजस्थान अधिनियम सत्या २७ सन् १९५६ तथा २ सन् १९५८
x देविर राजस्थान अधिनियम सत्या २७ सन् १९१६

उपवन-धारी वातेदार कांतिकार रह जाता है।^३

(१६) "उच्च न्यायालय" से अभिप्राय राजस्थान उच्च न्यायालय से होगा;

कृष्णनगर

(१७) "भूमि-देव" — से अभिप्राय भूमि के एक या अधिक संण्डों से होगा जो कि एक पट्टे, बदन, या अनुदान के प्रथम ग्रथवा ऐसे पट्टे, बधन या अनुदान के न होने की दशा में, एक पारणाधिकार के अधीन भूत हो या हों और उसमें इजारेदार या-ठेकेदार के प्रमाण में इजारे अथवा टेका का दोष सम्मिलित होगा;

— ५ परन्तु, किसी व्यक्ति द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में वही भी, एक पट्टे, बधन, अनुदान या पारणाधिकार के अधीन भूत भूमि के सभी लष्ट चाहे उन्हें वह स्वयं जोता हो, या किराये पर या शिकमी-किराये पर देता हो, अध्याय ३-वा के प्रयोजनार्थ, उसका भूमि-धन खाने जायेंगे और, जहा.ऐसो — भूमि-एक.से—अधिक-ब्यक्तियों द्वारा सह-प्राप्तियों अथवा मह-भागियों को हैसियत में भूत हो, तब व्यक्तियों में से प्रत्येक वा अंश उसका पृथक भूमि-देव माना जायगा चाहे उसका वस्तुतः बदलारा हूदा हा या न हुआ हो;

टिप्पणी

यदि भूमि-देव में बदोती शर्नः शर्नः हों तो व भूमि-क्षेत्र का मान होनी है।^४
अनिकमी के कट्टे की सूमि को 'भूमि-देव' नहीं माना जा सकता।^५

(१८) "इजारा अथवा टेका" से अभिप्राय लगान की वमूली के लिये दिये गये कार्य या पट्टे में होगा; इह दोनों जिसके सम्बन्ध में इजारा अथवा टेका है "इजारा अथवा टेका दोनों" अहलायेगा - तथा "इजारेदार अथवा टेकेदार" से अभिप्राय उस व्यक्ति में होगा जिसे इजारा अथवा टेका दिया जाय;

टिप्पणी

इजारा या टेका में अध्याय १३ के अनुसार लगान वसूली के पट्टे में अभिप्राय है।
इजारा या टेका एक संविदा को प्रगट करता है। टेकेदार कांतिकार नहीं होगा।^६

(१९) "मुपार" से अभिप्राय, आमामी के भूमि-देव के प्रमाण में, निष्ठनलिखित में होगा :—

—(क) आमामी द्वारा अपने स्वयं के अधिकार के लिये भूमि-देव में बनाया गया रहने वा
मनान या उसके द्वारा बरते भूमि-देव में—बनाया या—स्थापित किया गया युक्तों का बाहा,—
मध्यार-हृष्ट, या इसी सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये कोई बन्ध निर्माण;

(ग) ऐसा कोई कार्य जिससे उस भूमि-देव के पूर्ण में महत्वपूर्ण शुद्धि हो और जो उस

२. सद्यमोनारायण V बामवारसाद A.I.R 1932 Oudh 281

३. मुरारीनाल V/s रामराल, 11 R. D 215

४. एवं V/s राजा प्रदाप बहादुर, 6 R. D.—272

५. याग १ (४३)

+ देखें राजस्थान अधिकारियम सम्बा ४ यन् १६६०

प्रयोजन से गुणगत हो। जिसके लिये वह भूमि-धोन निराये पर दिया जाय;

बोर, १८ उपर के पूर्ववर्ती उपयोग में घटीन रहते हुए, उगम—

(१) इपि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये पानी के सप्रदाय, प्रदाय अथवा वितरण में लिये वयो, सालायो, बुओ, पानी के नालों तथा घन्त्व माध्यनों का निर्माण,

(२) भूमि से जलोत्तमारण वे लिये, अथवा बाढ़ो, निट्रो शी कटाई या पानी से होने वाली अन्य प्रवाह की नियमी धारा से उसकी रक्षा करने के लिये, गाधनों का निर्माण,

(३) भूमि का पुनर्घास करना, साफ करना, पेरा बाधना, समतल करना या ऊंचा करना,

(४) भूमि-धोन के ठीक पास ऐसी भूमि पर जो गाय की आबादी में न हो, भूमि-धोन के मुख्यप्रद अथवा सामग्रद उपयोग के लिए अधिकास के लिये अपेक्षित मशान,

(५) उपरोक्त कार्यों में से किसी का नवीनीकरण अथवा पुनर्निर्माण या उनमें ऐसे परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन जो नितान्त मरम्मन के ढंग के न हो, सम्मिलित होंगे; —

लेकिन ऐसे प्रस्थायी बृद्धि, पानी के नाले, वष, बाढ़ो या अन्य कार्य जो आसामियों द्वारा वेत्री के साधारण अन्त में बनाये जाते हैं, सम्मिलित नहीं होंगे;

टिप्पणी

— उक्त उपधारा में 'सुधार' के अन्तर्गत जो वातों गिनाई गई हैं—वे हाटान्त रूप में हैं न कि पुरी सूची के रूप में। जो भी कार्य किसी खाते के मूल्य में तात्काल परिवर्द्धन करता है और जो उस उद्देश्य में सुसंगत है जिसके लिए कि खाता दिया गया था, 'सुधार' है परन्तु धर्मांक प्रकृति के निर्माण सुधार नहीं कहला सकते। यह आवश्यक नहीं है कि सुध र उसी खाते पर हो जो कि उनसे लाभान्वित हो।^१ यदि कोई कालनकार वेदखली के पश्चात् पेह उगाता है तो उसे 'सुधार' नहीं समझा जा सकता।^२ 'सुधार' कर लेने के पश्चात् भी किसान खाते का पूरा लगान देने का दायी है।^३ साधारणतः किसान किसी भी प्रकार वा सुधार कर सकता है परन्तु उसे उद्देश्य के असंगत किसी काम के लिए उपयोग वरने का अधिकार नहीं है।^४

१. १००, १०००

उपरोक्त उपधारा के प्रावधान के बाहर निर्माण करना सुधार नहीं है। खातेदार कालनकार अपने खाते में कोई सुधार कर सकता है—परन्तु उसका यह अधिकार इस उपधारा में—परिभाषित 'सुधार' तक ही सीमित है। उसके अन्यथा निर्माण करने पर यह राज्यान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ को धारा ११(क)-के—साथ पठित धारा ६१-के गतर्गत दण्ड वा भाईगी होगा।

^{१.} बंडायारा व्यवसाय, 13 R. D. 642

^{२.} चरणसिंह व्यवसाय, 1944 R. D. 77

^{३.} धारा ७२

^{४.} विनाया प्रसाद व्यवसायी विवाही, A. I. R. 1936 Oudh 816

(२०) (वित्तीपित) +

(२१) "जागीरदार" से अभिप्राय ऐसे विसी व्यक्ति में होगा [+ + जो राज्य के विसी भाग में जागीर-भूमि अथवा जागीर-भूमि में कोई हित धारण करता हो और] विसी विट्मान जागीर-बालून के बन्नांगत जागीरदार के रूप में मान्यता-ग्रान्त हो तथा उसमें जागीरदार से जागीर-भूमि का अनुदान-प्रहीता सम्मिलित होगा;

X (२२) "जागीर-भूमि" से अभिप्राय राज्य के विसी भाग में ऐसी भूमि से होगा जिसमें अध्यवा विसी सम्बन्ध में जागीरदार को भू-राजस्व या विसी अध्यवा राजस्व के विषय में अधिकार होते हैं और उसमें—

(क) प्राक्-भूनयंठन राजस्यान राज्य—सीरोंज देश को छाड़कर—मे द्वितीय अनुमति में विदिष्ट पारगुपिकारों में से विसी पर धृत भूमि;

(ख) बम्बई भजंड टोरोटरीज एण्ड एरियाज (जागीर-एवोरीयन) एकट १९५३ (वर्षाई एकट ३६ सन् १९५४) को धारा २ की उप-भारा (१) के सन्द (६) में परिभाषित जागीर के रूप में आवृद्ध देश में धृत भूमि; यदि कोई हो,

(ग) भजंडेर एवोलीशन थॉक इण्टरमीडीयरीज एण्ड लैण्ड रिकार्ड्स एकट १६५५ (अजमेर एकट ३, सन् १९५१) की धारा २ की उपधारा (१) के सन्द (५) में परिभाषित भू-सम्पदा (एस्टेट) के रूप में भजंडेर देश में धृत भूमि, यदि कोई हो, अर्थात् इस्तमरारी भू-सम्पत्ति के रूप में, अथवा जागीर भूमि, मुक्राकी, या धुजारा के रूप में अथवा विसी अध्यवा इस्तमरारदार या गैर-सनदी इस्तमरार द्वारा धृत भूमि, और

(घ) मध्य भारत एवोलीशन थॉक जागीर-एकट सम्बन्ध २००८ (मध्य भारत एकट २८, १९११) की धारा २ की उप-भारा २ के सन्द (७) में परिभाषित जागीर-भूमि के रूप में भुनेंड देश में धृत भूमि मान दी हो;

— X X (इ) भूमि के स्वामी द्वारा धृत भूमि या भूमि में हित ✓

सम्मिलित होगी;

X (२३) "तुदाहर्त" मे अभिप्राय राज्य के विसी भाग में विसी भू-सम्पत्ति-यादे द्वारा संपर्क कारण की गई भूमि से होगा और उसमें—

[१] ऐसी भूमि जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय बन्दोबस्तु कागजात में "तुदाहर्त, सीर, हवाला, निवी-जोत-धर-सेत का रूप में उस समय जबकि उस कागजात नियार दिये गये दे प्रयुत बालून के अनुमार दर्ज हो गई हो, और

[२] उक्त प्रारम्भ के पश्चात्, राज्य के विसी भाग में, उत्तमम प्रवृत्त विसी बालून के

+ देविए राजस्यान अधिनियम संख्या २३ सन् १९९६

+ + देविए राजस्यान अधिनियम संख्या २ सन् १९६८

X उत्तरोत्त

X X देविए राजस्यान अधिनियम संख्या ११ सन् १९९४

अन्तर्गत, गुदकाशन के रूप में प्राविति मधि

सम्मिलित होगी;

टिप्पणी

इस उपधारा को उपाधा (२५) के साथ पढ़ना चाहिए। गुदकाशन में अभिप्राय भू-सम्पत्तिधारक द्वारा स्वयं बासन की गई भूमि में है। परन्तु इस अधिनियम वे नीने इस शब्द की परिभाषा विस्तृत कर दी गई है जिसमें भू-सम्पत्तिधारक के परिवार व नवद पारिश्रमिक पर नौकरों इत्यादि से कराई गई बासन भी सम्मिलित है। परिभाषा अपने आप में पूर्ण है। गुदकाशन वा अधिकार अहमनानरणीय है मिथा अङ्गना घटली अथवा जागीरदार की भू-सम्पत्ति के विभाजन से अथवा गुजारे के लिए बस्ती^१ के लिए ।^२

(२४) "भूमि" से अभिप्राय उस भूमि से होगा जो कृपि-वायी अथवा तदधीन (Subservient)-वायी या उच्चाया या चारानाह के लिये पूर्ण पर दी जाय या छारता ही जाय तथा उसमें भूमि क्षेत्र पर स्थित मकानों या बाटों की भूमि अथवा उस पानी से ढकी भूमि सम्मिलित होगी जो तिचाई के लिये अथवा सिपाडा या तत्समान अथवा उपज उगाने के लिये काम में लिया जा सके परन्तु उसमें प्राचारी-भूमि सम्मिलित नहीं होगी; उसमें भूमि से, जमीन से संलग्न अथवा जमीन से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी तौर पर संबद्ध बस्तुओं से होने वाले साम सम्मिलित होगे;

टिप्पणी

अभिव्यक्ति "कृपिकारों" की परिभाषा इस अधिनियम में कही नहीं दी गई है। 'कृपि' का अर्थ भूमि जानने से है जिसमें जमीन रोगार करना, बाज बोना, फसल उगाना व काटना और मवेशी पालना इत्यादि वी कला या विज्ञान सम्मिलित है।^३ इस अधिनियम में 'कृपि' में 'उच्चान कार्य' भी आता है।^४ आया कोई भूमि कृपि कार्य में प्रयुक्त हो रही है अथवा नहीं यह तथ्य का प्रश्न है और प्रत्येक मामले को परिस्थितियों से सम्बद्ध है। परन्तु कोई भूमि-क्षेत्र के बल इसीलिए 'भूमि' कहलाया जाना बन्द नहीं हो जायगा कि वह 'वर्ष' के कुछ भाग में पानी में फूवा हुआ है और पटवारी के कागजों में उसे तालाब निख दिया गया है।^५

उपवन भूमि और चरागाह—उपवन की भूमि तो 'भूमि' है परन्तु 'उपवन धारी' इस परिभाषा में काल्पनिक नहीं है। जो भूमि अशतः चराई के काम आती है परन्तु मुख्यतः ऐसी धास उगाने के जो कि धूपर पर ढानी जाने के लिए अधिक उपयोगी है

१. पारा १०(२)

२. वेबस्टर शब्द कोश

३. पारा ४ (२)

४. गवर्नर द्वारा १९४४ R.D. 69

वह चरागाह है।^१ परन्तु बंजड़ इवायक रूप से चरागाह नहीं है यदि उसे इस तरह काम में नहीं दिया जाता।^२

जल मान भूमि इसमें प्रयुक्त 'तत्समान अन्य उपज' से स्पष्ट है कि जो वस्तु उगाई जाय वह भूमि में उत्पन्न हो। मध्यली पानी में यही है परन्तु यह भूमि की उपज नहीं होती। अतः भूमि के जिस भाग में मध्यनियां पाली जानी हो वह 'भूमि' नहीं है।^३

(२५) भूमि जिसमें लुट ने काश्त की है—से उसके समस्त व्याकरण सम्बन्धी रघान्तरों तथा सजातीय अविक्षितियों सहित, अभिप्राय उस भूमि से होगा जो लुट विसी व्यक्ति के निमित्त—

[१] उसके सुद के थम से या

[२] उसके कुटुम्ब वे सदस्यों के थम में, या

+ [३] उसकी व्यक्तिगत या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की देवरेत में भाड़े के मजदूरों से अथवा नौकरों से जिन्हे मत्तूरी नकद में या जिस्त में दी जानी हो परन्तु फसल के घंटा के स्प नहीं

काश्त की गई हो।

परन्तु ऐसे व्यक्ति की दशा में जो विध्या हो, या अवमस्फ हो, या किसी भी प्रकार की शारीरिक अथवा मानविक निर्याप्तता से प्रस्त हो या भारतीय रेना, नी सेना, या हवाई रेना का सदस्य हो या जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था वा विद्यार्थी हो तथा आपु में पञ्चोंस वर्ष से काम हो, भूमि, उक्त रूपेण व्यक्तिगत देवरेत के अमाव में भी सुद के निमित्त काश्त की दृष्टि समझी जायेगी।

कि (२५-वा) "मू-स्वामी" से अभिप्राय राजस्थान लैण्ड रिफार्म एण्ड लैण्ड एवडी-जीवन आफ सेण्ड औरन्स एस्टेट्स एक्ट, १९६३ (राजस्थान अधिनियम ११ सन् १९६४) की धारा २ के लाल (ल) में यथा परिभायित मू-मृप्ति को, अपनी व्यक्तिगत या जिजी मृप्तियों के विषय में प्रसंविदा के घनुमार किए गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिम रूप से अनुमोदित समझौते के अधीन और अनुमात, पारण करने वाले, राजस्थान की प्रसंविदा अन्तर्गत रियासतों के निमित्त है;

L १२१५४१-१९८-६२

~ X (२६) "भूमि परी"—रो अभिप्राय, राज्य के किसी भाग में, उस व्यक्ति से होगा जो जाहे दियी भी नाम से जाना जाता हो जिसे सगान देय है, या जिसे व्यक्त अथवा गमित सविदा के मुमाल में, उपान देय होगा और उसमें—

१. सदता प्रसाद V. बस्तूरेचिह 14 R.D. 2-8

२. महादेव VS, सन्ताप्रसाद 1948 R.D. 369

३. बरमेंटरसिह VS. इटेनॉय, ILR. 1950 All. 1215

+ राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८ द्वारा प्रति स्पापित।

कि राजस्थान अधिनियम संख्या ११ सन् १९६४ द्वारा निर्वित।

५. राजस्थान अधिनियम संख्या २७ सन् १९५६, २ सन् १९५८ एवं ११ सन् १९६४ द्वारा यथा संशोधित।

✓[१] भू-सम्पत्ति-धारो,

- [२] मनुष्यसंसाग-दर पर समुद्राग-प्रहीता,

[३] उप-गृहे की दशा में, मुख्य आमासी जिमते भूमि वित्तमी-किराये पर उठाई हो अग्रणी नगका बंधाग-प्रहीता; [४]

[५] धर्षयाय ६ तथा १० के प्रयोजनार्थ इजारेदार या टेरेदार; और

[६] साधारणतया प्रयोगः धर्षक जो प्राप्ति पारी (मुद्रितिर होत्तर) है, उन व्यापारियों के प्रसङ्ग में जो भूमि सीधे उपरे लेकर या उनके धर्षीन पारण करते हैं;

टिप्पणी

इस परिभाषा की मुख्य बान भूमि को किराये या उप किराये पर देने का अभिवार है।

इसमें अनिकामक सम्मिलित नहीं है वयोऽनि इसे दोनों में कोई भी अधिकार नहीं है।

-(२५ का) "भूमि विहीन व्यवित" — से अभिप्राय एक-अवधारी-उपकृति से होगा जो स्वप्न भूमि में काशन करता है अथवा जिमते मुक्तियुक्त रीति से बाहर बरने वी पादा की जा सकती है परन्तु जो अपने स्वय के नाम से अथवा अपने संयुक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से भूमि नहीं धारण करता है अथवा एक अपलृण (fragment) रहता है;

-(२६ खा) "भारत की सेना, जो-सेना अथवा हवाई सेना सदस्य" — अथवा "व्यनियत की सदस्य संन्य वल का सदस्य" में "राजस्थान आमंड कास्टेवुलरी" का सदस्य सम्मिलित होगा;

+ (२६ का-का) "मालिक" — से अभिप्राय कोई जमीनदार या विस्तेवार जो, राजस्थान जमीनदारी एष्ट विस्तेवारी एवोलीशन एवट १६५९ के अन्तर्गत अपनी भू-सम्पत्ति के राज्य सरकार में निहित हो जाने पर, अपने द्वारा पृथक् खुद काशन भूमि का उक्त एवट की धारा २६ के अन्तर्गत मालिक हो जाता है;

(२७) "अधिवासित भूमि" — से अभिप्राय ऐसी भूमि से होगा जो विसी आमासी को तत्समय पट्टे पर दी गई हो एव उसके अधिवास में हो और उसमें खुद-काशन भूमि सम्मिलित होगी, तथा "अनाधिवासित भूमि" से अभिप्राय उस भूमि से होगा जो अधिवासित नहीं है;

(२८) "गोचर भूमि" — से अभिप्राय ऐसी भूमि से होगा जो गोव या गोवो की मवेशी को चर्चन के कारण में प्राप्ती हो या जो इस अधिनियम के आसन्न होने के समय अद्वैतवस्त कागजात में गोचर भूमि दर्ज हो या तत्पद्वात राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार गोचर-भूमि के रूप में सुरक्षित रखी गई हो;

टिप्पणी

'गोचर भूमि' का अर्थ क्षेत्र पर्याप्त व्यापक है। इसमें वह भूमि भी सम्मिलित है जो

१. राजस्थान अधिनियम संख्या ४ सन् १९६० द्वारा निर्विष्ट

२. राजस्थान अधिनियम संख्या १२ सन् १९६४ द्वारा निर्विष्ट

३. राजस्थान अधिनियम संख्या ३५ सन् १९६० द्वारा निर्विष्ट

अंगनः चरागाह के बाम आनी है चाहे उसमें अधिकांशनः ऐसी धास उगती हो जो पशुओं के चारे के बाम में आने की अपेक्षा दूप्पर बनाने के काम अधिक आनी हो ।
Pay

(२९) "भूपतन" विसमें उसके व्याकरणीय समस्त स्पान्तर तथा सत्रातीय प्रभिव्यक्तियों समाविष्ट हैं, में, जब राज्य के प्रसंग में प्रयोग किया जाय, "दे देना" जिसमें उसके व्याकरणीय समस्त स्पान्तर तथा सत्रातीय प्रभिव्यक्तियों समाविष्ट हैं, सम्मिलित होगा;

(३०) "विहित" से प्रभिप्राप्य इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों के द्वारा विहित से होगा;

(३१) 'पंजीयित' से अभिप्राप्य इण्डियन रजिस्ट्रेशन एकट १९०८ (सेन्ट्रल एकट १६ अन् १६०८) के अन्तर्गत पंजीयित से होगा और उसमें इस प्रविनियम द्वारा ३३ के अन्तर्गत "प्रमाणीकृत" सम्मिलित होगा;

टिप्पणी

रजिस्ट्रेशन एकट को धारा में उन दसग्रावेजों की गणना की गई है जिन्हें पंजीयित कराना अनिवार्य है वरना वे व्यवहार वी शहादत के स्पष्ट में स्वीकार नहीं हो सकते। इस अधिनियम की धारा ३३ में दृष्टि सम्बन्धी पट्टों का पंजीयन एचिक्क रखा गया है परन्तु उनका 'प्रमाणीकृतण' (इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अफसर या व्यक्ति द्वारा) कराया जाना आवश्यक रखा गया है जिसके बिना उन्हें साक्षी में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(३२) "लगान" से प्रभिप्राप्य जो भी हुठ भूमि के उपयोग अथवा अविवास अथवा भूमि में विशी व्यविकार के लिये नवद में या जिस में अपवा मांदातः नवद और मांदातः जिस में देय है, से होगा और जब तक प्रतिकूल व्याधय प्रबट्ट न हो उसमें 'साधर' सम्मिलित होगा;

टिप्पणी

लगान वह वरतु होनी है जो लिए या दिए जाने योग्य है। वह नकदी या जिस के स्पष्ट में या अधिनः नकदी या जिस स्पष्ट में दी जा सकती है। भूमि की उपज में अंगन की अदादीय अधिकारी फलों या लकड़ी का अंग देना लगान के उदाहरण हैं।^३ चूंकि सेवागती या दो नहीं जा सकती अनः उन्हें किसी प्रकार का लगान नहीं माना जा सकता।^३ 'साधर' लगान होता है जब तक कि अन्यथा नहीं बनाया जाय। 'लाग' को लगान नहीं माना जा सकता परन्तु रम्म जमीनदारी विशेष स्पष्ट में सम्मिलित है। तो 'लगान' होनी है।^४ लगान और राजम्य में अन्तर है। लगान सदैव भूमि से मावनिधि होता है व्यापक उसके उपयोग के लिए होता है।^५

१. पर्याप्त प्रयोग V.S. सन्दूरी मिह, 14 R.D. 238

२. बलवीर प्रमाद V.S. भीम सेन, I.R.D. 132

३. मुख्यमंद इवाक V.S. शूल, 1944 R.D. 467

४. हुनीचन्द V.S. टस्टु, 1943 R.D. 854

५. राधा मोहनराम या मुख्यमंद AIR 1941 Calcutta 143

+ (३३) X X विवोत्तिः ।

(३४) "राजस्व" से अभिप्राय भू-राजस्व गे होगा अर्थात् बानिह मांग जो भूमि के वा भूमि में किसी फ़िल के या भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में दिया भी ले गे राजस्व गरकार वो भी ऐसे देय हो प्पर उसमें प्रमिहस्तानित भू-राजस्व गणितित होगा;

टिप्पणी

"राजस्व" की परिभाषा पूर्ण है। उससे तात्पर्य राजस्व को गीधी दी जाने वाली वापिक मांग है जो भूमि में किसी प्रदान के हित या उपयोग के लिए है। वह सम्भाल पर पहला प्रभार (चार्ट) है।^१

^{क्षे}(३४-का) "राजस्व अपील प्राधिकारी" से अभिप्राय राजस्वान भू-राजस्व प्रधिनियम १९५६ (राजस्वान अधिनियम १५, रान १९५६) को पारा २०-का के अन्तर्गत उक्त प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किये गये प्रधिकारी से होगा;

(३५) "राजस्व न्यायालय" से अभिप्राय ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी से होगा जो इन्हीं पट्टैदारियों, लाभों, तथा भूमि सम्बन्धी अन्य मामलों अथवा भूमि में विसी प्रधिकार पर हित, के विषय में ऐसे दावों या अन्य कार्यवाहियों को, जिनमें उक्त न्यायालय या प्राधिकारी से न्यायालय कार्य करना प्रयेतित हो, प्रहण करने की प्रधिकारिता रखता हो; उसमें बोई तथा उसका प्रतीक सदस्य राजस्व अपील प्राधिकारी, बलकटर, सब दिवीजनत आफिसर, सहायक बलकटर तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व प्राधिकारी जब कि वह उत्तरव्येषण कार्य कर रहा हो, समिलित होगा;

टिप्पणी

पृथक राजस्व न्यायालय स्थापित करने का उद्देश्य नगान सम्बन्धी मुकदमों की कार्यवाही का व्योप स्व बनाए रखना है। जिससे कि लगान वसूली में विवर्ण न हो। यदि लूटीय अनुमूलों में वर्णित मुकदमों से राजस्व न्यायालय अपनी अधिकारिता नहीं समझे तो उससे सिविल न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त नहों हो जाती है।^२

(३६) "राजस्व प्राधिकारी" से अभिप्राय ऐसे प्राधिकारी से होगा जो राजस्व तथा नगान के कार्य में अथवा राजस्व सम्बन्धी रेकार्ड रखने में नियत लिया हुआ हो;

टिप्पणी

जागीर कमिशनर एवं अतिरिक्त जागीर कमिशनर राजस्व प्राधिकारी नहीं है। (१६६३ आर आर डी, ३१२)।

(३७) "सापर" में वह सब सम्मिलित है जो कुछ पट्टाधारी (लेसी) या प्रमुखाधारी

१. मन्त्रा द्वा V.S. गुलाबमिह, AIR 1936 All 184

२. मुन्द्रलाल VS. करायत हसेन, 1924 R.D. 529

+ राज० अधि.नयम संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा विबुत ।

क्षे राज० प्रधिनियम संख्या ८ सन् १९५१ द्वारा निविष्ट ।

(वाइसेंसी) द्वारा, प्रतिवासित भूमि से ऐसी उपज जैसे— घास, खेत, लकड़ी, इंधन, फल, लाख, गोद, लूंग, पाला, पनी। सिधाड़ा या तत्सृष्टि कोई वस्तु अथवा ऐसा कूड़ा कवंट जैसे— भूमि पर विकरी हुई हड्डियां या गोवर इटटा करने के अधिकार के लिये, अथवा मद्दती पकड़ने के अधिकार के; जिये या बन सम्बन्धी अधिकारों के लिये अथवा कृतिम साधनों से सिचाई के प्रयोजनार्थ पानी का उपयोग के लिये, मुगतान विया जाना हो;

टिप्पणी

१ विषय-सापर की उपरोक्त परिभाषा मंपूर्ण न होकर दृष्टान्त स्वप्न में है। उपज इकट्ठी करने के लिए दो जाने वाली साधन पथा उपवन-भूमि अथवा चरागाह-भूमि के लिए दो जाने वाली अदायग (मुगतान) का अन्तर समझ लेना चाहिए। परचात् वर्ती अदायगियों 'लग्न' (Rent) होनी है। पहां की पत्तियां काटने माथे में ही कृपि-अधिकार स्थ पित नहीं हो जाता और आवेदक धारा १८३-वा-का संरक्षण मांग सकता है।¹

२ सापर और लगान-यदि वोई व्यक्ति उपवन के स्थान पर एक पेड़ इस छार्हा पर लगावे कि उसे बाटने की सूरत में वह शाधी लड़ी देगा तो वह एक प्रकार का लाइसेंसी होता है और उसका लड़ी लेने का दावा राजस्व न्यायान्वय में होगा।² उपवन के फल व धारा इटटा करने के लिए दो जाने वाली अदायगी (मुगतान) तो सांयर होनी है परन्तु मकान बनाने के प्रयोजनार्थ दो गई भूमि का लगान सांयर नहीं है।³

लगान भूमि के उपयोग व अधिवास के लिए जाने वाला मुगतान है और सापर अधिवासिन भूमि से उपज एकत्रित करने के लिए किया जाने वाला मुगतान है। अतः सापर वी परिभाषा का सार यह है कि वह उस भूमि की आव से होने वाला मुगतान है जो उस आव करने वाले व्यक्ति की नहीं है परन्तु भूमि धारी की है।⁴ अध्याय १० के प्रयोजनार्थ 'लगान' में सापर सम्मिलित है परन्तु अध्याय ११ के प्रयोजनार्थ नहीं है। लाइसेंसी से सापर वसूली का दावा दीवानी-नायालय में होगा।⁵

+ (३७-वा) "अनुमूलित जाति" से अभिप्राय संविधान (अनुमूलित जातियाँ) आदेन १६५० के भाग ११ के भीतर वोई भी जाति, प्रजाति, या जन जाति से अथवा जातियों या जन जातियों के सापर वसूली का दावा दीवानी-नायालय में होगा;

+ (३७-वा) "प्रानुमूलित जनजाति" से अभिप्राय संविधान (प्रानुमूलित जन-जातियाँ) प्रादेन १६५० के भाग १२ के भीतर वोई भी जन-जातियों या जनजाति-समुदायों से प्रयवा जन-जातियों या जनजाति-समुदायों के भाग से या तदन्तर्गत समूहों से होगा;

1. रिटार्ड vs. मोर्टी 1953, R.L.W. (R.S) 3.
2. सबला युंकर vs. रामगढ़ाव राय, 1935 R.D. 381.
3. अमीर असो १५, इंट्रूनमेट ओइंड बारात, 1944 R.D. 275.
4. मोटुरीन vs. जगमोहन, 1941 R.D. 585.
5. चहोरी vs. सद्मीदेवी, 1933 R.D. 451.
- + राज० प्रय० संघा २८ यन १६५६ द्वारा निर्विट।

(३८) "शुद्धोदत्त" से अभिप्राय संगत या राज्य [सदवा दोनों]^{१०} के अधीनस्थ या पुनर्बन्धोदत्त से होगा और उनमें राजस्थान संगठन गपड़ी गोट्टमेण्ट एकट् १६५३ (राजस्थान एकट्, १९८८ नं १६५३) के प्रत्यर्गत समर्गी अधीनस्थ गठित होगा;

(३९) "राज्य" से अभिप्राय राजस्थान राज्य [जैसा कि स्टेट री पार्सनाइटेशन एकट् १६५६ (सेष्टल एकट् ३७, सन् १६५६) की पारा १० द्वारा गठित है]^{११} से होगा;

(४०) "राज्य डिवीजनल आसामी" से अभिप्राय राजस्थान ट्रीटीमेंट डिवीजन आडिनेट १६४६ के प्रथम तत्त्वमय प्रवृत्त प्राय किसी कानून के प्रत्यर्गत एक या परिवर्त राज्य-डिवीजनों के प्रभारी सहायक कलक्टर से होगा^{१२} ;

(४१) "शिक्षकी आसामी" से अभिप्राय [राज्य के शिक्षी, मान्यता में चाहे किसी भी भूमि से जाने वाले]^{१३} ऐसे व्यक्ति से होगा जो भूमि के आसामी से लेफ्ट-भूमि खात्र करता है और जिसके द्वारा समाज, व्यक्त या गमित सविदा के अभाव में, देय है ;

टिप्पणी

१. विषय-धारणाधिकार (Tenure) रखने वाले व्यक्ति और उसके अधीनस्थ उप-धारणा-धिकार रखने वाले का सम्बन्ध भूमि धार्ते और आसामी ना होता है। और योहो प्रकृष्ट हित समाप्त हो जाता है वह सम्बन्ध समाप्त हो जाता है। एक बार जो व्यक्ति शिक्षकी आसामी घोषित हो जाना है वह हमेशा वैसा ही बना रहता है। मुख्य आसामी की वेदखली से शिक्षकी आसामी अपने आप मुख्य आसामी नहीं बन जाता जब तक कि भूमि धारी भूमि का प्रबन्ध उसके साथ न करते ।^{१४}

याद भूमि धारी अपने आसामी की जोत में से भूमि लेना है तो उसकी मिथ्यति शिक्षकी आसामी की हो जाती है परन्तु यदि वह अपने आसामी की सहमति के बिना भूमि पर कब्जा कर लेता है तो वह शिक्षकी आसामी न होकर अतिक्रमी (द्वेषपासर) हो जाता है।

२. शिक्षकी आसामी—उप किरायेदारी का तात्पर्य भूमि को विसी शिक्षकी-आसामी को निष्ठ लगान पर देना है।^{१५} किसी व्यक्ति को अपना सामीदार बना लेना उप किरायेदारी से नहीं आता ।^{१६}

दृष्ट आसामी से 'शिक्षकी आसामी' आना है। अतः एक शिक्षकी आसामी भी उन सब अधिकारों व देयताओं का हकदार है जिनका कि आसामी स्वयं हकदार हाता है। यदि

* राज० अधिं० संस्था २७ सन् १६५६ द्वारा निविष्ट ।

× राज० अधिं० संस्था २ सन् १६५६ द्वारा दोउ गया ।

1. प्रमुखनाय vs. सन्तोष कुमार, AIR 1940 P.C. 187.

2. जीवा vs. गजाधरसिंह, 1943 R.D. 428.

3. प्यारेनान vs. राममरोसे, 2 R.D. 450.

4. सूदनशाह vs. दोजी, 1954 R.L.W. (R.S) 7.

किसी विकामी आसामी को अवैध रूप से बेदखल कर दिया जाता है तो वह भी धारा १८७ अथवा १८७-वा के संरक्षण का हकदार है।

(४२) "तहसीलदार" से अभिप्राय राजस्थान टेरेटोरियल डिवीजन्स आडिनेंस १९४९ के अन्तर्गत अथवा उत्तमय प्रवृत्त प्रत्यक्ष किसी कानून के अन्तर्गत नियुक्त किये गये तहसीलदार से होगा;

~~TENANT~~

+ (४३) "आसामी" से अभिप्राय उस व्यक्ति से होगा जिसके द्वारा लगान देय है अथवा, किसी व्यक्ति या गर्भित संविदा के अमाव में, देय होगा और उसमें, जिवाय उस दशा के जबकि विवरोंत आशय प्रकट हो,

(क) आवृद्धेत्र में स्थायी आसामी या संरक्षित आसामी [× × ×]

(ल) अजमेर क्षेत्र में, मूलपूर्व स्थायी आसामी या प्रधिवासी आसामी या वंश परम्परागत आसामी या अन्यवासी आसामी या मूल-स्वामी या काश्तकार,

(ग) मुनेल क्षेत्र में, मूलपूर्व स्वामी आसामी या पक्का आसामी, या साधारण आसामी,

(घ) सह-आसामी,

(ङ) उपचन-पारी,

(च) ग्राम सेवक,

× (व च) विसी मूल-स्वामी से धारण करने वाला आसामी,

(छ) मुद्रकाशत का आसामी,

(ज) टिनेसी के अधिकारी का वंशक प्रहीता, और

(ग) शिक्षी आसामी,

यद्यमिलित होंगे परन्तु 'मनुकूल लगान-दर पर अनुदान-प्रहीता' या इजारेदार या टेंटेदार या अनिवार्यी (trespasser) समिलित नहीं होंगे;

टिप्पणी

१. विषय—

इमके पूर्व कि कोई व्यक्ति अपने आपको आसामी कहनाने का दावा कर सके उसे यह बात प्रमाणित करनी चाहिए कि वह लगान (Rent) देना है अथवा किसी व्यक्ति अथवा अव्यक्त संविदा के अमाव में लगान का मुक्तान करेगा।

जहाँ दोई लगान नहीं दिया जाना वहाँ आसामी की स्थिति नहीं होती। चूंकि द्युष्मान दोई लगान नहीं देता अनेक उसे आसामी नहीं माना जाता।¹ इम परिभाषा में टिनेसी या वंशव्याहा (Mortgagee of tenancy) समिलित है।

+ राजस्थान अदिविष्यम गत्या २ गत् १८५८ द्वारा प्रतिस्थापित एवं ६ गत् १८५८ द्वारा मर्लीत

× राजस्थान अदिविष्यम गत्या ११ गत् १९५४ द्वारा निर्विष्ट

1. नोट V. विवरोपित, 1952 R. L. W. (R. S.) 54

जहाँ निमी व्यक्ति को व भी आसामी की तरह स्वीकार नहीं दिया गया, जारी इस विषय में कोई संविदा नहीं हो तो उसे आसामी की भाषा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।^१ कोई व्यक्ति आसामी तभी समझ जा सकता है जब वि उस पर आगामी को लागू होने वाले बाबून के सभी प्रावधान विना निमी धारावाद के लागू होने लाएं। इसी कारण से ए देव मूर्ति को आसामी नहीं समझा जा सकता।^२ कोई भी कारिन्दा याने भूमि धारी का आसामी हो राक्ता है।^३ जो व्यक्ति आपनो गेवाघों के बदले में भूमि धारण करते हैं वे आसामी होते हैं।^४

भूमि के उपाधि धारक स्वामियों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को आसामी बना देने से वे आसामी नहीं माने जा सकते—वह तो एक प्रकार से लगान का अभिहृतांकन मात्र है।^५

२. सबूत का भार—

आसामी होने वा सबूत देने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो कि इस बाबत दावा करता है। अधिकार अभिलेख के इन्द्राज आसामी होने की संविदा को सावित बरने में बहुत महत्व रखते हैं। परन्तु केवल खसरे के इन्द्राज ही निश्चापक सबूत नहीं माने जा सकते।

संयुक्त परिवार के पक्ष में भी आसामी की हैसियत उत्पन्न की जा सकती है। किसी को आसामी बनाना तो सविदा द्वारा किया जा सकता है और संयुक्त परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा आसामी होने का दावा करने से पूर्व यह सावित होना चाहिए कि भूमि धारी ने सब सदस्यों को भूमि-क्षेत्र में रखने में सहमति दी थी। कोई पुत्र भी -रिवार का कर्ता हो सकता है।^६

+ (४४) "अतिक्रमी" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होगा जो भूमि का आधिपत्य, बिना अधिकार प्राप्त किये, ले लेता है या रखता है या भूमि पर अन्य व्यक्ति को जिसे उक्त भूमि यथा विधि पट्टे पर दी गई है, आधिपत्य करने से दोकता है;

+ (४५) "ग्राम सेवा अनुदान" से अभिप्राय [राज्य के किसी नाम में चाहे निमी भी नाम से जाने वाले] ऐसे अनुदान से होगा जो याम-समुदाय के लिये या ग्राम प्रशासन के सम्बन्ध में किसी निश्चित सेवा के बदले में या उसके पारिधिक के रूप में, या तो लगान-मुक्त, या

2. शुलाम हुसेन Vs ग्रामद्वाल हक, 1940 R. D. 158

3. श्री ठाकुरजी महाराज Vs धाँति देवी, 1947 R. D. 298

4. जयंती प्रसाद Vs फरीरा, 1949 R. D. 414

5. किलनसिंह Vs पीपला, जोषपुर का मुकदमा फैसला हुआ 24-12-51 को राजस्व बोर्ड से

6. आदित्य नारायणसिंह Vs जगी, 1939 R. D. 3

7. मीरा Vs परता, नयपुर का मुकदमा संवत् २००८ का।

+ राजस्वान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८ द्वारा यथा संशोधित

बनुक्त लगान दर पर [या अन्य निवधनों पर] दिया जाय और ऐसे अनुदान का प्रहीना “प्राप सेवक” बहलायेगा;

+ (४६) “जमीनदार” से अभिन्नतये ऐसे व्यक्ति से होणा जिसे, राज्य के किसी भाग में, कोई गांव या किसी गांव का भाग, जमीनदारी प्रथा के अनुसार बन्दोबस्तु में दिया जाय और जो अधिकार अभिलेख (मिमल हकीयत) में जमीनदार के हृष में दर्ज दिया जाय और उसमें, मुनेव क्षेत्र के प्रसग में, यदि कोई हो, मध्य भारत जमीनदारी एवं नीशन एकट सम्बत २००८ (मध्य भारत एकट ३३, सन् १८५१) की घारा २ के नण्ड (८) में परिमाणित स्वामी (Proprietor) मिमिक्त होगा;

(४७) “नालेट” से अभिन्नतये किसी दुए के स्वामी को, उस दुए की सिर्वाई के लिये उपयोग करने के बदले, किसी व्यक्ति द्वारा नकद में या जिन्स में किये जाने वाले मुगतान से होगा।

६. अधिकार इत्यादि रखने वाले अधिकारियों में उनके पूर्वाधिकारियों तथा उत्तराधिकारियों का सम्मिलित होना—इस अधिनियम में, उस व्यक्ति के दोठन हेतु जो भूमि पर कोई अधिकार, स्वत्व या हित रखना है, प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों में, जब तक प्रसग से अन्यथा विपेक्षित न हो, उक्त व्यक्ति के अधिकार, स्वत्व, या हित के विषय में उसके पूर्वाधिकारी तथा उत्तराधिकारी अधिनित सुपर्के जायेगे;

टिप्पणी

इस घारा ने शब्द ‘पूर्वाधिकारियों’ और ‘उत्तराधिकारियों’ के बारे बार प्रयोग किए जाने की आवश्यकता नहीं रखी है। अधिकार, स्वत्व या हित भूमि में सम्बन्धित होने चाहिए। इस घारा में अधिकार, स्वत्व या हित के अनिहस्तांकितों भी सम्मिलित हैं।

७. अधिनियम का राज्य सरकार पर लागू होता—प्राचारियों द्वारा सीधे राज्य सरकार से सेफर पृत भूमि के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के उपचय, जब तक कि प्रकटतया अन्यथा विविहित न हो, इस मात्रा लागू होगे मात्रों राज्य सरकार तहसीलदार के माफ़त कार्यवाहक भूमियोंसे हों।

८. एकेन्ट के माफ़त कार्य करने की शक्ति—(१) दिवाय उसके बेसा कि विवित प्रक्रिया गैहिता १८०८ (बंदीय अधिनियम ५, सन् १८०८) में अन्यथा उप विधित हो, उस गैहिता द्वारा शायित वायेवाहियों के विषय में, कोई बात जो इस अधिनियम के अनुगार भूमियारी या आसामी द्वारा यों जानी अवैधित अथवा अनुमत है, विवित रीति से प्राप्तिवृत उक्त एकेन्ट द्वारा की जा सकेगी और विपरीत आदाय के साथ के बासाब में, भूमियारी तथा आसामी के बीच होने वाले समस्त अवदाहार में, उक्त एकेन्ट रखने स्वामी के प्रापिकार के अन्तर्गत कार्य करते हुए सम्मान देनेगा।

(२) उक्त एकेन्ट पर तारीख यो गई आदेदिसाएं तथा उन्हें दिये गये नोटिस समस्त प्रयोगनों के लिये इस भाँति प्रकाश युक्त होंगे जानें वे भूमियारी या आसामी, प्रस्तिवृति, पर-

+ राज्य अधिकार द्वारा २ सन् १८५८ द्वारा यथा संतोषित।

सामील की गई थी या दिये गये थे और जिनी प्रधाकार पर सांदेशिकाएँ सामील किये जाने वा उसे नोटिस दिये जाने सम्यपी, इस अधिनियम के समर्पण राज्यग, उस एकेट पर सांदेशिकाएँ सामील किये जाने या नोटिस दिये जाने के बारे में साझा होंगे ।

टिप्पणी

इस धारा में एक भूमि धारी और आसामी को .. उन अभिवर्तीओं (एजेंटों) के द्वारा कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । उन अभिवर्तीओं को विहित रीति से नियुक्त किया जाना चाहिए । पिता के जीवन में पुत्र विना समुचित प्राधिकार के आसामी बना लेना अमान्य है । परन्तु संयुक्त परिवा दत्ती स्वयं भूमि धारी की स्थिति में होता है न कि वेवल भूमि धारी का अभिकर । उसे लिखित प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है ।¹

अध्याय २

खुदकाश्त

X ६. खुदकाश्त अधिकार—“खुदकाश्त अधिकार” से अमिश्राय उस अधिकार से है जो इस अधिनियम द्वारा [सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी विविदारा] खुदकाश्त पारियों को प्रदान किया गया है ।

टिप्पणी

यह आवश्यक नहीं है कि जमीदार अपने हाथ में ही खेती करे । वह अपने नौकरों अथवा किराये के मजदूरों के द्वारा खेती करवा सकता है; और उसकी भूमि को उसकी खुद काश्त में समझा जायगा । किसी देव मूर्ति का मैनेजर उसका नौकर होना है । अतः एक देव मूर्ति को खुद काश्त के अधिकार प्राप्त हो सकते हैं ।²

जो व्यक्ति सीधे राज्य से भूमि धारण करता है वह खुदकाश्त का आसामी न होकर “आसामी” की श्रेणी में आता है ।³

धारा १३ के अनुसार खुदकाश्त करने वाले जागीरदारों की जागीरों का राज्य द्वारा पुनर्ग्रहण कर लिए जाने पर वे दातेदार आसामी बन जायेंगे ।

X १०. उत्तराधिकार भीर हस्तान्तरण—(१) खुदकाश्त अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो किसी [भू-सम्पत्ति पारी] की भू-सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनता है ।

1. मुखदेवरमिह Vs बट्टू, 1945 R. D. 314

2. राज० अधित० २ सन् १९५८ द्वारा यथा सदोधित एव परिवर्तित ।

1. रामनोर्मी Vs लाइसेंजर महाराज, 1945 R. D. 405

2. विजनाल Vs राजस्थान राज्य । 1963 R. R. D. 71

(२) युद्धास्त्र अधिकार विनियम दा युद्धास्त्र के विभाजन अथवा जोवन निर्वाह के प्रयोगनाथ दान (गिपट, ब्रह्मीय) में दिये जाने के प्रतिरिक्ष अन्यथा हस्तान्तरणीय नहीं है ।

× परन्तु इसमें अन्वरिष्ट बोई यात् युद्धास्त्र प्रभिकार के ऐसे हस्तान्तरण पर बोई प्रभाव नहीं होलगो तो [आयू, इज्जमेर तथा मूर्तिल क्षेत्रों में] + राजस्थान राजन्व विधिया (विनार) अधिनियम १९५७ के प्रारम्भ के पूर्व, इस दान-दारा द्वारा अनुज्ञात रीति में अन्यथा दिविष्ट् विधा गया हो ।

(३) विनियम की दशा में, प्रत्येक पक्ष को उस भूमि पर जो उने विनियम में मिली है वे ही अधिकार प्राप्त होंगे तो कि उनके द्वारा विनियम में दी गई भूमि पर प्राप्त हो ।

टिप्पणी

अभिव्यक्ति “जो किसी भू-सम्पत्तिधारी की भू-सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनता है” से अभिप्राय उस उत्तराधिकार में है जो कि जागीर पुनर्ग्रहण से पूर्व की जागीर के विषय में था, उदाहरणार्थ भूनपूर्व जोधपुर राज्य में वहे पुत्र को उत्तराधिकार मिलते के कानून के अनुसार अथवा अन्य रिवाज के अनुसार ।

इस अधिनियम की घारा ४० के अनुसार जहाँ विना वनीयत मरने वाले दूसरे आमाभिदों के नातेदारी अधिकार उनके व्यक्तिगत कानून के अनुसार मिलते हैं, युद्धास्त्र करने वाले व्यक्तियों के उत्तराधिकार इस घारा के अनुसार मिलते हैं । दूसरे शब्दों में युद्धास्त्र धारी के मरने पर उसके अधिकारों का अवनरण उन व्यक्ति को होगा जो कि जागीरदार वी भूम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा ।

११. युद्धास्त्र की दिराए पर दिये जाने पर (letting) प्रतिनिधि—बोई युद्धास्त्र मिलाय उसके जैवाकि घारा ४५ व ४६ में उन्नविधित है दिराये पर नहीं दो जांचेगी ।

टिप्पणी

घारा ४५ के अन्तर्गत युद्धास्त्रधारी अपनी भूमि को अथवा उन्ने किसी भाग को एक मम्य में ५ वर्ष से अधिक अवधि के लिए दूसरों को कराए पर नहीं दे सकता । घारा ४६ के अन्तर्गत शब्द (क) से (ज) के माननों में यह अवधि बढ़ाव जा सकती है ।

१२. युद्धास्त्र का अवगति—(१) भूमि युद्धास्त्र नहीं रहेगी—

[१] भूमिधारी वा उत्तराधिकारी न रहने पर, या

[२] घारा १० की उप-घारा (२) का उत्तराधिकार उसका हस्तान्तर दिये जाने पर, या

[३] जब यह भूमि घारा ११ वा उत्तराधिकार दिये हुए रियाये पर दे दी जाय, या

[४] जब कि उसमें धारेदारी अधिकार, युद्धास्त्र-धारी ने किस रियो द्वितीय की,

× राज्य दर्या २, या १६५८ घारा या गमीन एवं परिवर्तित

+ राज्य दर्या ४६ या १६५८ घारा जोड़ा जाय ।

इग अधिनियम के उपर्योग के अन्तर्गत भवया तद्यग्य प्रत्युत हिंगो जब विषि के अन्तर्गत प्रोटोकूल हो जाय, [भवया] ×

×[५] जबकि खुदकास्त पारी पारा १३ मे अन्तर्गत खानेदार आसामी बन जाय ।

(२) जब भूमि पारा १० की उप-भारा (२) के उत्तराहुत मे हस्तान्तरित करदी जाय गो हस्तान्तरिती उप भूमि पा खानेदार आसामी बन जायेगा ।

टिप्पणी

इस पारा मे खुदकास्त अधिकारों के अवसान का उल्लेख है । जब खुदकास्त के अधिकारों का अवसान हो जाता है तो भूमि खुदकास्त भूमि नहीं रह जाती । खुदकास्त का उत्तराधिकार भारा १० (१) द्वारा नाप्रित है । खुदकास्त की समाप्ति पर अर्थात् वोई उत्तरा धकारी न रहने पर भूमि सरकार मे निहित हो जाती है । एक बार खुदकास्त के अधिकार समाप्त हो जाने पर वापिस उत्पन्न नहीं हो सकते ।

१३. पुनर्गृहण अवया उग्मूलनकी हीने पर खातेदारी अधिकारों का होना—हिसी भू-सम्पदा हा, सम्पूर्ण राज्य मे या उसके किसी भाग मे प्रत्युत किसी बाइत के अन्तर्गत पुनर्गृहण [अवया उग्मूलन] हो जाने की दशा मे, भू-सम्पत्ति-पारी जो खुदकास्त रखता है, उसका खानेदार आसामी बन जायगा और उन सभी उत्तरदायित्वों के अधीन रहेगा जो इग अधिनियम द्वारा या तदन्तर्गत खातेदार आसामी पर आरोपित हैं ।

क्षै [परन्तु वह जमीनदार अवया विस्तेदार जो खुदकास्त भूमि धारण करता है, राजस्थान जमीनदारी तथा विस्तेदारी उग्मूलन अधिनियम १९५९ के अन्तर्गत उसकी भू-सम्पत्ति का उग्मूलन हो जाने पर, उक्त खुदकास्त भूमि का मालिक बन जायेगा और इस अधिनियम द्वारा अवया तदन्तर्गत खानेदार आसामी को प्रदत्त सभी अधिकारों का हवदार एवं आरोपित सभी उत्तर-दायित्वों के अधीन, रहेगा ।]

टिप्पणी

इस धारा के परन्तुक को परन्तुक का नाम गलत दिया गया है । उसे या तो उप-धारा (२) बनाया जाना चाहिए था अथवा उसके उपदन्धों को मुख्य धारा मे ही ठीक तरह से प्रविष्ट करना चाहिए था । यहां ध्यान देने की बात केवल यही है कि खुदकास्त भूमि के पुनर्गृहण के पश्चात् खुदकास्त धारक अपने आप ही खातेदार नहीं बन जाता उसे ऐसा अधिकार मिलने से पूर्व उसे जागीर कमिशनर को अपनी खुदकास्त भूमि की सूची देनी होती है और वह यह विवरण बताना होता है कि वह उसे धारण करने का इरादा रखता है ।

बीड़ को चरागाह नहीं मानी जा सकती । जबकि उसे जमावन्दी मे खुदकास्त के हृप मे नहीं दिखाया जावे तो उसे खुदकास्त भी नहीं माना जा सकता ।^१

× राज० अधि० २, सन् १९५८ द्वारा यथा परिवर्तित ।

क्षै राज० अधि० ४६ सन् १९५८ तथा ३५ सन् १९६६ द्वारा यथा संशोधित ।

1. ईट V. घमरविह 1965 RRD 261.

अध्याय ३

आसामियों की श्रेणियाँ +

१४. आसामियों की श्रेणियाँ— इस अधिनियम के प्रयोगनाथं आसामियों वो निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी, अर्थात्—

(क) सातेदार आसामी

÷ (कल) मालिक, और

(ख) सुदकाश्त के आसामी और

(ग) गेर सातेदार आसामी

* १५. सातेदार आसामी - (१).— पारा १६ तथा घारा १८० की उप-घारा (१) के संहिते (ष) के उपबन्धों के अधीन रहने हुए प्रत्येक व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के विकासी आसामी या सुदकाश्त के आसामी के अन्तर्बाहु अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, विकासी आसामी या सुदकाश्त के आसामी । या राजस्थान भू-वाद्यक अधिनियम १६५६ (राजस्थान अधिनियम १५, सन् १६५६) की, घारा १०१ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन हथा उनके अनुसरण में भूमि का यावंटी] के प्रतिरक्त आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा जो इस अधिनियम के पारा राजस्थान लैंड रिफार्मेंस एंड रिजर्वेशन ऑफ जागोरे एकट १६५२ (राज० एकट ६, सन् १६५२) के, अथवा उत्तरप्रदेश अन्य किसी विधि के उप-बन्धों के अनुमरण में भूमि में सातेदारी अधिकार अर्जित करता है, सातेदार आसामी होगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, [× × ×] इस अधिनियम द्वारा सातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा बारोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा ;

परन्तु कोई सातेदारी अधिकार इस घारा के अन्तर्गत ऐसे किसी आसामी को प्रदित्त नहीं होगे जिसे गंग केनाल, भारुरा, चम्बल अथवा जवाहि प्रोजेक्ट द्वारा या इस संबंध में राज्य संरक्षार द्वारा अधिसूचित किसी पन्द्रह से उसे भूमि को लौर पर भूमि पट्टे पर दी जाय पा दी गई है ।

(२) उप-घारा (१) में किसी वात के अन्तर्विष्ट होते हुए, तदन्तर्गत सातेदारी अधिकार ऐसे इनी व्यक्ति को प्रोद्भूत नहीं होगे जिसे राज्य संरक्षार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व “अधिक अन्य उपजाओ आन्दोलन” को अद्वार करते हुए या किसी विशेष अदेश के अन्तर्गत, या किन्हीं निविष्ट घातों के अधीन, या किन्हीं वैधानिक या गेर वैधानिक नियमों के अनुमरण में,

+ राज० अधिं ४६, सन् १९५८ द्वारा विलुप्त ।

÷ राज० अधिं ३५, सन् १६६० द्वारा निविष्ट । . .

∴ राज० अधिं ५, सन् १९५७ द्वारा तुनः संस्थानित ।

* पारा १५ में राज० अधिं ६, सन् १६५८, ३३ सन् १६५७, २ सन् १६५८, ५ सन् १६५७ एवं ४६ सन् १९५८ द्वारा संशोधन, वरिवर्तित किए गए हैं ।

भूमि किराये पर ही गई थी और किसी, उक्त प्रारम्भ के पूर्व, उक्त पालेदार के उद्देश्य की प्राप्ति में भूत की हो सकता उक्त विधि यादेत्य, तरीं या निम्न वा भूत दिया हो।

(६) उक्त-धारा (२) में उल्लिखित बोई भवित्वा, इस अधिनियम के प्रारम्भ में तीन यांच के भीतर, और पश्चात्याग पैगा यापाराय मुख्य भूमिकान करने पर, अधिकारिता रखने वाले सहायक कालबटर वो यह घोषणा की जाने की प्रारंभना करते हुए आवेदन कर गयेगा कि उक्त अपने द्वारा ताकून भूमि में उप-धारा (१) के अधीन तातेशारी अधिकार अतिरिक्त दिये हैं।

(७) उक्त आवेदन-पत्र निम्नसिद्धित दियी एक घायार पर प्रस्तुत किया जा सकता है, अपर्याप्तः—

- (क) कि उक्तके द्वारा समृद्ध भूमि उसे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात किराये पर ही गई थी;
- (ख) कि उक्त भूमि उसे उप-धारा (२) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में से किसी के आधार पर नहीं ही गई थी;
- (ग) कि उक्त भूमि जब उसे किराये पर ही गई थी तब वह इन परिस्थितियों से भवगत नहीं कारण्या गया था;
- (घ) कि-उसने, उक्त प्रारम्भ के पूर्व, बोई चूक या मंग इस प्रकार की जैसी कि उप-धारा (२) में निर्दिष्ट है, नहीं की थी।

(५) सहायक कलबटर, उपधारा (३) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाने पर, विहित रोति से जात्य करेगा और आवेदक को मुनवाई का मुक्तिसंगत अवसर प्रदान करेगा तथा, यदि वह आवेदन-पत्र को प्रस्तोकार नहीं करता है तो, यह घोषणा करेगा कि आवेदक अपनी भूमि का, उप-धारा (१) के उपर्योग के अनुसरण में तथा उनके अधीन रहते हुए, सानेदार आसामी हो गया है।

टिप्पणी

धारा १६ व धारा १८० (१) (अ) के साथ पठित इस धारा में यह बताया गया है कि सिवा उप-आसामियों व खुद काल के आसामियों के उन सब वरक्तियों को खातेदारी अधिकार मिल जायेगे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को भूमि पर काविज थे। दूसरे शब्दों में उप-आसामियों एवं खुद काल के आसामियों का सानेदारी अधिकार नहीं मिलेगे उनको धारा १९ के नीचे आवेदन-पत्र देना पड़ेगा।

'आसामी' शब्द में केवल वास्तविक आसामी ही समिन्ति नहीं है, कनूनी रूप से समझे जाने वाले आसामी भी है। ऐसे आसामियों को वेदन विधि की समुचित प्रक्रिया द्वारा ही वेदन विधा जा सकता है। एक ऐसी न करने वाले आसामी का उप-आसामी,

आसामी नहीं है और इसलिए उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगे। ^१ जहाँ मह भूमिगत हो जाय कि आसामी के अधिकारों का समर्पण कर दिया गया है वहाँ खातेदारी प्रधिकार मिलने का प्रदन उत्पन्न नहीं होता। ^२

अभियक्ति "जो आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर निया जाय" की भूमिगत इहीं नहीं दी गई है परन्तु 'भूमि' 'आसामी' 'लगान' की परिभाषाओं से यह पर्यंत निकलता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई भूमि-धारी भूमि लगान पर दे दे और ऐसा करने का प्रयोगन कृपि या उसमें सम्बन्धित कार्य हो और इसके लिए वह व्यक्ति भूमि धारी को तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार निर्धारित लगान भूमि को काम में लाने या उस पर वाविज रहने के लिए है, तो मह कहा जायगा कि उस व्यक्ति वो आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर दिया गया है। ^३ इसके प्रमाण का भार आसामी पर है। केवल लगान देने से ही आसामी नहीं बन जाता।

खातेदारी अधिकार तभी मिलेगे जब कि आसामी उस व्यक्ति द्वारा आसामी की हैसियत से स्वीकार किया गया हो जिसे भूमि लगान पर देने का अधिकार हो। ^४

जागीरों के पुनर्गृहण से पहले कई जागीरदारों ने अपने सम्बन्धियों को भूमियों के आसामी या मुहर आसामी वा दिया था परन्तु जब तक यह प्रमाणित नहीं हो जाय कि ऐसे सम्बन्धी स्वयं कानून करते थे उन्हें नानेदारी अधिकार नहीं मिल सकते। जागीरदारों के आवंटिती खातेदार नहीं हैं। ^५

अ १५-क. राजस्थान नहर क्षेत्र में खातेदारी अधिकारों का प्रोद्भूत न होता—(१) इस अधिनियम की [पारा १३ में] या पारा १५ की उप-पारा (१) में या तत्समय प्रचलित अन्य विधि में, या किसी लोज, पट्टा, या घर्य दस्तावेज में, जिसी बात के बनाविष्ट होने हए, राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि, जो याहे विन्हीं से निर्वन्धनों पर लोज पर दी गई हो, इन अधिनियम की उपरोक्त पारा १५ की उपरोक्त उप-पारा के परन्तुके के अर्द्ध में अस्थायी रूप से लोज पर दी गई गमभी जातेगी और किसी भी उक्त भूमि में, जो उपरोक्त रीति से सीज पर दी गई हो, कोई प्राप्तेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगे परन्तु कभी प्रोद्भूत हए नहीं समझे जायें।

परन्तु उप-पारा (१) में कोई बात ऐसे व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं ढालेगी बखवा लाए नहीं होगी किसे खातेदारी अधिकार, राजस्थान कोलोनाइजेशन एवं १९५४ (राजस्थान एवं २७, सन् १९५४) की पारा ७ द्वारा प्रदत्त ताकि वे प्रशोग में नियमित राजस्थान कोलोनाइजेशन

1. रपुदीर V. देशीनह, 14 R.S. 77

2. हस्तारामलु V. राजस्थान मंड़न, 1966 R.R.D. 31 (c)

3. एम. एग. मनोलाल V. राज्य, 1961 R.R.D. 141

4. रामगोपाल V. कालीप्रसाद, 18 R.D. 322

5. रामा V. स्टट, 1963 R.R.D. 65

के राजस्थान अधिनियम ३५ सन् १९५८, ४६ सन् १९५८ एवं ७ मन् १९६० द्वारा यथा मंशोदित।

(राजस्थान शोधी) राजस्थान १३५६, या इनी भारा एंट्रेप्रेनर वर्कर राजस्थान सरकार द्वारा उन्होंने राजस्थान एवं गोपनीय घाक एवं दिल्ली में इन अवश्यक राजस्थान की इकाईयां एवं रिकार्ड्स द्वारा उन्होंने दृष्टि १३५२ (राजस्थान एवं ३, सन् १९५२) के द्वारा दिल्ली राजस्थान नहर होने पुरानी एवं पारदर्शन के लिये नियमित नियमों से उपर्योग के अनुगाम प्रोटोकॉल होते ।

(२) शोई राजित जो यह धारा दरवाजे हो तो वह वह धारा (१) में उल्लिखित लिखित में सातोदारी प्रधिकार रखता है तथा उन्होंने उसमें वर्णित वह भूमि उन्हें दी गयी विधियम के प्रारम्भ के पूर्व धारा (२) में लिखा है वह दी गई थी, उक्त प्रारम्भ के बारे वांछी भी नहीं तथा विधियम नवा देंगा याकान्द युक्त पदा करते थे, असितारिया रखने वाले वहां प्रारम्भ की, तथा इसके पांचवां वाले जी ग्रामेण्ठ कर्ता हुए, आवेदन-दर प्रभुत्वा कर मोर भी इस आवेदन-दर के अध्ययन में पारा १५ की उप-धारा (५) से उप-धारा साझा होते ।

+ १५-स. अवधार प्रोटोकॉल दोनों में सातोदारी विधियाँ दो कुछ मामलों में प्रोटोकॉल होती हैं—
(१) इनी लोअर, कर-नियांसिरल वरपा, एटा, या अन्य दक्षतारेज में इनी वाली अन्यायित होती है, अवधार विषाई प्रोटोकॉल दोनों में इनी व्यक्ति हो जो कि भूमि पारण करना अभी भी सातोदारी प्रधिकार प्रोटोकॉल है तभी समझे जायेंगे ।

(३) उप-धारा (१) की शोई वाले इनी ऐने व्यक्ति को प्रमाणित नहीं करेगी अवधार उप-धारा नहीं होती जिसे, दग अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहिने से ही, भूत्वर्तु वीटा स्टेट, य भूत्वर्तु वीटा स्टेट के टिकेंडी (पास्टकारी) कानूनों पर अन्तर्गत वसानुपत (heritable) तथ हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त थे अवधार जिसे इन अधिनियम की धारा १३ या धारा १९ वे अन्तर्गत, अवधार राजस्थान कोलोनाइजेशन (अम्बल प्रोट्रेट गवर्नरमेंट लैण्ड्स अलॉटमेंट एण्ड सेल) अस्त १९५७ के अन्तर्गत तथा उनके अनुसरण में, अवधार राजस्थान लैण्ड रिकार्ड्स एण्ड रिकार्ड्स अन्तर्गत लैण्ड एवं १९५२ (राजस्थान अधिनियम ६, सन् १९५२) या राजस्थान अन्तिमदारी तथा विस्तोदारी उम्मूलन अधिनियम १९५६ (राजस्थान अधिनियम ८, सन् १९५६) के इनी उन्नयन के अन्तर्गत तथा तदनुसरण में, सातोदारी अधिकार प्रोटोकॉल हो गये हो ।

टिप्पणी

इस धारा की उप-धारा (१) में शब्द "सातोदारी अधिकार" के पश्चात् शब्द "प्रोटोकॉल नहीं होते" और जोड़ने से ही उसका अभिप्राय स्पष्ट होता है ।

मुख्यमंत्री आसामी को सातोदार माना गया है ।^१

१५-स. आपू, अम्बल तथा गुनेत दोनों में सातोदार थातामी—प्रत्येक व्यक्ति जो, राजस्थान राजस्व विधियाँ (विस्तार) अधिनियम १९५७ के प्रारम्भ से पूर्व, अप्पे अज्ञानेर तथा गुनेत दोनों में विस्ती-दामामी या सुदूरान्त के मामामी को छोड़कर क्षेत्र भूमि का मामामी है, उप-धारा (१) के परस्तुक में तथा पारा १५ की उप-धारा (२) से (१)

+ राजस्थान अधिनियम १२ सन् १९५५ द्वारा निविद्द

1. विधानसभा v. स्टेट, 1933 R. R. D. 72

हृ. राजस्थान अधिनियम २ सन् १९५८ तथा ६ सन् १९५८ द्वारा यथा संसोधित ।

उक्त में तथा धारा १५-क में अन्तविष्ट उप-बंधों के अधीन रहते हुए, और धारा १६ में तथा धारा १८* की उप-धारा (१) के मण्ड (ख) में अन्तविष्ट उपबंधों के भी बंधोन रहते हुए, सातेदार आसामी होगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों के बंधोन रहते हुए, इस अधिनियम द्वारा सातेदार आसामी वो प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा उस पर आरोग्य समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा।

परन्तु यदि किसी उक्त घटक ने, इस अधिनियम द्वारा सातेदार आसामी को प्रदत्त अधिकारों से अधिक कोई मान (स्टेट्स) या सम्पत्ति अथवा तदुपरि आरोपित दायित्व से अधिक कोई दायित्व, उक्त प्रारम्भ के पूर्व, विधिवत् उसे प्रदत्त अधिकार के अनुमतिश में, अथवा विधि के अनुग्रहण में, अजित कर लिया हो तो, वह इस अधिनियम में तत्त्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्तस्थेण अजित मान (स्टेट्स) या सम्पत्ति को धारण एवं उपभोग करता रहेगा और उक्तस्थेण आरोपित दायित्व ने अचीन बना रहेगा।

टिप्पणी

धारा १५-ख. की उप-धारा (१) अधिनियम की धारा १५ के समान है।

+ १६. भूमियाँ जिनमें सातेदार अधिकारी प्रोद्भूत नहीं होंगी—इस अधिनियम में अथवा राज्य के किसी भाग में तरसमय प्रवृत्त किसी प्रत्यय विधि या अधिनियमिति में किसी बात के होने हुए, सातेदारी अधिकार निम्नतितित में, प्रोद्भूत नहीं होगे—

- [१] गोचर भूमि;
- [२] नदी-तल अथवा तानाव की भूमि जो आकस्मिक या कभी-कभी इूपि के लिये प्रयुक्त जल-मग्न भूमि;
- [३] विपाढ़ा अथवा तरसहा उपज पेश करने के लिये प्रयुक्त जल-मग्न भूमि;
- [४] भूमि जो, बदल बदल कर की जाने वाली इूपि या अस्थायी इूपि के लिये प्रयोग में आती हो;
- [५] भूमि जिसमें ऐसे बाग लगे होंं जिनका स्वामी सरकार हो तथा जिनकी देवमाल राज्य गरकार द्वारा की जाती हो;
- [६] जिसी सावंजनिक अग्रिमाय या सावंजनिक हित के कार्य के लिये प्राप्त की गई या पारए की गई भूमि;
- [७] भूमि जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय या उल्लंघन जिसी समय गंतिक पदारप इष्टसों के लिये नियत करदी जाय;
- [८] जिनी द्यायनी की सोबाहों के भीतर स्थित भूमि;
- [९] रेतपे अथवा नदी की गीमा-बंधों के भीतर स्थित भूमि;
- [१०] जिसी गरकारी बन की गीमा-बंधों के भीतर स्थित भूमि;

[११] भुमिभाग तात्परी के रूपा,

[१२] भित्तिलग तंत्रज्ञानों द्वारा दृष्टि में भित्तिलग के नियंत्रण में तात्परी के भवानों के नियंत्रण अद्यता प्राप्त ही गई भूमि,

[१३] सरकार के इसी दृष्टि तात्परी द्वारा दृष्टि के गतिरूपों के शीतर हित भूमि;

[१४] भूमि जो, जिसी दौव द्वारा आग पाग के दौवों के लिये वीरों के पाती में जागाचय में दौरों में पानी जाने के लिये आग रखी गई हो या कामबटर की राप में, तरं प्रावदयक है :

परन्तु राज्य सरकार, आत्मकीय राज्यन में, अधिगृहन के द्वारा, यह घोषणा कर सकती है कि ऐसी गई भूमि जिसमें बदल बदल कर अद्यता प्रस्थापी रूप से दृष्टि की जाती है उक्त दृष्टि के लिये उपलब्ध नहीं रहेगी और सदुपरान्त उक्त भूमि खातेदारी अधिकार प्रदान नियंत्रण के लिये उपलब्ध होगी और राज्य सरकार, ऐसी ही अधिगृहन के द्वारा, यह घोषणा कर सकती है कि जिसी भूमि में, जिसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ के गगय स्थान बदल बदल कर या प्रस्थापी रूप से दृष्टि नहीं की जाती थी, उक्त प्रारम्भ के पश्चात् किसी भी समय ऐसी तारीख से जो उक्त अधिगृहन में निर्दिष्ट की जाय, स्थान बदल बदल कर या प्रस्थापी दृष्टि के लिये रहेगी तदुपरान्त वह भूमि उक्त दृष्टि के लिये उपलब्ध होगी ।

टिप्पणी

इसकी पिछली धारा और इस अधिनियम की कुछ अन्य धारायें और राजस्थान भूमि सुधार एवं जातीय पुनर्ग्रहण अधिनियम, १९५२ की कुछ धारायें आसामियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करती हैं। यह धारा एक प्रकार का अपवाद है श्री॒ इसमें उन भूमियों की सूची दी गई है जिनमें खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होगे। ऐसी भूमि बेची नहीं जा सकती ।^१

+ १६. क—खुदकाश्त के आसामी—प्रत्येक व्यक्ति जिसे, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय या तस्पश्चात् किसी समय, राज्य के किसी भाग में भू-सम्पत्ति-धारक द्वारा, खुदकाश्त, विविदत् पट्टे पर दे दी गई हो (letout या दी जाय, उक्त खुदकाश्त वा आसामी होगा) :—

परन्तु, भू-सम्पत्ति-धारक के अपनी खुदकाश्त का पारा १३ के अधीन खातेदार आसामी बन जाने पर, उक्त खुदकाश्त का आसामी शिकमी-आसामी हो जायेगा जो उक्त खातेदार आसामी के अधीन तथा उससे सेकर भूमि धारण करेगा ।

कि १७. गंग खातेदार आसामी राज्य के किसी भाग में भूमि का प्रत्येक आसामी, जो

1. वाजी समोउल्लाह v. राजस्थान राज्य, 1961 R.L.W. (R.S.) 112

+ राज० अधिं० २७ सन् १९५६, २ सन् १९५८ व ४६ सन् १९५८ द्वारा यथा संशोधित १ परिवर्द्धित ।

कि राज० अधिं० २ सन् १९५६ द्वारा यथा संशोधित ।

यांत्रिक आसामी, खुदकाइत के आसामी या शिकमी आसामी से भिन्न हो, गैर सातेदार आसामी होगा ।

* १७-क. मालिक-प्रत्येक जमीनदार या विस्वेदार जिसकी भू-सम्पत्ति राजस्थान जमीन-दारी या विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित है, उस अधिनियम की धारा २६ के अर्थान्तर्गत, उक्त निहित (Vesting) की तारीख को उसके अधिकार की खुदकाइत-भूमि के सम्बन्ध में, मालिक होगा ।

+ १८. विलोपित—

अध्याय ३-का :-

कर्तिपय शिकमी आसामियों वशा खुदकाइत के आसामियों को, मुआवजे का भुगतान होने पर, अधिकार प्रदान किया जाना ।

१९. कर्तिपय खुदकाइत के आसामियों को शिकमी आसामियों पर अधिकार प्रदान किया जाना—(१) प्रत्येक अप्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय—

(क) सत्समय चालू वापिक रजिस्टरों में उपवन-भूमि से भिन्न भूमि के खुदकाइत के आसामी अद्यवा शिकमी-प्रासामी के हृष में दर्ज किया गया था, या

(ब) उक्त अप्पेण दर्ज नहीं किया गया था परन्तु उपवन-भूमि से भिन्न भूमि का खुदकाइत का आसामी या शिकमी आसामी था,

राजस्थान टिक्सी (संगोष्ठी) अधिनियम १९५९ के प्रारम्भ की तारीख जो कि इस अध्याय में दत्तराज्ञान नियत तारीख के हृष में उल्लिखित की गई है, से, इस अध्याय में सम्बन्धित अन्य उपायों के अधीन, उसके द्वारा पूरा भूमि के ऐसे माग था जो कि धारा १८ की उप-धारा (१) के गण्ड (क) के प्रदोषनालं राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम क्षेत्र से अधिक नहीं है परन्तु उन धारा की उत्तर उप-धारा के गण्ड (घ) के अन्तर्गत जिस अधिकारतम क्षेत्र से मेंदगारी थी जागी है, उससे अधिक है, मानेदार-प्रासामी ही जायगा और उक्त भूमि के उस मात्र में विज हृष गुणारों में भी उक्त अधिकार प्रोटोकूल हो जायेगा;

परन्तु यांत्रिक अधिकार अद्यवा सुधारों में अधिकार उत्तरवेष्ट प्रोटोकूल नहीं होते यदि—

[१] उक्त भूमि का उक्त माग धारा ४६ में संगलित अक्षियों में से किसी से केवल पारण किया दूआ है, या

* राजस्थान अधिनियम मंदसा २ मार्च १९५८ द्वारा निर्विट ।

+ राज० अधित० २७ एन् १९५६ द्वारा दिसुप्त ।

— राज० अधित० ७ मार्च १९५९ द्वारा यह अध्याय निर्विट किया गया ।

[२] उसमें उक्त अधिकार पारा १५ की उपपारा (१) के परन्तुक के अन्तर्गत या पारा १५-क. के अन्तर्गत या पारा १५-न के अन्तर्गत या पारा १६ के अन्तर्गत, प्रोद्भूत नहीं होते हों, या

[३] उक्त व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् तथा नियत तारीख से पूर्व, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में विधिवत् समर्पण या परित्याग वे पारण अथवा उन उपबन्धों के अनुसरण में किसी साधारण राजस्व व्यायालय की डिक्री या आदेश द्वारा या तदन्तर्गत वेदवल कर दिया जाने के कारण, उक्त खुदकाशन का आसामी या शिकमी-आसामी नहीं रहा हो ।

∴ (१-का) उप-धारा (१) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट अपवादों के घोषन रहते हुए, उग उप-धारा में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति, राजस्थान टिनेसो (संघोधन) प्रधिनियम १६६१ के प्रारम्भ की तारीख, जो इस अध्याय में एतत्प्रस्ताव 'नियत दिन' के रूप में उल्लिखित है, से, इस घट्टाय में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा धृत मूर्मि के उस भाग का रातेदार आसामी हो जायगा जिसमें उसने उप-धारा (१) के अन्तर्गत खातेदारों अधिकार अजित नहीं किये हैं बल्कि उसके नियत दिन के पहिले, धारा १८० की उप-धारा (१) के खण्ड (क) अपवा खड़ (घ) के अन्तर्गत उसे वेदवल किये जाने की कार्यवाही धारा १८०-का. द्वारा विहित समयावधि के भीतर प्रारम्भ नहीं की गई हो अथवा कोई उक्त कार्यवाही जो तत्पूर्व प्रारम्भ की गई हो, उस दिन विचाराधीन नहीं रही हो ।

(२) उप-धारा (१) के खण्ड (घ) में उल्लिखित प्रत्येक खुदकाशन-आसामी तथा शिकमी आसामी जो यह दावा करता हो कि उस उप-धारा में वर्णित अधिकार उसे उसके मन्त्रालय मूर्मि-क्षेत्र में या उसके किसी भाग में "नियत तारीख" को प्रोद्भूत हो चुके थे, उग तारीख से दो वर्ष के भीतर तथा पच्चीस नवे पैसे व्यायालय मुल्क भुगतान करने के पश्चात्, उस सहायक कलबटर को जो अधिकारिता रखता हो, एक आवेदन-पत्र यह धोपणा की जाने की प्रारंभना करने हुए प्रस्तुत करेगा कि उक्त अधिकार उसे ऊपर कहे अनुसार प्रोद्भूत हो गये थे और ऐसे आवेदन-पत्र के विषय में धारा १५ की उप-धारा (५) के उपबन्ध लागू होते तथा उक्त खुदकाशन-आसामी तथा शिकमी-आसामी तब तक अपनी मूर्मि या किसी भाग का, जैसी भी सूरत हो, खातेदार आसामी हुआ नहीं माना जायेगा जब तक कि उसने उक्तलपेण प्राप्ति धोपणा प्राप्त न करनी हो ।

(३) जिस मूर्मि में उसे उप-धारा (१) अपवा उप-धारा (१-का) के अन्तर्गत अधिकार प्रोद्भूत हो उसके बारे में—

(क) खुदकाशन का प्रत्येक आसामी, उस भू-सम्पत्ति-धारक के प्रसान्न में जिसने उक्त खुदकाशन कियाये पर उठाई हो, तथा

(ल) प्रत्येक शिकमी-आसामी—

[१] राज्य सरकार के प्रसान्न में, यदि उसका मुश्य-आसामी उस मूर्मि को जो उसने

तिरमी दिराये पर उठाई है राज्य सरकार से लेकर धारण करता था, भूमि

[२] भू-भूमिति-धारक हे प्रसंग में, यदि उक्त मुट्ट्य-आसामी दक्ष भूमि को विसी भू-
सम्पत्ति-धारक मे लेकर धारण करता था,

"नियत तारीख" से उन सब अधिकारों का हक्कार तथा उन समस्त उत्तरदायित्वों के अधीन,
होगा जो इग अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त तथा उस पर आरोपित किये गये है।

(४) प्रत्येक युद्धकाल-आसामी या शिकमी-आसामी, जिसे उप-धारा (१) अथवा उप-
धारा (१-ए) के प्रन्तर्गत अधिकार प्रोटोकूल हो जाये, अपने भूमि-धारी को इस बच्चाय के उप-
वन्धों के अनुसारण मे निरिचत किया गया मुकाबला अदा करने की आवश्यक होगा :

परन्तु, उक्त आसामी या शिकमी-आसामी, 'नियत तारीख' से तीन वर्ष के भीतर, उस
समयक बल्किटर को जो अधिकारिता रखता हो तिथि मे यह मूचना दे सकेगा कि वह उक्त
मुकाबला अदा करने पर अधिकार अर्जित करना नहीं चाहता है, जिस स्थिति मे उसे खातेदारी-
प्रदिकार प्रतित नहीं होगे अथवा वह मुकाबला अदा करने के लिए आवश्यक नहीं होगा और यथा
पूर्व युद्धकाल का आसामी या शिकमी-आसामी यता रहेगा।

ट्रिप्पली

१. उद्देश्य—धारा १६ से ३० उप-आसामियों और युद्धकाल के आसामियों को
खातेदारी अधिकार अर्जित करने मे सुविधा प्रदान करने के लिए रखी गई है। इस अधि-
नियम मे पूर्व उनके अधिकार अद्यत. पी. टी. ओ. १६१० द्वारा सुरक्षित थे और उनको
किसी भी आधार पर वेदायल नहीं किया जा सकता था। इस धारा के द्वारा उप-आसामियों
तथा युद्धकाल के आसामियों को निहित प्रक्रिया द्वारा खातेदारी अधिकार अथवा सुवार्गे
मे अधिकार वा हक्कार बनानी है।

२. युद्धकाल के आसामी अथवा उप आसामी—धारा १६ (क) मे युद्धकाल के
आसामी की परिभाषा दी गई है। वैसे धारा ५ (१) मे उप आसामी की परिभाषा भी
दी गई है परन्तु इन धारा मे जिस उप आसामी का उल्लेख है उसमे केवल खातेदार
आसामी का उप आसामी अभिप्रेत है न कि गंर-खातेदार आसामी का। अन्त उनको
धारा १६ का लाभ नहीं मिल सकता। युद्धकाल के दर्ज मुद्दा उप आसामी को खातेदारी
अधिकार देवन धारा १५ के नीचे मिल सकते हैं न कि धारा १५ के नीचे।^१

३. वधक प्रहोन (मुर्मिहिन)—यह धारा टिनेसी के वधक प्रहीण पर नाप्र
नहीं लेती। धारा ५ (४३) मे उसे एक आसामी की हैसियत प्रदान की गई है परन्तु ऐसा
व्यक्ति दभी खातेदारों अधिकारों का अनेक नहीं कर सकता—न तो इस धारा के अन्तर्गत
न धारा १५ के अन्तर्गत।

४. वधक प्रहोनों के आसामी—ये दो प्रवार के होते हैं। पहले तो वे जो
मानिकाला इकों के वधक प्रहीण होते हैं और दूसरे टिनेसी अधिकारों के। इनमे मे

पहली श्रेणी वालों को धारा १५ के नीचे सातेदारी अधिकार मिल सकते हैं, जब तक कि बंधक की शर्तों में ही इसकी मनाही नहीं हो। दूसरी श्रेणी में यदि बंधक १५-५-५५ से बाद का है तो सातेदारी अधिकार मिलने का प्रश्न नहीं उठता। प्रथम श्रेणी के बधक-ग्रहीता स्वयं भी गैर सातेदार कहनाते हैं ग्रातः उनके आसामी सातेदार नहीं बन सकते।

४. उपधारा १ (i) (ii) का उपबंध—इसके अनुसार धारा ४६ में वर्णित व्यक्तियों की जमीनों में सुधारों में सातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होंगे परन्तु यह धारा पूर्णपैशी नहीं है। ग्रातः धारा ४६ में जिन निर्योग्यताओं का उल्लेख है वे आवेदन पत्र देने की तो ऐसे को विद्यमान होनी चाहिए।

५. खण्ड (x) "दर्ज महीं किया गया"—जब खुदकाश्त के आसामी को या उप-आसामी को वापिक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया जाय तो उसे असिसेंट कलेक्टर को प्रार्थना पत्र इस घोपणा के लिए देना चाहिए कि उसे ऐसे अधिकार उत्पन्न हो चुके हैं।

६. मुआवजे का भुगतान—प्रतिकर (मुआवजे) का भुगतान धारा २७ के अनुसार किया जायगा। जब तक यह भुगतान नहीं किया जाता वह साते पर चार्ज बना रहेगा।

७. सातेदारी अधिकारों का परकाररण—जिस किसी आसामी या उप-आसामी को सातेदारी अधिकार अथवा सुधारों में अधिकार प्राप्त होते हैं वह उन्हें तब तक दूसरों को नहीं दे सकेगा जब तक कि मुआवजे की रकम पूरी नहीं चुका दी जाय।

८. मुआवजे के लिये दावे—संशोधन के पश्चात् इस धारा की उप-धारा (४) के अनुसार यह आवश्यक है कि खुदकाश्त का आसामी या उप आसामी को इस अध्याय के उपवधों के अनुसार मुआवजा देना पड़ेगा। परन्तु ऐसा उप आसामी मुआवजा देकर सातेदारी अधिकार लेने से इनकार भी कर सकता है। उस सूरत में उसकी अपनी पिछली हैसियत बनी रहेगी।

९. आवेदन कहाँ दिये जावें—खुदकाश्त के आसामी या उप आसामी सातेदारी अधिकारों या सुधारों में अधिकार अर्जित करने के लिए क्षेत्र के असिसेंट कलेक्टर को आवेदन पत्र देंगे। अयालय शुल्क पचीस पैसे लगेगी। अपील रेकर्ड अपेलेट आयोरिटी को होगी। दूसरी अपील नहीं होगी परन्तु राजस्व मंडल को पुनरीक्षण (रिवीजन) हो सकेगा।

की० २०. मुआवजे के बारों का पेश किया जाना—की०(१) प्रत्येक व्यक्ति जो अपने द्वारा अपने किसी खुदकाश्त-आसामी या दिव्यमी-आसामी को उठाई गई भूमि के बारे में सातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो जाने अथवा उक्त भूमि पर विद्यमान सुधारों (कुओं तथा अन्य गिराई बायों को छोड़कर) में अधिकार प्रोद्भूत हो जाने के कारण मुआवजे का दावा करता हो, मुआवजे के अपने दावे का एक विस्तृत विवरण सद-डिवीजनल अधिकारी वो विहित प्रपत्र में तथा विहित रीति से प्रस्तुत करेगा। ऐसा प्रत्येक दावा—

[१] जहाँ ऐसे अधिकार घारा १९ की उप-घारा (१) के अन्तर्गत प्रोद्भुत हुए हों, निष्ठत दिन से चार वर्ष के भीतर; तथा

[२] जहाँ ऐसे अधिकार उस घारा की उप-घारा (२) के अन्तर्गत घोपणा के आधार पर प्रोद्भुत हुए हों, उक्त घोपणा से चार वर्ष के भीतर, प्रस्तुत किया जाएगा।

(२) यदि दिवोजनत अधिकारी, उप-घारा (१) के अन्तर्गत दावे का विवरण प्राप्त होने परः—

(क) उसकी एक प्रति सम्बन्धित मुद्रकास्त-प्रामाणी अथवा विक्रमी-प्राप्तिमी को देगा और नोटिंग के द्वारा उसमें दावे के विषय में आवति, यदि कोई हो, नोटिंग की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा, प्रीर

(ख) उसके द्वारा देय मुआवजे की रकम घारा २३, २४, २५, तथा २६ के उपचरों के प्रत्युमरण में, निश्चित करने की कार्यवाही करेगा।

२१. यिलोपित । +

२२. यिलोपित । +

२३. लानेदारों प्रधिकारों से लिये मुआवजा.—(१) मुद्रकास्त-प्रामाणी या विक्रमी-प्राप्तिमी की सम्पूर्ण भूमि या उसके विभी भाग वे विषय में घारा १९ के अन्तर्गत अधिकार प्रोद्भुत हो जाने के बारए भूमिकारी की घारा १६ की उप-घारा (४) के अन्तर्गत देय मुआवजे की रकम,

(क) उक्त भूमि के या उसके भाग के लिये विद्युत बन्दोबस्त में स्वीकृत की गई लगान-दर, वहाँ इस भूमि के सम्बन्ध में लगान निश्चित होनेया हो, या

(ख) जहाँ उक्त भूमि या उसके भाग के गम्बन्ध में लगान निश्चित नहीं हुपा है, विद्युत बन्दोबस्त में याम पड़ीन में सरकारी भूमि के लिये निश्चित यी गई लगान-दर ही, दानाचित भूमि की इकाई में पद्धति हुना और गिरिया भूमि की इकाई में वीम हुना होगी।

(२) घारा २५ में अन्तिमिट उपचरों के अधीन रहने हुए, उन भूमि में जिसके सम्बन्ध में उपर्युक्त भाँति से अधिकार प्रोद्भुत हुए ही, रिष्ट रिसी दुष्ट या दम्पद निचाई गायत्र के घारे में अथवा उपर्युक्त घारे उत्तम होने वाली रिसी निचाई-गुविया के लिए अन्तर्गत में गई मुआवजा देय नहीं होगा।

२४. गुप्तारों में अधिकारों के लिये मुआवजा—(१) यदि दिवोजनत अधिकारी विसी गुप्तार (दुशा या अन्य नियाद-प्राप्त यो लीटार) जो इस भूमिकारी द्वारा अथवा भूमिकारी के घारे पर वियो रिये वह मुआवजे दा दाया करता हो, तिया गपा हो, तो मूल्य या निश्चयन

+ राजस्वान अधिकार घारा ७ गव. १९५१ द्वारा विस्तृत।

५ दररोप द्वारा नियोगित।

६ राजस्वान अधिकार घारा ७ गव. १९५१ द्वारा याम नियोगित।

नीचे लिखी वार्ता को ध्यान में रखते हुए, बतेगा—

(क) उस समय जबक मुपार किया गया था उस मुपार की सामग्री,

(ख) उस लाभ की सामग्री जो कि उस भूमि को जिसमें पारा १६ की उप-धारा (१)

[या उप-धारा (१-का)] के अधीन सातेशारी अधिकार प्रोद्भूत हुए हैं, आगामी
कृषि वर्ष जिसमें कि उस निश्चयन दिया जाय, से प्रगते दृष्टि वर्ष में पट्टैचने के
सम्भावना है, और

(ग) ऐसी अन्य वार्ता जो विहित की जाये।

(२) धारा २५ में अन्तर्विट उपवधी के अधीन रहते हुए, पारा १६ की उप-धारा (४)
के अन्तर्गत खुदकाश्त-आसामी या सम्बन्धित तिकमी-आसामी द्वारा भूमि-पारी को, अपने
वडों की भूमि के उस माग में अथवा उस माग से सम्बन्धित तिगमे उसे धारा १६ की उप-
धारा (१) [अथवा उप-धारा (१-का)] के अधीन सातेशारी अधिकार प्रोद्भूत हुए हो, कि
गये सुधारों (कुछों अथवा अन्य सिवाई कामों को छोड़कर) में अधिकारों के लिये देय
मुआवजे को रकम, उन सुधारों के मूल्य, जो कि उप-धारा (१) [अथवा उप-धारा (२)]
के अन्तर्गत निश्चित किया जाय, का चालीस प्रतिशत होगी ।

+ २५ नालबट के बदले मुआवजे के अंश की समझना—(१) जहाँ ऐसी किसी भूमि में
जिसमें सातेशारी अधिकार [धारा १६ के अन्तर्गत] प्रोद्भूत हो चुका हो, और भूमिपारी के
भिन्न कोई अन्य व्यक्ति उस कुएं से सम्बन्ध में नालबट उगाहने वा हड्डार हो, सब इशेवन के
अधिकारी, भूमिधारी को [उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा २३ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत]
देय मुआवजे की रकम में से उक्त अन्य व्यक्ति को देय क्षम निश्चित बतेगा ।

(२) उक्त प्रेस का निश्चयन करने के प्रयोगनाथ, राय दिवोजनल अधिकारी, नालबट
के अधिकार का ओसत-मूल्य नीचे लिखी रीति से मालूम करेगा, अर्थात्—

(क) जहाँ नालबट नवद में वसूल की जा रही है, उसके अधिकार के ओसत मूल्य की
समझना उस कृषि-वर्ष से जिसमें कि उक्त समराजा दी जाय, ठीक पूर्वदर्ती वार-
वर्षों के दोरान वसूल की गई वापिक रकमों की ओसत के प्राधार पर की जायेगी;

(ख) जहाँ नालबट उगन के अंश के हृष में वसूल की जा रही है; उक्त मूल्य की
समझना उस कृषि-वर्ष से जिसमें कि उक्त समराजा दी जाय, ठीक पूर्वदर्ती वार-
वर्षों के दोरान तत्सदृश उपर के मूल्यों की घेरते हैं अनुसार उक्त अंश के ओसत
नहर-मूल्य के प्राधार पर की जायेगी ।

(३) नालबट के अधिकार के सम्बन्ध में देय मुआवजा को रकम उपधारा (२) के अन्तर्गत
निश्चित को गई उक्त अधिकार के ओसत-मूल्य वा दृम युना होगी, किन्तु अधिकतम रकम
कुएं के बरंमान बाजार-मूल्य का ५० प्रतिशत होगी ।

(क) विलोपित +

(ख) विनोपित +

(ग) विलोपित +

४०(५) धारा २६ के अन्तर्गत देय समस्त मुप्रावजे की रकम उत्तम भूमि तथा उमरी व पर, तत्सम्बन्धी राजस्व तथा लगान के पदनाम, प्रभार होगी और गुदाकाश-प्राप्तामी अधिकमी-आसामी जो धारा १६ के अन्तर्गत गुदाकाश अधिकार या मुपारां में अधिकार प्रकरता है, अपनी भूमि या किसी भाग को तब तक बदल नहीं कर सकेगा जब तक कि सभी मुप्रावजे की रकम पूरणंतः चुकाई नहीं दी जाय ।

परन्तु उक्त आसामी अधिका निकमी-आसामी अपनी सम्पूर्ण भूमि को अथवा उमके लिये भाग को धारा ४३ के उपबन्धों के अनुसारण में मुक्तयतः उक्त मुप्रावजे के मुपानान वे निर्मित, एकोई दूसरा प्रयोजन सृजन हो अधिका न हो, परकीयत कर सकेण ।

२८. विलोपितः—

२९. विलोपितः—

३०. कुछेक विशिष्ट मामलों में मुआधने के भूगतान के लिये विशेष उपचन्थ—(१) जहाँ धारा १९ की उप-धारा (१)–या उपधारा (१-वा) के अन्तर्गत अधिकारी के प्रोटो होने के पहिले, कोई शिकमी-आसामी उस भूमि को जिसमें उसे उक्तहपेण अधिकार प्राप्तभूत हो, ऐसे व्यक्ति से लेकर धारण किये हुए था जो—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, धारा १५ के अन्तर्गत, या

(ख) राजस्वान राजस्व विधिया (विस्तार) अधिनियम १६७७ (राजस्वान अधिनियम २, सन् १६५८) के प्रारम्भ होने पर, धारा १५-वा, के अन्तर्गत खातेदा आसामी बन गया हो, लेकिन जिसे, उक्त प्रारम्भ के पूर्व, उक्त भूमि का अन्तर्करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, मुप्रावजे को रकम जो धारा २६ के अन्तर्गत निर्धारित थी गई हो, उक्त व्यक्ति को तब तक देय नहीं होगी जब तक कि व उसके लिये उप-धारा (२) के अन्तर्गत हस्ताक्षर न हो जाय ।

(२) उप-धारा (१) द्वारा विवारित मामलों में—

(क) भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये मुआधना उठा व्यक्ति पो दे होगा जो कि, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व, उस भूमि का अन्तर्करने का अधिकार रखता था, और

(ख) उक्त भूमि से सम्बद्ध मुपारों में अधिकार प्राप्त करने के लिये मुआधना मुहृष्टय उस व्यक्ति को देय होगा जिसने अथवा जिसके सचें से वे मुघार किये गये थे ।

× [३०-वा. वचाव तथा विचारधीन आवेदन-पत्रों का निपटारा—(१) इस अध्याय के बाहर, धारा १६ के अन्तर्गत नियी आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में नियत दिन के पूर्व किये गए निर्णय तथा निपटारे पर कोई प्रभाव नहीं दानेगी और ऐसा प्रत्येक निर्णय इस मांति नियासील

: राजस्वान अधिनियम मंस्या ७ सन् १६५९ द्वारा संशोधित थ वितुष्ट ।

— राजस्वान अधिनियम मंस्या १२ सन् १९११ द्वारा निविष्ट ।

× राजस्वान अधिनियम मंस्या ७ सन् १६५९ द्वारा निविष्ट

होगा मानो विधि पूर्ण हथा न्यायानुकूल रीति से किया गया हो ।

(२) उक्त सारोत पर विचारार्थीन् ऐसे समस्त प्रावेदन-पत्र बिना किसी आज्ञा के अभिलेखाकार में भेज दिये जायेंगे ।]

✓ अध्याय ३-खा +

अधिकतम शेष से अधिक भूमि धारण करने पर प्रतिबन्ध

३०-गा. परिभाषाएँ—इस अध्याय के प्रयोजनार्थ—

(क) “परिवार” से धर्मशास्त्र एक परिवार से होगा जिसमें पति उथा पति, उनके बच्चे और उन पर धायित उनके पौत्र-पौत्रिया और पति की विवाह मा जो उन पर धायित हो, और

(म) “वक्ति” में एक आदमी के प्रमाण में, उस आदमी का परिवार सम्मिलित होगा ।

३०-गा. अधिकतम शेष का विस्तार—ऐसे परिवार जिसमें पात्र या पात्र में कम सदस्य हों, का अधिकतम शेष तीस एकड़ (प्रामाणिक) भूमि होगी :

परन्तु यहाँ परिवार के सदस्यों यी मध्या पात्र से लियक हो, उनके बारे में अधिकतम शेष प्राप्तेक भान्निरिक्ष (additional) सदस्य के निये पात्र एकड़ (प्रामाणिक) भूमि बता दिया जायगा, नभानि इन आदि कि अधिकतम-शेष माट एकड़ (प्रामाणिक) सूचि में धायित न हो ।

इष्टीकरण—“प्रामाणिक एकड़” में अभिप्राय भूमि के ऐसे शेष से होगा जो, मध्यी उत्तादत-शमता, नियनि, विट्टी, की विस्तम, तथा धन्य विहित विवरणों वी हटित हो, विहित रीति में ऐसा पात्र जाय जिसमें प्रतिवर्वद दृष्ट मन गेंडे पेंदा होना यस्तव हो, और ऐसी भूमि जिसमें गेंडे पेंदा नहीं हो यक्कन हो, के प्रमाण में, उसकी धन्य सम्भावित उपज, प्रामाणिक एकड़ की गंगाजला करने के प्रयोजनार्थ, विहित पेंदाने के अनुगार निवित वी जानेगी ताकि वह नहुङ भूमि में इस मन गेंडे के बराबर हो मने :

परन्तु प्रामाणिक एकड़ों में अधिकतम-शेष निवित वरने यस्तव, घाही भूमि की उपज का नाइ-सूचि उनके बराबर बारानी नूनि की दरत वे नरद-सूचि के बराबर यस्तवा जायेगा ।

३०-पा. पात्र ३०-गा. के अन्तर्गत अधिकतम शेष निवित वरने वे तिये, यनिश्च अन्तरणों की न माना जाना—(१) जिनी धर्तिके प्रमाण में पात्र ३०-पा. के अन्तर्गत अधिकतम-शेष निवित वरने के प्रयोजनार्थ, उनके द्वारा तरीका २५ करबरा १६७८ को या तंत्राद्यान देंदा से, अरनो दम्भुले भूमि या इनी भाग वा अन्यथा—

[१] विभाजन हे रूप ने, यस्ता

+ पैर धन्याद राम्याद अपित्यमय गम्या ४ सद् १२६० द्वारा निविट दिया गया ।

[२] ऐसे व्यक्ति, जो उक्त तारीख के पूर्व भूमि हीन-व्यक्ति या एवं अन्तरण की तारीख तक भूमिहीन-व्यक्ति बना रहा, के पश्च में, न होकर अन्यथा हो ऐसा अन्तरण समझा जायेगा जिसका अधिप्राप्त इस अधिनियम के उपबन्धों को विफल करना हो, और उगमों न तो माना जायगा न घ्यान में रखा जायगा; और यह सिंड करने का मार कि योई अन्तरण गण्ड [१] के अन्तर्गत या खण्ड [२] के अन्तर्गत मात्र है, अन्तरणवर्ती पर होगा ।

परन्तु यदि ऐसे निसी अन्तरण के रूप में जैसा कि खण्ड [२] में वर्णित है, हस्तान्तरिती के लिये अनुमत अधिकतम-क्षेत्र से अधिक भूमि उसे अन्तरित करदी गई है तो उक्त अधिक-भूमि का उक्तरूपेण किया गया अन्तरण इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ न तो माना जायगा न घ्यान में रखा जायेगा ।

परन्तु यह और है कि ऐसा कोई अन्तरण जैसा कि खण्ड [२] में वर्णित है यदि तारीख ह दिसम्बर १९५६ के पश्चात् किया गया है तो उसे न तो माना जायेगा न घ्यान में रखा जायेगा ।

(२) प्रत्येक ऐसा अन्तरण जैसा कि उप-धारा (१) में वर्णित है, इस अधिनियम में अथवा तत्त्वमय सम्बूळं राज्य में या उसके किसी भाग में प्रवृत्त किसी अन्य कानून में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के विहङ्ग, ऐसी किसी भूमि के विषय में जो उक्त अन्तरण की विषय-वस्तु हो तथा धारा ३०-३० के अन्तर्गत राज्य सरकार को आती हो, प्रमावशील नहीं होगा ।

(३) उप-धारा (२) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध के होते हुए भी, उसमें उल्लिखित भूमि का हस्तान्तरिती, उक्त भूमि के अन्तरण-वर्ती से वह प्रतिकल-स्वरूप हव्या यदि कोई हो जो उसने उक्त भूमि के निमित दिया हो, वापिस लेने का हकदार होगा और उसकी रकम राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा ३०-३० के अन्तर्गत दिये मुप्रावजे पर प्रमार होगी ।

(४) इस धारा की कोई बात, क्रमशः युद्धकाश्त-भूमि या आसाभी की भूमि अथवा दोनों में से किसी के भाग के बैंध रप ने किराये पर या दिक्षमी-किराये पर दिये जाने पर लागू नहीं होगी ।

३०-३०. अधिकतम-क्षेत्र जो धारण किया जा सकता है तथा भावी धावातियों पर प्रतिबंध—(१) इस अधिनियम में अथवा तत्त्वमय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में कोई बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी, कोई व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा इस बारे में अधिसूचित तारीख से—

(क) उसके लिये अनुमत-प्रविक्तम-क्षेत्र से अधिक भूमि किसी भी हैसियत से तथा किसी भी पाराणाधिशार के अन्तर्गत, चाहे किसी भी प्रकार का हो, धारण किये हाँ नहीं रहेणा अथवा वस्त्रे में नहीं रखेगा, या

(ख) ऐसी भूमि जो उसके लिये अनुमत अधिकतम-क्षेत्र में वृद्धि करे, द्रव्य, दान (गिषट), बंधा, अनिहस्तावन, पट्टा (लीज) समर्पण अथवा या अन्यथा या अन्तरण (devolution) अथवा बरीयन (beguest) से प्राप्त नहीं करेगा

परन्तु राज्य के मिश्र मिश्र दोनों के वशष में इस प्रकार मिश्र मिश्र तारीखें अधिसूचित नी जा सकेंगी ।

(२) प्रस्तंक व्यक्ति, जो उक्त तारीख को, घपने लिये अनुमत अधिकरण-दोष से अधिक भूमि पर कब्जा रखता है या तत्तदान् उप-पारा (१) के लगड़ (क) के अन्तर्गत प्राप्ति (acquisition) से किसी भूमि का कब्जा प्राप्त करता है, उक्त कब्जे या अवाप्ति की यथा स्थिति, राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा और उक्त अधिक भूमि को समर्पण करेगा तथा जिस तहसीलदार की स्वानीय मीमांसा में वह भूमि स्थिति हो उसको मुशुदं कर देगा :

परन्तु पदि कोई व्यक्ति अपने लिये अनुमत अधिकरण-दोष से अधिक भूमि एक मे अधिक तहसीलों मे धारण अवाप्त किये हुए हो तो उसे यह चुनने का विवाद प्राप्त होगा कि उसके द्वारा भिन्न भिन्न तहसीलों मे धूत कौन कौन भूमिया समर्पित की जानी चाहिए ताकि उसके पास उतनी भूमि तक ही रहे जितनी उसे अनुमत है :

परन्तु यह शर्त और है कि दूर्वाकृत उपर्योग द्वारा अनुमत समर्पण इस परिसीमा के प्रधीन होंगा कि जहाँ वह व्यक्ति जो इस उप-पारा के अन्तर्गत अधिक भूमि समर्पण करे ऐसी भूमिया धारण किये हुए है जिनमे से कुछ अधिभारित (encumbered) तथा कुछ अधिभारित (not-encumbered) हैं तो, यथा शब्द, अभारित भूमिया, भारित भूमियों की अवैद्या, पहले समर्पण की जायेगी ।

(३) कोई व्यक्ति जो जानवृक्ष कर रिपोर्ट करने अथवा समर्पण करने मे जैसा कि उप-पारा (२) द्वारा अनेकान है, विकल रहता है वह, दोपसिद्धि पर ऐसे जुमनि मे दण्डनीय होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा ।

(४) ऐसा व्यक्ति जो अपने लिये अधिकरण-दोष मे अधिक भूमि को घपने वक्ते मे बनाये रखता है, जिना प्रतिकूल प्रभाव दाले और उक्त दोष सिद्धि तथा जुमनि के साथ, भति दर्मा (trespasser) माना जायगा जिसे धारा १८३ की उप-पारा [१] के लगड़ (क) के अनुमरण मे उक्त अधिक भूमि से वेदान्त सिया या संवेगा तथा जो दास्ति देने का जिम्मेदार होगा :

परन्तु वे भूमिया दिनमे कोई व्यक्ति उक्त रोगु वेदान्त किया जायगा यथारक्षम अनारित भूमियां होगी ।

(५) ऐसी भूमन भूमियों जो उप-पारा (२) के अन्तर्गत समर्पण के अरियं अददा रापारा (४) के अन्तर्गत वेदान्तली के जरिये राज्य सरकार दो मिन्दे वे राज्य सरकार मे पूर्णः अभारित दशा मे तिहित होगी ।

३०-पा. पारा ३०-दा. के अन्तर्गत समर्पित भूमियों का आधेन्दनः—पारा ३०-दा. के अन्तर्गत राज्य सरकार मे तिहित होने वालो समस्त भूमियों तहसीलदार द्वारा, सब दिवीजनन आक्रिय के आदेशाधीन, पारण की जायेगी तथा, पारा १५ वी उप-पारा (१) मे अन्तरिष्ट दियी वान् हे होने हए गी, पारा ३०-पा. के उपर्योग के अधीन, भूमिहीन तथा अन्य अपियों जो, पारे विहित रूपाने पर नुगवान दिया जाय अपवा नहीं, राज्य सरकार द्वारा इस बारे मे बनाये गये नियमों मे बताई गई रीति से और अन्यथा उनके अनुमरण मे, किराये पर ही जायेगी ।

३०-दा. पारा ३०-दा. के अन्तर्गत समर्पित भूमियों के लिये एवं उनमे किये हुए मुणारों मे अपिदारों के लिये मुमादजाः—(१) राज्य सरकार उन मध्य भूमियों के लिये जो उसमे

धारा ३०-दा. के अन्तर्गत विहित हों, उन्हें समर्पित करने वाले व्यक्तियों द्वारा गुप्रावजा देने के लिये उत्तरदायी होगी ।

(२) उक्त प्रत्येक व्यक्ति, उक्त निहित के समय धर्यवा तत्त्वान् त्रिमी समय, सब डिवीजनल आफिसर को मुआवजे के लिये आने दावे वा सविस्तार विवरण-पत्र विहित प्रपत्र में तथा विहित रीति से प्रस्तुत करेगा ।

(३) मुआवजे की रकम सब डिवीजनल आफिसर द्वारा, धारा २३, २४, २५ तथा २६ में बताई गई रीति से तथा उसमें विभिन्न गिरावटों के अनुसारण में, निश्चित वीं जायगी ।

परन्तु धारा २३ की उप-धारा (१) में अन्तविष्ट विसी बात के होते हुए भी, मुआवजे की दर नीचे लिये अनुसार होगा:—

(क) धारा ३०-दा. के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमि से से प्रथम २५ एकड़ भूमि के संबंध में स्वीकृत की गई लगान-दर का तीस गुना,

(ख) उक्त भूमि से से अगली २५ एकड़ भूमि के संबंध में स्वीकृत की गई लगान-दर का पचाथीस गुना, तथा

(ग) उक्त भूमि के अवशिष्ट मांग के संबंध में स्वीकृत की गई लगान-दर का बीस गुना :

परन्तु जहा ऐसी भूमि के संबंध में लगान निश्चित नहीं किया गया हो, उसके लिये स्वीकृत लगान-दर वह मानी जायगी जो विछले बन्दोबस्त में निकटस्थ तत्समान भूमि के लिये स्वीकृत की गई हो ।

(४) इन प्रकार निश्चित की गई मुआवजे की रकम, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में विभिन्न रीति के अनुसार, धारा ३० दा. की उप-धारा (५) के अन्तर्गत अपनी भूमि संबरणा करने वाले, धर्यवा उस धारा की उप-धारा (४) के अन्तर्गत अपनी भूमि से वेद्रष्टल किये गये व्यक्ति तथा उसके प्राप्तियों, यदि कोई हो, के बीच में विभाजित की जायगी ।

(५) अध्याय ३-का. में अन्तविष्ट विसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अन्तर्गत निश्चित मुआवजे वीं रकम नकद में, या बोन्डों के रूप में, या अंशतः नकद तथा अंशतः बोण्डों में, जैसा कि राज्य सरकार इस संबंध में नियम बनाकर निश्चित करे, मुगतान-योग्य होगी और धारा २७ की उप-धारा (१), (२) तथा (४) के एवं धारा ३० के उपसंधि मुआवजे के मुगतान के संबंध में लागू होंगे ।

३०-जा धारा ३० दा. के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमियों पर भार (encumbrance) संर्यादी उपबंधः— (१) जहा विसी व्यक्ति द्वारा धूत भूमियों पर कोई भार विद्यमान हो, धारा ३० दा. के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली समस्त भूमियों के मंदिर में धारा ३०-दा. के अन्तर्गत मुगतान योग्य सम्पूर्ण मुआवजे की रकम नीचे लिये अनुसार उपरोक्त में लाई जायेगी, प्रथमतः—

प्रथमतः, उन भूमियों के संबंध में राज्य गरकार के पक्ष में वाकी निकल रही नमस्त वक्तायाओं का मुगतान परने में;

द्वितीयतः, पारा. ३०-डा. के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमियों पर विद्यमान समस्त मार्टों को हटाने में; तृतीयतः, ऐसे व्यक्ति द्वारा रखी गई भूमियों पर, इसके लिये अनुमत अधिकतम-दोष के मद्दे विद्यमान मार्टों को हटाने में, और चतुर्थतः, भवशिष्ट रकम, यदि वोई हो, उस व्यक्ति को दे दी जायेगी।

(२) ददि, उक्त, व्यक्ति द्वारा अपनी भूमियों पर प्रारोपित मार्टों की सम्पूर्ण रकम, उसे पारा ३०-डा. के अन्तर्गत मुकाबला-योग्य मुकाबले की रकम से अधिक हो तो,

(न) उक्त व्यक्ति द्वारा रखी गई भूमियों पर विद्यमान मार उक्ती भूमियों से सम्बद्ध बने रहेंगे, और

(ष) पारा ३०-डा. के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमियों पर विद्यमान मार्टों के ऐसे माल जो मुकाबले की रकम में से न उकाये जा सके, भार-हक-पारी (encumbrance holder) द्वारा उक्त व्यक्ति की घन्य सम्पत्ति में वसूल किये जा सकेंगे।

३०-भा. सामान्य प्रकार के अपवाद—(१) पारा ३०-डा. की उप-पारा (१) के खण्ड (क) में अन्तर्विष्ट बोई वात ऐसे व्यक्ति पर,

(१) जो, उपमुक्त पारा की उपमुक्त उप-पारा के लिये अधिकूचित तारीख पर, घटने लिये अनुभत अधिकतम दोष से अधिक भूमि पारले नहीं करता है, या

(२) जो, उक्त तारीख के पदचाल, उक्त अधिकतम-दोष से अधिक भूमि को एक वार राज्य सरकार द्वारा वेतनल बन्दे कर देता है या अधिकतम-दोष से अधिक भूमि में राज्य सरकार द्वारा वेतनल कर दिया जाता है और अधिकतम-दोष की सीमा तक भूमि अपने बन्दे में रहता है, यद्यपि तत्फलेण धूत अयवा रखी गई भूमि यथा स्थिति, की उपज-समता अविष्य में उक्त व्यक्ति द्वारा उक्त तारीख के बाद में लिये गये अपवा उसके बचे पर दिये गये मुकाबों के परिणामस्वरूप वड जाती है,

आगू नहीं होगी।

(२) यदि पारा ३०-डा. की उप-पारा (१) के खण्ड (क) अयवा राण्ड (रा) के अन्तर्गत आने वाले लिग्नी मालके में उसके लिये अनुमत अधिकतम-दोष से अधिक भूमि एक अग्रान्त (fragment) माल रह जाती है तो, सब टिशीब्लल आदियर उम उप राण्ड को घारले करने वाले अपनि द्वारा उसे अपने बन्दे में तब तक रखे रखने की अनुमति दे सकेंगा जब तक कि उस अप राण्ड, जिसी ऐसे अस्तरी भूमि-दोष के एकोकरण के प्रयोजनार्थ उपयोग में न साया जा सके जो कि उक्त भूमि दोष के लिये अनुमत अधिकतम-दोष से आवार में छोड़ा हो।

३०-भा.—(१) पारा ३०-ट., में अन्तर्विष्ट बोई वात—

(क) उपवन, जो संस्तरी तथा दर्शकों द्वारा बनाते हैं,

(ग) गंगे में गांगे जो शुगर कॉफीन्सो द्वारा बास में लिये जाते हैं,

- (ग) राहकारी कृषि-फार्म जिनका प्रबन्ध दक्षतापूर्वक किया जा रहा हो, उनमें कि ऐसे किसी फार्म या फार्मों में किसी सदस्य का हिस्सा उसके लिये अनुमत अधिकारीय से अधिक नहीं होगा,
- (घ) दक्षतापूर्वक प्रबन्धित विशिष्टीकृत (Specialized) भव्य फार्म जो विहित रीति से, दोर-अभिजनन, घोड़ा-अभिजनन, भेड़-अभिजनन, ऊन-उत्पादन, तथा दुध-पालाओं, के लिये रजिस्टर्ड किये हुए हो, +
- (ङ) भव्य दक्षतापूर्वक प्रबन्धित फार्म जो यक्चर्च (compact) रीत है तथा जिन्हें विभाजित करने से उपज में बर्मी होने की सम्भावना है, + और

+ (च) किसी मंदिर, मस्जिद, मुहद्दारा अथवा गोशाला द्वारा धारित, उसमें निहित, उसके सम्बद्ध या उसके प्रबन्धाधीन भूमि या भूमि दोनों

पर लागू नहीं होगी ।

परन्तु इस उप-धारा की कोई बात, ऐसे किसी फार्म या उप-वन जो किसी भी प्रकार तारीख १ मई १९५६ को या तत्पश्चात अकाप्त (acquired) किया गया हो, में समाविष्ट किसी भूमि पर लागू नहीं होगी ।

परन्तु यह शर्त और है कि किसी उप-वन या फार्म पर इस उप-धारा के लागू होने के विषय में कोई भगड़ा हो जाने की दशा में, उस पर राज्य सरकार का नियंत्रण अनियम होगा ;

परन्तु शर्त यह भी है कि इस उप-धारा के एण्ड (s) में अन्तविष्ट कोई बात ऐसे गन्ते के फार्म में समाविष्ट किसी भूमि पर लागू नहीं होगी जिसमें राजस्थान टिनेसो (सशीधन) अधिनियम १९६० के प्रारम्भ से ठोक पूर्ववर्ती पांच वर्षों तक सगातार गन्ते की सेती नहीं की गई हो ।

स्पष्टीकरण—पद “दक्षतापूर्वक प्रबन्धित” जो इस उप-धारा में फार्म के प्रसंग में प्रयुक्त हुआ है, से अभिप्राय विहित रीति से प्रबन्धित उक्त फार्म से होगा ।

(२) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिगुचना के जरिये, किसी व्यक्ति, भूमि या भूमि-देश (holding) को अथवा अधिकतयों, भूमियों या भूमि देशों के किसी वर्ग को धारा ३०-द्वा, की विधानिविति से छूट दे सकेंदी यदि वह यह समझे कि फिलानिविति की संभिक्षित अथवा विशिष्टीकृत प्रहृति की हप्ति से, या जहां श्रौद्धोगिक तथा इषि राज्यकी कार्य मिश्रित प्रभिदान के रूप में हाथ में लिये अथवा जिन्हीं भव्य युक्तिसंगत वारणों से, उक्त छूट (exemption) प्राप्तयक हैं ।

अध्याय ३-गा.+

आसामियों के प्राथमिक अधिकार

१। रहने के मकान का अधिकार—(१) की आसामी, ऐसे हिन्दौ नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इम विषय में बनाये जाये, उस गाँव की आदादी में जिसमें, यह भूमि घारण करता है, विना किसी भूल्य के अपने रहने के लिये मकान के लिये स्पात वा अधिकारी होगा ।

परन्तु यदि वह एक से अधिक गाँवों में भूमि घारण करता है तो वह उनमें से कोई एक गाँव परम्परा कर सकता है जिसमें वह इस रिपायत का लान उठाना चाहे तभा उसे इस रिपायत का साम एक से अधिक गाँवों में उठाने वा हफ नहीं होगा ।

परन्तु यह तरं और है कि यदि उसके पास रहने का कोई मकान नहीं है तो वह एक आवेदन-पत्र तहसीलदार को देगा, जिसमें वह रहने के मकान के लिये जगह आवंटन करने को प्राप्तना करेगा ।

स्पष्टीकरण—रहने के मकान में, मदेदी के लिये बाड़ा या छप्पर तथा बोज, भूसा (चारा) एवं इयि के भोजार रहने वा स्थान और जलाशय या टांका बनाने के लिये भी स्थान, सम्मिलित होगा ।

(२) जेंडा लगाकर कहा गया है उसके अधीन रहते हुए और राजस्थान भू-राजस्थ अधिनियम १९६५ (राजस्थान अधिनियम १९, १९६१ की पारा ६५, ६६, ६७, ६८ तथा १०२ में अन्वित किसी विपरोत बात के होने हुए, भी कोई इविन-कमंकार या दस्तकार, जो विसी गाँव की आदादी में दम वर्ण ना अधिक से स्थायी तौर पर रह रहा हो, वो भी उस गाँव की आदादी में रहने के लिये मकान वा स्थान, विना रिमी भूल्य के अपने बदने में रमने का अधिकार प्राप्त होगा और उपरारा (१) के दूसरे परन्तुक में अन्वित उपकार लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—उपरारा (२) के प्रयोगनार्थ—

(क) “इपिक कमंकार” से अनियाय ऐसे घटित से होगा जो आसामी नहीं है परन्तु अपने निवास के गाँव की सीमाओं में विचर हिसी आसामी के खेत या खेतों में मजदूर के रूप में काम करता है, और

(म) “इस्तकार” में मुहार, घाटी, घोबी, तृम्हार, तथा तुमकर सम्मिलित होंगे ।

टिप्पणी

(१) विषय—रहने के निए मकान का अधिकार स्थायी अधिकार है और टिनेसी के प्रस्तात्व पर निर्भर नहीं है। आरा १९८ के अंतर्गत आसामी अपने निवास के मकान से बेदराज नहीं किया जा सकता। उस अधिकार को हस्तान्तरित (मुंतविन) किया जा सकता है भी यह उत्तराधिकार के घोष्य है ।

+ राजस्थान अधिनियम ४ अद् १९६० द्वारा निर्धारित ।

* राज. परिष. १२ अद् १९६१ द्वारा पुनः संवृद्धित ।

(२) प्रतिया—आवेदन-पत्र तहयीनदार को । इए जायंगे और अनुमूली ३ के माग २ के मद १८ के नीचे होंगे । इस अधिनियम के लागू होने के समय चालू मामले इसी धारा के अनुसार फैसल होंगे ।^१ यथाप शुल्क २५ पैसे का लगेगा । मियाद कुछ नहीं है । अपील कलक्टर को होगी । दूसरी अपील नहीं हो सकेगी । अपील में दी गई कलक्टर की आमा वा पुनरीक्षण राजस्व मण्डल में होगा ।

३२: लिखितपट्टे (लीज) तथा उसकी दूसरी पड़त का विविकार—(१) प्रत्येक आसामी आपने भूमि-धारी से, इस अधिनियम के उपबन्धों से गुमायत, विहित प्राप्त में तथा विहित विवरण सहित, लिखित पट्टा प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(२) ऐसा पट्टा जैसा कि उप-धारा (१) में वर्णित है आसामी को दे देने या भेज देने के पश्चात्, भूमिधारी आसामी में पट्टे की दूसरी पड़त प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(३) यदि पट्टा या दूसरी पड़त उस व्यक्ति को न मिले जो उसे इन धारा के अन्तर्गत प्राप्त करने का हकदार है तो वह ऐसा पट्टा या दूसरी पड़त यथास्थिति की प्राप्ति के लिये दावा कर सकेगा ।

टिप्पणी

(१) विषय—यह धारा पुराने और नये आसामियों पर लागू होती है । अविभक्त हिन्दू परिवार के कर्ता को अपने परिवार के हित में अपनी भूमि लीज (पट्टे) पर देने का अधिकार है ।^२ भूमि क्षेत्र पर उप आसामी या अतिक्रमणकारी के होते हुए भी उसका पट्टा दिया जा सकता ।^३ केवल आसामी ही लिखित लीज के लिए दावा कर सकता है—अन्य कोई नहीं ।

(२) प्रतिया—उस धारा के नीचे दावे असिस्टेट कलक्टर के यहां होंगे । ५० पैसे न्यायालय शुल्क के लगेंगे । मियाद कुछ नहीं है । पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को व दूसरी राजस्व मण्डल को होगी—पुनरीक्षण नहीं होगा ।

३३. पट्टों (लीजों) का, रजिस्ट्रेशन के स्थान पर प्रमाणीकरण—(१) इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट १९०८ (सेण्ट्रल एक्ट १६, सन् १९०८) में अन्तिमित्र किसी बात के होते हुए भी, किसी पट्टे के पक्षकार, पट्टे की रजिस्ट्री कराने के स्थान पर उसे ऐसे अधिकारी अथवा व्यक्ति से प्रमाणीकृत करा सकेंगे जो कि इस बारे में राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय ।

(२) ऐसा अधिकारी या व्यक्ति, ऐसी जांच जैसी कि विहित की जाय, करने के पश्चात्, पट्टे (लीज) के दस्तावेज को विहित रोति से प्रमाणीकृत कर सकेगा—

परन्तु ऐसा कोई विलेख (instrument) प्रमाणीकरण के निमित्त गहरा नहीं किया जायगा जब तक कि वह नियादन से चार महीने के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो :—

1. दपालपिह v. मनपूल, 1918 R.R.D. 73.

2. नायुराम v. सालिगराम, 1938 A.W.R. 87.

3. कलन v. झार, 1941 R.D. 1187.

परन्तु यह सत्र और है कि इस वचनापत्र में प्रनृदिष्ट कोई बात राज्य सरकार द्वारा, तथा और गे मजूर किये गये पट्टों (लीजों) के विषय में लाभ नहीं होगी;

(३) उक्तवेण प्रमाणीयत विलेख इन्डियन रजिस्ट्रेशन एकट १६०८ (सेप्टेम्बर एकट १६०८) के अधिकारित रजिस्ट्रीकृत समझा जायेगा।

टिप्पणी

(१) विषय—इस धारा के अन्तर्गत पट्टों (Lease) को रजिस्ट्री कराना वैकल्पिक नहीं है परन्तु यदि पट्टे को न तो रजिस्ट्री कराई जाये और न प्रमाणीकरण तो उसे में ग्रहण नहीं किया जा सकता अलवत्ता उन्हें प्रासंगिक प्रयोजनों (Collateral use) के लिए स्वीक॑र किया जा सकता है।^१

(२) रजिस्ट्री नहीं करने का प्रभाव—न्यायालय में पेश किए गए राजीनामे की कारने की आवश्यकता नहीं है बल्कि कि उसका समावेश न्यायालय की आज्ञा में यदि राजीनामे के मामले से असम्बन्धित नए अधिकार उत्पन्न हो जाये तो आवश्यक है।^२

(३) पट्टों (Lease) पर स्थाप्त—राजस्थान स्टाम्प लॉ (पर्मेंट) एकट १९५२ तृतीय २ के मद्दे ३५ द्वारा कृपि सम्बन्धी पट्टों को स्टाम्प छबूटी से मुक्त कर दिया

(४) प्रक्रिया—पट्टों के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन यथा अनुसूची ३ के भाग २ वा. से शासित होंगे और ऐसे अधिकारी के पास पेश होंगे जिसे सरकार नियुक्त याद तकमील की तारीख से ४ महीने की है और न्यायालय मूल्क २५०० में है। राज-रैसी (गवर्नरमेंट) रूल्स १९५५ के नियम २० के अन्तर्गत राज्य सरकार ने प्रत्येक शायालय एवं जो इन्सपेक्टर लेड रेकार्ड के नीचे न हो ऐसे राजस्व अधिकारी से अधिकार में किए गए पट्टों के प्रमाणीकरण के लिए अधिकारी नियुक्त किया है।

५. मरम्मत व्यवस्था देवगर का प्रतियेष—ऐसे मूल्म-पारी, इस अधिनियम के विवरों के अधीन रहते हुए, पट्टा मजूर, करने के लिये कोई नजरदात नहीं केता यथावा एवं सेवा, मजूरों पर व्यवस्था क्यव्यवा मूल्मियारी के प्रति करने के लिये उत्तरदायी गा और ऐसी कोई शर्त तत्त्वपरीक्षा करना ना पृष्ठा के होने हुए गो, मूल्म

परन्तु, इस पारा, वो कोई शर्त, राजस्थान मूल्मान्वत्व अधिनियम १९५६ (राज. १५, सन् १९५६) की दारा १०० मा पारा १०१ के अन्तर्गत बनाये गये, नियमों के

प्रगतार v. गरदार अद्वी, 10 Bom. 1146

विद्येश्वरी v. संगमहाट, 20 All. 171

मरम्मतिया v. विवरगल, 5 R.D. 339.

राजस्थान अधिनियम संख्या ४६ सन् १९५८ द्वारा जोड़ा गया।

प्रत्युत्तरण में किसी व्यक्ति को प्राविति को गई भूमि के मूल्य की बगूली करने में + + [अपना इस अधिनियम की पारा १०-पा, के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार अपेक्षित भुगतान को बगूली करने में, जापक नहीं होगी ।]

३५. समाज से भिन्न भुगतान का प्रतिषेध—किसी विवाहीत पृथक घटका मंविदा के होने हुए भी, कोई भुगतान चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो या विदित हो, भूमि-दोष (holding) के सामान \times [या विधि द्वारा घारोपित] घटका राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रभार के सिवाय, आसामी पर नहीं लगाया जाएगा घटका उससे बगूल नहीं किया जायगा ।

३६. सामग्री का उपयोग—इस अधिनियम में घटका तत्समय प्रयुक्त किसी घटक कानून में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आसामी को घपने भूमि-दोष घटका रहने के भक्तान के सबूत में, घपने भूमि-दोष पर उसकी सतह के नीचे दबे हुए अघटका मुख्यार करने के लिये शुद्धार्द करते समय पाये हुए, परदरों या अन्य सामग्री को से जाने तथा उपयोग में लाने का अधिकार प्राप्त होगा ।

—[परन्तु इस अधिकार का आसामियो द्वारा प्रयोग किया जाना, राज्य सरकार द्वारा इस बारे में बनाये गये नियमों के अन्तर्ये नियमित किया जा सकेगा ।]

३६-का, नालबट में अधिकार की अवास्था— \therefore (१) यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व से घटका आदू, अजमेर तथा मुनेल ऐसी में राजस्थान राजस्व विधियाँ (विस्तार) अधिनियम १९५७ (राजस्थान अधिनियम २, सन् १९५८) के प्रारम्भ के पूर्व से, किसी भूमि जिसमें तुआ सलझ हो, का रातेदार आसामी रहा हो घटका उक्त प्रारम्भ के पद्धतात् पारा १५ या धारा १५ खा, के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार अवास्था कर लेता है और उक्त कुए के सबंध में नालबट बसूल करने का अधिकार भूमि-धारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से निहित हो नो, उक्त प्रथमतः वर्णित व्यक्ति सबडीजनल आफिसर को, विहित प्रपत्र में तथा विहित रीति में एक आवेदन-पत्र उक्त अधिकार की अवास्था के लिये, राजस्थान टिनेसी (संशोधन) अधिनियम १९५६ के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा;

परन्तु सब डिवीजनल आफिसर इस धारा के अन्तर्गत उक्त एक वर्ष को अवधि की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किये हुए आवेदन-पत्र को प्रहण कर सकेगा यदि उसका इस विषय में ज्ञानान हो जाय कि आपेक्षक के पास एक इन के भीतर आवेदन प्रस्तुत न कर सकने के पर्याप्त कारण हैं ।

(२) उप-पारा (१) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सब डिवीजनल आफिसर उस व्यक्ति को जिसमें नालबट बसूल करने का अधिकार उक्तरूपेण निहित है एक नोटिस देगा

+ + राजस्थान अधिनियम संस्था ४ सन् १९६० द्वारा निविष्ट ।

\times राजस्थान अधिनियम संस्था ४६ सन् १९५८ द्वारा निविष्ट

— राज० अधिं ८ सन् १९६५ द्वारा जोड़ा गया ।

— राज० अधिं ७ सन् १९६६ द्वारा जोड़ा गया ।

जिसके जरिये उसे सूचित किया जायेगा कि यदि वह आवेदन-पत्र का प्रतिवाद करता चाहता है तो नोटिस की प्राप्ति से ३० तीस दिन के भीतर अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत करे।

(३) चाहे आवेदन-पत्र का प्रतिवाद किया जाय या न किया जाय, ऐसे व्यक्ति सब-डिवीजनल आफिसर को एक विस्तृत विवरण-पत्र, विहित प्रपत्र में तथा विहित रीति से नालंबट के अधिकार के मद्दे मुश्खावजे के अपने ढांचे के बारे में प्रस्तुत करेगा।

(४) यदि भूमिधारी आवेदन-पत्र का प्रतिवाद करता है तो सब-डिवीजनल आफिसर, ऐसी जांच जैसी वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात्, उप-धारा (५) में अन्वर्विष्ट उपर्याप्तों के अधीन रहने हुए आवेदन-पत्र को या तो घस्वीकृत करेगा या स्वीकृत करेगा।

(५) यदि सब-डिवीजनल आफिसर आवेदन-पत्र स्वीकृत करता है तो वह उक्त अवालित के दिये देय मुश्खावजे की रकम, धारा २५ के उपर्याप्तों के अनुमरण में, निर्दिष्ट करेगा और धारा २७ तथा धारा ३० के उपर्याप्त उक्त मुश्खावजे के बारे में सामूहिक तथा उसके मुगवान की आसित करेगे।

(६) इस धारा की कोई वात धारा २१ के अन्तर्गत कोई आवेदन-पत्र जो राजस्थान टिनेमी (संतोषन) अधिनियम १९५९ के प्रारम्भ के पहिले प्रस्तुत किया गया हो, के सम्बन्ध में दिये जाने याले निरुद्योग पर तथा उसके निपटारे पर कोई प्रमाद नहीं ढालेगी और ऐसा प्रत्येक निरुद्योग इस प्रकार प्रभावशील होगा मानो विद्युत्कूप तथा बैंधन में रिया गया ही।

(७) गमत ऐसे आवेदन-पत्र जो उक्त प्रारम्भ के समय विचाराधीन हों, इस धारा के अन्तर्गत प्रस्तुत किये हुए समझे जायेंगे और उनके सम्बन्ध में तदनुसार कामयाही की जायेगी।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा उन तीसरे व्यक्तियों के हिन्दों की रक्षा करने के लिए है जिन्होंने ऐसी भूमि में या उसमें मंलग्न कुछों में रकम लगा दी है जिसमें कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय आसामी स्थानिक आगामी है अथवा जिसे धारा १५ के नीचे ग्रामेश्वरी अधिकार प्रीकृत हो जायें। धारा १९ से २६ के उपर्याप्त उन व्यक्तियों पर लागू होने हैं जो नालंबट लेने के हकदार हैं।

२. प्रतिया—नालंबट में अधिकार प्राप्ति चाहने वाले व्यक्ति को विहित प्राप्त पर मत डिवीजनल आफिसर को आवेदन प्रपत्र देना होगा। उक्त प्रतिया धारा २० के अनुसार होगी। भूमि धारी कुछों के कारण हुए मुश्खावजा लेने वाला हकदार नहीं है।

३. आपातकम की प्रतिया से जब्ती, हुर्दी तथा विवर पर रोक—भूमि-शेष में आवादी है अधिकार दियी गिरिस आपातकम की प्रतिया में जब्त, हुर्दे अथवा विक्रीत नहीं दिये जा सकते।

टिप्पणी

१. विषय—आगेरदार की ग्रामेश्वरी की भूमि की कुछों नहीं ही सकती। फरमावें

कुर्क की जा सकती हैं और उन्हें वेचा भी जा सकता है।¹ जहाँ सिविल न्यायालय से डिक्टी धारा ८६ C.P.C. के नीचे कलबटर को हस्तान्तरित हो जाय और उसी इजराय में कलबटर कृपि सम्पत्ति वेच दे तो वह वेचान राजस्व कार्यवाही के शिलसिले में की गई समझी जायगी न कि सिविल कार्यवाही में।² जहाँ दियालै की कार्यवाहियों में रिगिवर मुकर्रर हो जाय तो उसे कृपि उपज एवं अन्य लाभों को कुर्क कराने का अधिकार है। केवल टिनेसी अधिकार ही कुर्की से मुक्त हैं।³

अध्याय ४

अवतरण, अन्तरण, विनिमय तथा विमाजन

सामान्य

३८. आसामियों का हित—आसामी का अपने भूमि-धेत्र में हित, सिवाय उसके जैसा कि इस अधिनियम में विहित है, दाय-योग्य (विरासतीय) है किन्तु अन्तरणीय नहीं है।

टिप्पणी

आसामी का अपने भूमि धेत्र में हित विरासत (उत्तराधिकार) के योग्य तो है परन्तु इस अधिनियम में बताए गए अनुसार के अतिरिक्त अन्तरणीय (मुंतकिल किए जाने योग्य) नहीं है। इस विषय में धारा ४२ व ४३ का प्रावधान ध्यान में रखने योग्य है। धारा ४२ में वेचान और वस्तीश पर रोक का प्रावधान है और धारा ४३ में बंधक (रहन) पर। धारा ४५ व ४६ में जमीन किसी पर देने का प्रावधान है।

आसामी-अधिकारों का अवतरण

३९. वसीयत—खातेदार आसामी अपने भूमि-धेत्र में अपने हित को या हिताश को उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार जिसके कि वह प्रभीन है, अ तिमेच्छा-पत्र के द्वारा वसीयत में दे सकता है।

टिप्पणी

१. विषय—पुरातन हिन्दू धर्म शास्त्र में हिन्दुओं के लिए वसीयत (उत्तरदान) का प्रावधान नहीं या परन्तु अब ऐसा प्रावधान निश्चयात्मक रूप से समाविष्ट हो चुका है।

२. वसीयतनामा कीन पर सकता है—प्रत्येक हिन्दू जिसका मरिताक ठीक हो और जो अ-वयस्क नहीं हो वसीयत पर सकता है। वसीयत किसके पक्ष में की जाए

1. रोदानलाल, V. मनोहरप्रीमह, 1938 R.L.W. 337

2. रामरलाल V. रामरलाल, 1960 R.L.W. 456

3. अनन्दमन V. अनन्दमन, 1266 R.D. 162

इसके लिए कोई प्रतिवन्ध नहीं है। जो उत्तराधिकार के अध्योग्य है उसके पश्च में भी वसीयत हो सकती है।¹

३. वसीयत का प्राप्त्य—इसके लिए कोई प्राप्ति (फार्म) विहित नहीं है केवल उसमें मृत व्यक्ति की वसीयत विषयक इच्छा प्रकट हो जानी चाहिए।

४. दूदकालतथारी—इन्होंने भी वसीयत का उतना ही अधिकार है जिनना अन्य सातीदार आसामियों को।

५. रविस्ट्रेशन—इंडियन रजिस्ट्रे शन एकट, १९०८ की धारा १८ (३) के अंतर्गत वसीयतनामा की रजिस्ट्री वैकल्पिक है और धारा १७ के बल में वसीयती नियमों पर ही लागू होनी है।²

६. सूनूत का भार—मौलिक वसीयत की मावत करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो उसे पेश करता है।³

७. आसामियों का उत्तराधिकार—जब आसामी अन्तिमेच्छा—पत्र द्योदे बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो उसके मूलि-क्षेत्र में उसके हित उसके उस व्यक्तिगत बानून के अनुसरण में अवतरित होगे जिसके कि वह अपनी मृत्यु के समय अनीन था।

टिप्पणी

१. पारा का बदैश्य—इस अधिनियम के पूर्व राजस्थान में विभिन्न शियसतों के कानून उत्तराधिकार के मामलों में आसामियों के व्यक्तिगत कानूनों को हपालतित करते थे। इम धारा के बारण सारे राजस्थान में आसामी की मृत्यु के समय उस पर लागू होने वाला व्यक्तिगत कानून उसकी टिनेसी के अधिकारों के अवतरण पर लागू हो जायगा। उदाहरणार्थ यजपुर स्टेट टिनेसी एकट १९४५ की धारा १७ व १० तथा मारवाड़ टिनेसी एकट १९४९ की धारा १४ व १५ में आसामियों के उत्तराधिकार का मुनियारित क्रम प्राप्तिविहृत कर दिया गया था। अब इस अधिनियम की इन धाराएँ में वह क्रम समाप्त हो गया और आसामी पर उसकी मृत्यु के समय जो व्यक्तिगत कानून लागू हो उसी के अनुसार उसके हृषि सम्बंधी टिनेसी अधिकारों का अवतरण होगा। इस अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व जो आसामी मरण उनके अधिकारों का अवतरण मन्तव्यित रियामतों के तत्विषयक बानूनों द्वारा होगा।

२. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ का प्रभाव—राजस्थान राजस्व बोर्ड के पूरी वेच के निर्णय से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जहां हृषि सम्बंधी टिनेसी अधिकारों के अवतरण के विषय में कोई स्थानीय कानून नहीं हो वहा हिन्दू आसामियों के उत्तराधिकार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ लागू

1. मुहरेव नारायण v. ब्रूमा, 1864 Marshall 357

2. मुरमीशम v. हरिदाम, A.I.R. 1921 Nagpur 34

3. देवदाराव v. नामदेव, A.I.R. 1931 P.C. 285

होगा ।^१ इसी निर्णय को बाद के एक अन्य निर्णय में स्वीकार किया जाकर यह निर्धारित किया गया कि वृषि सम्बन्धी टिनेसी के अवधारणा के मामलों में हिन्दू उत्तराधिकार निष्पम लागू होगा ।²

आसामी-अधिकारों का अन्तरण

४१. लातेदार के हित की अन्तरणता—धारा ४२ तथा धारा ४३ में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन सातेदार आसामी पा हित, उप-पट्टे (गय सीज) से मिन्न अन्य रीति से अन्तरणीय, होगा ।

ट्रिप्पमी

१. विषय—इस धारा में बनाया गया है कि धारा ४२ तथा ४३ में बताई गई शर्तों के अधीन खातेदार आसामी का हित अन्तरणीय नहीं होगा परन्तु वह उप-पट्टे के द्वारा अन्तरित (मुंतकिल) नहीं किया जा सकेगा । यह धारा वेवल सातेदार आसामीयों तक ही सीमित है ।

२. अवैध अन्तरणों का प्रभाव—विना विधिमान्य अन्तरण सम्पादित किए कोई आसामी अपना हित नहीं खो सकता । यदि अन्तरण (मुंतकिली) अवैध है तो कभी अन्तरिती के पास चला जाने पर भी भूमि क्षेत्र में उसका अधिकार बना रहेगा और उसका कभी अन्तरिती (मुंतकिल इलेह) की ओर से समझा जायगा । अवैध तरीके से मुंतकिल करके वह सगाने अदायगी के दायित्व से नहीं बच सकता ।³

× [४२. विश्वी, दान (गिपट) तथा वसीयत पर सामान्य प्रतिवध—सातेदार आसामी द्वारा अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र में या उसके भाग में अपने हिन्न की विक्री, दान (गिपट) या वसीयत, पूर्व होगी यदि—

(क) विक्री, दान या वसीयत सबै नम्बर की नहीं है, सिवाय उम दशा के जब कि उक्त रूपेण बेष्टे गये, दान किये गये, या वसीयत किये गये सबै नम्बर का क्षेत्रफल, धारा ५३ की उप-धारा (१) के प्रयोजनार्थ विहित न्यूनतम—क्षेत्र से अधिक हो, किन्तु उस दशा में भी अन्तरित क्षेत्र अपलब्ध (फ्रैंगमेण्ट) नहीं होगा ।

परन्तु यदि उक्त रूपेण अन्तरित क्षेत्र विसी सस्पर्दी सबै नम्बर में विभीन्नहृत हो जाता है तो यह प्रतिवध लागू नहीं होगा :

परन्तु यह दर्ता भी है कि यदि विक्री, दान, या वसीयत, सबै नम्बर में आसामी के सम्पूर्ण हित की है तो यह प्रतिवध लागू नहीं होगा,

(ख) उक्त विक्री, दान या वसीयत अनुसूचित जानि के किसी सदस्य द्वारा ऐसे घृक्ति के

1. भोरा v/s गणेश, 1966 R. R. D. 71

2. भगवान सहाय v/s रामनिवास, 1966 R. R. D. 371

3. पनाम चौधरी v/s शीतलचन्द्र, A.I.R. 1932 Patna 330

× धारा ४२ राज० ग्रन्थ १२, सद १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित की गई ।

पद में की गई हो जो अनुमूलित जाति का नहीं हो, अथवा अनुमूलित जनजाति के निम्नी मरम्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पद में की गई हो जो अनुमूलित जनजाति का नहीं हो;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जो धारा १५ की उप-धारा (१) के परन्तु के उल्लिखित प्रोत्तेष्ट धोनों में या धारा १५-पा में बण्डित राजस्थान नहर धोन में, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले ही उन्हें द्वारी अधिनियम का उपभोग कर रहा हो और उस व्यक्ति द्वारा विक्री प्रथवा दात के जरिये राजस्थान टिनेंसी (संघोवन) १९६० राजस्थान (अध्यादेश २ सन् १९६०) के प्रारम्भ के बाद किया गया कोई अन्तरण मूल्य तथा निप्रभावी होगा ।]

ट्रिप्पणी

१. विषय—कोई सातेदार आपना भूमि धेन किसी व्यक्ति को बेचान या बहसीश द्वारा अन्तरित कर सकता है, परन्तु जहाँ कोई व्यक्ति पहले से ही इनी भूमि पर कब्जा किए हुए हो जो उस पर लागू होने वाली उच्चतम सीमा (सीनिंग) से अधिक हो तो वह विना राज्य सरकार की सामान्य अथवा विशेष आज्ञा के बेचान अथवा बहसीश द्वारा अधिक भूमि नहीं ले सकता । यह धारा बेचान सातेदार आसामियों तक ही भीमित है । नवद 'भूमि और 'भूमि में हित' समानार्थी है ।^१

२. अधिनियम लागू होने से पूर्व के बेचान या अन्तरण—राजस्थान में सम्मिलित होने वाली रियासतों के टिनेंसी कानूनों में भी सातेदार आसामियों द्वारा जमोन के विक्रय पर विविध ये, उदाहरणार्थ मारवाड़ टिनेंसी एवं की धारा ११ में । ऐसे आदायानों के विस्तर जमोन लेने वालों को इस अधिनियम की धारा १५ व ११ का लाभ नहीं मिल सकेगा ।

३. विना रजिस्ट्री का विक्रय पत्र—यदि बेचान और सब प्रकार से टीक है और अंतिरितो वा बड़ना हो जाय तो सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा ५३-वा के अन्तरण रजिस्ट्री न कराने से ही विक्रय पत्र अवैध नहीं हो जायगा । विना रजिस्ट्री वा विक्रय पत्र अन्तरण (इन्वाल) की किसी की मात्रा के लिए साइर्य में प्रहरण करने योग्य है ।^२

४३. वर्गक—(१) सातेदार आसामी अपने मम्मूर्ण भूमि-देन अथवा उसके भाग में अपने अधिकारों को नोगवानक के रूप में ऐसी अवधि जो दण्डार्थ में अपिक न हो, के निये सन्तरित वर गहता है :

+ परन्तु कोई सातेदार आसामी, जो अनुगूलित जाति या अनुगूलित जन-जाति का सदस्य है, अपने मम्मूर्ण भूमि देन अथवा उसके भाग में अपने अधिकारों को उत्तराधेण रिनी ऐसे व्यक्ति जो अन्तरित गटी करेगा जो अनुगूलित जाति अथवा अनुगूलित जन जाति वा सदस्य न हो ।

÷ (२) इस अधिनियम के प्रारम्भ के विलो अथवा उप-धारा (१) में अन्तरिक्ष उत्तराधेण

१. उत्तराधेण v/s गोरो, 1964 R. R. D. 301

२. उत्तराधेण v/s गिरधारीगिरह 1955 R. L. W. 472

+ यदृः अदि० २८ मन् १९५६, व ५ मन् १९५३ द्वारा जोड़ा गया व गंभीरित रिया ददा ।

- यदृः अदि० २७ मन् १९५५ द्वारा प्रतिनियाति ।

के अनुसरण में किया गया, तिनों भूमि का भ्रातृपत्व-बंधक प्रियंग में वर्णित दरवाज़ी ही, या उसके निष्पादन की सारीत से योत् वर्ष को दोनों में जो भी गम हो, इमारित होने पर, बंधक-भासी द्वारा किसी भी प्रकार का वोई भ्रगतान किये विना सम्पूर्ण स्व गे भराई किया हुआ समझा जायेगा तथा बंधक-विलेख तदनुगार ब्रह्मतापित हुआ समझा जायेगा और बंधक ग्रस्त भूमि मुक्त कर दी जायेगी और उसका धन्दा, समस्त अधि मार्गे (encumbrances) गे प्रबन्धन स्थिति में, अन्धकार्ता को दे दिया जायेगा ।

५ (१) यदि बंधक-प्रहीता बंधक-ग्रस्त भूमि को उत्तराहेण वापिग नहीं देता है तो वह अतिक्रमी समझा जायेगा और धारा १८३ की उप-धारा (१) के अनुसरण में वेटमान किया जा सकेगा ।

५ (४) [वह व्यक्तिथ जिसे धारा १९ के अन्तर्गत अधिकार प्रोद्भूत हो गये हैं राज्य सरकार या भूमि बंधक वैक, सहकारी संस्था, या धाय कोई सम्भव जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृति की गई हो, से, अरण लेने के प्रयोजनार्थ अपने सम्पूर्ण भूमि-देश अथवा उसके किसी भाग में अपने अधिकारों को साधारण बंधक के रूप में गिरवी रप सकता है ।]

५(५) विलोपित

५(६) खातेदार आसामी भी अपने सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र या उसके किसी भाग में अपने अधिकारों को, राजस्थान सेण्टल लैण्ड मॉर्गेज वैक या कोऑपरेटिव लैण्ड मॉर्गेज वैक या वोई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज एवट, १६५३ (राजस्थान एकट ४, सन् १९५३) के अन्तर्गत तत्त्वप में रजिस्टर्ड हो या तत्त्वप में रजिस्टर्ड मानी गई हो, से अरण लेने के प्रयोजनार्थ सापारण बंधक के रूप में अन्तरित कर सकता है ।

(७) उप-धारा (६) के अन्तर्गत किये गये, समस्त बंधक राजस्थान को-ऑपरेटिव लैण्ड मॉर्गेज वैक एकट १६५६ के उपबंधों के द्वारा नियमित तथा शासित किये जायेंगे ।

टिप्पणी

१— विषय—इस धारा में खातेदार आसामी को अपने पूरे भूमि क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग में अपने अधिकारों को भोग बंधक के रूप में (रहन-विल-कद्ज) किसी बंधकप्रहीता (मुर्त्तहित) को अधिक से अधिक १० वर्ष की अवधि के लिए अन्तरित करने का अधिकार दिया गया है । ऐसे जो बंधक इस अधिनियम से पूर्व किए गए थे वे उनके सम्पादन की तारीख से २० वर्षों बाद समाप्त समझे जायेंगे ।^१ इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् यह अवधि १० वर्ष की कर दी गई है जिसके बाद भूमि-क्षेत्र खातेदार आसामी को विना किसी अधिभार (encumbrances) के मिल जायगी । यदि

^१ राज० प्रधिं० संस्था ८ सन् १९५५ द्वारा संसोधित ।

२ राज० अधिं० संस्था २७ सन् १९५६ निविष्ट ।

३ राज० अधिं० संस्था ७ सन् १९५६ प्रतिस्थापित ।

४ उपरोक्त द्वारा विनुपत ।

५ राज० अधिनियम संस्था ३८ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट ।

बन्धकप्रहीता इस अवधि के बाद भी अपना कद्दा बनाये रखे तो वह अतिक्रमी समझा जायगा और धारा १८३ के नीचे उमे वे दखल किया जा मँगेगा। यह धारा खुदकान्त धारकों पर भी लागू है जिनको सातेदारी अधिकार प्राप्त हों।

२— भोग बन्धक (रहन बिल कान्ज) — इसकी परिभाषा सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ की धारा ५८ (घ) में दी गई है। इन प्रकार के बन्धक की मुख्य विवेपता यह है कि बन्धक प्रहीता अपनी रकम का दावा नहीं कर सकता। वह केवल अपनी रकम व ब्याज की वसूली तक सम्पत्ति पर कद्दा बनाए रख सकता है।^१ इस अधिनियम में ऐसे कद्दे की अवधि १० वर्ष की करदी गई है।

३— बंधक प्रहीता की हैसियत — बन्धक प्रहीता की हैसियत धारा ५ (४३) के अर्थात् अन्तर्गत आसामी की है। भोग बन्धक प्रहीता भी आसामी के सभी अधिकारों का उपभोग करता है। यदि उमे उस अधिनियम के प्रावधानों के विश्वद वे दखल कर दिया जाता है तो धारा १८७ के उपबन्ध लागू होंगे और उमे कद्दा बापिस दिलाया जा सकेगा।^२ बन्धक प्रहीता को सातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते।^३ उसे कतिपय प्रयोजनों के निए ही आसामी समझा गया है।

४— बंधक मोबन (फुल रहन) का दावा—हाईकोर्ट^४ व राजस्व बोर्ड^५ के निर्णयों के अनुसार ऐसे दावे राजस्व न्यायालय (अमिं. कलबटर) में होंगे और तृनीय अनुमूली भाग १ के मद ३५ के नीचे पेश होंगे।

+ ४३-का. अधिनियम के लागू होने से पूर्व किये गये हृषि-भूमि के बन्धकों के सम्बन्ध में उपर्युक्त—(१) धारा ४३ में अन्तविष्ट किसी बात के होते हए, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व रिसी आसामी के भूमि दोंगे वे बंधक—भोग-बन्धक से भिन्न—और ऐसे बंधक वे पदाकारों के अधिकार एवं देवगाये, इस अधिनियम में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए में, उसके निर्वन्धनों में तथा उस प्रारम्भ से प्रवलित तत्कालन्यों का द्रव्य से घासित होती रहेंगी।

(२) ऐसा कोई अधिकार या देवता (liability), अधिकारिता युक्त गहायक कलबटर एवं न्यायालय में नियत प्रवर्यि, यदि कोई हो, के भीतर, परिवेदिन व्यक्ति द्वारा, विहित न्यायालय-घुस्क देने पर, दायर किये गये बाद के जरिये प्रभावशील कराया जा सकता है।

टिप्पणी

ब-प्र० से सम्बन्धित दावे केवल राजस्व न्यायालयों में होंगे चाहे बंधक उस अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय नहीं हो।

1. गुमेरमल राजस्व १. रामबन्द, 1965 R.R.D. 258.
2. आरमापरल १. मरजन, A.I.R. 1928 Lahore 355.
3. बलदेव v. भेदालाल, 1954 R.L.W. (R.S.) 47.
4. याजीराम v. गणराम, 1961 R.L.W. (R.S.) 36.
5. श्रीकन्द v. दीदतराम, 1952 R.L.W. 495.

+ राजस्व अधिनियम दंगा ५ सन् १९५७ द्वारा निविष्ट एवं १२ सन् १९६१ और २ सन् १९६८ द्वारा मंसोदिन।

नियम से पहले दिए गए हो या वाद में। विधान सभा का प्रभिप्राय तिविन व्यापारियों की अधिकारिता (Jurisdiction) पर रोक लगाना ही पा ।¹

४४. काइत या शिकमी-काइत (Sub-leasing) के लिये देने का अधिकार-भूमिकात-पारी काइत के लिये तथा आसामी शिकमी-काइत पे लिये, अपने सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र या उसके तिसी माग को, ऐसे प्रतिवंशों के अधीन रहते हुए जो कि इस अधिनियम द्वारा प्रभिरोधित है, दे गयता है :

परन्तु उक्त हेतु शिकमी-काइत पर देने से आसामी अपने भूमि-पारी के प्रति अपनी देयताओं से किसी भी भावि मुक्त नहीं हो जायगा ।

टिप्पणी

१— वयय—इस धारा में खुदकाइत धारकों को अपना भूमि-क्षेत्र अधवा उसका कोई भाग केवल किराये पर (काइत के लिए) देने का अधिकार दिया गया है यद्योऽकि जागीर पुनर्ग्रहण के पश्चात् जागीरदार केवल खुदकाइत की जमीन का खातेदार आसामी रह जाता है ।

२— उपबन्ध—शिकमी काइत पर देने के बाद भी आसामी सम्बन्धित भूमि क्षेत्र का लगान भूमि धारक को देने का दायी है । यदि वह कोई ऐसा काम करता है जिसके कारण उसे वे दखल किया जा सके तो उसका भूमि क्षेत्र जब दिया जा सकता है²

४५. काइत तथा शिकमी काइत के लिये देने पर प्रतिबन्ध—(१) कोई खुदकाइत-पारी + [या भू-स्वामी] काइत पर और कोई खातेदार आसामी अधवा उसका बघक-अहीता शिकमी-काइत पर अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र को या उसके किसी माग को, किसी एक समय पर पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं देगा ।

(२) जहा कोई पट्टा (लीज) या शिकमी-पट्टा (सब लोज) किसी भी अवधि के लिये उपधारा (१) के अन्तर्गत एक बार महूर कर दिया गया हो तो, उसी भूमि के सम्बन्ध में, कोई अप्रोत्तर पट्टा या शिकमी-पट्टा, प्रधास्थिति, प्रथमतः वर्णित पट्टे या शिकमी-पट्टे की समाप्ति के पश्चात् दो वर्षों के भीतर नहीं दिया जायगा ।

(३) कोई गैर-खातेदार आसामी अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या उसके किसी माग को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये शिकमी-काइत के लिये नहीं देगा ।

(४) कोई शिकमी-आसामी या खुदकाइत का आसामी अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या उसके किसी माग को, धारा ४६ में वर्णित परिस्थितियों के सिवाय अन्यथा शिकमी-काइत पर नहीं देगा ।

टिप्पणी

१— विषय—इस धारा में आसामियों द्वारा अपनी भूमि शिकमी-काइत (Sub-

1. सेमा V. पीषा, 1965 R.R.D. 56.

2. देखिये धारा 177.

+ राज० अधिन ११ मन १९६४ द्वारा निविष्ट ।

letting) पर उठाने और सुदकाना धारकों द्वारा अपनी भूमि किसी अन्य को काल पर उठाने (Letting) पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

२— भूमि धारक को शिकमी काल—कोई आसामी अपने भूमि क्षेत्र को अपने ही भूमि धारक को शिकमी-काल पर दे सकता है परन्तु उस पर भी इस धारा द्वारा विणुन प्रतिबन्ध लागू होगे ।^१

३— अंधवप्रहीता द्वारा शिकमी काल पर देना—किसी टिनेसी का अधिक ग्रहीता आसामी की ही हैसियत रखना है अनः उस पर भी आसामी अथवा सुदकान धारक पर लगाने वाले प्रतिबन्ध लागू होते हैं ।^२

४— उप-पारा (४)—आसामी के पास अन्तरण के मोग्य अधिकार नहीं हैते अनः धारा ४६ में बताई गई सूरतों के बहु किसी दूसरे को आसामी बना नहीं सकता ।^३

४६. अपवाह स्थिति में भूमि का काल पर या शिकमी-काल पर दिया जाना—(१) धारा ४५ में, सुदकान-धारी + या भू-स्वामी द्वारा काल पर दिये जाने तथा आसामी द्वारा शिकमी-काल पर दिये जाने पर अधिरोपित प्रतिबन्ध—

(अ) अवश्व, या

(ब) पाश, या

(ग) भूमि, या

(घ) ऐसी लों जो, अविश्वाहिता है या जिसमें विवाह विच्छेद कर दिया गया है या जो परिषे पृथक करदी गई है या विपक्षा है, या

(इ) ऐसा अवक्ति जो, नेत्र हीनता या अन्य दारीरेक नियोगता या अवश्वति के कारण अपनी भूमि में हृषि करने से प्रसामर्य है, या

(ब) ऐसा अवक्ति जो सभ वो सकाल सेना + सदस्य है, या

(द) ऐसा अवक्ति जो द्वारायूह में अवश्व या बन्दी है, या

(ज) ऐसा अवक्ति शिकमी आयु २५ वर्ष से अधिक नहीं है तथा किसी मान्यता पालन सम्या में अवश्यक बरते याता विद्यार्थी है ;

या सामू नहीं होते ;

वरन् जहा किसी भूमि को एक ने अधिक अवक्ति संपुल्लूप्त में धारण दिये हुए हो उस दशा में इस पारा के उपवन्धु सक सामू नहीं होते जब तक वे सब अवक्ति इसमें निविष्ट प्रवारों में से किसी एक या अधिक प्रवार के न हों ।

(२) कोई पटा या शिकमी-पटा जो उप-पारा (१) के उपवन्धुओं को अनुदस्तिति में अवश्य होता, पटाधारी को भूमि हो जाने या उसके तकनीय निविष्ट प्रवारों में से किसी के

1. अम्बाम अनी v. अधिरामह, 7 R.D. 446.

2. अम्बाम v. रेसोप्रयाद, 1942 R.D. 312.

3. दांतराम v. धीरपा, 1965 R.R.D. 326.

+ राद० अधि० संस्का ११ सन् १९६८ द्वारा निविष्ट

अन्तर्गत न रहने के पश्चात् दो वर्ष से अधिक अवधि के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा ।

टिप्पणी

१— विषय—पिछली धारा में शिकमी-काश्त पर भूमि देने पर तुछ प्रतिवन्ध लगाए गए हैं। यह धारा कठिपय ऐसी के व्यक्तियों को उनसे मुक्त करती है। इसके अनुसार इसमें वर्णित व्यक्तियों द्वारा दी गई शिकमी-काश्त सम्बन्धित आसामी (जिसने शिकमी-काश्त पर जमीन दी है) के मर जाने अवश्य जिस निर्योग्यता के कारण शिकमी काश्त पर दी गई उसके हट जाने के बाद दो वर्ष से अधिक जारी नहीं रहेगी।

२— निर्योग्यता की जांच—जिस निर्योग्यता (अवश्यकता, पागल पन इत्यादि) जिसके कारण आसामी या खुदकाश्त धारक अपनी भूमि दूसरे को काश्त पर देना चाहता है उसकी पूरी जांच तहसीलदार द्वारा की जानी चाहिए। ऐसी निर्योग्यता इस अधिनियम के लागू होने के दिन विद्यमान रहनी चाहिए उसके बाद नहीं।^१

+४६-का-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातीयों के सदस्यों द्वारा काश्त या शिकमी-काश्त पर दिये जाने के लिये विशिष्ट उपचार—धारा ४४, ४५, तथा ४६ में घन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है, अपने समूण्ड भूमि-देत्र या उसके किसी भाग को काश्त, शिकमी-काश्त के लिये उक्त बाराघो के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देगा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य नहीं है।

४६. शिकमी-पट्टे से उत्तराधिकारी का आबद्ध होना—किसी आसामी जिसने भूमि शिकमी-काश्त पर दी हो, के हित का उत्तराधिकारी, शिकमी-पट्टे के निवन्धनों से उस सीमा तक तका तक कि वे इस अधिनियम के उप बघों से असंगत न हो, प्रावद्ध होंगा।

टिप्पणी

यदि किसी आसामी ने अपनी भूमि का पट्टा (लीज) अनिश्चित अवधि के लिए कर दिया हो तो वह अपने उपकाश्तकार को बेदखल करने से निपिढ़ है परन्तु उसके हित का उत्तराधिकारी नहीं है। वह उप आसामी को बेदखल करा भकता है।^२

—४७-का. भादू, अजमैर तथा मुनेल क्षेत्रों में कठिपय अन्तरणों के सम्बन्ध में उपचार—
(१) इस अधिनियम के पूर्वोक्त उपघोष में हृषि-अधिकारों के अन्तरण के विषय में अन्तविष्ट, कोई बात, आवृ, अजमैर, अवश्य काश्त मुनेल क्षेत्रों में राजस्थान गणराज्य विधियां (विरतार) अधिनियम १९५७ के प्रारम्भ से पूर्व विध्यनुकूल सम्पन्न किये गये भूमि अवश्य विसी आसामी के भूमि-देत्र के विवर, बघर, पट्टे, शिकमी-पट्टे या अन्य अन्तरण पर लागू नहीं होगी और ऐसे प्रत्येक

1. थीतर v. मु० अमनिया, 1964 R.R.D. 175.

2. जोरा V/s जारिया, 15 R.D. 136

+ राजस्थान अधिनियम संख्या २८ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट।

÷ राज० अधिनियम संख्या २ सन् १९५८ द्वारा विस्तृत।

अन्तरण के पक्षकारों (पार्टियों) के अधिकार तथा देयताएँ, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किमी बात के होते हैं, उक्त अन्तरण के निर्वयों (terms) में तथा उक्त प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवर्तन-दील तत्सम्बन्धी कानून से जासित होती रहती ।

(२) धारा ४३-का की उप-धारा (२) के उपवंश, ऐसे प्रत्येक अधिकार अद्यता की क्रियान्विति पर, यथोचित परिवर्तनों के साथ साझा होता ।

क्रृपि-अधिकारों का विनियम

४८. भूमि का विनियम—(१) एक ही वर्ग के आसामी, ऐसी भूमियों का जो उन्होंने एक ही भूमिधारी से प्राप्त की हों, उस भूमिधारी की सहमति से विनियम कर सकते हैं और ऐसी भूमियों का जो उन्होंने भिन्न भिन्न भूमिधारियों से प्राप्त की हों ऐसे समस्त भूमि-पारियों की लिखित सहमति से विनियम कर सकते हैं ।

(२) भूमिधारों, आसामी की सहमति से, उसके भूमिक्षेत्र में सम्भिलित भूमि के विनियम में उसे उस भूमि से भिन्न भूमि दे सकता है जो उसे पट्टे पर दी गई है ।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में आसामियों द्वारा अपनी जमीनों के विनियम (अदालावदनों) का प्रावधान है। इस धारा को धारा ५६ के साथ पढ़ा जाता चाहिए। इन दोनों के नीने विनियम हीने पर आसामी का वदने में प्राप्त जमीन पर वैसा ही अधिकार हो जायगा जिसके में दी गई जमीन पर था ।

२. विषय प्रहीता और विनियम—वंधक यहीना वंधक रखी गई सम्पत्ति का विनियम जनकर्ता की महमति के नहीं कर सकता ।¹

३. प्रतिया—विनियम पूरा हो जने पर सहायक कलेक्टर को एक आवेदन-पत्र दिया जायगा और उसके पश्चात् ही धारा ५२ के अन्तर्गत अधिकार-अभिनव (मिसल हृषीयन) में इन्द्राज किये जायेंगे ।

४६. चारोंदी के तिये विनियम—(१) दोई आतेशार आसामी जो अपने उस धोती की समस्ती करता-जाहता है जिसमें वह हृषीय करता है, वर्षों भूमि के इसी जाग जिसमें वह हृषीय करता है, के विनियम में यिनी धन्य आतेशार आसामी द्वारा हृषीय भूमि से त्रिए महायक वर्षस्तर को आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है ।

(२) उन-पारा (१) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र को प्राप्ति पर, यदि गहायक वर्षस्तर वा शिद्ध रीति से व्योम करने के पदचात ममायान हो जाय तो मुक्ति पुस्त कारण विद्यमान है तो वह आवेदन-पत्र को पूर्णतः या घोषित-मंत्र पर रखता है तथा दूसरे प्रामाणी को आवेदन-पत्र आवेदन की गई तरीके भूमि आवेदित कर सकता है जो मूल्य में तथामग उस भूमि के वरायद तथा उनी-प्रदाता हो जो कि आवेदन-को दिलाते हैं ।

1. पोदारामिह Vs मापोनिट, 1945 A. W. R. 133

टिप्पणी

१. विषय— घकबन्धी कराने का अधिकार इस धारा में केवल गांवेदार आमाजियों को दिया गया है। अतः सुदूरादत् भारक भी इसका साम उठा सकते हैं। इस विषय का आवेदन पत्र सहायक कलबटर का दिया जायगा परन्तु उसका समाधान हो जाने पर कोई वह विनियम कराने के लिए बाध्य नहीं है। इसे इस विषय में स्वविवेक वाम में साम का अधिकार है परन्तु इसका प्रयोग न्यायतः किया जाना चाहिए।

२. घकबन्धी के लिए विनियम—इस अधिनियम में घकबन्धी (Consolidation) की परिभाषा नहीं है परन्तु राजस्थान हीलिंग (कंसोलिडेशन एण्ड प्रिवेशन आफ के गमेटेशन) एवं १८५४ की धारा ३(ग) में की गई परिभाषा से मार्ग दर्तन प्राप्त विषय जा सकता है।

३. प्रतिया—इस धारा के नीचे आवेदन पत्र लूटीय अनुसूची, भाग २ के मद्देन्द्र ८६ से शासित है। इसके लिए कोई मियाद नहीं है। ज्यायालय शुल्क केवल ५० पैसे लगेगा। आवेदन पत्र पर विचार केवल सहायक कलबटर करेगा।

४. अपील एवं पुनरीक्षण—इस धारा के नीचे दी गई आप्ति की केवल एक अपील होनी है जो रा० अ० प्रा० को होगी। द्वितीय अपील नहीं होनी अतः राजस्व बोर्ड को पुनरीक्षण आवेदन पत्र किया जा सकेगा।

+४९-का. अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों द्वारा विनियम के लिये विशिष्ट उपचंप—धारा ४८ तथा धारा ४९ में अन्तिमिट विसी वात के होते हुए, विसी आसामी को जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का सदस्य है अपने भूमि क्षेत्र का विनियम, उक्त धाराओं में से किसी के अन्तर्गत, ऐसी भूमि से करने का अधिकार नहीं होगा जो कि ऐसे व्यक्ति को भूमि में समिलित है जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति का सदस्य नहीं है और धारा ४९ के अन्तर्गत कोई आवेदन-पत्र जो इस धारा के उपचंपों का उल्लंघन करता है, ना-मजूर किया जायगा।

५०. विनियम हो जाने पर आसामियों के अधिकार—धारा ४८ या धारा ४९ के अन्तर्गत भूमि का विनियम हो जाने पर आसामी को उस भूमि में जो उसे विनियम में मिली है वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो कि उमे उस भूमि में प्राप्त ये जो उसने विनियम में दी है।

५१. अन्य भूमियों के विनियम में आवंटित भूमियों में अधिकार—तत्समय प्रभावशील विसी कालून में किसी वात के होते हुए भी, यदि अन्य भूमि के विनियम में आवंटित भूमि विसी लीज, वंधव या अन्य अधि-भार से बोझिल है तो, उक्त लीज, वंधव या अधि-भार का अन्तरण दर दिया जायगा और उमे उक्त अन्य भूमि के साथ या उसके ऐसे भाग जिसे सहायक कलबटर निर्दिष्ट करे, के साथ, सबूद कर दिया जायगा और तदुपरान्त पट्टापारी, (लेसी) वधक-धूहीता या अन्य अधि-भार सज्जक (encumbrance) का संस-भूमि-में-या उसके विहृद कोई अधिकार

+ राज० अपि० सदा २८ सन् १८५६ द्वारा निविष्ट।

श्री रहेगा जिसमें उक्त पट्टा, (लीज) वंधक या अन्य-कठान-भार अन्तरित कर दिया गया है :

परन्तु इस पारा ने अन्तर्गत कोई आदेश सम्बन्धित, व्यक्तियों को मुनवाई वा युक्त वसर प्रदान दिये बिना, पारित नहीं किया जायगा ।

५२. अधिकार अभिलेख में विनिमय को प्रविष्टि— पारा ४८ वा पारा ४९ के अन्तर्गत या विनिमय हो जाने पर, अधिकार-अभिलेख में तत्सम्बन्धी ममुचित प्रविष्टि की जायेगी ।

कृपि-अधिकारों का विभाजन

५३. भूमि-क्षेत्र का विभाजन—(१) किसी भी भूमि-क्षेत्र का विभाजन इस भावि नहीं किया जायगा जिससे कि वह राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक त्रिने दा बिसे के माप के निये विहिन पूनर्नय दोषकल में कृपि-क्षेत्रों में बद्ध जाय ।

(२) विसी भूमि-क्षेत्र का विभाजन निम्न प्रवार किया जायगा—

[१] सह-आमामियों के बीच—

(क) भूमि-क्षेत्र के उक्त विभाजन; और

(ख) उन कई मांगों पर त्रिनमें भूमि-क्षेत्र उत्तरापेण विभाजित किया गया हो, नगान के बटवारे के अन्वय में इकरार नामा द्वारा; अथवा

[२] भूमि-क्षेत्र के विभाजन तथा त्रिन कई नांगों में वह विभाजित किया जाय उन पर उस भूमि-क्षेत्र के नगान के बटवारे के प्रयोजनाद्यं सह-आमामियों में ने एक या अधिक सह-आमामियों द्वारा दावर किये गये दावे में सदाचम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अद्यवा आदेश के जरिये ।

(३) भूमि-क्षेत्र के विभाजन तथा उसके नगान के बटवारे के प्रयोजनाद्यं किये गये विसी करार नामे में भूमिपारी माथड नहीं होगा यद्य तक कि वह निवित में उमरे जिए अपनी अप्रतिन न दे ।

(४) एक या एक से अधिक भूमि-क्षेत्र के बटवारे के निवित प्रत्येक दावे में समस्त सह-आमादी तथा भूमिपारी पदावार बनाये जायें । +[.....]

(५) एक से अधिक भूमि-क्षेत्रों के बटवारे के निये एक ही दावा किया जा सकता है, इसमें कि उसमें पदावार ये ही हों ।

ट्रिप्पर्सी

१— विषय—इस धारा के पीछे उद्देश्य यह है कि भूमि-क्षेत्रों का बटवारा इस प्रकार नहीं किया जाय कि उसके इनके छोड़े २ दुकड़े हो जायं कि वे बीकार हो जायें ।

२—भूमि-क्षेत्रों का विभाजन रूपा हो—इस धारा में इनके दो तरीके बताए गए हैं एक अद्यवा के द्वारा और दूसरे दावे के द्वारा ।

+ राज्य परिव मंत्रा २७ मन् १९५५ द्वारा दिया ।

३— भूमि धारक की सहमति—प्राइवेट विभाजन को आवश्या में भूमि धारक की सहमति आवश्यक है जिससे कि लगान वसूली में कठिनाई नहीं है। ये मैं एक-ही भूमि-धारक के सह-आसामी भूमि-क्षेत्रों पर प्राइवेट विभाजन कर सकते हैं परन्तु यदि भूमि धारक की लिखित सहमति नहीं ली जाती तो लगान वसूली के प्रयोजनार्थ वह संयुक्त भूमि क्षेत्र बना रहेगा।¹

४— रजिस्ट्री—सह-आसामियों के बीच अवल-समर्ति-आवश्यक लिखा जाना आवश्यक नहीं है। यदि कोई लिखत के बन पहले से हो तुरंत विभाजन को स्वीकृति मात्र है तो उसकी रजिस्ट्री आवश्यक नहीं है परन्तु यदि कोई विभाजन के बन किसी दस्तावेज के द्वारा किया जाय तो उसकी रजिस्ट्री आवश्यक है।²

५— सबूत का भार—भूमि-क्षेत्र के विभाजन के दावे में यह सावित करने का भार वादियों पर है कि विवाद अस्त भूमि-क्षेत्र उनके व प्रतिवादियों के बीच संयुक्त है। दावे की तारीख को भूमि-क्षेत्र का संयुक्त होना सावित हुए बिना दावे में इकी नहीं हो सकती।³

५४. कठिनय मामलों में भूमि-क्षेत्रों को विक्री—(१) जब कभी एक या अधिक भूमि-क्षेत्रों के बटवारे की लिये किये गये किसी दावे में न्यायालय को यह मालूम हो कि उक्त बंदवारे के हकदार व्यक्तियों के बीच बटवारे के परिणामस्वरूप ऐसे हिस्से हो जायेंगे जो घारा ५३ की उप-धारा (१) के प्रन्तगत विहित शून्यतम क्षेत्र से कम हों तो, न्यायालय, भूमि-क्षेत्र या भूमि-क्षेत्रों के बटवारे की कार्यवाही करने के बजाय उसे या उन्हें बेचने तथा विक्री-मूल्य को उक्त व्यक्तियों के बीच बांटने का निर्देश देगा।

(२) जब किसी भूमि-क्षेत्र को उप-धारा (१) के प्रन्तगत बेचने का आदेश दिया जाय तो न्यायालय उस भूमि-क्षेत्र का मूल्याकृत किये जाने का आदेश देगा और उसे बेचने का प्रस्ताव प्राधिक्रिया के क्रमानुसार नीचे लिखे व्यक्तियों के सामने रखेगा—

- [क] भूमि-क्षेत्र के सह-आसामी को;
- [ख] भूमि-क्षेत्र के दिक्षी-आसामी को;
- [ग] उस ग्राम-समुदाय के इतिहासिक या ग्रन्थ मजदूर या सेवक को जो गाव में स्थायी रूप से रहता हो,
- [घ] किसी ऐसे व्यक्ति को जो मूलिधारी न हो तथा जो सेती करता हो व उस गाव में रहता हो;
- ∴ [ड] भूमि-धारी को।

1. रामदास v. शोहरत, 1948 R. D. 62.

2. कन्दूरमाई मणीमाई v. बाई महालदभी, AIR 1923 Bom. 464.

3. मोहन v. बन्हसर, 1949 R. D. 286.

∴ राज. अधिकारी मस्ता २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिष्ठापित।

परन्तु जहाँ एक ही बर्ग जो (३), (४), (५) या (६) में निर्दिष्ट वर्गों में से हो, के दो या दो से अधिक स्थिति उत्तर हित वो लेने का दावा करें तो उम दावेदार को प्राप्यमित्ता दी जायेगी जो उन गांव में अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल वाले भूमि-देश में हृषि करता हो; और जहाँ दो या दो से अधिक दावेदार सभान क्षेत्रफल वाले वों में हृषि करते हों तथा उत्तर हित को लेने का दावा करें तो दावे वा निर्णय विहृत रोति से किया जायगा :

X [परन्तु यह और है कि अनुमूलित जाति या अनुमूलित जन-जाति के सदस्य के भूमि-देश की ऐसी विकी के माध्यमे में खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) में उल्लिखित वर्गों के प्रतिद्वन्द्वी दावेदारों में प्राप्यमित्ता उम कर्म विनाय के दावेदारों को दो जायेगी जो कि अनुमूलित जाति अथवा अनुमूलित जन-जाति के सदस्य हों ।]

अध्याय ५

समर्पण, परिस्थाग तथा अवसान

५५. समर्पण—कोई आसामी जो इसी पट्टे या इकरारनामे द्वारा आगामी वर्ष में अपने भूमि-देश पर प्राप्यित्व बनाये रखने के लिये पादद आसामी नहीं है, एक मई को या लट्ठवं, अपने भूमि-देश को, वह दिक्षां-दादत पर दिया हुआ अथवा दन्धक दस्त हो या नहीं, अथवा दोहते हुए एक लेग-पत्र यो अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार द्वारा प्रदत्ता अनुनिश्चित बोहं के चेपरमैन द्वारा प्रमाणीकृत हो—के जरिये समर्पित कर सकता है।

टिप्पणी

इम धारा में समर्पण के दो तरीके बनाए गए हैं—पहला तो भूमि-देश का कट्जा छोड़ कर और दूसरा लिखत के द्वारा । ऐसा लिखन प्रमाणीकृत होना चाहिए ।^१

५६. भूमिपारी की नोटिस—(१) धारा ५५ के अन्तर्गत कोई भी समर्पण लिये जाने के पहिने, वह आसामी जो उत्तरपैण्डि समर्पण करे अपने इरादे वा कि वह समर्पण करना चाहता है एक रिस्ट्रां नोटिस अपने भूमिपारी को एक मई से वर्ष में कम तीम दिन पहिले देगा और यद ताक कि नोटिस भेज नहीं दिया जाय, वह आसामी समर्पण की तारीख से आगामी हृषि-वर्ष वा सगान अपने भूमि-देश के विषय में, अपने भूमिपारी को देने वा जागी होगा :

परन्तु आसामी उत्तरपैण्डि उम प्रबंधि का स्वानु देने वा भागी नहीं होना त्रिमें भूमि-देश किसी अन्य आसामी को पट्टे पर दे दिया गया (let) हो या भूमि-पारी द्वारा स्वयं अपने निवी उत्तरपैण्डि में या इसी वे लिये काम में लिया गया हो ।

X राज० अधिक० सरका २८ मन् १६५६ द्वारा जोहा गया ।

१५ राज० अधिक० सरका ४६ मन् १६५८ द्वारा मंदीपित्र ।

1. हरनारादेश v. रावराय बोहं, 1966 R.R.D. 31.

(२) इस पारा की कोई धारा किसी ऐसो आवश्यक पर प्रमाण मही आमेगी जिसमें कोई प्राप्तामी तथा उसका भूमिधारी समूर्ख भूमि-धेत्र या उसके किसी भाग के समर्पण के लिये गहमत हो जाय।

+ [परन्तु यह यह है कि उक्त गहमति धारा ५५ में बनाई गई रीति से प्रमाणीकृत दी जाय।]

टिप्पणी

१— विषय—धारा ५५ व ५६ को साथ-साथ पढ़ा जाना चाहिए। समर्पण या तो कब्जा छोड़ कर किया जाना चाहिए या वाकायदा प्रमाणीकृत लिखत के ढारा। जिस आसामी ने निश्चित अवधि के लिए भूमि ली है वह उस अवधि के पूर्व समर्पण नहीं कर सकता। यदि भूमि धारक की सहमति लेली जाये तो भूमि-धेत्र के एक भाग का भी समर्पण किया जा सकता है।^१ उसकी सहमति से निश्चित अवधि से पहले भी समर्पण हो सकता है।^२ समर्पण आसामी की अपनी मरजी से होना चाहिए।

२— वैध समर्पण—कब्जा छोड़ना समर्पण की आवश्यक शर्त है।^३ केवल समर्पण—पत्र की तकमील या नोटिस देने मात्र से समर्पण नहीं हो जाता।^{४-५} यदि वई सह-आसामी हों तो सबकी ओर से समर्पण होना चाहिए।^६

३— समर्पण भूमि धारक को होना चाहिए—धारा ५५ में यह नहीं बताया गया है कि समर्पण किसके पक्ष में होगा परन्तु यह कभी धारा ५६ में पूरी कर दी गई है कि केवल भूमि धारक के पक्ष में ही समर्पण होना चाहिए। एक भई तारीख निश्चित करने का उद्देश्य यह है कि भूमि वेकार नहीं पड़ी रहे और भूमि धारक को भी लगान का नुकसान न हो।

५७. लगान-वृद्धि की दशा में समर्पण—धारा ५५ तथा धारा ५६ में अन्तर्विष्ट किसी वात के होते हुए, जब किसी भूमि धेत्र के लगान-वृद्धि की डिक्री या आदेश पारित कर दिया जाय तो, उसका आसामी, डिक्री या आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर अपनी इच्छा का कि वह लगान-वृद्धि की तारीख से भूमि-धेत्र का समर्पण करना चाहता है एक रजिस्टर्ड नोटिस अपने भूमिधारी को भेजने के पश्चात्, तदनुसार अपने भूमि-धेत्र का समर्पण कर सकता है और ऐसे प्रत्येक मामले में आसामी समर्पण के पश्चात् वर्ती समय के लिये अपने भूमि-धेत्र के सम्बन्ध में देय लगान का भागी होगा।

+ राज० अधि० सं० ४६ सन् १९५८ द्वारा जोड़ा गया।

1. हूंगरसिंह v. बलजीतसिंह, 1937 R.D. 57.
2. कलयूदीन v. लजानसिंह, 1934 R.D. 171.
3. बहू v. चूनिया, 1959 R.D. 284.
4. कंवाई v. देवी, 1943 R.D. 430.
5. नरमिह v. बटी, 1941 R.D. 1092.
6. ईररीसिंह v. गंगाशमाद, 1884 I.R.D. 14.

५८. समर्पण को रद्द करने हेतु दावा—(१) कोई मूलियारी जिसे धारा ५६ या धारा ५७ के अन्तर्गत नोटिस भेजा गया हो, उक्त नोटिस को अवश्य प्रोपित किये जाने के विविध दावा दायर कर सकता है।

(२) यदि ऐसा कोई दावा दायर नहीं किया जाय तो समर्पण के विषये मूलियारी की स्वीकृति दृढ़ समझनी जायगी।

टिप्पणी

१— विवर—यदि कोई मूलि धारक आमारी द्वारा दिए गए समर्पण के नोटिस अथवा उसके समर्पण करने के अधिकार को चुनौती देना चाहता है, तो वह ऐसे नोटिस को अवैध प्रोपित करने के लिए दावा ला सकता है। उसके ऐसा न करने पर उसकी सहमति मान ली जायगी।

२— दावे के धाराएँ—इस धारा में बनाया गया है कि दावा केवल नोटिस को अवैध प्रोपित करने को पेश किया जायगा।

३— प्रक्रिया—इस धारा के नीचे दावा सहायक कलटर के व्यापालय में होगा और अनुमूल्य भाग प्रथम के मद नं० ४ द्वारा लालित होगा। मियाद दावे की प्राप्ति की तारीख से एक महीने की है। व्यापालय शुल्क ५० पैसे का होगा। इसकी पहली अपील कलटर के पास होगी और दूसरी ३० अ० प्रा० को। पुनरीकाश राजस्व बोर्ड में होगा।

५९. समर्पित भूमि-सेवा वा इट्टा लिया जाना—मूलियारी इस व्यविधियम के उपचारों के अनुमरण में समर्पित विषये मूलि-सेवा में प्रवेश करके उसे घरने वाले में से मकदा है।

कृपि-अधिकारी का परिस्थिति

६०. परिस्थिति—(१)-दायारा (२) तथा (३) के उपचारों के अधीन रहने हुए, कोई आमारी जो कृपि करना चाहे देता है और पट्टी को छोड़ देता है, उसने मूलियेत्र में अपना हित उग दगा में नहीं सोयेगा जब कि वह उपने मूलि दोष की ऐसे व्यक्ति के सुपुर्दे करता है जो लकार के दावाये होने पर उसके चुनावत का उत्तरदायी हो। तथा इस प्रबंध का मूलियारी की विविध नोटिस दे देता है।

(२) यदि वह व्यक्ति जिसे उक्त स्थान पुरुदेंगों द्वारा गई हो, तो उसका व्यक्ति है।

(३) विमकों, आमारी की मृत्यु होने की दशा में आमारी वा हित कलटरिल होगा, या

(४) जिसे मूलियेत्र वा प्रबंध उग व्यक्ति के सामाजिक करता है विमकों, आमारी की मृत्यु होने की दशा में, आमारी वा हित कलटरिल होगा,

लीं, आमारी, यान वां की अवधि समाप्त होने वाले पर, उसने मूलि-सेवा में उपना हित द्वारा बेटेला बर तक नि यह, तां प्रबंध वी नीति, उसने मूलि-सेवा में पुनः इति करता धारम न करदे, और उग हित, उग ब्लाक द्वारा बेटेला वाले वायेगा जिसे आमारी का हित, आमारी की मृत्यु हो दाते द्वारा में ब्लाकला होता।

(३) यदि वह व्यक्ति जिसे उत्तराधीन गुप्तदंगी का गई हो उप-पारा (२) में निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं है तो उस अधिकारी की समाधित पर त्रितोः लिये आसामी निकमी-बासन पर दे सका या, यह अनुमान किया जायगा कि आसामी ने अपना भूमि-धेत्र परित्याग कर दिया है जब तक कि वह उक्त अधिकारी के भीतर अपने भूमि-धेत्र में गुनः वृषि करना आरम्भ न करदे।

(४) वह आसामी जो वृषि करना वह प्रीत पद्धति का रायग उप-पारा (२) के उपर्योग का अनुसरण न करते हुए अन्य रीत से, करता है, उसके बारे में यह अनुमान जिया जायेगा कि उसने अपना भूमि-धेत्र परित्याग कर दिया है।

टिप्पणी

✓ १— विषय—यदि कोई आसामी अपना भूमि-धेत्र वंघ तरीके से नहीं छोड़ सकता है तो उसके अपने कृषि अधिकारी के परित्याग का एक मात्र प्रभावशाली तरीका परित्याग ही है।^१ परन्तु यदि कोई आदमी अपना घर छोड़ दे और नहीं लौटे तो अनुमान यह नहीं लगाया जायगा कि उसका इरादा कभी लौटने का नहीं है। ऐसी अवस्था में परित्याग नहीं माना जायगा।^२ यह धारा ऐसे व्यक्ति के मामले से सम्बन्ध रखती है जो विना श्रीपत्चारिक परित्याग किए अपना गांव छोड़ देता है और अपने भूमि-धेत्र को किसी को उप-पट्टे (सब लीज) पर भी नहीं दे जाना, परन्तु जिसका नाम अभिनेत्र में बना रहता है।

२— परित्याग की शर्तें—[१] आसामी ने खेती करना बन्द कर दिया और गाव छोड़कर चला गया है। [२] आसामी अपना भूमि-धेत्र छोड़कर चला गया हो और किसी ऐसे व्यक्ति को चार्ज में नहीं छोड़ गया जो लगान की पदायगी के लिए जिम्मेदार हो। [३] आसामी विना भूमि धारी को लिखित नोटिस दिए चला गया हो कि लगान की अदायगी के लिए वया प्रबन्ध किया गया है।

उपरोक्त शर्तें उप-धारा (२) व (३) के अधीन हैं।

३— प्रशिया—परित्याग की घोषणार्थ आवेदन-पत्र अनुसूची तृतीय भाग द्वितीय के मद्द नं० ४० से शासित होगी न्यायालय शुल्क ५० पैसे होगा। मियाद कुछ नहीं है। अधिकार समर्पित तहसीलदार को होगा।

६१. परित्यक्त साने गये भूमि धेत्र का कद्दा लेने के पहिले की प्रशिया—(१) जब आसामी के बारे में यह समझ लिया जाय कि उसने अपने भूमि-धेत्र का परित्याग कर दिया गया है तो वह तहसीलदार स्वतः ही या भूमिधारी द्वारा प्रारंभना-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, यथास्थिति, एक पोषणा, विहित रीति से, जारी एवं तामोत कराने की अवधा प्रकाशित कराने वी व्यवस्था करेगा जिसमें यह व्यक्त होगा कि उक्त आसामी के भूमि-धेत्र को परित्यक्त माने जाने, तथा उसमें प्रदेश किये जाने एवं तदनुमार उसे बड़ते में लिये जाने का विचार है जब तक कि तत्त्वपरीक्षा बारें न बताये जायें।

1. चुदावत v. रामचन्द्र, A.I.R. 1941 Nagpur 328.

2. मण्डतीराम v. गोरखराम, A.I.R. 1954 Patna 93.

(२) तहसीलदार या भूमिधारी, प्रधानिकति,, भूमि-क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है तथा उसका कब्जा ले सकता है यदि घोषणा के उत्तर में—

[१] घोषणा की तारीख या प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर, या तो वह आसामी जिसके बारे में यह माना गया है कि उसने अपना भूमिधेन परिव्याप्त कर दिया है यह उस आसामी की ओर से अथवा स्वयं अपनी ओर से कोई घट्टि, उपस्थित नहीं होता है, + [.....] या

[२] ऐसी प्रविष्टि और कब्जे के बारे में उक्त प्रवधि के भीतर आपत्ति प्रस्तुत की जाय और यह अस्वीकार कर दी जाय।

(३) यदि इस धारा के उपवर्णों का उल्लंघन करते हुए किसी भूमि-क्षेत्र में प्रवेश किया जाय तो उसे कब्जे में ले लिया जाय तो उसका आसामी, धारा १८६ के अधीन में, विधि-प्रक्रिया से विनाश तरीके से अथवा इस प्रधिनियम के उपवर्णों के उल्लंघन में, वेदवल किया गया समझा जायगा।

(४) जब किसी भूमि-क्षेत्र में उप-धारा (२) के अन्तर्गत प्रवेश एवं उस पर इच्छा किया जाय तो वह भूमि-क्षेत्र धारा ६२ के उपवर्णों के अधीन रहते हुए, किसी अन्य आसामी को काश्त पर उठायी जा सकती है अथवा भूमिधारी द्वारा अतिक्रम रूप से उसमें काश्त की जा सकती है।

टिप्पणी

1. विधय—इस धारा में वह प्रक्रिया बताई गई है जो भूमिधारी अथवा तहसीलदार द्वारा उस अवस्था में अपनाई जायगी जब कि धारा ६० के अन्तर्गत भूमि को परित्यक्त समझो जा रही हो। यह प्रक्रिया तहसीलदार द्वारा अपने आप अथवा भूमिधारी के आवेदन पर अपनाई जा सकती है। जहाँ किसी भूमि को परित्यक्त समझ कर तहसीलदार ने इस धारा के नीचे उद्धोषणा (Proclamation) जारी बर दो परन्तु भूमि के लिये दारा ने प्रकट होकर आपत्ति की कि उसने भूमि पर वापिस लेने करली है तो भूमि को परित्यक्त नहीं समझा गया।^१ यह तथा किया गया है कि आपत्तिकर्ता चाहे नो नियमित दावा ला सकते हैं।

2. अपोल—इस धारा के नीचे दिए गए हजाम की श्रीपील बनकटर को होगी। दूसरी अपील नहीं होगी और राजस्व बोर्ड को पुनरीक्षण हो सकेगा।

३. उन आसामियों के अधिकार जिनके पारे में यह मनुमान कर लिया गया हो कि उन्होंने अपने भूमि-क्षेत्र परिव्याप्त कर दिये गये हैं— (१) किसी अपारक आपात जैसे अनावृण्टि, अराल, तारामह-रोग या हाराहारा अन्य आपात तथा जिसी प्रथ्य युक्तिगुण कारण ने जो आसामी इसी बनाए बनाए तथा पहोल छोड़ दे सो धारा ६० तथा ६१ में प्रतिविटि बोर्ड द्वारा उप-धारा (२) में बताई गई रोति, उसमें दिये गये सभी तथा नियिट जानों के अधीन रहते हुए,

+ राज्य धर्य० २७, गन् १९५६ द्वारा विनुष्ट।

1. इस्तमाल V, गंगल्पा, 1964 R.R.D. 16.

आने भूमि-धेन का बढ़ाव पुनः प्राप्त करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं होनेगी ।

(२) धारा ६० की उप-धारा (१) के अन्तर्गत आरी को गई पोरगा की तारीख या प्रकाशन की तारीख से एक दर्जे के भीतर कोई ऐसा आसामी अपनी बढ़ावों के लिये एक अता भूमि-धेन वापिस दिलाये जाने के लिये एक अद्येतन-तत्र विहित रीति से तद्दीलदार को प्रभुत कर सकता है और मदि वह तहसीलदार का इस धारा से आमायन कर देता है कि उन्ने उपधारा (१) से निर्दिष्ट किसी आधार पर या कारण में अपने पठोग को छोड़ा था तो उन भूमि-धेन का बढ़ाव जिस पर धारा ६१ की उपधारा (२) के अन्तर्गत प्रयोग किया गया हो, उसे इस रूप में वापिस दिलाया जायगा। मानो उन्ने उपर्याप्त उपर्याप्त किया ही नहीं हो, वरन् कि उन्न भूमि-धेन के गढ़े, वापिस बढ़ाव दिलाये जाने की तारीख तक इसमें परिव्याग अधिक सम्मिलित है—उससे प्राप्त सम्मूर्ख बकाया-नगान वा भुगतान उनके द्वारा कर दिया जाय ।

परन्तु यदि भूमि-धेन या उसका कोई भाग धारा ६१ यी उप-धारा (४) के अन्तर्गत—

- [१] किसी अन्य आसामी को काश्त पर दे दिया गया हो तो उक्त अन्य आसामी से प्राप्य लगान की रकम उक्त बकाया-लगान की रकम में से बम की जा सकेगी, या
- [२] भूमिवारी द्वारा स्वयं काश्त की गई हो तो उक्त काश्त की अवधि के बारे में कोई लगान देय नहीं होगा ।

टिप्पणी

यह धारा पिछली धारा ६० का अपवाद है। जो आसामी अनावृष्टि, अकाल, महामारी इत्यादि आपात स्थितियों के कारण अपना गाँव छोड़ देता है, अपने भूमि-धेन की पुनः प्राप्ति या अपनी बहाली के लिए तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दे सकता है ।

कृपि-अधिकारों का अवसान

६३. कृपि-अधिकार का कब अवसान होगा— + (१) आसामी का उसके भूमि-धेन या भूमि-धेन के विसी भाग में, यथा स्थिति, हित उस स्थिति में जबकि—

- [१] वह ऐसा उत्तराधिकारी छोड़े बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाय जो इस अधिनियम के उपवधों के अनुसरण में उत्तराधिकार प्राप्त करने का हकदार हो;
 - [२] वह उसे इस अधिनियम के उपवधों वे अनुसरण में समर्पित या परिवर्तक कर दे;
 - [३] उसकी भूमि राजस्वान भूमि प्रबालित अधिनियम १६५३ (राजस्वान अधिनियम सं २४ सन् १६५३) के अन्तर्गत शबाप्त कर ली गई हो;
 - [४] वह बड़े से चित कर दिया गया हो और बढ़ाव वापिस लेने का उसका अधिकार मियाद से बाधित हो गया हो;
 - [५] वह इस अधिनियम द्वे उपवधों के अनुसरण में उससे बैद्यत कर दिया गया हो;
- + राज० अपि० सद्या २७ सन् १९५६ द्वारा पुनः सह्याकित ।

[६] वह उसमें निहित मूल्यांकी के समर्त अधिकारों को प्राप्त कर सेता है अथवा मूल्यांकी उसे उत्तराधिकार में या अन्यथा अवाल्त कर सेता है;

[७] वह उसे इस अधिनियम के उपर्युक्तों के अनुसरण में बेच देता है या दान दे देता है, + अथवा

+ [८] यदि वह विधि मान्य पारम्परा प्राप्त किए जिना या विधि पूर्ण प्राधिकार जिना भारत से किसी विदेश को प्रस्तुत करे।

स्पष्टीकरणः—संगठ (८) के प्रयोजनार्थ जो आसामी इंडियन पासपोर्ट एक्ट, १९२० (हिन्दीम् अधिनियम ३४ सन् १९२०) के अदीन कोई विधि मान्य पारम्परा प्राप्त किए जिना अपका विधि पूर्ण प्राधिकार जिना किसी भी देश में प्रवेश करेगा वह भारत से विदेश में प्रवर्जित होगा जायगा।

× (२) आसामी के हित का अवसान हो जाने पर उसके अधीन मूलि पारण करने वाले किसी शिक्षी-आसामी का हित अवसायित हो जायगा :

परन्तु ऐसे प्रत्येक भाषण में जो उप-याता (१) के संगठ [३] में निर्दिष्ट भाषण नहीं है, उक्त शिक्षी-आसामी, जब तक वह इसमें भी इस अधिनियम के किसी उपर्युक्त या तत्त्वमय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत बेद्धक न कर दिया गया हो या बेद्धक इसे जाने योग्य न हो या हो या होने को न हो या जब तक यह आसामी के अवसान-याता का हकदार न होता, उक्त मूल्यांकन में तथा तदन्तर्गत सुशारों में अपने मुख्य आसामी के अधिकारों को अद्याप्ति के निमित्त, घारा २३, २४ तथा २५ के अनुसार निरित किये जाने वाले मुश्किलों का गुणावान करने पर, अवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा।]

टिप्पणी

१. विषय—इस घारा में वे तरीके बनाए गए हैं जिनमें कृषि-अधिकारों (tenancies) वा अवसान (समाप्ति) होता है। परन्तु जो सात तरीके इस घारा में बनाए गए हैं वे ही बेद्धक यात्र तरीके नहीं हैं। विनियम (प्रदना बदली) अथवा आसामी के उपवन-याता की हितियत प्राप्त करने से भी टिनेसी का अवसान हो जाता है। भावः यह घारा स्वयं-प्रमूर्ण नहीं है।^१

२. उप-टिनेसी का अवसान—मुख्य कृषि-अधिकार के अवसान पर उप-कृषि अधिकार भी समाप्त हो जाता है जिसका प्रावधान उप-याता (२) में है।

३. विक्रय द्वारा अवसान—इस घारा की उप-याता (१) के संगठ (६) द्वारा विक्रय से इसी अधिकार (टिनेसी) का अवसान हो जाता है परन्तु बहाव विक्रय किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के पदस्थ द्वारा अन्य जाति वालों के पक्ष में किया जाय तो यह कि ऐसा अनुसरण स्वयं ही अवैध है, भावः विक्रेता की टिनेसी का अवसान न रहे होगा।^२

मुख्य भारती (Tenant-in-chief) के अधिकार मरण करने के लिए प्रक्रिया—मुख्य आसामी के अधिकार अर्जन करने के द्वारा उप-यासामी को मुख्य आसामी के हित अव-

+ राय. अधि. स. २ सन् १९८ घारा गंशोचित कर जोहा गया।

× राय. अधि. स. २७ सन् १९५८ घारा निर्दिष्ट।

१. विवरण v. गूरजस्याद्, १९३४ R. D. 345

२. आनीपाठ v. विवरारायण, १९६५ R. R. D. 209

साम होने की तारीह के एक दर्द में सब-टिपोडलन-प्राफीसर को प्रावेदन पत्र देना चाहिए यह अनुसूची तृतीय के भाग द्वितीय के भद ४१-वा द्वारा दासित है।

६५. अधिकार का शब्दान होने पर भूमि लासी किया जाना—गिवाय उसके जैसा कि इस प्रविनियम में घन्यथा उपयोगित है, जब इसी आसामी या गिलमी-आसामी का हित प्रबन्धित होजाय, तो वह अपने भूमि-सेवा को लाली कर देगा परन्तु उसे किसी कानून हटाने के सम्बन्ध में यही अधिकार प्राप्त होगा जो कि उसे इस प्रविनियम के उपर्यों के घन्यग्रण में पंद्रक्षत किये जाने की दशा में होता।

अध्याय ५

सुधार

६५. सुधार करने का सरकार वा अधिकार—राज्य सरकार + [प्रधान कोई भू-स्वामी] सम्बूण राज्य की किसी भूमि में या उस पर प्रभाव डालने वाला कोई सुधार कर सकती है।

टिप्पणी

सुधार करने के लिए राज्य सरकार के अधिकार अवाध हैं। राज्य सरकार पर धारा ७१ भी लागू नहीं होती परन्तु राज्य सरकार वे ही सुधार कर सकती है जो धारा ५ की उप-धारा (१९) में दिए गए हैं। सुधार करने के बिंद में अधिकार राज्य सरकार को खातेदार, गंग खातेदार, खुदकास्त के आसामी एवं उप-आसामियों सभी की भूमियों पर है।

६६. सुधार करने का खातेदार आसामियों का अधिकार—(१) खातेदार आसामी अपने भूमिक्षेत्र में कोई भी सुधार कर सकता है;

४ खातेदार का राज्य सरकार, समय समय परः—

- (क) ऐसे सुधार किया जाना जैसे कि धारा ५ के खण्ड (१९) के उप-खण्ड (क) में उल्लिखित हैं, उन क्षेत्रों में जो तदर्यं अधिसूचित किए जाए सार्वजनिक हित में प्रतिबंधित कर सकेंगी; तथा
- (ल) ऐसे क्षेत्रों में जो किसी उक्त अधिसूचना द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं कोई ऐसे सुधार किये जाने का नियमन करने के लिये नियम बना सकेंगी।

टिप्पणी

१. विषयः—धारा ६५ की भाँति यह धारा खातेदार आसामियों पर अपने भूमि-क्षेत्र पर सुधार करने के लिए अप्रतिबंधित शक्तियां प्रदान करती है। परन्तु इस विषय में उसके अधिकार धारा ७१ में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन हैं।

*+ राज० अधिं० संस्था ११ सन् १९५४ द्वारा निविष्ट।

८ राज० अधिं० संस्था १२ सन् १९५४ द्वारा प्रति-स्थापित।

५ राज० अधिं० संस्था ८ सन् १९५५ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. इस अधिनियम से पूर्व इए गए मुदार—यदि इस अधिनियम के ग्राम्य से पूर्व किसी व्यातेदार ने अपने भूमि क्षेत्र पर मुदार कर लिये और यदि मुदार करने के समय प्रभावशील कानून के नीचे उसे अपने मुदार के लिए सति पूर्ति (Compensation) पाने का अधिकार प्राप्त था तो वह अधिकार इस अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात् भी अप्रमाणित होगा।^१ कुआ खोदना सुधार माना गया है।^२ मुदार करने वाला आसामी किसी संविदा वा अनुपस्थिति में पूरे लगान का मुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

३. सुधार करने का भूमिधारियों वा अधिकार—राज्य सरकार ने नियम कोई नूमियारी^३ [अथवा भू-स्वामी] तहसीलदार को मंडूरी से, किंवद्दनके लिये विहित रीति से आवेदन किया गया हो तथा जो विहित रीति से प्रदान की गई हो] अपने आसामियों के भूमिधोत्र में अथवा उस पर प्रभाव हानने वाला, मुदार कर सकेगा :

बताते कि यदि ऐसे भूमिधोत्र का आसामी एक गेर-व्यातेदार आसामी या खुदकाश का आसामी या शिकमी-आसामी, है अथवा यदि वह सुधार जिसे उक्त भूमिधारी करना चाहता है, एक कुथा है तो ऐसी मंडूरी की आवश्यकता नहीं होगी ।

+ [परन्तु यह भी है कि घारा ५ के लक्षण (१६) के उप-लक्षण (क) में उल्लिखित समस्त सुधार अथवा सुधार से कोई मुदार, ऐसे क्षेत्र में—जो भूमि-क्षेत्र के समूचे दोषफल के १/५० माग से अधिक नहीं हो—जैसा कि विहित किया जाय, नहीं किये जायेंगे और विहित परिस्थितियों के विवाय नियम परिस्थितियों में मंडूर नहीं किये जायेंगे ।]

टिप्पणी

१. विषय—घारा ६७ मुंमधारक को (सिवा राज्य सरकार के) मुदार करने की दक्षि प्रदान करती है, परन्तु उस अधिकार के प्रयोग को तहसीलदार की इजाजत के अधीन रखा गया है। इस घारा में उल्लिखित मुदार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उसके द्वारा सामान्यत भूमि पर ही किया जाय परन्तु यदि संवन्धित भूमि क्षेत्र पर न हो तो उसके बन जाने पर उसका लाभ उस भूमिधोत्र को मिनाना चाहिए। मुदार करने वा इच्छुक भूमिधारी घारा ७१ द्वारा लगाए गए प्रतिवर्धों के अधीन है।

२. तहसीलदार वा अस्त्रय—मुदार करने की इजाजत तहसीलदार नहीं देगा यदि (१) प्रस्तावित काम घारा ५ (१६) के अर्थ में मुदार नहीं है (२) प्रयोजन के मुकाबिले में काम अधिक सर्चना है (३) काम ऐसा है जिसे भूमिधारी को करने वा अधिकार नहीं है (४) घारा ७१ की रजामन्दी भावश्यक होने पर भी नहीं ली गई है।

३. जब भूमिधारी और आसामी एक हो मुदार करना चाहें—ऐसी अवस्था में आसामी को व्यातेदार आसामी होना चाहिए। आसामी और भूमिधारी को एक आवेदन पत्र तहसीलदार को देना चाहिए।

१. मप्रा v. मूलदाम, 1958 R.L.W. (R.S.) 103.

२. घारा 72.

३. घारा ० अपि० संख्या २२ सन् १६६० द्वारा निर्दिष्ट।

४. घारा ० अपि० संख्या ११ सन् १६६४ द्वारा निर्दिष्ट।

+ घारा ० अपि० संख्या २२ सन् १६६० द्वारा जोड़ा गया।

४. प्रक्रिया—इस प्रकार का आवेदन-पत्र तहमीनदार को दिया जायगा जिसके लिए कोई मियाद नहीं है। न्यायालय शुल्क वेवल २५ पैसे का लगेगा। तहमीनदार मुधार करने के लिए अवधि निर्दिष्ट कर सकता है जो एक साल से अधिक नहीं होगी।

५. अपील और पुनरीक्षण—पारा ६७, ६६ व ७७ के नीचे दी गई आशाओं की एक आमीन हो सकेगी। द्वितीय अपील नहीं होगी। अपील में दी गई आशा का पुनरीक्षण नहीं मिलेगा।

६८ अनुमति तहसीलदार द्वारा कब दी जा सकेगी और कब उसके लिये इकार किया जा सकेगा—तहसीलदार जिसे पारा ६७ के उपबंधों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र दिया जाय, पशाशारों की सुधाराई करने और ऐसी और जांच जैसी वह करना उपयुक्त समझे, फरने के पश्चात्, उक्त सुधार करने की अनुमति, ऐसे प्रतिवधों के घघीन, यदि कोई हो, जैसे यह युक्तियुक्त समझे, देसकेगा भवित्वा देने से इकार कर सकेगा :

परन्तु तहसीलदार ऐसे सुधार के लिये अनुमति प्रदान नहीं करेगा जो—

[१] ऐसा सुधार जैसा कि इस अधिनियम से परिमापित है, नहीं है,

[२] उस प्रयोजन के लिये जिसके निमित्त वह अनिप्रेत है अत्यधिक महगा है,

[३] ऐसा सुधार नहीं है जिसे करने का आवेदक हकदार है, या

[४] पारा ७० के अन्तर्गत निखिल राहमति की अवेदन रखता है, यदि उक्त सहमति पहले प्राप्त नहीं की गई हो।

६६. भूमिधारी तथा आसामी दोनों को इच्छा एक ही सुधार करने की होने की स्थिति में उपबंध—(१) यदि कोई खानेदार आसामी तथा उसका भूमिधारी—राज्य सरकार न हो,—दोनों एक ही ऐसा सुधार करना चाहे जिसे वे इस अधिनियम के अन्तर्गत करने के हकदार हो तो तहसीलदार, आवेदन-पत्र प्राप्त करने पर, आसामी को निरिष्ट अवधि के भीतर कार्य को पूरा करने की अनुमति देगा और यदि उचित कारण बताये जायें तो वह उक्त अवधि को समय समय पर बढ़ा सकेगा :

परन्तु ऐसी अवधि-बढ़ि का बहुत समय एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(२) यदि आसामी ऐसी अवधि या बढ़ाई गई अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में असफल रहे तो भूमिधारी को इस सुधार कार्य को पूरा करने का अधिकार होगा।

+७०. अन्य आसामियों का सुधार करने का अधिकार—कोई गैर-खातेदार आसामी या खुदकादत का आसामी व्यवहा शिक्षमी-आसामी, पारा ६६ की उप-पारा (१) के प्रथम तथा द्वितीय परन्तुरो द्वारा अधिरोपित व्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी सुधार कर सकता है परन्तु वह वैदेशी होने पर मुआवजे का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने उक्त सुधार करने के निमित्त पहले तहसीलदार की आवाया या खुदकादत-पारी या खातेदार-आसामी, यथाविधि, दी निखिल प्रनुमति, प्राप्त न करनी हो।

७१. सुधार करने पर प्रतिबध—इस अध्याय की कोई बात विसी आसामी या भूमिधारी

जो राज्य सरकार न हो X [अपवा भू-स्वामी] को ऐसी भमि जो उक्त सुधार से लाभान्वित होने वाले भूमि-दोष में समिलित न हो, में

(क) कोई सुधार, या

(ग) उक्त भूमि को हानिकार कोई सुधार,

करने का हकदार नहीं बनायेगी या हकदार बनाने वाली नहीं भासी जायेगी जब तक कि उक्त आसामी या भूमिधारी ने उस भूमि के भूमिधारी, अपवा यास्थिति, राज्य सरकार की तथा आसामी की भी मदि कोई ही, लिखित सहमति प्राप्त न करली हो ।

टिप्पणी

इस धारा द्वारा लगावे गये प्रतिवर्त्य सब आसामियों पर और सिवा राज्य सरकार के सब भूमिधारियों पर लागू होते हैं ।

७२. सम्पूर्ण तथान का दायित्व—कोई आसामी जो सुधार करे, लिखित विपरीत इकारनामे के प्रभाव में, भूमि-दोष का सम्पूर्ण तथान देने का उत्तरदायी बना रहेगा :

परन्तु जहाँ लगान जिसमें देय हो और सबडिवीजनल आफिसर वा इस बात से समाप्त हो जाय ति युद्धकाल के आसामी या दिहामी-आसामी द्वारा पारा ७० के अन्तर्गत किये गए सुधार के परिणाम स्वरूप कृषि-उपज में वृद्धि हुई है तो, सबडिवीजनल आफिसर आसामी पा दिक्षियों आसामी द्वारा आवेदन-पत्र दिये जाने पर, पारा ११८ व ११६ के उपर्योगी के बनुसार तथान को नवाद में घन्तरवर्तित बर देगा ।

७३. हानि के लिये मुआवजा (Compensation)—(१) कोई भूमिधारी जो किसी आसामी के भूमि-दोष में या उस पर प्रभाव दालने वाला कोई सुधार, पारा ६७ के अन्तर्गत करना है सो वह आसामी को ऐसी किसी हानि के लिये मुआवजा देने का उत्तरदायी होगा जो वह सुधार करने समय आसामी को पढ़ौवाये ।

(२) यदि किसी उक्त भूमिधारी द्वारा किये गये सुधार के प्रभाव से, किसी ऐसी भूमि को उत्तापन दायित्यों को हानि पढ़ूचतो है जो किसी आसामी ने उक्त भूमिधारी से लेहर पारण की हुई हो तो, उच्च आसामी उप-पारा (१) के अन्तर्गत उसे दिये जाने वाले मुआवजे के प्रतिरिक्ष, उसने सगान में ऐसी कमी वा भी हकदार होता जिसे व्यायालय न्यायोचित समझे ।

७४. सुधार के लिये मुआवजा (Compensation)—कोई आसामी जिसने इस अधिनियम के उपर्योगी के अन्तर्गत सुधार किया हो, निम्नलिखित अवस्थाओं में मुआवजा पाने वा हादार होगा, अर्द्धः—

[१] जब उसकी बेटगाली वे किये टिकी या आदेश पारित बर दिया जाय, या

[२] जब उसे विधि-विधान रोति में कम्बा-विहोन कर दिया गया हो और उसे अपने भूमि-दोष वा हकदार बापित नहीं मिला हो, या

[३] जब यह प्रपत्ते पट्टे (सीज) की अवधि समाप्त होने पर भूमि-दोष को आगे ले देता है परिसुधार पारा ७० के उपर्योग के अन्तर्गत किया गया हो :

परन्तु—

- (क) आसामी द्वारा प्रपत्ते स्वयं के प्रधिवाच के निमित्त भूमि-दोष पर बनाये गये रिहायशी भकान, या उसके द्वारा अपने मूमि-दोष पर प्रसुधाना या गोदाम अथवा कृषि-प्रयोजनार्थ बनाये गये या स्थापित किये गये किसी अन्य निर्माण, की अवध्या के सिवाय, विसी ऐसे सुधार के लिये मुआवजा देय नहीं होगा जो उक्त बेदखली के लिये डिश्री या आदेश की तारीख से या उक्त कम्बजा-विहीनता अथवा खाली-किये-जाने से तीस वर्ष या भूमिक पहले किया गया हो ।
- (ख) कोई आसामी जो, बेदखली के लिये डिश्री या आदेश के निष्पादन में या बेदखली के नोटिस के अनुसारण में, बेदखल किया गया हो, किसी ऐसे सुधार के निमित्त मुआवजा पाने का हकदार नहीं होगा जो उसने उक्त डिश्री, आदेश या नोटिस की तारीख के पश्चात् प्रारम्भ किया हो, और
- (ग) मुआवजा किसी ऐसे सुधार के लिये देय नहीं होगा जो सहायक क्लवटर की राय में, उस तारीख को उपर्योगी नहीं रहा हो जिसको यि आसामी तदर्थं मुआवजे का हकदार होता है ।

टिप्पणी

इस धारा में बताया गया है कि सुधार करने का हकदार आसामी इसमें दिए गए मामलों में मुआवजे का हकदार होगा । मुआवजा धारा ७५ के प्रावधान के अनुसार तथा किया जायगा । बेदखली की तारीख से ३० वर्ष पूर्व बनाए गए सुधार के लिए (सिवा रहने के घर के) कोई मुआवजा नहीं मिलता । ३० साल की अवधि सुधार कार्य के पूरा होने की तारीख से गिनी जायगी । जहाँ सन् १६०० में कोई कुआ खोदा जा रहा था परन्तु उसके बाद की तारीख तक पूरा नहीं हुआ था तो ऐसी सूरत में १६३० में बेदखली होने पर आसामी को मुआवजे का हकदार नहीं माना गया ।¹

७५. मुआवजे की रकम—(१) किसी सुधार के लिये या उसके कारण इस अधिनियम के किसी उपर्योग के अन्तर्गत देय मुआवजे की रकम का निश्चयन करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जायगा—

[१] उस रकम का जिसकी, उस भूमि-दोष के मूल्य एवं उपज में उक्त सुधार के जरिये या उसके कारण बढ़िया कमी है;

[२] उक्त सुधार-कार्य की हालत तथा उसके प्रभावों के कायम रहने की अनुमानित अवधि वा; और

[३] उक्त सुधार-कार्य के करने में लगाये गये अम तथा पूंजी का, जिसमें

1. प्रमुखललतीक सामन v. महमद हुमेन, 15 R.D. 553.

- (क) लगान को किसी कमी या दूष्ट या मुथार-कार्य के प्रतिकृत स्वरूप आसामी को दिया गया कोई अन्य फायदा;
- (ख) नवद, सामग्री, या अम के रूप में आसामी को भूमिधारी द्वारा दी गई कोई सहायता, और
- (ग) भूमि का पुनर्घास्त करने या असिवित से विचित भूमि में परिणित करने की दशा में, वह समयावधि जिसके द्वारा उस पक्ष ने जो मुआवजे का दावा करता हो, मुथार का लाभ उठाया हो; प्रोट
- [४] ऐसी अन्य बातों का जो विहित भी जाय।
- (२) जब आसामी द्वारा किये गये मुपार में—
- (क) उग भूमि को जिसमें, वह बेदखल अथवा बन्धाविहीन किया गया है, और
- (ख) अन्य भूमियों के लंग उच्छृङ्खले के लंग लाभ पट्ट बताये हों, लाभ पट्ट बताये हों, मुआवजे का निश्चयन उस सीमा को ध्यान में रखते हुए किया जायगा जिस सीमा तक खण्ड (क) में वर्णित भूमि उक्त मुथार में आमान्वित हुई हो।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में वे सिद्धान्त बताए गए हैं जिनके अनुसार इस अधिनियम के नीचे किसी मुथार कार्य का मुआवजा देते समय उसकी रकम तय की जायगी। अधिकांश में मुथार कार्य के वर्तमान मूल्य का हिसाब लगाना अत्यंत आवश्यक हो जाना है।^१ मुआवजे की रकम के बारे इसीलिए कम नहीं दी जा सकती कि उससे मस्ती कीमत में वह मुथार कार्य कराया जा सकता था।^२

२. मुआवजा न देने या रकम देने के विषयक इकारार—इस तरह के इकारार मूल्य होंगे और उनको प्रभावान्वित नहीं किया जा सकता।^३

३. अपील—मुआवजे की रकम नप करने की आज्ञा की अपील किमी आज्ञा की अपील की तरफ ही मिलेगी।

४४. अन्य भूमियों को साम पट्टकाले लाले मुथार-कार्य—(१) यदि किसी आसामी ने ऐसी भूमि में मुथार किया हो जो साम की बकाया के लिए डिवी के नियादन में वैधी जाय या डिवी उगे बेदखल किया जाय तो गरीबदार या भूमिधारी, यथास्थिति, उग मुथार-कार्य का व्याप्ति बन जायगा परन्तु आसामी अपने पाय अद्वितीय भूमि के सम्बन्ध में उक्त मुथार-कार्य या साम उनी प्रभार तथा उनी ग्रीमा तक उठाने का हरदार होगा जिस प्रभार तथा जिस ग्रीमा तक उग भूमि को उप कार्य में उत्पूर्व साम पट्टकाले रहा हो।

(२) यदि किसी आसामी ने ऐसी भूमि में मुथार किया हो जो उगके पारे में उसको

1. मनाइनहर v. दशरात्रिन्ह, 1928, 12 R.D. 267.

2. दारदा v. मध्यानश्वाद निः, 45 I.C. 227.

3. नर्मदादुर 1. कन्दू, 1927, 6 R.D. 231.

भूमि के दिसी भाग के, लगान ही बदाया के लिये छिकी के निष्पादन में ऐसे जाने या उनकी भूमि के किसी भाग से उसे बेदान किये जाने के बाद पश्चिम रहती है तो, शरीदार या भूमि पारो, यथास्थिति, उस भूमि के सम्बन्ध में जो आवाही के बजाए में सही रहती है, उस मुधार-बार्य का लाभ उनी सीमा तक तया उसी प्रकार उठाने का हृषदार होगा जिस सीमा तक तया जिस प्रकार उस भूमि को उस मुधार-बार्य के तत्पूर्व लाभ पहुंचता रहा था ।

(३) यदि किसी भूमिधारी ने कोई ऐसा मुधार-बार्य किया हो जिसका आवाही के भूमि-धोन को लाभ पहुंचता हो और उक्त सम्बन्ध भूमि-धोन अथवा उसका कोई भाग लगान की बदाया के लिये छिकी के निष्पादन में बेच दिया जाय तो, शरीदार बेची गई भूमि के सम्बन्ध में उस मुधार-बार्य का उसी सीमा तक तया उसी प्रकार लाभ उठाने का हृषदार होगा जिस सीमा तक तया जिस प्रकार उस भूमि को उस मुधार-बार्य का लाभ तत्पूर्व पहुंचता रहा हो ।

७७. मुधार की लागत का रजिस्ट्रेशन—(१) यदि कोई भूमिधारी जो राज्य सरकार से लिया हो, या कोई आवाही यह चाहे कि इसी मुधार पर खाने की गई रकम का निश्चयन कर दिया जाना चाहिये तो, तहसीलदार सत्रयोजनार्थ उसे प्रस्तुत लिये गये आवेदन-पत्र पर और दूसरे पटा को मुनदाई का युक्ति मुक्त प्रदान करने के पश्चात् तथा ऐसी घन्य जांच जिसे वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात्, लगान की रकम निश्चित करेगा और उसे एक रजिस्टर में जो विहित प्रपत्र से रखा गया हो, दर्ज करेगा ।

(२) आवेदन-पत्र के पथकारो अथवा उनके हित—उत्तराधिकारियों के बीच उक्त मुधार-बार्य की लागत के विषय में तदनुवर्ती किसी कार्यवाही में उक्त रजिस्टर में की हुई प्रविष्टि, लागत को रकम का निर्णयिक सबूत होगा ।

ट्रिप्पली

१. विषय—यह धारा भवित्व में मुकदमा बाजे बधाने के लिए है ।

२. प्रशिक्षा—आवेदन पत्र तहसीलदार को दिया जायगा । न्यायालय शुल्क २५ पैसे लगेगी । यह लूटीय अनुसूची के भाग २ के मद ४४ द्वारा शासित होगी । मियाद मुधार बार्य पूरा होने के बाद ६ महीने की है ।

३. अपील—तहसीलदार की आज्ञा के विरुद्ध अपील कलबटर को होगी । दूसरी अपील नहीं होगी परन्तु अपील में दी गई कलबटर की आज्ञा के विरुद्ध पुनरोक्तण राजस्व चोई में हीगा ।

७८. मुधार सम्बन्धी विवाद—यदि कोई प्रदन—

- (क) कोई मुधार करने के अधिकार के सम्बन्ध में, या
- (ख) इस विषय में कि आया कोई बार्य विदेशी मुधार है, या
- (ग) इस विषय में कि आया कोई बार्य धारा ७१ के उपवंशों का उल्लंघन करता है, या
- (घ) धारा ७३ की उप-धारा (१) के प्रत्यंगत मुआवजे की रकम के सम्बन्ध में या उप-धारा (२) के अन्तर्गत लगान की कमी के सम्बन्ध में, या
- (इ) इस विषय में कि आया इसी मुधार के लिये मुधावजा देय है, या

(७) उक्त सुधार की रकम के सम्बन्ध में, या

(८) विसी सुधार से धारा ७६ के अन्तर्गत लाभ उठाने के अधिकार के सम्बन्ध में, उत्पन्न होता है तो, सहायक कलबटर उस प्रदर्श का निरुपय, आवेदन-पत्र होने पर या अन्यथा, करेगा ।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में गिनाई गई वारों के विषय में कोई प्रश्न उत्पन्न होने की दशा में पक्षकारों के आवेदन पर अथवा अपने आप महायक कलबटर उसे नय करेगा ।

२. प्रतिपा—इस धारा के नीचे आवेदन पत्र लृतीय अनुसूची भाग २ के मद्द नं० ४५ द्वारा नामित होगा । आवेदन पत्र सहायक कलबटर को दिया जायगा । इसकी अवधि नहीं है । न्यायालय शुल्क २५ पैसा होगा ।

३. अधीक्ष—महायक कलबटर की आज्ञा के विरुद्ध एक अपील राजम्व अपील प्राधिकारी को होगी । अपील में दी गई आज्ञा का पुनरोक्तण राजम्व बोर्ड द्वारा होगा ।

अध्याय ७

बृद्ध

७९. आसामी का युक्त लगाने का अधिकार—(१) बोर्ड आसामी अपने भूमि-दोत्र में युक्त लगा सकता है यद्यते कि उक्त युक्त भूमि यो वापादन-दाता को बम न बरे और उक्त आसामी भूमि-दोत्र का सम्पूर्ण लगान देता रहे ।

(२) यदि बोर्ड आसामी युक्त ऐसे दंप ऐ लगाता है या लगाने का विचार करता है कि जिसे ऐसी भूमि, जो उसके भूमि-दोत्र में समिलित नहीं है, का मूल्य कम हो जाय तो, बोर्ड अपिटिट जिसकं हित को उससे धाति पहुंचती हो, तहसीलदार यो एक आवेदन-पत्र, उक्त भूमि में युक्त लगाने या प्रतिवेष करते हए प्रादेश पारित करने हेतु अथवा उक्त भूमि में पहिले से लगाये गये बूझों को हटाने का आसामी को निर्देश देने हेतु, प्रस्तुत कर गकेगा और तहसीलदार, प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई या युक्त युक्त लगान देने से पश्चाद तथा ऐसी अन्य जांच जैसी हि यह उत्तुल गमने, बरने के बड़नाम, या सो आवेदन-पत्र यो ऐसे परिवर्तनों के साथ, यदि बोर्ड जोई तो, जिन्हें यह उचित समझे बहुत कर सकता है अपना नामकूर कर सकता है ।

टिप्पणी

१. विषय—इस अधिनियम से पूर्व युक्त लगाने सम्बन्धी प्रावधान विभिन्न विधानों के राजस्व कानूनों में एवं उत्पन्न वापादन युक्त दृष्टाता (नियमन) अध्यादेश में दे जो १९४६ में बनाया गया था । इस धारा में आसामी की युक्त लगाने के सम्बन्ध में आपक अधिकार दिए गए हैं जब तक कि उनके ऐना करने में घूमि भी

उत्पादन शक्ति कम न हो और आसामी पूरा लगाने देता रहे। यूथ लगाने में आसामी की हैसियत पे अत्यंत नहीं आता।¹

२. पारा भूतत्थी नहीं है—इस पारा की उपधारा (१) भूतत्थी प्रभाव याती नहीं है। इसके प्रावधान के बाल उन्हीं पेड़ों के सम्बन्ध में जो द्वा अधिनियम के लागू होने के पश्चात् लगाए गए हों। इसका उद्देश्य एक आसामी द्वारा लगाए पेड़ों में उसके पड़ोमी को हो सकने वाले उद्देश्य से बचाना है।²

३. प्रतिपा—तहसीलदार द्वारा दी गई आशा को अधील कनवटर के यहाँ होगी। दूसरी अपील नहीं होगी और पुनरोधण राजस्व मंडल में होगा। इन उपधारा (२) के नीचे पेश होने वाले आवेदन पत्र यूनीफ अनुसूची भाग २ के मद्द नं० ४६ से जासित होंगे। पै तहसीलदार के पास पेश होंगे। न्यायालय शुल्क २५ पैसे लगेगा। मियाद कुद्द नहीं।

४०. इस अधिनियम के आरम्भ के समय विद्यमान वृक्षों में आसामी का अधिकार—खातेदार आसामी के भूमि-देश में, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय, यत्र-तत्र स्थित यूथ, इस अधिनियम में किसी बात के अधिका किसी विपरीत पृष्ठा या संविदा के होने हुए भी, उक्त आसामी में निहित होंगे :

परन्तु जहाँ ऐसे यूथ, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय किसी अन्य व्यक्ति को सम्पत्ति है तो, आसामी द्वारा, उक्त व्यक्ति को उस बारे में विहित नियमों के अनुसार मुमालजा दिया जायगा।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा उन वृक्षों के लिए है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय विद्यमान थे और उससे पूर्व आसामी, भूमि धारी अधिका तीसरे व्यक्ति द्वारा काटे गए वृक्षों के स्वामित्व को प्रभावित नहीं बरती 'यत्रतत्र स्थित वृक्षों' से अभिप्राय उन वृक्षों से है जिनके कारण भूमि उपवन-भूमि नहीं बनती। भूमि से पृथक् स्प से वृक्ष नहीं बचे जा सकते।³

२. वृक्षों के विषय में विवाद—वृक्ष लगाने के अधिकार, उनको लगाने के तरीके, उनके स्वामित्व या उनको हटाने के अधिकार सम्बन्धी समस्त विवाद आवेदन पत्र पेश होने पर या अन्यथा तहसीलदार द्वारा तय किए जायेंगे।

८१. अनधिवासित भूमि से स्थित यूथ—(१) कोई व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय अनधिवासित भूमि पर स्थित किसी वृक्ष पर न्यायोचित कब्जा रखता है, उस पर निरन्तर कब्जा रखेगा और जहाँ उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे (lot) पर दे दी जाय तो वृक्ष उस अन्य व्यक्ति से इस दर्ते के अधीन निहित होंगे कि ऐसा मुमालजा दे दिया जाय जो धारा ८० के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित किया जाय।

-
1. रामनारायण v. हसन, 143 R.D. 315.
 2. देवोलाल v. मालीराम, 1965 R.R.D. 61.
 3. गोविन्दनारायण v. मदन मोहन, 1960 R.D. 55

(२) उप-यारा (१) में अन्तर्विष्ट उपवंशों के बीच रहते हुए, अधिवासित भूमि पर स्थित या इस अधिनियम के उपवंशों का उल्लंघन करते हुए लगामा गया, कोई वृक्ष भूमिभारी की समति समझा जायगा ।

८८२. वृक्षों का भूमि से पृथक्तया अन्तरणीय नहीं होना—इस अधिनियम के अन्य उपवंशों के बीच रहते हुए विनो भूमि पर स्थित समन्व वृक्ष उस भूमि से मलग्न समझे जायेंगे तथा उनमें विहित कोई भी हित, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात्, भूमि से पृथक्तया अन्तरणीय नहीं होगा, जिवाय उस स्थिति के जब कि उन वृक्षों की पैदावार को पट्टे पर दिया जाय त्रिमूर्ति अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

८९३. वृक्षों को उपवन्धित रीति के सिवाय अन्यथा नहीं हटाया जा सकता—जिसी पातून, पृथा या सविदा में कोई विशेष बात होते हुए भी, अधिवासित भूमि में स्थित कोई भी वृक्ष, यारा ८४ में उपवन्धित रीति के जिवाय अन्यथा, उस भूमि से हटाया नहीं जा सकेगा ।

८९४. वृक्ष कर और किसके द्वारा हटाये जा सकते—

+ (१) विनोपित

(२) कोई सातेदार आमासी जिसके पास अधिकृतम-देव वा भी सीमा से कम भूमि हो, अपने भूमि-शेष में स्थित वृक्षों को [किसी भी प्रभोत्रनाय] \times अपनी इच्छानुसार हटा सकेगा ।

८९५. (३) कोई गंर भातेदार आमासी, अपने भूमि-शेष में स्थित किन्हीं वृक्षों को उहमीलदार वी पूर्व घनुभवि से, अपने स्वर्य के घरेलू अववा हृषि सम्बन्धी उपयोगों के लिये हटा सकेगा ।

(४) कोई शिखमो-आमासी अपने भूमि-शेष में स्थित किन्हीं वृक्षों को, उस द्यनि दी पूर्व स्वीकृति में जिसमें लेकर वह भूमि धारण करता हो, अपने स्वर्य के घरेलू प्रववा हृषि मंवयो उपयोगों के लिये हटा सकेगा ।

(५) कोई सातेदार आमासी जिसके पास अधिकृतम-देव वा भी सीमा से प्रधिक भूमि हो, एवं ऐसे विन्हीं वृक्षों को हटाना चाहे जो उसमें विहित है या उसकी समति है या उसके कर्त्र में है, एक माइमेस के मनुसार जो कि मन दिवीजनन आकिसर द्वारा मंदूर दिया जायगा, हटा सकेगा ।

(६) उप-यारा (५) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, [मन दिवीजनन आकिसर] विहित रोति गे ऐसी जात करने के पश्चात् जो धावरक हो तथा विहित मायने वी प्यान में राहे हुए प्रतिवित साइमेन, विहित प्राप्त में, विहित फोम का मुगलान हो जाने पर, ऐसे निर्वयनों, जो तथा प्रतिवितों से प्रयोग रहते हुए, जो विहित दिये जायें, मंदूर कर सकेगा ।

८९६. रावस्यान अधिनियम मंवया २७ सन् १९५६ द्वारा दधा संशोधित

+ राज० अपि० मध्या ८ सन् १९६५ द्वारा विनुष्ट ।

\times उररोग द्वारा निरिष्ट ।

\div उररोग द्वारा प्रतिव्याप्ति ।

∴ राज० अपि० मध्या ७ सन् १९६० द्वारा प्रतिस्पाति ।

(७) इग घारा की कोई बात कि [XXX] राय गरकार पर लागू नहीं होगी भवता राजस्व अभिलेप में राज्य के नाम दर्ज न हुई किसी भूमि में स्थित किसी गृह को उसी भी प्रयोजन के लिये, हटाने, या हटाये जाने, या हटाये जाने का घाटेन देने के राय गरकार के अधिकार या पक्ष पर प्रभाव नहीं डालेगी।

[XXX]कि

टिप्पणी

१. विषय—खातेदार आसामी अपनी भूमि पर स्थित वृक्ष किसी प्रयोजन के निए काट सकता है परन्तु उपधारा (२) के नीचे अपवाद या दावा करने से पूर्व उसे मार्गित करना होगा कि वह विवाद ग्रस्त भूमि का खातेदार आसामी है।^३ गेर खातेदार आसामी को तहसीलदार से इजाजत लेनी पड़े गी।

२. घरेलू तथा कृषि सम्बन्धी उपयोग—उपधारा (३) व (४) में प्रयुक्त इन शब्दों का सम्बन्ध वृक्ष से है, न कि भूमि से।^४ यदि वृक्ष सूख चुके हो तो इस अध्याय के प्रावधान उन पर लागू नहीं होगे।^५ यदि इसके प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप हो तो उसे सावित करना चाहिए।^६

३. वृक्षों की सुरक्षा—विद्यमान वृक्षों की सुरक्षा आसामियों और अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। वृक्षों सम्बन्धी कानून का सहृदी से पालन होना चाहिए। निचली अदानत हारा किए गए जुर्माने में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा की गई कमी की सराहना नहीं की जा सकती।^७

४५. वृक्षों से सम्बन्धित विषाद—यदि कोई विवाद—

(क) कोई वृक्ष लगाने के अधिकार के सम्बन्ध में, या

(ख) उसे लगाने की रीति के सम्बन्ध में, या

(ग) उसके स्वाभित्व के सम्बन्ध में, या

(घ) उसे हटाने के अधिकार के सम्बन्ध में,

उत्पन्न हो जाय तो, उस विवाद का निर्णय आवेदन-पत्र देने पर या अन्यथा, तहसीलदार द्वारा दिया जायगा।

४६. अवैध रीति से हटाये जाने पर शास्तियाँ—जो कोई घारा ८३ या घारा ८४ के समस्त उपयोगी वा या उनमें से किसी वा या तदन्तर्गत मंजूर किये गये लाइसेंस के किसी निवंधन

^३ राज० दण्ड० संस्का २७ सन् १९५६ द्वारा विलुप्त।

१. भूरा v. भुरारदान, 1955 R.L.W. (R.S.) 7.

२. बड़ी प्रसाद v. स्टेट, 1954 R. L. W. (R.S.) 100 : 1954 R.R.D. 25.

३. खामदार डिलाना निभेडा कला v. जगपाल, 1955 R.L.W.(R.S.) 139.

४. पल्ल्याण v. स्टेट, 1965 R.R.D. 235.

५. नपरोक्त

नर्म या प्रनिवन्ध वा उल्लंघन करता है, + [आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने या रिपोर्ट किये जाने पर, महायक बल्लब्दर द्वारा—]

× (क) प्रथम उल्लंघन की दशा में,

[१] जहाँ वृक्ष हटाया गया हो, ऐसे जुर्माने में जो हठामें गये प्रत्येक वृक्ष के लिये एक सौ रुपये तक हो सकेगा; तथा

[२] अन्य भागों में, ऐसे जुर्माने से बीं एक सौ रुपये तक हो सकेगा; तथा

(ग) द्वितीय अवधि तदनुसारी उल्लंघन की दशा में, ऐसे जुर्माने में जो लकड़ (क) में दरियोरियन किये जा सकते थाएं जुर्माने की रकम के दुगुने जुर्माने तक हो सकेगा, दण्डित किया जा सकेगा

—[धौंर कोई वृक्ष या लकड़ी त्रिसके विषय में उल्लंघन किया गया हो, राज्य मरकार के हक्क के जर्म की बा सकेगी ।]

∴ ८७. दिल्लीनि

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में धारा ८३ व ८४ के उल्लंघन पर दण्ड का विवाह है। इस अधिनाय में शब्द 'वृक्ष' से संबंधित जीवित, हरे वृक्ष में है और उसके सूख जाने पर वह वृक्ष नहीं रह जायेगा ।^१

२. प्रक्रिया—यह धारा अपने आप में सम्पूर्ण है। इसकी बार्य दियि राजस्व प्रकार की है न कि कोत्रारो प्रकार की जब तक कि वृक्ष किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन में मैं नहीं हटाए जावें। इस विषय में अभियोग पर सहायक कल्पटर विषार करेगा जिसे उसका निपटारा न्यायिक तरीके में करना होगा। जब वृक्ष मरकार की सूमि में हटाए जावें तो राज्य की ओर से तहसीलदार को प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यह बान सावित करने का भार आतोर सागने वाले पर है कि काटा गया के वृक्ष हरा या। ऐसे आवेदन-पत्र दूतीय प्रत्युम्भी के भाग दो के मद ४८ द्वारा शासित होंगे। न्यायालय युक्त २५ पैसा है। मियाद कुछ नहीं। अपील राजस्व अपील अधिकारी की व पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा।

३. जुर्माने की पाइ—जुर्माने की रकम अपराध की गंभीरता के अनुपान में होनी चाहिए। जहाँ १२० वृक्ष काटने पर केवल २५) ह० जुर्माना किया गया तो इसे बहुत अर्थात् समझा याहा ।^२

+ राज० अधि० गत्या ७ सन् १९१० द्वारा निर्विष्ट ।

× राज० अधि० गत्या २५ सन् १९५८ द्वारा दर्ततरायित ।

÷ राज० अधि० गत्या २७ सन् १९५९ द्वारा बोडा गया ।

∴ राज० अधि० गत्या २७ सन् १९५९ द्वारा विमुण ।

1. राजस्व अधिकारी नियमा v. वायात, 1955 R.L.W. (R.S.) 139.

2. बोडी प्रसाद v. स्टेट, 1954 R.P.D. 21.

अध्याय द

घोपणात्मक दावे

८८. अधिकार की घोपणा हिंदू दावे—(१) कोई व्यक्ति जो आसामी या सह-आसामी है इसकी घोपणा करवाने के लिये कि वह मामामी है अथवा उस गंयुत वास्तवारी में अपने हिस्से की घोपणा करवाने के लिये दावा कर सकेगा ।

(२) खुदकाश्त का आसामी इस घोपणा के लिये दावा कर सकेगा कि वह खुदकाश्त वा आसामी है ।

(३) शिकमी-आसामी ऐसे व्यक्ति पर जिससे लेकर वह मूमि धारण करना है यह घोपणा करवाने के लिये दावा कर सकेगा कि वह शिकमी-आसामी है ।

(४) राज्य सरकार से मिन्न कोई भूमिधारी ऐसे व्यक्ति पर जो विसी भूमि-धेत्र का आसामी या सह-आसामी, अथवा खुदकाश्त का आसामी या शिकमी-आसामी होने का दावा करता है, उसके अधिकार की घोपणा के लिये दावा कर सकेगा ।

टिप्पणी

१. विषय—इस अधिनियम में यथा परिभाषित आसामी, सह आसामी, खुदकाश्त का आसामी और शिकमी-आसामी घोपणा के लिए दावा ला सकता है । इसी प्रकार राज्य सरकार के अतिरिक्त भूमि-धारी भी इनके विस्तृद्वं घोपणा के लिए दावा ला सकता है । देव मूर्ति भी एक विधिव्यक्ति (कानून की व्यष्टि से व्यक्ति) होती है और इस धारा के अर्थात् वह आसामी हो सकती है ।^१ यथोलिखित अनुतोष अधिनियम (कानून दादरसी खास) की धारा ४२ के साथ पछित यह धारा राजव न्यायालयों पर आसामी होने के दावेदार व्यक्तियों के अधिकारों की घोपणा के लिए विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई है । घोपणा कारी व्यादेश देना विवेकाधीन है ।^२

२. आनुयायिक (परिणामी) अनुतोष—दावे में अनुतोष में घोपणा के साथ आनुयायिक (Consequential Relief) का मांगा जाना आवश्यक है अन्यथा दावा सही नहीं होगा ।^३ जैसे यदि कोई वादी घोपणा के लिए तो दावा करदे और प्रतिवादी का कब्जा होते हुए भी वापिस कब्जा पाने का अनुतोष (दादरसी) नहीं चाहे तो दावा चलने योग्य नहीं होगा ।

३. सदृश का भार—यह घोपणा चाहने के लिए कि वादी आसामी है, अपनी आसामी की हैसियत सावित करने का भार वादी पर है न कि उसको ना सावित करने का भार प्रतिवादी पर ।^४ जहाँ भूमि संयुक्त बजे में दिखाई गई है और वादी सहभागी

1. रखुदरदास v. काशीनाथ राव, 1949 R.D. I.

2. घट्टुल बालिक v. पालदास लालून, A. I. R. 1955 Tripura 2.

3. दत्तात्रेय राम राव v. रामनना वाई, A.I.R. 1956 Nagpur 95.

4. शिखनन्दन सिंह v. प्रीतम, 1949 R.D. 357

के अधिकार घोषणा का दावा नाना है तो विभाजन मार्गित करने का भार प्रतिवादी पर होगा ।¹

५. बुद्धस्ती की कार्यवाही घोषणा के लिए दावों में बाधा नहीं—जहां कोई आसामी बन्दोबस्त में आसामी दर्ज होने में रह जावे और केवल शिकमी दर्ज हो जावे और उसकी दुरुस्ती के लिए आवेदन पत्र खारिज हो जावे तो वह आज्ञा इस धारा के नीचे वाद में घोषणा के लिए लाए जाने वाले वाद में बाधा नहीं होगी ।²

६. बुज्जों वादत घोषणा—भूमि क्षेत्र में कुछां समिलित है जो चाहे आसामी के भूमि-क्षेत्र से शुलग नम्बर पर ही हो । अधिनियम के नीचे के मामलों में या अनुसूची तृतीय में वरणित घोषणा एवं धारेश के दावे राजस्व न्यायालय में एवं केवल सुखाधिकार के दावे मिलित न्यायालय में होंगे ।³

७. परियार—वादी के अधिकार की घोषणा के दावे सहायक कलक्टर के यहां होंगे और अनुसूची तृतीय भाग १ के मट्ट नं० ५ हारा शासित होंगे । न्यायालय शुल्क ५० पैसा होगा परन्तु प्रत्येक आनुपंगिक धर्यवा आगे के अनुतोप के लिए अलग शुल्क लगेगा । मियाद कुछ नहीं । पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को व दूसरी राजस्व बोर्ड में होगी । पुनरीक्षण नहीं होगा ।

८१. काइतकारी—वर्ग धारि के लिये दावे—काइतकारी के दीरात किसी भी समय, आसामी धर्यवा राजस्व सरकार से भिन्न कोई भूमिपारी, विभाजित समस्त मामलों पर उनमें ने दिनहीं की घोषणा के लिये दावा कर सके था—

(क) वर्ग विभाग में आसामी आता है ।

(ख) भूमि-क्षेत्र (होलिङ्ग) के क्षेत्र-पत्र, संव्याधित पत्रों, धर्यवा उसकी सीमाएँ ।

(ग) भूमि-क्षेत्र के विषय में देय लगान नथा उसे छुकाने की रीति ।

(घ) लगान नकद में देय होने की दशा में, वे तारीखें तिनको नथा वे रिक्वेट जिसमें, लगान का मुगवान किया जाना है ।

(इ) लगान जिसमें देय होने की दशा में, फरमांडों के मूल्य-नियांरण, विभाजन या परिवर्तन (डिनीवरी) पर समय, स्थान और रीति ।

(फ) गैर-धारानेशार आसामी, या गुदराइन में आसामी या शिकमी-आसामी की दशा में, गमनावधि जिसमें काइतकारी कायग रहनी है, और

(ड) सोईं भी विविष्ट शर्तों जो इस अधिनियम के उपर्योग से घर्गंगत न हों ।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के नीचे दावा मुक्तना भूमि धारी और उनके आसामी के

1. नारायण v. विभाजन, 1965 R.R.D. 393

2. बोराइर v. विभाजन, 1937 R.D. 82

3. रामराज बोगा v. रामनान गूडर, 1967 R.R.D. 366

बीच मा उससे उत्तरा होगा है और ऐवन दस धारा मे वतावे गए मामलों के लिए ही ही सकता है। नकारात्मक घोषणा कि वादी समान 'ने गा दायी नही है इस धारा के नीचे हो सकता है।¹ जिसी गेन की गोमा वी पत्तर गढ़ी मे लिए दाया दस धारा के नीचे नही हो सकता।²

२. वादकारजों का संयोजन (Joiner of Causes of action)—पदि वदाहारवे ही हों तो कई भूमि-धोरों के विषय मे एक ही दावा पेश किया जा सकता है।³ पदि पथकार एक ही नही हो तो वाद कारणों का दुर्योजन (misjoinder) हो जायगा और वाद खारिज हो सकेगा।⁴

३. प्रतिष्ठा—इस धारा के नीचे दावा त्रीय अनुमूली भाग प्रथम के गद नं० ६ द्वारा शासित होगा और सहायक कन्विटर के यहां पेश होगा। नियत व्यापालय शुल्क ५० पैसे का होगा और आगे और अनुतोप चाहे जाने पर प्रत्येक अनुतोप के लिए प्रलग शुल्क लगेगा। मियाद कुछ नही है परन्तु कास्तकारी के चालू रहने के दौरान दावा होना चाहिए। पहली अपील रा० अ० प्रा० को और दूसरी राजस्व चोर्ड को होगी। पुनरीक्षण नही होगा।

६०. भूमि के खुदकाश्त होने की घोषणा के लिये दावा—जब किसी ऐसी भूमि, जिसके सम्बन्ध में आसामी वा पह दावा हो कि वह उसकी भूमि-धोर (होलिंग) है पर उसमें वह काश्त करता है, के विषय में भूमिधारी भी यह दावा करे कि वह उसकी खुदकाश्त है तो, उस प्रासामी व्यवहा भूमिधारी अपनी स्थिति की घोषणा के लिये दावा कर सकेगा।

टिप्पणी

१. विषय—जब भूमि को भूमिधारी तो अपनी खुदकाश्त बतावे और आसामी उसे अपना भूमि-धोर बतावे तो उनमें से कोई भी इस धारा के नीचे दावा ला सकता है। यह धारा उस समय लागू होगी जब कि भूमि-धारी प्रतिवादी को भूमि-धोर का आसामी तो स्वीकार करता हो परन्तु विवाद केवल कृपि-अधिकार की किस्म (Class of tenancy) के विषय में हो।⁵

२. कब्जे का प्रश्न—इस धारा के नीचे किए गए दावे मे कब्जे के बारे में एक राय तो यह है कि भूमि-धारी तो अपनी भूमि का प्रलक्षित कब्जा (Constructive possession) रखता है—उसका काश्त द्वारा कब्जा होना आवश्यक नही है। उससे तो यही सावित करने को अपेक्षा वी जाती है कि भूमि उसकी खुदकाश्त के रूप में है। दूसरी राय यह है कि

1. स्वामीनाथ दुवे v. दुवार केवट, 1947 R.D. 151

2. जमना सरण v. दुरगाप्रसाद, 1949 R.D. 414

3. पारा ९२

4. महादेवसिंह v. मुहम्मद कास्त, 1952 R.D. 12

5. रघुदेव दुवे v. कस्तूरी मस, 1954 R.D. 629.

दावे में डिक्की नहीं दी जा सकती यदि यह सावित नहीं हो जाता कि खुदकान के रूप में जिस भूमि पर दावा है उस पर वादी का कब्जा है। यहाँ हमारा विनाश निवेदन है कि पहली राय सही है और राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रंहण अधिनियम के प्रावधानों में सुनिश्चित है।

३. दाव धारणों का संयोजन—देखिए धारा ८६ पर टिप्पणी।

४. प्रदिधान—इस धारा के नीचे दावे हृनीय अनुसूची भाग १ के मद नं० ७ धारा शासित है। साधारण कलनपटर के यहाँ वे पेश होंगे परन्तु उनमें स्वामित्व का प्रश्न उठे तो सिविल न्यायालय में ऐसे जावेगे। न्यायालय शुल्क ५० पैसे का होगा। यदि आनुपंगिक या आगे का अनुतोष चाहा जावे तो प्रत्येक के लिए अलग शुल्क लगेगा। मियाद कुछ नहीं है परन्तु प्राप्तिकारी के यहाँ होंगी और स्वामित्व का प्रश्न होने पर सक्षम सिविल न्यायालय में होंगी जहाँ विस्तृत स्वामित्व का प्रश्न तथ करने वाले अधीनस्थ सिविल न्यायालय की अपील होती है। द्वितीय अपील, यथा रिप्पित, राजस्व बोर्ड अध्यवा उच्च न्यायालय में होंगी। पुनरीकाण नहीं होगा।

५. अग्र अधिकारों की पोषणा के लिये दावा—कोई व्यक्ति, निदिष्टतया बन्धुपा उपबंधित होने की स्थिति के बिवाय, अपने उन समस्त अधिकारों अथवा उनमें से किन्हीं की पोषणा के लिये जो उसे इस अधिनियम, द्वारा प्रदत्त हों, एवं जिनके लिये अन्यथा उपबंध किये हए नहीं हों, दावा कर सकेगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में उन मामलों का समावेश किया गया है जिनको पिछली तीन धाराओं में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रकार जिस व्यक्ति को इस अधिनियम के नीचे अधिकार तो प्रदान किए गए हैं परन्तु जिनका मामला पिछली तीन धाराओं में नहीं आना तो वह राजस्व न्यायालयों में दावा ला सकता है। इसलिए इस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए समस्त अध्यवा निहीं अधिकारों के लिए इस धारा के नीचे पोषणा की जा सकती है।

पांचा V. हरगोविन्द (1962 R. L. W (R.S.) 76 : 1962 R. R. D. 169) में राजस्व मंड़ल ने यह तथ बिया था कि जहाँ इस अधिनियम की धारा ५ (२८) के अर्थों में कोई भूमि चरागाह भूमि की भाँति बाम आ रही ही तो उस भूमि को चरागाह भूमि घोषित करने का दावा धारा ११ के नीचे राजस्व न्यायालय में लालना महीं था। परन्तु हाल ही में राजस्वान द्वारा बोर्ड ने राजस्थान राजस्व बोर्ड की पुर्सी पीड (पुनर्गोच) के उग निर्णय को उनके दिया है और यह निर्णय दिया है कि जहाँ बाम निवागियों का अधिकार, इनी चरागाह भूमि में वेदन रिवाज या हस्ति (Custom) के बारे दो हों तो इस दावन पोषणा का दावा राजस्व न्यायालयों द्वारा विचारणीय नहीं होगा।¹

1. नामूराम v. राजस्व बोर्ड, 1967 R.R.D. 376.

जितना उसके ब भूमि-धारी के बीच तथ्य हो जाय ।

टिप्पणी

यह धारा भूतलक्षी नहीं है और इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् स्वीकार निए गए आसामियों पर लागू होती है । भूमि धोन पर प्रविट (स्वीकार) कर लिए जाने के समय आसामी और भूमि धारी के बीच जो लगान तथ्य ही जाय वह दिया जायगा परन्तु वह धारा ६७, ६८, ६९ व १०४ के उपबन्धों के अधीन होगा ।^१ यदि तथ्य शुद्ध लगान इस अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध है तो ऐसा करना उस सीमा तक शून्य होगा ।

६५. लगान के सम्बन्ध में अनुमति—आसामी द्वारा देय लगान या लगान-दर वह लगान या लगान-दर मानी जायेगी जो उसके द्वारा धारा ६४ के प्रत्यंगत देय हो, जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार परिवर्तित न करदी जाय ।

टिप्पणी

इस धारा का प्रभाव यह है कि किसी आसामी द्वारा देय लगान ही उसके द्वारा पूर्व में दिया जाने वाला अनुमानित लगान माना जायगा । उसमें धारा १२० के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है । चुकाया जाने वाले लगान से अभिप्राय वास्तविक रूप में चुकाये गए लगान से नहीं है ।^२

लगान की उच्चतम सीमाएँ

९६. अधिकतम नकद-लगान जो सरकार वसूल कर सकेगी - किसी विपरीत कानून, नियम, प्रधान, रिवाज या रीति के होते हुए भी, नकद लगान के रूप में ऐसे आसामी से जो सीमे राज्य सरकार से लेकर भूमि धारण करता है वसूल की जा सकने योग्य अधिकतम राशि—

- (क) जहां उक्त भूमि के सम्बन्ध में लगान बन्दोबस्त के दोरान निश्चित किया जा चुका हो, उस भूमि के सम्बन्ध में तत्पूर्व बन्दोबस्त में स्वीकृत लगान-दर से, तथा
- (ख) जहां उक्त भूमि के सम्बन्ध में लगान, बन्दोबस्त के दोरान निश्चित नहीं किया गया हो, निकटस्थ तत्स्तव्य भूमि के सम्बन्ध में तत्पूर्व बन्दोबस्त में स्वीकृत लगान-दर से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा तभी लागू होनी है जबकि भूमि सीधी सरकार से धारण की गई हो । जब लगान की दरों के विषय में विवाद हो तो पटवारी स्वीकृत दरों को साखित करने के लिए सक्षम नहीं है ।^३ बन्दोबस्त की दरों को साखित करने का ठोक तरीका यह है कि महालबार कर निर्धारण दपतर से मुसंगत उद्धरणों की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जावे ।^४

1. कजोड़मल v. मूलिया, 1962 R.R.D. 76

2. दुली v. विषय बहादुरसिंह, 1930, 14 R.D. 91

3. कन्हैयालाल v. साहिब राजा बपूरयला, 1944 R.D. 543.

4. उरोक्त

न्यायालय को बन्दोबस्तु की दर निश्चित करने का अधिकार नहीं है।^१

१७. अधिकारम नकद-लगान निर्धारित करने वाली सत्ता—किसी दिप्रीत प्रथा, रिवाज पथवा योग्य प्रमाणशील क्रियी विधि, अधिनियमिति, नियम, विद्या या आज्ञा में निहित किसी दात के होते हुए भी, राज्य सरकार नकद लगानों को वह अधिकारम भागा निर्धारित कर सकेगी जो भू-ममता-धारक द्वारा आसामी में या आमामी द्वारा शिकमी-आसामी से, पारा ६८, ९९, और १०० के उपचानों के अनुसार वसूल दी जा सकेगी।

१८. भू-राजस्व बन्दोबस्तु में निश्चित हो जाने को दाता में अधिकारम लगान—ऐसे दोनों में जहा भू-राजस्व बन्दोबस्तु में निश्चित हो जाया हो, और लगान आसामियों द्वारा नकद में देय है, राज्य सरकार, वह अधिकारम लगान जो भू-ममतिधारक वसूल कर सकेगा, भू-राजस्व की रकम तथा इष्ट-सम्बन्धी दाताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करेगा और उक्त भू-राजस्व की रकम के तीन-चूने ने अधिक नहीं होगा।

टिप्पणी

जब लगान निश्चित नहीं कर दिया हो तो भूमि धारी उसके ब आसामी के बीच तम होने वाली अधिकारम रायि नेने का हकड़ा है। इम धारा व धारा १०१ के नीचे अधिकारम लगान नभी वसूल किया जा सकता है जबकि इस इलाके का बन्दोबस्तु हो चुका हो।^२ परन्तु यदि तथा युदा लगान अधिकारम निर्धारित सीमा से अधिक हो तो वह उस सीमा तक दृग्य है।^३

१९. ऐसे दोनों में जिनमें लगान बन्दोबस्तु में निश्चित दिया जा चुका हो, अधिकारम लगान—ऐसे दोनों में जिनमें लगान बन्दोबस्तु द्वारा निश्चित कर दिया हो, और शिकमी-आसामी लगान नकद में देने हों, आसामी द्वारा उपने शिकमी-आसामी से वसूल दिया जाने वाला अधिकारम-लगान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा ताकि वह उस रकम के दुगने से अधिक न हो औ उक्त आसामी द्वारा देय है।

२०. बतिष्य दाताओं में उच्चतर अधिकारम-रायि—धारा ९८ तथा ९९ में निहित किसी दात के होते हुए भी, नगरीय दोंश में दिवी भूमि-दोंश के सम्बन्ध में देय, घटका किसी दिप्रा, घटवस्तु, अगमर्य-ध्याति या २५ वर्ष से कम वायु के ऐसे दिवार्यों जो किसी मान्दता-शाख सूत्र में अध्ययन कर रहा हो, को देय नकद-लगान की रायि, उस रकम की देढ़-चूनी रक हो गरेगी जो उस पाराओं के अन्तर्गत निर्धारित ही जा सकती है।

उच्चतोरंग—'नगरीय दोंश' में, दृग धारा के अन्तर्गत, तात्पर्य ऐसे दोनों से है जिनमें आसामी भूमि उपा इष्ट भूमि वर्ष से कम १५००० जन संख्या वाले कस्ते से दो मील की दूरी पर है।

1. विनिकन्द्र v. जपमोहन, 1941 R.D. 955.

2. नारायण v. नामीरय, 1959 R.R.D. 77.

3. मारनतिह v. मानमत, 1958 R.R.D. 146.

के [१०१. अधिकतम राजि लगान सामन-दर से ऊपर वृद्धि परत हेतु नियांसी नहीं होगी—पारा ६८, १९ तथा १०० के उपरांयों के लगुगार पारा ७७ के घटीन निर्धारित अधिकतम लगान, किसी ऐसे आसामी या निकम्भी-आसामी गे बगूच दिये जाने वाले लगान में वृद्धि करने का कार्य नहीं करेगा जो इस प्रधिनियम के प्रारम्भ के समय उस अधिकतम-दर की अपेक्षा कम दर से लगान दे रहा हो जो उस हपेण निर्धारित की जा सके ।

१०१-ब. अधिकतम सम्यन्पी उपरांय उन भूमियों में लागू नहीं होने जिनमें एकदार पृथ्वी हों तथा जिनका बन्दोबस्त नहीं हुआ हो—पारा ६८, ६६ तथा १०० के उपरांय उन भूमियों पर लागू नहीं होने जिनमें फसलार वृक्ष सभी हुए हों तथा जिनके विषय में भू-राजस्व निर्धारित नहीं किया पाया हो ।]

१०२. बसूली करनी गई अतिरिक्त रकम को बसूली—यदि कोई भूमिशारी पारा १८, ६६ और १०० के साथ यठित पारा ७७ के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम लगान के अतिरिक्त लगान बसूल करता है तो आसामी द्वारा एक आवेदन-पत्र उक्त बसूली से लोन वर्ड X के भीतर तहसीलदार को दिये जाने पर उक्त अतिरिक्त लगान उस भूमिशारी से भू-राजस्व की बदाया के रूप में बसूब किया जा सकेगा ।

— [१०३. अतिरिक्त मामलों में जिन्ही लगानों का नकद लगानों में परिवर्तन—ऐसे दोनों में जिनमें लगान-दरें नियसित (evolved) नियिचत तथा स्वीकृत नहीं की गई हों लेकिन वर्तनिर्धारण सकिल इन दिये गये हों तथा सकिल-दरों नियिचत कर दी गई हों, सहायक एम्बेटर, आवेदन-पत्र प्रस्तुत होने पर, उक्त सकिल-दरों के आधार पर आसामी द्वारा दिये नकद-लगान नियिचत कर सकेगा और इस प्रकार नियिचत किये गये लगान की चोषणा, विहित रीति से, गांव में कर सकेगा ।]

१०४. जिन्ही लगान की उच्चतम दरें—(१) किसी विपरीत अनुबंध, प्रया, रिवाज या रीति के होते हुए भी, जहाँ लगान जिन्ही में देय हो वहा भूमिशारी आसामी से जो अधिकतम-लगान बसूल कर सकेगा वह प्रत्येक फरान की समग्र-उपज (gross produce) के १/६ भाग से अधिक नहीं होगा ।

+ [परन्तु राज्य सरकार, इस पारा के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम लियसी-लगान के उपर, आसकोप + राजपत्र में अधिकूचना द्वारा समय-समय पर, ऐसा आविष्क नियिचत कर सकेगी जो पारा ४६ को उप-पारा १ के सभ, (क), (ख), (ग), (घ), (ड) तथा (ब) में वर्णित व्यक्तियों में से किसी दो निकम्भी-आसामी द्वारा लगान के रूप में देय हो ।]

क्षे राज० अधिक० सम्बा २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्पाति ।

× राज० अधिक० सम्बा ७ सन् १९६० द्वारा प्रतिस्पाति ।

÷ राज० अधिक० सम्बा २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्पाति ।

+ राज० अधिक० सम्बा २७ सन् १९५६ द्वारा जोड़ा गया । तथा २ दन् १९५८ द्वारा सन्तोषित किया गया ।

स्पष्टीकरण—इस उप-धारा में पद "समग्र उपज" में पुष्टाल, भूसा, या फलत के सूते छंटा, या धास अथवा पाला, लूंग पन्नों या पपड़ी या ऐसी ही अन्य कोई प्राकृतिक उपज, अन्यलिंग नहीं है।

(२) उप-धारा (१) की कोई बात—

- (क) धारा १४ के अन्तर्गत महमति से तथा किये गये अथवा धारा ११५ के अन्तर्गत निदित्त लगान के रूप में, आसामी द्वारा देय रकम अथवा आनुपातिक राशि, जो भी हो, में वृद्धि करने का कार्य नहीं करेगी या
- (ख) किसी कमल जैसे व्यास, चारा, जीरा, धनियां, तम्बाकू, गलसी तथा ऐसी ही अन्य फसलों के बारे में पृथ्यानुकूल दर के अनुसार देय किसी नकद-संग्राह (जिसे स्थानीय रूप में बीघाड़ी कहते हैं) को प्रभावित नहीं करेगी, या
- (ग) राजस्थान माईनर इरीगेशन एण्ड फ्रेनेज बवर्स एक्ट १९५३ (राजस्थान एक्ट १२, सन् १९५३) के उपर्योग के अनुसार लगान में, कमी करवाने के आसामी के हक को अथवा वृद्धि करवाने के भूमिधारी के हक को भावित नहीं करेगी, या
- (घ) इस एक्ट से भिन्न तत्समय प्रभावशील किसी कानून के अन्तर्गत लगाये गये किसी गुल्क, दर या प्रभार के सुगतान को, प्रभावित नहीं करेगी।

टिप्पणी

१. विषय—उपधारा (१) उन सब मामलों में लागू होती हैं जहां लगान जिस रूप में दिया जाता हो विना इस विचार के कि उनका निदित्त लगान कोसे किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह केवल उन्हीं मामलों में लागू नहीं होती जहां लगान फसल के अनुमान या कूटे पर आधारित होता है अथवा जहां उपज को किसी अनुपात में भूमिधारी तथा आसामी के बीच विभाजित कर निया जाता है।^१

२. अधिकतम लगान—उपज पर लगान प्रत्येक फसल पर वेदावार के ३ भाग से अधिक नहीं हो सकता। अतः हकदार होने पर भी इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् इसके उपर्योग द्वारा विहित सौमा से अधिक लगान भूमिधारी जिसमें आसामी भी सम्मिलित है, नहीं ले सकता।^२

१०५. जहां उपज में भूमिधारी योगदान देता ही वही किसी लगान को दर उच्चनर होता—जहां भूमिधारियों द्वारा निकम्भी-भातामियों अथवा गुदकारत के आसामियों के साथ ऐसा प्रदूर्बल रिया जाय कि वे (भूमिधारी) फसल में हिस्सा लें और राइ तथा बीज पर हुए अप्य वा व्यास अविभाग भूमिधारी द्वारा देवर उपज में योगदान बढ़े हो, धारा १०४ के अनुसार अमूल रिया जाने वाला किसी लगान उपज-उपज के १/४ तक हो गये गा :

परन्तु यसके में हिस्सा बंटाने का अनुरंग इन धारा के अन्तर्गत शास्त्रव न्यायालय द्वारा

1. करोटमस v. भूमिधारी, 1962 R.R.D. 76.

2. रामगहाय v. टोटिया, 1961 R.R.D. 124.

तब तक माल्य नहीं होगा जब तक कि उक्त घनुसंग भूमिधारी द्वारा गिरामी-मारामी या शुद्धारात्र के पासामी के साथ पर्योगित सेन-पत्र के जरिये गंतादिगं नहीं किया गया हो ।

लगान का हिसाब लगाना

१०६. लगान का हिसाब कंगे सामाया जाएगा—जिसी भूमिक्षेत्र के सामान या हिसाब साधारणतया उस दोष के लिये जिसमें उक्त भूमि-दोष स्थित है, स्वीकृत गता निश्चित की गई लगान-दरों के प्रत्युसार लगाया जायगा ।

टिप्पणी

बन्दोवस्त के दोरान आसामी से बमूल किया जाने वाला प्रारंभिक लगान बही ही सकता है जो उसके ओर भूमिधारी के बीच तय हो चुका हो ।^१ जब आसामी को बन्दोवस्त अधिकारी द्वारा लगान निश्चित करने के पश्चात् प्रवेश मिले तो वह इस पर निश्चित दर ही दे सकता है न कि तय शुद्धा लगान यदि वह अधिक हो ।^२

लगान की दरें और लगान-दर भूमिधारी की नियुक्ति

१०७. कठिपय स्थितियों में लगान की दरों का निश्चयन—किसी ऐसे दोष के सबप में जिसके लिये लगान की दरें निश्चित नहीं की गई हो या जिसमें बन्दोवस्त की अवधि समाप्त होने के पहिले ही लगान की दरों का पुनरोक्तण प्रावश्यक समझा जाय, राज्य सरकारकी[शासकीय राजपत्र] में अधिसूचना द्वारा—

(१) यह आदेश दे सकती है कि उक्त दोष में या किसी जिसे या उसके किसी भाग में लगान की दरें पुनरोक्तण द्वारा या अन्यथा निश्चित की जायेंगी, और

(२) किसी भी अधिकारी को जो सहायक कलबटर से नीचे पद का न हो, जिसे एतत्प्रत्यात लगान-दर अधिकारी सम्बोधित किया गया है, इस अधिनियम के उपवधों के अनुसार लगान की दरें प्रस्तावित करने के लिये नियुक्त कर सकेंगी ।

टिप्पणी

इस धारा के अन्तर्गत लगानदर-अधिकारी की नियुक्ति की जायगी जिसका दरजा सहायक कलबटर से नीचे का नहीं होगा ।

१०८. लगान-दरों को अवधि—जब दिसी दोष या उसके किसी भाग के लिये लगान-दरें इत्य अधिनियम के उपवधों के अन्तर्गत निश्चित कर दी गई हों तो वे उम समय तक पुनरनिश्चित नहीं की जायगी जब तक कि उक्त दोष या उमके हिसी भाग के बन्दोवस्त की अवधि समाप्त न हो जाय :

परम्परा राज्य सरकार अवधि समाप्त होने पे पूर्व मी लगान-दरों के पुनरनिश्चयन का

1. खेता V. हरदवायाग, 1960 R.R.D. 93

2. उपरोक्त ।

क्षे राज्य अधिकारी सम्मा २ यां १६५८ द्वारा प्रतिस्थापित ।

आदेश इस प्राधार पर दे सकती है कि एपि-मंबियो उपच या किसी विशेष प्रकार की उपच की दरों में सारभूत वृद्धि या कमी हुई है :

परन्तु यह और है कि राज्य सरकार एपि-उपच की दरों में कोई सारभूत वृद्धि या कमी न होने की स्थिति में या प्रशासनिक सुविधाओं के बारण, लगान की दरों के पुनर्निदेशन को ऐसी अवधि के लिये स्थगित कर सकती है जिसे वह उचित समझे ।

टिप्पणी

धारा १०७ के नीचे निश्चित दरें पुनः निश्चित तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि उस क्षेत्र अद्यता भाग के बन्दोबस्त की अवधि स्थापित नहीं हो जाय । फिर भी इस धारा में दिए गए आधारों पर राज्य सरकार लगान दरों को इसमें पूर्व भी फिर निश्चित करने की आज्ञा दे सकती है ।

(१). लगान अधिकारी की अतिरिक्त शक्तियाँ—(१) इस अधिनियम के उपर्यों के अनुमान लगान दरों के प्रस्ताव करने के साथ लगान-दर अधिकारी, यदि वह ऐसा करने के लिये सरकार द्वारा अधिकृत किया गया हो, लगान के निश्चयन, भन्तवंतन, कमी तथा वृद्धि के बादों पर भी लिएंगे इन अधिनियम के उपर्यों के अनुमान करेगा ।

(२) ऐसे बाद उसके न्यायालय में ऐसी अवधि के नीतर दायर किये जा सकेंगे जिसे वह बोई की स्वीकृति से निश्चय करे और उन बादों में पारित दिक्कियों तथा आदेशों की अपील, पुनरावलोकन उमी प्रकार किया जा सकेगा मात्रों वे किसी सहायक कलक्टर द्वारा पारित दिक्कियों तथा आदेश हों ।

टिप्पणी

उग्र धारा के नीचे किए जाने वाले दावे वृत्तीय अनुमूल्यों के भाग १ के मद ६ द्वारा शामिन होंगे । ये लगान-कर अधिकारी के न्यायालय में पेश होंगे । इनकी मियाद लगान-कर अधिकारी राजस्व मंडल की स्वीकृति में निश्चित की जायगी जिसके गुजरने के पश्चात वे उस न्यायालय में दायर किए जायेंगे जिसमें साधारणतः होते हों । न्यायालय शुल्क ५० पेश होगा । दिक्की की प्रथम अपील राजस्व अधिकारी को वह हमरी राजस्व वोई को होगी । लगान-दर अधिकारी की आज्ञा के विषद् अपील राजस्व प्राधिकारी को होगी । राजस्व वोई को द्वितीय अपील नहीं होगी अतः राजस्व वोई में पुनरीक्षण होगा ।

लगान-दरों के निश्चयन की प्रणाली

(१). लगान-दरों (हस्तों) का निर्माण तथा मृदा (मिट्टी) दण्डरण—(१) लगान-दर अधिकारी, यदि वह शेष विषये लगान-दरों निश्चित की जानी है, पहिले से ही दर-निर्धारण हस्तों में विभाजित हो, प्रत्येक हस्ते के लिये तथा उसकी मिट्टी की दर एक पृष्ठक विश्व में निये, पृष्ठक हस्तों पर प्रस्तावित होता ।

(२) यदि पृष्ठ शेष विषये लगान भी दरों निश्चित की जानी है तर-निर्धारण हस्तों

में विभाजित नहीं किया गया हो या उसकी मृदा का वर्गीकरण नहीं किया गया हो अथवा उसका पुनरीक्षण किया जाना प्रयोगित हो तो सगान-दर अधिकारी, राजस्वान लंगड़ा तथा सर्व सेटिसमेण्ट एषट १६५३ (राजस्वान एषट १९, तात १६५३) में निश्चित प्रलापों के अनुसार मृदा का वर्गीकरण करेगा तथा हक्कों का निर्वाण करेगा और प्रत्येक हक्के की हर रिस्म की मृदा के लिये सगान-दरों प्रस्तावित करेगा ।

टिप्पणी

इस धारा में बनाया गया है कि सगान-दरे निश्चित करने के लिए मृदा (मिट्टी) का वर्गीकरण (चक्र तराशी) करना होता है और प्रत्येक प्रशार के लक के लिए इसकी मिट्टी की किस्म (काली, चिकनी, बालू इत्यादि) के अनुसार सगान की दर निश्चित की जायेगी ।

१११. दरों के आधार— सगान दर अधिकारी ऐसी सगान-दरों का प्रस्ताव करेगा जो उसे व्याय-संगत प्रतीत हों और ऐसा करने में निम्नलिखित घातों का ध्यान रखेगा तथा उनसे तुलना करेगा—

(१) जिन आसामियों ने सारभूत देशों में निरन्तर कई वर्षों तक खेती की थी और उनमें उनकी प्रविष्टि समय समय पर स्वीकृत की गई, उनके द्वारा भुगतान किये गये सगान की दरों के लिए,

(२) ऐसे समय पर समीपस्थ मुहूर्य मंडियों में हृषि-उपज की प्रचलित कीमतें,

(३) उगाई गई फसलों और उपज की मात्रा में हेरफेर

(४) उपज का मूल्य, यह देखने के लिये कि प्रस्तावित दरों के अनुसार भूमि-देश का मूल्य उपज के मूल्य के $1/6$ भाग से अधिक तो नहीं है,

(५) फसलों का हेरफेर (rotation) तथा वे अवकाश-काल जो साधारणतया आसामियों द्वारा भूमि को दिये जाते हैं;

(६) उन स्थानीय-देशों में जिनके लिये दरे प्रस्तावित की गई हैं तथा राज्य के अन्य भागों में, फसल की कटाई के प्रयोगों के परिणाम;

(७) हृषि-व्यय, तथा हृषक के अपने व अपने परिवार के निर्वाह का व्यय, और

(८) ऐसी अन्य घातों जिनका आसामियों द्वारा दिये जाने वाले लगातों पर साधारणतया प्रभाव पड़ता है ।

११२. प्रस्तावित दरों को, उनमें संशोधन करते हुए या बिना संशोधन के, व्यवहार में साया जाना— सगान-दर अधिकारी प्रत्येक गाव के सवध में यह भी लिखेगा कि जो दरे उसने प्रस्तावित की है बिना गद्दोधन व्यवहार में लाई जानी हैं या उनमें किसी सीमा तक कोई उपर्युक्त गाव, या उसके किसी निश्चित भाग या मृदा के प्रस्ताव में किया जाना है और उपर्युक्त गाव या मृदा में व्यवहार परने में यह समझा जायगा कि उनमें तदनुसार संशोधन दर दिया गया है ।

११३. विशिष्ट मामलों में दरों की व्यवस्था— सगान-दर अधिकारी—

[१] जिन दोनों में, हमि अस्थिर तथा परिवर्तनशील हों, उन क्षेत्रों के लिये संशोधित लगान दरें, घीरे

[२] गांव के लगान के अधिकांश का मुगतान जिन्स में किया जाने के साथ में उक्त लगानों के अन्तर्वर्तन (commutation) की दरें;

भी प्रस्तावित करेगा।

१४. लगान-दरों के प्रहारन तथा उनकी स्थैतिकी की प्रणाली—(१) लगान-दर भविकारी प्राप्त द्वारा पूर्व धाराबों के अन्तर्गत किये गये प्रस्तावों तथा अभिलेखों को ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा जो निर्धारित की जाय और उन प्रस्तावों तथा अभिलेखों के संबंध में पेंग वी जाने वाली धारपत्रियों को प्राप्त करके उन पर विचार करेगा।

(२) जब ऐसी प्रापत्तियों पर, यदि कोई हो, निर्धारित रीति से विचार करने के बाद निरांय कर दिया जाय तो लगान-दर भविकारी अपने द्वारा किये गये प्रस्तावों और अभिलेखों को ऐसे संदोधनों वे बाद, यदि कोई हो, बोर्ड का भेजेगा जिसमें वह उपयुक्त समझे।

(३) उप-पारा (२) के अन्तर्गत लगान-दर भविकारी द्वारा भेजे गये प्रस्तावों तथा अभिलेखों को प्राप्ति पर, बोर्ड उन प्रस्तावों को ऐसी जांच के बाद जिसे वह उचित समझे, अनुमोदित या परिवर्तित कर सकेगा और तत्पश्चात उन्हें मंजूरी के लिये राज्य सरकार को संप्रेषित करेगा।

(४) राज्य सरकार उन प्रस्तावों को, मंजूरी के साथ या बिना मंजूरी के, मंजूर कर सकता है या उनको बोर्ड के पास पुनः विधायक वारित सौटा सकता है।

(५) राज्य सरकार द्वारा प्रतिम रूप से स्वीकृत लगान-दरें, सम्बन्धित दोनों के लिये उस समय तक लगान की दरें होगी जब तक वातून के अनुसार परिवर्तित अथवा मंशोधित न कर दी जायें।

लगान का नियन्त्रण

१५. लगान का नियन्त्रण—(१) जब कोई लगान तय नहीं किया गया हो और किसी ऐसे घटना, जिसे आमामी रखने या अनुज्ञा देने का अधिकार हो, के द्वारा किसी घटना या भूमि पर अधिकार इस आवाय से दे दिया गया हो, वि ऐसा करने से भूमिकारिता (टिनेसो) की नियन्त्रित हो जाय तो वह घटना, जिसे भूमि पर इस प्रकार अधिकार दिया गया है या उसे इस प्रकार आमामी रखने या अनुज्ञा देने वाला घटना, इस अधिकार के प्रावधानों के सन्तुष्टार ऐसी भूमि का लगान नियन्त्रण रखने सहा ऐसे लगान की घटना है जिसे टिकी हाँगिन बनाने के लिये बाद प्रभु दर गवाता है।

(२) उप-पारा (१) से अन्तर्गत बाद में पारित हो गई हित्री उग तारीन में प्रभाव होने वाली घटना जिसका भूमिकार नियन्त्रण करे।

टिप्पणी

—विषय—दर पारा जब तक नाश होनी है जब तिन लगान तो कोई तय नहीं

हुआ हो और किसी व्यक्ति को भूमि पर प्रवेश ऐसे आदमी द्वारा दे दिया गया हो। जिसे आसामी रखने या उसके लिए अनुमति (Permit) देने का अधिकार हो और ऐसा करने का अभिप्राय उसे आसामी बनाना हो। यदि लगान तथा हो नुक्ता हो तो यह धारा साझे नहीं होगी और धारा धारा १५० अथवा १५४ में नीचे पेश होगा जेसी भी गूर्चन हो। यदि भूमिधारी इस धारा के नीचे दावा परे तो उसे भूमि धारिता (टिनेंसी) धारा रखने के दोरान करना चाहिए या उसकी समाजित के नीन महीनों के भीतर, यरना दावा मियाद बाहर हो जायगा हालांकि लगान तथा करने के दाये के लिए मियाद नहीं है।

२—प्रश्निया:—इस धारा के नीचे किया जाने वाला दाया तृतीय अनुसूची भाग प्रथम के मद १० द्वारा शामित होगा और सहायक बलबटर के न्यायालय में पेश होगा। न्यायालय शुल्क ५० पैसे लगेगा यदि दावा केवल लगान तथा करने के लिए ही हो। यदि वकाया लगान का अतिरिक्त अनुतोष (दादरसी) मांगा जाय तो उस पर मूल्यानुमार (एड वेलोरम) शुल्क लगेगा। मियाद कुछ नहीं है परन्तु लगान वी वकाया का दावा तीन साल में होना चाहिए। इसमें डिक्टी की अपील राजस्व अपील अधिकारी को होगी-दूसरी अपील राजस्व मंडल में होगी। पुनरीक्षण नहीं होगा।

११६. अंदिक बेदखली या समर्पण की दशा में लगान का निश्चयन:—जब कोई आसामी न्यायालय के आदेश या डिक्टी के अधीन अपनी भूमि के बेदखल एक भाग से बेदखल किया जाय या वैध रीति से उस भाग का समर्पण कर दे तो वह या राज्य सरकार से भिन्न भूमिधारी किसी भी मामले जिस न्यायालय में बेदखली का वाद दायर किया जा सके, उस न्यायालय में ऐसे भूमि का लगान निश्चित किये जाने के निमित्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

टिप्पणी

(१) दिवय:—इस धारा में यह बताया गया है कि यदि कोई आसामी अपने भूमि क्षेत्र के किसी भाग से ही किसी न्यायालय की डिक्टी या आज्ञा के द्वारा बेदखल कर दिया जाय या वैध रूप से ऐसे भाग का समर्पण कर दे तो शेष भाग का लगान निश्चित करवाने के लिए उस न्यायालय में दावा निया जा सकता है जिसमें कि बेदखली का दावा किया जाता हो। अपने भाग का समर्पण अध्याय ५ के उपवर्धों के अनुसार होना चाहिये। जब कोई स्थायी आसामी स्थायी कास्तकारी (भूमिधारिता, टिनेंसी) की शर्तों से असंगत शर्तों वाला लगान पत्र लिख दे तो इसे उसकी स्थायी कास्तकारी का समर्पण समझा जावेगा।¹

(२) प्रश्निया:—इस धारा के नीचे आवेदन पत्र अनुसूची तृतीय के भाग द्वितीय के मद नम्बर १ से शासित होगा। वह सहायक बलबटर के न्यायालय में पेश होगा और उस पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा। इसके लिये मियाद कुछ नहीं है। इसकी अपील रा०अ०प्रा० के यहां होगी। दूसरी अपील नहीं होगी इसलिए पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा।

११७. वित्तपय मामलों में लगान के सम्बन्ध में विवाद:—(१) जब किसी भूमि

1. मूरखमान v. हाफिज अबुलखलीक, A. I. R. 1944 Lahore 1.

क्षेत्र के सम्बन्ध में दिया जाने वाला लगान कफल के साथ भवता रहे और ऐसी किसी कफल के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो, तहसीलदार प्राप्त वापर को हानि का अनिवार्य न करने तथा यदि कफल में कुछ हानि होई हो तो यह मालूम करने के लिये कि हानि किम हद तक होई है भूमि दोनों का निरीक्षण करेगा। उस दशा में जब कि कफल उठाती गई हो, तहसीलदार प्राप्त वापर का जांच करने के पश्चात उभय पक्षों के बावरण से ऐसा निष्कर्ष निकाल सकेगा जो उसे युक्तिपूर्ण प्रतीत हो।

(२) जब विसी भूमि-दोष के लगान के नुगाहान हेतु तत्त्वमय प्रचलित रीति के सम्बन्ध में विवाद हो, तहसीलदार प्राप्त वापर को होने पर तथा निर्धारित रीति में सरमरी जांच करने के पश्चात, उक्त विवाद के बारे में फैसला देगा और इस प्रकार दिये गये फैसले के प्रतुक्तार लगान का नुगाहान तब तक दिया जाता रहेगा जब तक उक्त फैसला उपधारा (३) के प्रतुक्तार निरस्त या उपात्तरित नहीं कर दिया जाय।

(३) कोई व्यक्ति जो उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिये गये फैसले से अधित हो, किसी भी आपार पर उक्त फैसले को संक्षोधित करवाने अथवा निरस्त करवाने के लिये बाद प्रस्तुत कर सकता है।

(४) जहाँ लगान-मुगाहान के तरीके के बारे में विवाद हो पर्याप्त इस बात पर विवाद हो कि आया ऐसा लगान नकद में दिया जाता है या बिन्म में अवधारणात्मक कफल पर या कफल के अनुमानित मूल्य पर आपारित है या कोई गई कफल या उपज के मूल्यों के अनुगार परिवर्तनशील दरों पर आपारित है या कुछ अंशों में इनमें से किसी एक तरीके के लिये कुछ अंशों में इनमें ने दूसरे तरीके या तरीकों वे प्रतुक्तार परिवर्तनशील दरों पर आपारित है, भूमिपारी या आमामी इस प्रकार भुगतान के तरीके की पीणगा बरचाने के लिये बाद प्रस्तुत कर सकता है।

टिप्पणी

१—विषय:—यह धारा विशेषकर ऐसे मामलों के लिए बनाई गई है जहाँ लगान बिन्म में देय हो। धारा १८८-१९१ में वह तरीका बनाया गया है जो कि लगान पैदावार के विभाजन द्वारा देय हो और कोई पश्चात उस तक्षण उपस्थिति न हो। जहाँ लगान उपज के साप-गाप बदलना हो और ऐसी पैदावार के सम्बन्ध में विवाद हो तो दोनों में से कोई पश्चात उसे तय करने के लिए तहसीलदार को आवेदन वापर दे सकता है।

२—तहसीलदार के कांपते को हानि के लिए दावा:—उपधारा (३) में तहसीलदार द्वारा उपधारा (२) के अन्तर्गत दिए गए फैसले (भवाईं) को अवान्त (रद्द करने) अथवा उपात्तरित (फेर-बदल) करने के लिए दावे का प्रावधान है। इस प्रवार का दावा पनुकूची हनीप के भाग प्रथम के मद नम्बर ११ द्वारा नामिन हीमा और नहायक पन्नटर के न्यायालय में किया जावेगा। इसके लिए कोई मियाद नहीं है और नेवन ५० प्रति न्यायालय शुल्क नमेगा।

३—उपधारा (४)—इस उपधारा के नीचे किया जाने वाला दावा हनीप अनुसूची में भाग प्रथम के मद नम्बर १२ द्वारा या मत होगा और महायक बन्नटर के न्यायालय

में पेश किया जायेगा । इसके लिए कोई मियाद नहीं है, और न्यायालय शुन्हा केवल ५० रुपए लगेगा ।

४—उपधारा (१) (२)—के लिये आवेदन पत्रः—ऐसे आवेदन पत्र दूरीप अनुसूची के भाग दो के मद नम्बर ५२ द्वारा दामिन होंगे, और तहसीलदार के न्यायालय में पेश किये जावेंगे । इनके लिए कोई मियाद नहीं है, और न्यायालय शुल्क केवल ५० रुपए लगेगा ।

५—उपधारा (१) (२) की अपील और पुनरीक्षणः—उपधारा (२) के नीचे तहसील द्वारा दी गई आज्ञा की अपील कलबटर के यहां होगी । उपधारा (१) के अन्तर्गत सहायक कलबटर द्वारा दी गई, आज्ञा की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी । दोनों अवस्थाओं में पुनरीक्षण राजस्व कोई में होगा ।

६—उपधारा (३) (४) में अपील और पुनरीक्षणः—पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी और दूसरी राजस्व वोई में । अतः कोई पुनरीक्षण नहीं होगा ।

११८. लगान का अन्तर्वर्तन (Commutation)−(१) जब लगान जिस में दिया जाता रहा हो या फसल के अनुमान या फसल के अनुमानित मूल्य पर आधारित हो या बोई गई फसल या उपज या उपज-मूल्य के अनुसार परिवर्तनशील दरो पर आधारित हो या कुछ अंशों में इनमें से किसी एक तरीके के और कुछ अंशों में इनमें से दूसरे तरीके या तरीकों के अनुसार परिवर्तनशील दरो पर आधारित है, तो, भूमिधारी जो राज्य सरकार न हो, या आसामी, ऐसे लगान को निश्चित नकद लगान में अन्तर्वर्तित कराने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय इस सम्बन्ध में ऐसा आदेश जारी कर सकता है जिसे वह उचित समझे; किन्तु ऐसे वाद में जिसमें भूमिधारी वादी हो और आसामी यह दलील पेश करे कि जंगली जानवरों, बाढ़, तथा ऐसे ही अन्य कारणों, से भूमि-क्षेत्र के कृष्य भाग अथवा भूमि-क्षेत्र की उपज में आसाधारण घटत-बढ़त होती रहती है और यदि न्यायालय यह समझे कि अन्तर्वर्तन अवाक्षणीय है तो वह दावे को खारिज कर सकता है ।

(२) किसी वाद में उपधारा (१) के अन्तर्गत पारित डिक्टी, जिस वर्ष में वह डिक्टी दी गई हो, उसके पश्चात भाने वाले कृषि-वर्षों के प्रारम्भ में आवेगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारणों से जो लिखे जायेंगे, यह निदेश न फरदे, कि वह डिक्टी, अपेक्षाकृत किसी पहिले की तारीख या किसी वाद की तारीख, जो निर्दिष्ट दो जाय से प्रमाण में आवेगी ।

(३) ऐसी भूमि की दशा में जो आसामी द्वारा सीधी राज्य सरकार से लेकर धारण की गई हो, लगान के अन्तर्वर्तन हेतु किसी भी वाद की आवश्यकता नहीं होगी और आसामी ऐसे अन्तर्वर्तन के लिये सहायक कलबटर ने प्रार्थनापत्र दे सकेगा और उस दशा में इस धारा के अन्य 'उपवंश' इस प्रार्थना-पत्र पर लागू होंगे ।

टिप्पणी

१—विषय—यह धारा भूमिधारी अथवा आसामी को लगान के अन्तर्वर्तन (Commutation) के लिए दावा पेश करने वा अधिकार प्रदान करती है । यहा अन्तर्वर्तन

का अभिप्राय यह है कि जहां लगान जिन्हे स्थ में दिया जाना हो या पैदा होने वाली फसल या उपज के साथ बदलता रहता हो तो उसके स्थान पर नकदी लगान एक बार ही तथ कर दिया जाय। न्यायालय के लिए यह जहरी नहीं है कि इस प्रकार की प्रार्थना न्योक्तार कर ने। भूमि नोटोड होने के बारण ही आसामी का अधिकार लगान अन्तर्वर्तीन करने का समाप्त नहीं हो जाना जब तक कि इसके विषद् कोई माफ करार न हो।^१ जब रोज़ भूमिधारों हो तो दावे की भी आवश्यकता नहीं है केवल आवेदन पत्र से काम चल जावेगा। उपरारा (१) व (३) के अन्तर्गत दी हुई आदा-आजा से अगली फसल से प्रभाव में आवेगी।

२—प्रतिया—लगान के अन्तर्वर्तीन के लिए दावा तृतीय अनुमूची के भाग प्रयम के मद नम्बर १३ द्वारा शासित होगा और सहायक कलबटर के न्यायालय में पेश होगा। उपरारा (३) के नीचे आवेदन पत्र अनुमूची तृतीय के भाग दिनीय के मद नम्बर ५३-(का) द्वारा शासित होगा और सहायक कलबटर के न्यायालय में पेश होगा। मियाद कुछ नहीं है और ऐसे दावों और आवेदन पत्रों पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा। सहायक कलबटर की दिक्की के विषद् अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी और दूसरी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी परन्तु दूसरी अपील नहीं होगी और पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा।

११६. लगान छालू रहने की अवधि—जब किसी भूमि के सम्बन्ध में धारा ११५ के अन्तर्गत लगान निश्चित कर दिया गया हो या पारा ११८ के अन्तर्गत अन्तर्वर्तीन कर दिया गया हो तो, लगान उस समय तक सदोषतीय नहीं होगा जब तक कि उस दोष के कटोवस्तु की अवधि समाप्त न हो जाय जिसमें उक्त भूमि स्थित है या जब तक उक्त लगान इस अधिनियम के उपर्योग के अनुराग परिवर्तित न कर दिया जाय।

लगान का उपान्तरण (Modification)

१२०. सगान में फेरफार की प्रणाली—इन अधिनियम के अन्य उपर्योग के क्षणिन रहने हेतु प्रामाणी (जिसमें मुद्रारात्र के आमामी तथा तिक्कमी-आमामी सम्मिलित है) का नियन केवल

(ए) रजिस्ट्रीकृत इकारारनामे के जरिये, या

+ [(अ) इसी समान राजस्व न्यायालय के विसी बाट में पारित दिक्की या कारेय द्वारा या राय सखार से देहर सीधी भूमि पारा करने की दाया में, आमामी द्वारा आवेदन या रिपोर्ट दर्शने पर तहमीलदार द्वारा,]

[X-X के

ही प्रामाणी-दाया जा सकेगा।

१. मद्रेवरमित ५. दाह ग्रुहन लान, १९४० R. D. 521

+ या पा. २३ नं. ११५६ द्वारा प्रति दायित।

से या पा. २३ नं. ११५६ द्वारा दिल्ली

ट्रिप्पर्गी

१—विषयः—धारा ११८, १२१ और १२४ कमत्र लगान के अन्तर्वर्तन, बृद्धि और कमी से सम्बन्ध रखती है। इस धारा के तीने लगान में कोई परिवर्तन उपरोक्त धाराओं के अधीन ही किया जा सकता है। इस धारा का लाभ विषमी आवासियों और गुदान धारकों द्वारा भी उठाया जा सकता है।

२—सक्षम राजस्व व्यावालय की डिक्टी या आवासः—एक सक्षम राजस्व व्यावालय लगान में परिवर्तन की डिक्टी या आवास निम्नलिखित मामलों में दें सकता है—

- (१) लगान की घोषणा के लिए दावा (धारा ८२ के गण्ड ग, घ, ट) :
- (२) लगान की दरों के विनिश्चयन के लिए दावा (धारा १०७)
- (३) लगान तथ करने के लिए दावा (धारा ११५) :
- (४) लगान के अन्तर्वर्तन के लिए दावा (धारा ११८) :
- (५) लगान की बृद्धि के लिए दावा (धारा ११५, १२१) :
- (६) लगान में कमी के लिए दावा (धारा ११५, १२५) : और
- (७) आपतकालीन स्थिति में लगान की दरों का संशोधन (धारा १२६) :

३—परन्तुकः—जहाँ भूमि सीधी सरकार से लेकर धारण की जाय तो इन धारा के उपबन्ध लागू नहीं होते। सम्बन्धित राजस्व अधिकारी की आवास ऐसे परिवर्तन के लिए पर्याप्त होती।

१२१. लगान में बृद्धि किये जाने के आधार—किसी आसामी का लगान इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर बढ़ाया जा सकेगा, प्रथम्—

- (१) यह कि आसामी द्वारा देय लगान उसके सम्बन्ध में समुपवृक्त स्वेच्छित लगान-दरों के हिताव से होने वाले लगान से सारतः कम है, या
- (२) यह कि आसामी द्वारा धारण की हुई भूमि को उपज-शक्तियों में नदी की क्रिया से बृद्धि हो गई है, या
- (३) यह कि आसामी द्वारा धारण की हुई भूमि को उपज शक्तिया भूमिधारी द्वारा या भूमिधारी के व्यय पर किये गये सुधार के कलस्वरूप बढ़ गई है, या
- (४) यह कि आसामी की भूमि वा देशफल बदार (बद द्वारा लाई गई मिट्टी) के कारण अथवा अन्यथा बढ़ गया है :

विन्यु लगान किसी भी दशा में इतना नहीं बढ़ाया जायगा जिससे कि वह इस अध्याय में निर्धारित किये गये अधिकानम लगान से अधिक न हो जाय ।

१२२. बृद्धि को सीमाएँ—विसी आसामी का लगान उसके वर्तमान लगान के एक चौथाई भाग से अधिक नहीं बढ़ाया जायगा जो इस शर्त के अधीन होगा कि निश्चित किया

गया लगान जिसी भी दमा में समुपयुक्त स्वीकृत लगान की दरों में फलाये गये लगान के तीन चौथाई में कम नहीं होगा :

परन्तु

- (१) यह धारा दोषफल में वृद्धि होने के कारण लगान में होने वाली वृद्धि नियम मामले में लागू नहीं होगी, और
- (२) यदि वृद्धि वर्तमान लगान के एक-चौथाई लगान से कम नहीं हो तो, वृद्धि को वृद्धि वर्षों में—तीन में अधिक नहीं हो, वितरित वार्षिक किट्ठों द्वारा प्रभाव में लाने की आज्ञा दी जायेगी ।

+ [१२३. वृद्धि के लिये बाद या प्रारंभन-पत्र के सम्बन्ध में आसामी की दशील—यदि आसामी जिससे लगान-वृद्धि करवाने का दावा किया गया हो, यह मिठ करे कि जितनी लगान-वृद्धि का दावा किया गया है वह सम्भव्य या उसका कोई बा या उम सुधार पर आधार पर है जो उसने विनां बोक वर्षों में किया है तथा जिसे बरने का उम अधिकार या तो, न्यायालय देवल उनकी वृद्धि, यदि कोई हो, के लिये ही छिन्नी या आदेश पारित करेगा जितनी के लिये वह उम दशा में पारित करता जब कि आसामी ने कोई मुआवर नहीं किया होता ।]

१२४. लगान में घटोत्तरी करने के लिये आपार—किसी आसामी का लगान इस अधिनियम के अन्तर्गत नियन्त्रित आघारों में से एक या अधिक आघारों पर घटाया जा सकेगा,

(१) यह कि आसामी द्वारा देय लगान उमके सम्बन्ध में समुपयुक्त स्वीकृत लगान-दरों से होने वाले लगान में सारत : अधिक है, या

(२) यह कि आसामी द्वारा पारण की दृढ़ भूमि की उपज-यक्षिया वर्तमान लगान की अवधि में भूमिधारी द्वारा लिये गयी सुधार पर कारण अयया आसामी के नियंत्रण ने दाहर कियी अन्य कारण से कम हो गई है, या

(३) यह कि उमकी भूमि का दोषफल, बाट द्वारा मिट्टों वह जाने या अनपिकृत प्रवेश या गार्वनिक अनियाय या सावंजनिक उपयोगी कारण के लिये, भूमि को ने निये जाने, वे कारण उम हो गया है, या

(४) यह कि उमके द्वारा देय लगान दिग्गी पट्टे, परार, डिक्की या आदेश, जिसके अन्तर्गत यह भूमि पारण हो, में नियंत्रित दिग्गी पारणों से पठाया जाने योग्य है, या

(५) यह कि ऐसा लगान इस अधिनाय में नियंत्रित उत्तराय मात्रा में अधिक है ।

१२५. वृद्धि अपवा कमो वज्र से लागू होगी—लगान में वृद्धि या वमो की अपेक्षा डिग्गो + [या आदेश] क्रिय वर्ष में वह डिक्की या आदेश पारित किया गया हो, वे वर्त्ताएँ जाने जांची वर्ष में द्वारमान ने प्रभाव में आयेगा, वज्र वक्त न्यायालय लिये अनियंत्रित गरणों से

+ रात्रः अदिः संस्का २७ मन् १६५६ द्वारा प्रगिरितिः ।

* रात्रः अदिः संस्का २७ मन् १६५६ द्वारा नियिष्टः ।

यह आदेश न है ये कि उत्तराधिकारी या आदेश अप्रेशांत विभिन्ने एवं बाद में आने वाली तारीखों पर निर्देशित ही जाय, ये प्रभाव में आयेगा ।

१२६. इसी सम्बन्धी आपत्तियों के समय लगान की छूट पर स्थगन—इसी भी दोनों में अकाल या वर्षी होने पर या किसी दोनों को प्रभावित करने वाली इसी सम्बन्धी इसी प्राप्ति के उपस्थित होने पर, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस विषय में गतता प्रभय गता, इस विषय में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार ऐसे दोनों में आगामी द्वारा देय सम्पूर्ण सगान या उसके अंत तक, किसी समय के लिये छूट दे सकेगी या उसे स्थगित कर सकेगी ।

१२७. परिसीमन-अधिकारी की गणना करने में स्थगन-बाल छोड़ दिया जायगा—जब धारा १२६ के उपर्योग के अनुसार किसी रकम के भुगतान का स्थगन कर दिया गया हो तो, वैसी रकम की वसूली के निमित बाद या प्राप्तना-पत्र के लिये निर्धारित परिसीमन-अधिकारी की गणना करने में, वह समय जिसमें स्थगन रहा हो, समितित नहीं किया जायगा ।

१२८. छूट दिये गये पर स्थगित किये गये सगान की वसूली नहीं की जायेगी—कोई भी भूमिधारी ऐसे लगान की, जिसके भुगतान की धारा १२६ के अन्तर्गत छूट दे दी गई हो अथवा स्थगन-बाल में किसी लगान को, जिसके भुगतान का उक्त धारा के अन्तर्गत स्थगन कर दिया गया हो, वसूल नहीं करेगा और न उसकी वसूली के लिये कोई बाद या प्राप्तना-पत्र प्रस्तुत किया जायगा ।

असाधारण तथा संकटकालीन उपचन्ध

१२९. संकटकाल में लगान का पुनरीक्षण—(१) इस अधिनियम में या तत्समय प्रभाव-शील किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, जब राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाय कि किसी असाधारण कारणवश कृपि-उपज की कीमतों में अकस्मात् सारभूत घटा-बढ़ी हुई है या किसी निर्दिष्ट दोनों में संकटकालीन स्थिति पैदा हो गई है तो, वह शासकीय राजन्यन + में अधिमूचना के अरिये एक पदाधिकारी वी नियुक्त कर सकेगी जो पद में कलकटा से जीवे दर्जे का नहीं हो तथा उसे निम्नलिखित समस्त शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति प्रदान कर सकेगी—

- (क) इस अधिनियम के अन्तर्गत लगान-दर पदाधिकारी की शक्तियाँ,
- (ख) स्वीकृत लगान-दरों के अनुसार लगान में घटा-बढ़ी करने की शक्ति,
- (ग) संकट-बाल में ऐसी लगान-दरों के अनुसार न चलकर अन्य रीति से, लगान में सरसरी तौर से कमी करने की शक्ति ।

(२) इस धारा के अन्तर्गत लगान में घटा-बढ़ी का प्रत्येक प्रादेश ऐसी तारीखों से प्रभाव में आयेगा जिसका निर्देश प्रादेश देने वाला पदाधिकारी करे तथा जो, आदेश के वर्ष के पश्चात् आने वाले कृपि-वर्ष के प्रारम्भ से पूर्ववर्ती न हो ।

(३) इग धारा के अन्तर्गत नियुक्त किये गये पदाधिकारी की सगान में घटा-बड़ी करने वे आदेश के विस्त्र अपील [राजस्व अपील प्राधिकारी] + के पास की जायेगी ।

(४) अपील में [राजस्व अपील प्राधिकारी] + द्वारा दिये गये आदेश के पुनरीक्षण हेतु आवेदन-पत्र बोईं के समय प्रस्तुत किया जायेगा और उस मामले में बोईं ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उपयुक्त समझे ।

अध्याय १०

लगान का भुगतान और वसूली

१३०. सगान के भुगतान के मढ़े दंदावार को बंधक रखना—विसी भूमि-देन की पेंदावार, उसके सम्बन्ध में दिये जाने वाले सगान के मढ़े बंधक रखी गई समसी जायगी और जब तक उक्त सगान की माग पूरी न हो जाय वह पेंदावार विसी धन्य दावे के अधीन सिविल या राजस्व न्यायालय को टिक्की के संपादन में या अन्यथा बैचो नहीं जायगी ।

टिप्पणी

१—पेंदावार को पहली वसूली राजस्व को होगी—इस धारा में सिविल या राजस्व टिक्की वी इजराय में पेंदावार की कुर्की पर बोई प्रतिवन्ध नहीं लगाया गया है । पदि साहूकार की टिक्की की इजराय में कुर्की पहले ही जाय तो भी उसको भूमिधारी के मुकाबिले में प्रायमिकता नहीं मिलेगी और उसे सगान की वसूली के पश्चात् जो वच जाय इसी में संनोप करना होगा ।

२—बचाया सगान का चार्ड—पेंदावार चालू सगान¹ और पिछले वर्षों के बचाया सगान² के पेटे बन्धक रखी होनी है परन्तु आयंदा के सगान के पेटे नहीं जो कि इसी बकाया हुआ ही नहीं ।³

१३१. आसामी द्वारा भुगतान के विषय में अनुमान—विसी आसामी द्वारा जिम्मे से लगान प्राप्त हो इसी भूमिधारी को जो सगान लेने का हकदार हो, विया गया बोई भी भुगतान, आसामी की प्रतिकूल दबाव के प्रभारण से अभाव में, सगान का ही भुगतान समझा जायगा ।

टिप्पणी

इग धारा के प्रयोजनार्थ सगान में सायर भी सम्मिलित है ।⁴ यह अनुमान उन

+ राज० अधिन० गवा० ८ मन० १६६२ द्वारा प्रतिस्थापित ।

+ राज० अधिन० गवा० ८ मन० १६६२ द्वारा प्रतिस्थापित ।

1. अनुमान v. शीराम 15 AII. 375

2. विनकोई v. बनकटर इटाया, 1879-3 AII. 433

3. आयंदा राम v. मुरमीसिंह 1885-5 A. W. N. 262

4. द्वारा ५(१२)

मामलो में सहायक है जहाँ कि भूमि पारी ही साहूतार हो और लगान के अनिवार्य रकम भी बकाया हो।

१३२. लगान के भुगतान का उपयोग—(१) आसामी द्वारा अपने भूमिधारी द्वारा किया हुआ कोई भुगतान, चाहे वह दिनी दिनी से भुगतान में किया गया हो या अन्यथा, इसी ऐसी बकाया को निःशेष करने में समायोजित नहीं किया जायगा। त्रिपुरी यूनियन लगान तथा प्रार्थना-पत्रों की मियाद सम्बन्धी तत्त्वमय प्रभावशील विभी विधि द्वारा वापिस हो गई है।

(२) उपधारा (१) में अन्तविष्ट उपबधों के प्रदोन रहते हुए, जब कोई आसामी अपने भूमिधारी को लगान के निमित्त कोई भुगतान इग स्पष्ट गूचना पे साप बरे कि वह उस भुगतान को किसी अमुक वर्ष, दिश्ट या भूमि के लाते में जमा कराना चाहता है तो वह भुगतान, यदि ले लिया जाय, तदनुसार जमा किया जायगा और यदि आसामी ऐसी कोई गूचना न दे तो भूमिधारी उस भुगतान को उत्तरवर्ती बकाया को ब्येक्षा पूर्वकर्त्ता बकाया के मद्दे जमा करेगा और जहाँ एक से अधिक बकाया एक ही तारीख की हो। उस दशा में अधिक-रकम की अपेक्षा कम-रकम की बकाया में जमा करेगा।

टिप्पणी

इस धारा के उपवन्ध पालनीय हैं जिनमें यह बनाया गया है कि आसामियों द्वारा किए गए भुगतान किस तरीके से जमा किए जायंगे। धारा १३१ के अन्तर्गत आसामी द्वारा किए गए समस्त भुगतान केवल लगान के पेटे ही जमा होंगे। इस धारा में किसी भी भुगतान की रकम को किसी मियाद बाहर लगान पेटे जमा करने की मनाही है चाहे उसकी डिक्री हो चुकी हो अथवा नहीं।

१३३. लगान का भुगतान किस भांति होगा—नकद-लगान का भुगतान आसामी द्वारा भूमिधारी को या दो सीधे या डाक के मनी-आडर के जरिये या धारा १३६ के उपबधों के अनुसरण में जमा कराया जाकर, किया जा सकता है।

[× × ×] +

परन्तु डाक के मनी-आडर के जरिये या न्यायालय में जमा कराई जाकर अदा की गई किसी रकम की भूमिधारी द्वारा प्राप्ति मात्र या मनी-आडर कूपन पर बुख लिखावट के सामर्थ्य से, किसी वर्ष, किश्ट या भूमि विशेष के कारण भुगतान-योग्य या दातव्य लगान की रकम की उच्चके द्वारा अभिस्वीकृति या अदा बरने वाले को आसामी मानने की अभिस्वीकृति नहीं समझी जायगी।

१३४ मनी-आडर की रसीद के विषय में अनुमान—जब लगान डाक के मनी-आडर द्वारा भेजा गया हो, तो स्वीकृति की दशा में पाने वाले को रसीद और अस्वीकृति की दशा में मनी-आडर पर डाकघर द्वारा ऐसी अस्वीकृति की नियमित रूप से मुहर लगाते हुए की गई पृष्ठा-द्वारा, बिना किसी घोषचारिक प्रमाण के साक्ष्य में गाहु होगी और जब तक उसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाप, ऐसी स्वीकृति या अस्वीकृति का घोषचारिक शही रेकार्ड समझी जायगी।

१३५. आसामी का रसीद पाने का अधिकार—(१) प्रत्येक व्यक्ति जो लगान या सायर का भुगतान सीधे करे, भूमिधारी या भूमिधारी के नियमतः अधिकृत एजेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित रसीद, उक्त रूपेण भुगतान की गई रकम के लिये, निवित में पाने का अधिकारी होगा ।

(२) भूमिधारी, घारा १३७ के उपर्यों के अन्तर्गत मुद्रित पुस्तक में लगान या सायर के पाने में प्राप्त हुई प्रत्येक रकम को एक पृथक रसीद देगा और अन्ते द्वारा दी गई प्रत्येक रसीद की एक प्रतिप्रत तैयार करेगा जिसे अपने पास रखेगा ।

(३) यदि भूमिधारी और आसामी के बीच किसी वाद या कार्यवाही में, जिसमें विवादास्पद विन्दु नगान का भुगतान हो, भूमिधारी ऐसी रसीदों की पुस्तक पेश नहीं करे या न्यायालय द्वारा उसे पेश करने के लिए प्राप्त देने पर पेश करने में असफल रहे तो; न्यायालय भूमिधारी के विश्वद कोई भी अनुमान लगा सकता है जिसे वह मुक्तिसमग्रत समझे ।

टिप्पणी

इस घारा में बताया गया है कि आसामी को लगान का भुगतान करने पर रसीद मिलनी चाहिए और रसीद बुकें दोहरी परतों में द्विती हुई रसी जानी चाहिए । यदि कभी अदालत वो पता चले कि किसी भूमिधारी ने आसामी को नगान वो रसीद नहीं दी तो नगान की दुरुनी रकम तक भूमिधारी में आसामी को हरजाने के रूप में मिल सकती है ।^१ यदि कोई भूमिधारी आदातन इस घारा के उपर्यों का उल्लंघन करता है तो उम पर फोजदारी अदालत से २००) रु० तक जुर्माना किया जा सकता है ।^२

१३६. रसीद का विवरण—(१) रसीद और प्रतिप्रत भेजने के विवरण होंगे—
अपार्टमेंट

- (क) देने वाले वा तथा उसके पिता का नाम और पाने वाले वा नाम ।
- (ल) गांव वा नाम ।
- (ग) रकम जिसका भुगतान किया गया हो ।
- (घ) साया भुगतान लगान मद्दे है या सायर के मद्दे ।
- (इ) जहाँ एक दो अधिक भूमि-देश हों उम दसा में भूमि-देश का उत्तेज जिसके लगान मद्दे, भुगतान वो रकम जमा की गई हो ।
- (च) भुगतान वो रकम जिस वर्ष तथा विश्व के मद्दे जमा की गई हो उसका उत्तेज ।
- (उ) आदा भुगतान सम्बूद्ध भुगतान वो रूप में स्वीकार किया गया है या प्रांतिक भुगतान के रूप में ।
- (ज) तारीग जिसके भुगतान किया गया हो, और
- (झ) ऐसे अप्प विवरण जो विवित स्थिति दिये जाये ।
- (२) यदि रसीद में मुख्यतः इस घारा द्वारा अंतिम विवरण नहीं दिये हों या पारा

1. घारा २५३ (१)

2. घारा १६६ (२)

१३७. के उल्लंघन में सगान तथा रायर की एक संयुक्त रसीद दी गई हो तो जब तक विराटि
सिद्ध न किया जाय यह अनुमान रिया जायगा कि उस रसीद उस तारीग तक की सगान तथा
रायर की सम्पूर्ण मांग को पूति-भव्यता दी गई है जिस तारीग को कि रसीद दी गई है ।

ट्रिप्पमी

इस घारा मे साफ तीर से बनाया गया है कि आसामी को दी जाने वाली रसीद मे
वया २ विवरण होना चाहिए और किस विवरण के अभाव मे दपा अनुमान लगाया जाना
चाहिए । रसीद मे अस्पष्टता का लाभ आसामी को मिलेगा ।^१

१३८. रसीद-यही छपने और प्रदाय करने का वायिक्य सरकार द्वा द्वारा —
राज्य सरकार रसीद बहिया प्रति-परत सहित, विहित प्रपद मे द्वायेगी और उन्हे लागत-
मूल्य पर विश्री के लिये समस्त तहसीली मे रखायेगी :

परन्तु यदि किसी तारीख विशेष को छपी हुई रसीद बही तहसील मे उपचाय न हो तो
भूमिधारी तहसीलदार से इस तथ्य का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा और तब
भूमिधारी, आसामी को एक अस्थायी रसीद देगा जिसमे घारा १३६ मे बताये गये सब विवरण
दिये हुए हो ।

१३९. लेखा-विवरण प्राप्त करने का आसामी का अधिकार :—आसामी राज्य सरकार
द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसरण मे, भूमिधारी को चार घाने मुक्त देकर उससे शृणि-वयं
की समाप्ति के पश्चात तीन महीने के भीतर लेखा-विवरण प्राप्त करने का अधिकारी होगा
जिसमे ऐसे व्योरे दिये हुए होंगे जो या तो सामान्यतया या किसी स्थानीय देश या मामलो के
बांग विशेष के लिये विहित किये जाय ।

१४०. लगान को तहसीलदार के न्यायालय मे जमा कराया जाना—(१) आसामी
तहसीलदार के न्यायालय मे एक प्रार्थना-पत्र, लगान की किमत या किसी अधिकारी की
किसी की अदत्त रकम को जो उक्त प्रार्थना-पत्र की तारीख पर बाकी हों, जमा कराने की
अनुमति के लिये दे सकेगा और यदि प्रार्थना-पत्र उप-घारा (२) के उपवधो के पर्याप्त-रूप
से अनुकूल हो तो तहसीलदार उक्त रकम को जमा कराने के निमित्त से लेगा जिसकी एक रसीद
देगा जो जमा कराई गई रकम के लिये रसीद-पावती के रूप मे होगी मानों कि उक्त रकम
उक्त व्यक्ति ने प्राप्त कर ली हो जो उसे पाने का हकदार है ।

(२) ऐसे प्रार्थना-पत्र मे उस व्यक्ति का नाम दिया जायगा जिसको कि जमा
कराई गई रकम लगान की बकाया के रूप मे देय हो अथवा जहाँ ऐसी रकम को कई व्यक्ति
संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक रूप से प्राप्त करने के हकदार हो वहा ऐसे व्यक्तियों मे से प्रत्येक का
नाम दिया जायगा अथवा बड़ आसामी को वास्तव मे यह सन्देह हो कि ऐसी रकम को पाने
का हकदार कोन है तो उस व्यक्ति वा नाम दिया जायगा जिसको कि लगान पिछली प्रतिम
बार दिया हो और जो अब मांग कर रहा हो ।

१४१. जमा कराई हुई रकम का तहसीलदार द्वारा अधिकारीपत्र :—(१) यदि

तहसीलदार जमा करने के लिये रकम को ग्रहण कर लेता है तो वह प्रायंता-पत्र में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों पर अधवा किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति पर, जिसके सम्बन्ध में वह सकारण ऐसा विवाह करता हो कि उसके अन्य व्यक्ति जमा की हुई रकम को पाने का हकदार है नियुक्त एक नोटिच जमा की रकम के बारे में तामील करायेगा ।

(२) तहसीलदार जमा कराई हुई रकम किसी भी व्यक्ति को जिसे वह उसे पाने का हकदार समझे, दे सकेगा या यदि उसकी राय में उस व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसको कि जमा की रकम दी जानी चाहिये, कोई सदैह हो तो वह उस रकम को उस समय तक रोक सकेगा जब तक कि सक्षम-प्रधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय के भादेश से सदैह दूर न हो जाय ।

(३) यदि तहसीलदार ऐसा निर्देश करे तो मुगतान ढाक के मनो-मार्डर द्वारा किया जा सकेगा ।

(४) जमा कराने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व यदि इस धारा के अन्तर्गत कोई मुगतान न किया जाय तो जमा कराई हुई रकम, सक्षम न्यायालय के किसी विपरीत भादेश के अभाव में, जमा कराने वाले को, उसके प्रायंता-पत्र पर, तथा धारा १३९ के उपबन्धों के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा ही गई रसीद वानिसु दिये जाने पर अधवा उसके द्वारा, जान की कि रकम उसी ने जमा कराई थी ऐसी अन्य साइर पेश किये जाने पर यापिस दी जा सकेगी जिसे सक्षम न्यायालय पर्याप्त समझे ।

टिप्पणी

१—उपधारा (४) के नीचे आवेदन-पत्रः—जब धारा १३६ के नीचे जमा कराए गये, लगान की व्यवस्था उप-धारा (१), (२) अधवा (३) के अनुसार न हो तो उसे आसामी को, आवेदन-पत्र पर, लौटा दिया जायगा । यह आवेदन-पत्र उप धारा (४) के नीचे होगा जो तहसीलदार को दिया जायगा और शृंगीय अनुसूची के भाग द्वितीय के मद नं० ५५ द्वारा वासित होगा । मियाद बुद्ध नहीं परन्तु रकम जमा होने की तारीख से तीन महीनों में वापिस उठाली जानी चाहिए । न्यायालय युक्त २५ पंसे का नगेगा । तहसीलदार द्वारा उप-धारा (२) के नीचे अधवा उपधारा (४) के नीचे दी गई दर्घास्त पर को गई आमा को अपील कनकटर के यहां होगी । दूसरी अपील नहीं होगी अनः राजम्ब बोर्ड में पुनरीक्षण होगा ।

१४१. बाद के विचाराधीन-काल में सगान का न्यायालय में जमा कराया जाना:—
गई अलगावी किस पा विनो नूमि-क्षेत्र के लगान वे धंड के लिये पारा २११ की [उपधारा (३) के उपबन्धों के अन्तर्गत] × दावा दिया गया हो, उक्त नूमि-क्षेत्र का सुधूरण सगान उस न्यायालय में जमा करा सकेगा जिसमें कि बाद विचाराधीन हो भौतिक प्रशार जाता हो हुई रकम वा निशात उक्त न्यायालय के भादेश के अनुग्रहण में, परोत में पारित निही भादेशों के अधीन रहने हुए दिया जायगा ।

टिप्पणी

यह पारा २११ (३) के अन्तर्गत हीने वाले मामलों के लिए बनाई गई है जिसमें

कि यदि कोई आसामी विभिन्न सहभागियों द्वारा विभिन्न रामयों पर किए गए दावों की परेशानी से बचना चाहे अथवा स्वयं साध्य नहीं देना चाहे कि जिस राह आगीदार पा पितना हिस्सा है तो वह सारा लगान एक साथ जमा करा सकता है।

१४२. दावों पर रोक—इस अध्याय की पूर्वामी गाराओं के उपरायों से घटनात जमा की गई किसी रकम के बारे में राज्य सरकार या राज्य सरकार दे तिगी अधिकारी द्वारा की गई किसी कार्यालयों के विषय में उसके विळद कोई बाद या भार्यावाही दावर गही की जानेवी परन्तु उक्त रूपेण जमा की गई रकम को बगूल बरने का प्रयत्न सो हादार ममझने बाला पोई भी व्यक्ति उस रकम को ऐसे व्यक्ति से बगूल बरने के लिये दाया वर गाँगा जिसे वह दे दी गई हो ।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के द्वारा राज्य सरकार और उसके वर्तन्यारियों को जमा की हुई रकम गलत व्यक्ति को देने की अवस्था में मुकदमा बाजी में छृट दी गई है परन्तु अपने को सही हकदार समझने बाला व्यक्ति उस व्यक्ति पर दावा कर सकता है जिसे गलती से रकम दे दी गई है ।

२. प्रतिया—३००) ३० तक की मानियत के दावे तहसीलदार के न्यायालय में और उससे अधिक के सहायक कलबटर के यहां पेश होंगे और तृतीय अनुसूची भाग प्रयोग के मद न० १६ द्वारा शासित होंगे । न्यायालय शुल्क मूल्यानुसार लगेगा । मियाद गलत आदमी को भुगतान देने की तारीख से तीन वर्ष की है । तहसीलदार को अपील कलबटर को और दूसरी राजस्व बोर्ड में होगी । सहायक कलबटर की पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को और दूसरी राजस्व बोर्ड को होगी ।

१४३. स्थिति जिसमें धारा १३९ से १४२ तक लागू नहीं होगी—धारा १३९ से १४२ तक कोई भी बात ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगी जब भूमि आसामी ने सीधे उस राज्य सरकार से लेकर ग्रहण की हो जिसे, भूमिपारी की हैसियत से, उस भूमि का लगान नुकाया जाना हो ।

१४४. पेंदावार के सम्बन्ध में अधिकार और दायित्व—(१) जब लगान सही फसल के अनुमान या कूते पर आधारित हो तो फसल को पूर्णतया लेने का हकदार आसामी होगा ।

+ (२) जब लगान फसल के काटे जाने अवधा उपज इष में तेयार विये जाने के पदचार्त उसके अनुमान या कूते (appraisement) पर आधारित हो या उपज के बंटवारे के अनुमान दिया जाना हो तो, आसामी फसल को पूर्णतया लेने का हकदार होगा, सेतिन खलिहान में उपज के किसी भी अन या ऐसे समय या ऐसी रीत से हटाने का हकदार नहीं होगा जिससे कि समय या फसल के अनुमान, कूते या बटवारे में स्कावट पैदा हो ।

(३) दोनों ही दावाओं में आसामी अपने वृष्य कार्य के दोरान पेंदावार को काटने तथा

तथा उपचर रूप में तैयार करने का, भूमिवारी द्वारा बिना किसी प्रकार के हस्तक्षेप के, हक्कदार होगा ।

(५) यदि आसामी उप-धारा (२) के उपचरन के विपरीत फसल या उपज के किसी परंग को हटा ले तो धारा १४६ के उपचरनों के अन्तर्गत नियंत्रण करने के प्रपोजनायें, फसल या उपचर, पदोन्म, में वैसी ही नूमि में, उनी फसल में पैदा हुई तत्स्वय थोड़तम फसल के समान हुई समझी जा सकेगी ।

(६) यदि राज्य सरकार के अनिवार्य कोई भूमिवारी आसामी को फगल की ओरसी हटाई, इट्टें या उिचित करने गे रोके या कृषि-कार्यों में हस्तक्षेप बरे तो वह, आसामी की विहायत पर उसको ऐसी रकम जो सो रुपये से अधिक नहीं हो और उसको मुमालजा के रूप में देनी तय की जाय, देने का त्रिम्बद्ध होगा और ऐसी रकम भू-राजस्व की बकाया के रूप में बगून की जायगी तथा आसामी वो दे दी जायगी ।

टिप्पणी

इस धारा में बताया गया है कि कूंते या बटाई-नटाई द्वारा लगान लिए जाने वाने मामलों में आसामी को पूरी फसल का बट्ठा बनाये रखने का अधिकार है परन्तु वह न तो कूंते या बटाई के काम में स्कावट ढाल सकता है और न उठाकर ले जाने का हकदार है । भूमि धारी को भी अधिकार नहीं है कि वह आसामी द्वारा फसल तैयार करने या दूरदूरी करने में स्कावट ढाले । दोनों पक्षकारों द्वारा इस धारा के उपचरनों का उल्लंघन करने पर की जाने वाली कार्यवाही उपधारा (४) व (५) में वर्ताई गई है ।

१४५. जिसी लगान उपचर के वास्तविक दिभाजन के अरिये काविल वसूली होना—जब लगान उपचर के हिस्ते के गोर पर बिना में देय हो तो वह माधारस्त्रया उपचर वे वास्तविक दिभाजन के अरिये काविल वसूली होगा :

परन्तु यदि आसामी और नूमिवारी सहमत हैं यद्यपि जट्टा ऐसी पृथा हो, उपचर की यह माधा जो लगान-स्वरूप देय हो, यह हुई फसल या बनिहान में रखी हुई उपचर के हृति (appaisement) के द्वारा निश्चय दी जा सकेगी ।

१४६. कोई गाँड़ी-भाड़ा न दिया जाना—जब लगान बिना में दिया जाय हो भूमिवारी उपचर से असर नियने ला भावे सरान या त्रिमी सदी तक से जाने के लिये गाँड़ी-भाड़े के रूप में उपचर की अनिवार्य नापा भी या उनकी बीमत हे दरावर रकम यो माप नहीं करेगा या नहीं पारेगा ।

की कृपि-उपज का मूल्य निर्दिष्ट कर दिया हो तो उत्त निर्धारण के लिये वही मूल्य सुनार किया जायगा ।

१४८. विभाजन, अनुमान, या कूंते करने के लिये अधिकारी को नियुक्ति के निमित्त प्रार्थना-पत्र—(१) जब समान उपज के विभाजन से देख हो, या फगन में अनुमान या कूंते (appraisement) पर आपारित हो, और

(क) यदि भूमिधारी, जो राज्य सरकार न हो, या आसामी उचित समय पर उपस्थित होने से लापरवाही करता हो, या

(ख) यदि उपज के विभाजन, मात्रा या मूल्य के सम्बन्ध में कोई विवाद हो, तो विभाजन, अनुमान या कूंते करने के लिये एक अधिकारी नियुक्त करने की प्रार्थना करते हुए किसी पक्ष द्वारा एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(२) प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थी ऐसा शुल्क जमा करायेगा जो राज्य सरकार, इस सम्बन्ध में निमित्त नियमों के मन्त्रालय विहित करे ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनार्थ पद 'उचित समय' से काल्पनिक स्थानीय दोनों में पृथा या घबघार के अनुसार फसल के विभाजन, अनुमान या कूंते के लिये अनिमत तारीख समझी जाने वाली तारीख या निम्नलिखित तारीख, दोनों में अपेक्षाकृत जो पहिने आवेदन से है, अर्थात्

(क) फसल कीरीक के सम्बन्ध में

[१] अनुमान या कूंते के लिये—५ नवम्बर या मार्गशीर्ष वदी ३० और

[२] विभाजन के लिये—५ फरवरी या माघ वदी ३०,

(ख) फसल रवी के सम्बन्ध में

[१] अनुमान या कूंते के लिये—३० मार्च या चैत्र वदी ३० और

[२] विभाजन के लिये—३० मई या जेठ मुदी १५ ।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में बताया गया है कि कूंते आदि के लिए आसामी या भूमिधारी किसी के उचित समय पर हाजिर न होने पर अधिकारी विभाजन के प्रस्तुत पर विवाद उत्पन्न होने की अवस्था में दूसरा पक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत का सक्ता है । ऐसा आवेदन पत्र नहीं चल सकेगा यदि कोई पैदावार हो नहीं हुई हो और उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं हुई हो ।^१ उचित समय क्या होगा यह स्पष्टीकरण में बता दिया गया है ।

२. प्रक्रिया—आवेदन पत्र तहसीलदार को दिया जायगा और तृतीय अनुसूची भाग दो के मद्द ५७ द्वारा शामिन होगा । न्यायालय शुल्क ५० पैसे लगेगा ।

मियाद कुछ नहीं है परन्तु ऐसा आवेदन पत्र कूंते के लिए हो तो फसल कटने से

1. रामेश्वर दयान v. धारिया, 1944 R.D. 63.

पूर्व और बंटवारे के लिए हो तो स्वलिहान से हटाने से पूर्व किया जायगा। अपील कलक्टर के यहाँ होगी। डिक्टी होने की सूरत में (धारा १४६ (७) के नीचे) तो वही प्रक्रिया काम में नाई जायगी। वैसे दूसरी अपील नहीं होंगी परन्तु डिक्टी वाली सूरत में दूसरी अपील राजस्व अंपील प्राधिकारी के यहाँ होगी। दोनों सूरतों में पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा।

१४६. ऐसे प्रार्थना-पत्र के विषय में कायं-प्रणाली—(१) ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, तहसीलदार विरोधी-पत्र को इस आत के लिये सूचना जारी करेगा कि वह ऐसी तारीख को जो प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति से एक सप्ताह से बागे की नहीं होगी, ऐसे समय तक स्पति पर उपस्थित हो जो सूचना में निर्दिष्ट हो और एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेगा जो विभाजन, अनुमान या कूंता करेगा।

(२) यदि विरोधी पक्ष आपत्ति करे कि लगान उपज के विभाजन के जरिये या फसल के प्रनुभान या छूटे के जरिये देय नहीं है अथवा कोई भी रकम देय नहीं है तो उक्त अधिकारी आपत्ति का अनिस्तेशन करेगा ऐसी बार्यदाही करने को घप्सर होगा जैसी आगे बढ़ाई गई है।

(३) ऐसा धर्मिकारी प्रत्येक दक्ष से पड़ीम के यिसी निवासी को उपज के विभाजन, या फसल के बन्नुमान या हूते में सहायता करने के लिये उसे-नियुक्त करने को कहेगा और स्वयं भी एक ऐसा धर्मिक नियुक्त करेगा।

(४) यदि कोई भी पक्ष उपस्थित होने में विफल रहे या अनेसर नियुक्त बरते से दबार करे तो ऐसा अधिकारी उसको धोर से एक ब्रतेगर स्वयं मनोनीत बरेगा।

(५) ऐसा अधिकारी असेमरों की समतियों को लिख लेगा और निएंय देते गमद उन्हें ध्यान में रखेगा।

+ (६) उपज के विभाजन की रिपोर्ट में यदि दोनों पक्ष उक्त अधिकारी द्वारा प्रमत्तावित विभाजन की रीति से सहमत हो जायें तो विभाजन तदनुमार दर दिया जाएगा। यदि विभाजन की रीति से दोनों पक्ष सहमत न हों और वह दावा किया जाए कि होई स्थान देय नहीं है तो ऐसा अधिकारी उपज या फसल के मूल्य का अनुमान समायेवा और घपना निम्न देश दिये जाने वह पक्ष नो कार्यवाही की रिपोर्ट में जाए तहमीनादार को प्रेरित करेगा।

(७) पांडी को यह गुबना जारी की जावेगी कि निर्माण दे दिया गया है और वे ऐसी मुख्यता बिसंगे की तारीख से एक माहां तक भीतर निर्माण है। विड्ड धारपत्रों के लिए उनके दृष्टिकोण से वह अधिक अवधि लिया जाता है। इसी विड्ड धारपत्रों के लिए उनके दृष्टिकोण से वह अधिक अवधि लिया जाता है।

(८) उस मामले में जब कोई पक्ष यह आपत्ति करे कि लगान फसल से अनुमान पा-
कृत + [या उपज के विमाजन पर] आपारित नहीं है या कि कोई रकम देय नहीं है या
कि भूमिधारी द्वारा लगान के छपे गे घम्यवित (claimed) उपज का अनुपात बस्तुतः ऐसे अनुपात
से भधिक है तो तहसीलदार ऐसी आपत्ति का निर्णय नहीं करेगा अग्रिम पक्षों को यह निर्देश देगा
कि वे अपने परिकारों का निर्णय सदाम अधिकार-दोष गते न्यायालय द्वारा करवायें और ऐसे
मामलों में तहसीलदार भूमिधारी के प्रायंना-पा पर, आसामी बी निर्देश दे सकेगा कि यह उस
बाद के अन्तिम निर्णय के अनुसार एक महीने के भीतर लगान मुश्कान बरने के लिये एक
बन्धपत्र, प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित, प्रस्तुत करे ।

(९) यदि आसामी बंध-पत्र प्रस्तुत करने से, जेमाकि उप-पारा (८) में उल्लिखित है,
इन्कार करे तो तहसीलदार फसल को अवश्य उसकी उपज को ऐसी मात्रा में कुर्क कर सकेगा जिसे
वह आवश्यक समझे ।

टिप्पणी

इस धारा में धारा १४८ के नीचे प्राप्त आवेदन पत्र के निपटारे का तरीका बनाया
गया है। इस धारा के नीचे दी गई आज्ञा का प्रभाव लगान की बकाया के लिए दी गई
डिक्टी की तरह होगा। इस धारा के उपवन्ध बाध्यकर (mandatory) है ।

उपधारा (७) के नीचे दी गई आज्ञा की अपील या पुनरीक्षण उसी प्रकार होगा
जैसे कि तहसीलदार द्वारा बकाया लगान की डिक्टी का। धारा १४८ के नीचे दिए गए
आवेदन पत्र की स्थारिजी डिक्टी नहीं मानी जायगी और इसकी अपील नहीं होगी ।^१

१५०. उपज के हप में लगान की बकाया के लिये याद—यदि लगान, जो फसल के
अनुमान वा कूते पर आपारित हो या जो उपज के विमाजन द्वारा देय हो, बकाया हो
और लगान की बकाया के निमित्त डिक्टी ये समान प्रभाव रखने वाली बोर्ड आज्ञा धारा १४८
की उपधारा (७) के अन्तर्गत नहीं दी गई हो तो भूमिधारी ऐसी बकाया बी बगूली के लिये बाद
प्रस्तुत कर सकेंगे ।

१५१. किश्तों का नियत दिया जाना—आसामी वा लगान निम्नलिखित किश्तों में तथा
निम्नलिखित तारीखों पर देय होगा—

- (क) यदि कृषि से सम्बन्धित पक्षों द्वारा किश्तें और तारीखें पारस्परिक समझौते से
तय करली गई हो तो इस प्रकार तय की गई किश्तों में और तारीखों पर,
- (ख) ऐसे किसी समझौते के अभाव में यदि किश्तें और तारीखें अन्दोबस्त के समय में
निश्चिग तथा अभिलिखित करदी गई हों तो इस प्रकार निश्चित एवं अभिलिखित
किश्तों तथा तारीखों पर,
- (ग) अन्य दशाओं में एक या आधा किश्तों में और ऐसी तारीख या तारीखों पर जो

+ राजस्थान अधिनियम संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट

1. पासी v. अमरसिंह, 1956 R.P.D. 268.

प्रतिनित पृथा या व्यवहार के अनुमार हों।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के नीचे भूमि धारो उपज रूप में वसूल किए जाने वाले लगान की वकाया के लिए दावा कर सकता है। उपज के विभाजन, कूँता या अनुमान के लिए कोई कदम नहीं उठाने पर भी इस धारा के नीचे वकाया लगान की वसूली के लिए दावा चल सकता है^१। इस धारा के नीचे सायर की वसूली के लिए भी दावा चल सकता है^२।

२. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे दावा तृतीय अनुसूची के भाग १ के मद नं० १७ द्वारा शासित होगा और सहायक कलक्टर के न्यायालय में पेश होगा। न्यायालय मूल्यानुसार (advalorem) लगेगा।

मियाद जिस तारीख को लगान देय हो उससे तीन साल की है। पहली अपील राजन्व अपील प्राधिकारी को और दूसरी राजस्व बोर्ड को होगी। पुनरोक्तण नहीं होगा।

टिप्पणी

जब लगान की कोई किसत देय हो तो जिस दिन वह देय हो उसके दूसरे दिन से ही वकाया में शुभार हो जानी है। आमामी वकाया रकम पर ६.२५ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज देने का उत्तरदायी होगा। वेवल लगान की वकाया की वसूली का दावा राजन्व न्यायालय में चलने योग्य होगा।^३

१५२. सगान का अब वकाया होना—सगान को योई भी विद्युत उस दिन के पांहसे न पुराई जाय जिस दिन देय हो तो उस दिन जिसको कि यह देय हुई, के ठीक अनुबर्ती दिन से वकाया हो जाती है और ऐसा होने पर आमामी वकाया पर एक आना प्रति रुपया प्रति वर्ष की दर से सापारण ब्याज देने का भागी होगा।

१५३. वकाया के कारण गिरफ्तारी पा निरोप का निषेध—सगान की वकाया के कारण दी गई रिहाई दिव्वी पर निष्पादन आमामी दो गिरफ्तार करके या निरोप में रख कर नहीं किया जायगा।

१५४. वकाया वसूल करने का तरीका:—इस प्रतिनियम द्वारा अन्यथा विद्युत अवधारा की छोटे बर, लगान की वकाया वाद के जरिये या पारा १९९ के उपचर्यों के अनुसार नोटिस के जरिये वसूल की जा सकेगी।

टिप्पणी

१—विषय:—सगान की वकाया की वसूली के तरीके इस धारा में वरनाए हैं

१. मण १. उपो, 1937 R.D. 287.

२. गणमा बर v. रामसहन राय, 1935 R.D. 381.

३. अग्रन्ताप्रगाद v. मुरार, 1920-4 R.D. 28.

अधिकारी दावे के द्वारा और तहसीलदार की मार्फत नोटिंग देकर धारा १४६ के प्रत्युमार। इसके अतिरिक्त लगान धारा १५९, १५०, १४८, १५० और १४० (२) के अंतर्गत भी वसूल किया जा सकता है। लगान वसूली के दावे में हमेशा नया याद-कारण (विनाय दावा) रहता है और यदि गत वर्ष में प्रदा किया गया लगान कानूनी तरीके गे वसूल नहीं किया जा सकता था तो उससे वाद में यह पहुँच की मानाही नहीं हो जाती कि कम दर पर लगान देय था।^३ इस धारा के नीचे वह व्यक्ति भी बकाया लगान की वसूली का दावा ला सकता है जिसका वह मालिकाना अधिकार अन्य हित रामान्त हो जुका हो जिसके कारण कि लगान उसको देय हुआ था।^४

२. सिविल न्यायालय की अधिकारिता (Jurisdiction) :—यदि लगान की रकम का रूपान्तरण नई संविदा (बोँड इत्यादि) में हो गया हो तो उसके बाद दाया सिविल न्यायालय में भी पेश हो सकता है।^५

३—(सम्बन्ध Set off):—राजस्व न्यायालय में भी सेट ऑफ की आपत्ति उठाई जा सकती है परन्तु उसके लिए आईंडर ८ नियम ६ सि० प्र० सं० का पालन होना चाहिए।

४—प्रतिया :—बकाया लगान के दावे दृतीय अनुसूची भाग एक के मद्दन १८ द्वारा शासित होंगे और राज्य सरकार के पक्षकार न होने की सूरत में ३००) ६० तक के दावे तहसीलदार के पास पेश होंगे। अन्यथा सहायक क्लबटर के यहाँ पेश होने चाहे मालिकत कुछ भी हो।

मियाद धारा १५२ के नीचे बकाया देय हो जाने की तारीख से ३ साल की है।

न्यायालय शुल्क राजस्थान न्याय शुल्क अधिनियम १६११ के अनुसार मूल्यांकन के अनुसार देनी होगी।

तहसीलदार की पहली अपील क्लबटर के यहाँ होगी और दूसरी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को और दूसरी राजस्व बोर्ड में होगी।

पहली सूरत में पुनरीक्षण राजस्व मंडल में होगा परन्तु दूसरी सूरत में नहीं।

१५५. सह आसामी के विवृद्ध वाद :—कोई सह आसामी जिसने दूसरे सह आसामी के दावे में लगान दे दिया हो या जिससे ऐसा लगान वसूल कर लिया गया हो इस प्रकार दी गई रकम पे लिये उस सह आसामी पर दावा कर सकता है।

1. तुंगल v. नन्दभान, A. I. R. 1928 All, 214

2. ज्वालामुखी v. उमराम, 1943 R. D. 162

3. जगराम v. शिव मम्पत, S. N. W. 84

4. धारा २१७ (२)

ट्रिप्पली

१—विषय :— इम घारा के प्रावधान के अनुसार यदि किसी आमामी से उसके दिल्ली सह आमामी के हिस्से का लगान बमूल कर लिया गया हो तो वह आमामी अपने उस सहआमामी पर उसके हिस्से का लगान वापिस बमूल करने वा दावा कर सकता है ।^१ इसी प्रकार भूमि का एक स्वामी भी अपने सह स्वामी (Co-Proprietor) पर उसके अपने हिस्से ही लगान बमूली का दावा कर सकता है और वह राजस्व न्यायालय में होगा ।^२

२—प्रतियो :— ऐसे दावे हठीय अनुसूची भाग १ के मद्दतं० १६ द्वारा गासिन होंगे और घारा २१७ के अनुसार तहसीनदार या सहायक कलबटर द्वारा विचारणीय होंगे ।

इनके लिए मियाद लगान बमूली की तारीख से तीन माह की होगी ।

न्यायालय शुल्क दावे के मूल्याकन के अनुसार होगी ।

तहसीनदार द्वारा दो गई टिकी की अपीन पहले कलबटर को, दूसरी राजस्व अपीन प्राधिकारी को होगी व पुनरीक्षण राजस्व बोई में होगा ।

सहायक कलबटर द्वारा दो गई टिकी की पहली अपीन राजस्व अपीन अधिकारी होगी व दूसरी राजस्व बोई को ।

१५६. बहायाओं का संयोजन :— (१) यादो, एक ही आमामी के विहङ्ग लगान वी बहाया के दो दावों को, एक ही दाव में गंभीरित हर सकता है यद्यन्ते ये दावे उसी दाव में नियत नूमि-शीरों से सम्बन्धित हो ।

(२) उक्त दाव को दिल्ली में, वह नूमि-शीरों के मम्बन्ध में देय पाई गई रकम, यदि नहीं हो, भरत अन्य बहाया जायेगी ।

१५७. बहाया के दावे में दिल्ली देने वाले न्यायालय द्वारा विरति के द्वारा छृट :— (१) यदि लगान वी बहाया के लिये हिये गये दावे में दिल्ली देने वाले न्यायालय को देय नूमि-शीर के दोष-फृट में बाहर गे, या अन्यथा ऐसी कमी हो गई है या उसकी उपत्र में, अवाक्षिप्त, घोले, कीरो, थालू वे जमाय, या इन्हीं दो मद्दत रिसी अथवा विरति के बारेमा ऐसी कमी है या एसो हड्ड है कि आमामी द्वारा उन अवधि के लिये देय लगान वी नूमि रकम की दिल्ली न्यायानुसार नहीं हो जा गई है तो न्यायालय आमामी द्वारा उन अवधि के लिये देय लगान के लिये छृट भरत पर मरम्मत की उम्मीद नहीं हो ।

(२) इस पारा के अनुरूप मंदूर की गई कोई छृट आमामी द्वारा देय लगान में, अन्य उम्मीद अवधि के लिये गाँधी गाँधी में यह छृट दो गई हो, अन्यथा वरिक्टन वरने वाली नूमि अवधि की जायेगी ।

1. गुरानगिह, v. हरखरनगिह, 1947 R. D. 354

2. गार परहद, v. कंसाव हरन, A. I. R. 1944 भद्रप 312

टिप्पणी

विषय :— यह पारा तभी साधु होगी जब कि कोई आगामी किसी विनाश के कारण अपने भूमि देश के किसी भाग से अस्थायी रूप से बर्गित हो गया हो। यदि वह स्थायी रूप से बचित हो जाता है तो सगान को बकाया के लिए दावा करने में पूर्ण भूमिकारी की लगान की फिर से विनिश्चय कराने के लिए दावा करता होगा।¹

१५८. गिराई की बकाया के लिये बाब — कोई भी व्यक्ति जिसे तिनाई या नानवड़ के बारण कोई रकम देय हो, ऐसी रकम की वसूली के लिये दावा कर सकेगा।

१५९. क्रतिवय बकायाओं की वसूली भू० राजस्व के रूप में हिया जाना :— यदि राज्य सरकार से लेकर धारणा की हुई भूमि के सम्बन्ध में सगान की बकाया या राज्य सरकार को देय अन्य राजि की बकाया या ऐसी भू-सम्पत्ति जो तत्त्वमय प्रमावदी इन्हीं कानून के अन्तर्गत कुकं कर ली गई हो या जो राजस्वान कोट बाँक बाहूंस एकट १६५१ (राजस्व एकट स० २८ सन् १६५१) [अथवा राज्य के उत्तरोत्तरी में, जिनमें वह अधिनियम विस्तृत एवं साधु न हो, प्रवर्तनशील किसी अन्य समानवर्ती कानून] + के उपर्यन्तों के अनुमार कोट बाँक बाहूंस के अधीक्षण में रख दी गई हो, के सम्बन्ध में बकाया भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

परन्तु इस पारा में निहित कोई बात भू-सम्पत्तियों की उत्त बकायाओं की वसूल करने का प्रविकार देने वाली नहीं समझी जायेगी जो कानून मियाः के अन्तर्गत कानून-विरोहित हो गई हो।

१६०. भूगतान से सामान्य इन्कारी की दशा में बकाया की वसूली—(१) किसी स्थानीय देश में लगान वसूल करने के हकदार व्यक्तियों को लगान देने की सामान्य इन्कारी की दशा में, राज्य सरकार [सामान्य राजपत्र] X में अधिसूचना के जरिये घोषणा कर सकती है कि लगान भू-राज्य की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

+ + (२) किसी स्थानीय देश में, जिस पर उपर्याप्त (१) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना लागू होती हो, भूमिकारी या कोई भी व्यक्ति जिसको कि लगान की बकाया देय हो, इस अधिनियम या तत्त्वमय प्रमावदील किसी अन्य कानून में हिसी विवरीत बात के होते हुए भी, बकाया की वसूली के लिये इस अधिनेयम के अन्तर्गत दावा करने के बदाय, उम्ही वसूली हेतु लिखित में एक प्रारंभना-पत्र कनेक्टर को दे सकेगा, जो अपने अपको इस बात से सनुष्ट कर लेने के पश्चात् यि मात्री गई रकम बांबिद है, राज्य सरकार द्वारा नियमों के अधीन, ब्याज सहित उस रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

1. मुस्लिम विश्वविद्यालय, v. मोहनलाल, 1948 R. D. 19,

+ राज० अधि० संख्या २ सन् १६५८ द्वारा निविष्ट

X रा. अ. २ सन् १६५८ द्वारा प्रतिस्पष्ट ।

+ + उपरोक्त द्वारा प्रया समोचित ।

(३) किसी रकम जिसकी वसूली के लिए इस धारा के अन्तर्गत आज्ञा दे दी गई हो, के सम्बन्ध में किसी बाद में कलकटर को प्रतिवादी नहीं बनाया जायगा ।

(४) इसमें निहित कोई बात और इस धारा के प्रत्यर्गत दी गई कोई भी आज्ञा—

(क) भूमिधारी को उसके द्वारा प्राप्य किसी रकम को जो इस धारा के प्रत्यर्गत वसूल नहीं की गई हो, दावे या प्रार्थना-पत्र के जरिये वसूल करने में वंचित नहीं करेगी, या

(ख) उस व्यक्ति को जिससे वाजिब रकम से अधिक रकम इस धारा के प्रत्यर्गत वसूल करकी गई हो, भूमिधारी या अन्य व्यक्ति जिसके द्वि प्रार्थना-पत्र पर बनाया वसूली की गई थी, के विरुद्ध बाद दावर करके ऐसी अतिरिक्त रकम को वसूल करने से वंचित नहीं करेगी ।

+ [(५) कलकटर उप-धारा (२) के अधीन वसूली के व्यय के रूप में वसूल की गई बास्तविक रकम बो, ७३ प्रतिशत के दावर काट कर राज्य सरकार के खाते में ढाल देगा और वसूली के ऐसे व्ययों का भार आसामी पर होगा ।

परन्तु यदि कलकटर का यह भत हो कि एक और आसामी तथा दूसरी ओर भूमिधारी या कोई अन्य व्यक्ति जिसको लगान की बकाया देय थी, के बीच देय लगान का उचित विवाद पा, तो वह दोनों पक्षों के बीच वसूली के व्ययों का भार ऐसे अनुपात में बांट देगा जिसे वह उचित समझे ।]

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के लागू किए जाने से पूर्व यह आवश्यक है कि (१) आसामियों वी और से लगान अदायगी के लिए आम इनकारी (सामान्य इनकारी, general refusal) कर दी गई है और (२) ऐसी आम इनकारी के पदचात् मरकार वी और से एक अधिसूचना जारी कर दी गई है कि लगान या मांगों की बकाया को भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल वी जायगी। 'सामान्य इनकारी' (आम इनकारी) में तात्पर्य किसी स्थानीय स्थेत्र में लगान अदा नहीं करने के निए व्यापक अधिसान से है। केवल कुछ आसामियों द्वारा लगान देने से इनकार करने पर या नहरी भूमि मंदपों कुछ मांगों वी रकम (Canal dues) देने से इनकारी राज्य सरकार के लिए अधिसूचना जारी करने के निए पर्याप्त नहीं समझी जायगी ।

२. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे आवेदन-पत्र शृंतीय अनुमूची भाग २ भद नं० ४८ द्वारा सारित होने और कलकटर को दिए जायेंगे ।

व्यापार्य दुल्ह ५० पैसे होगा ।

पूर्वी ऐसे आवेदन-पत्रों पर आज्ञा इनजामी तरीके (executive nature) वी होगी यहाँ परीन राजस्व प्रीन प्राधिकारी के यहाँ नहीं होगी न राजस्व वोट में पुनरीकाश होगा ।

उपधारा (२) के नीने यामनों में अग्रीन राजस्व अधीन प्राप्तिकारी के बहाँ होंगे। दूसरी ओर नहीं होती तथा पुनराग्रह राजस्व सरकार में होगा।¹

३. उपधारा ४ (स) के भीचे लाखे—ऐने दो एवं एक प्रमुखों के याम १ के मदनं २१ द्वारा शासित होंगे और तद्दोलशार द्वारा विचारणीत होंगे या पारा २१ के उपबंधों के अन्तर्गत राजायक कलमटर के बहाँ होंगे।

उन पर न्यायालय मुक्त कृत्यांकन के अनुगार (advalorem) लगेगा।

मियाद अधिक सामान वसूली की तारीग से तीन साल होगी।

यदि इको तहसीलदार द्वारा दी गई है तो पहली अग्रीन कलमटर को होगी व दूसरी राजस्व अधीन प्राप्तिकारी को। यदि इको सहायक कलमटर ने दो है तो पहला अग्रीन राजस्व अपील प्राधिकारी को व दूसरों राजस्व मंडल में होगी। ऐसी सूरत में कोई पुनरीक्षण नहीं होगा।

अध्याय ११ — वेदेश्वली

सामान्य

११. वेदेश्वली अधिनियम के अनुसार होना—कोई भी आसामी अपने भूमि-देव से इस अधिनियम के उपबंधों का अनुसरण करने को प्रणाली के अलावा अन्य किसी प्रकार वेदेश्वल नहीं किया जायगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में बताया गया है कि किसी आसामी को वेदेश्वल करने के लिए इस अधिनियम में वनाया गया तरोका हा काम में लाया जायगा। उन और किसी प्रकार से वेदेश्वल नहीं किया जा सकता। जैसे कि लगान न देने से सूरज पे भूमि-देव से इस पर जाकर आसामी को बाहर नहीं निकाल सकता। उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ही कार्यवाही करनी होगा।¹ अन्यथा आसामी को इन अन्याय के अनुसार राहन (remedy) दी जा सकेगी। यदि किसी मुख्य आसामी की मूल्य के पश्चात् भूमिधारी उसके लिकमी वा आसामी वनाले तो फिर उस नए आसामी को किसी तीसुरे व्यक्त की स्थायी आसामी वनाने के लिए वेदेश्वल नहीं किया जा सकता।² यदि राजस्व न्यायानन्द किसी व्यक्त को दिक्षित के स्वप में वेदेश्वल करने के लिए पेश किए गए दावे को नहीं मुन सकता।³

1. मुख्यरन लाल V. ग्रामकुद्दल नारायन 1945 R.D. 71.

2. दीनश्वान V. राजकुमारी, 1949 R.D. 100

3. अवशाली V. गोदापति, 12 R.D. 701

4. नारायणसिंह V. गोदापति, 33 A.H. 523

२. इस अधिनियम के उपर्योग के अनुसार वेदवली—धारा १८३ के अन्तर्गत किसी अतिक्रमी को, धारा १७४ के अन्तर्गत लगान की वकाया की डिक्री की इजाए में, धारा १७५ के अन्तर्गत शिकमी को अवैध अन्तरण के कारण, धारा १७७ के अन्तर्गत आनिकारक कार्य के कारण और धारा १८० के नीचे गुदकाश्त काश्तकारों अवश्य गंग खातेदार आसामी या शिकमी को वेदवल किया जा सकता है। इस अधिनियम के नीचे जो अधिकार आसामियों को मिले हैं उनसे वंचित करने वाला कोई करार धून्ह होगा।

३. वेदवली की डिक्री का प्रभाव—इस अधिनियम के नीचे दी गई वटमनी को डिक्री में आसामी के काश्तकारी अधिकार (tenancy rigours) समाप्त हो जाते हैं परन्तु वेवल डिक्री दे देने से ही काम नहीं चल सकता। उसकी इजराय बोकर औपचारिक “दखल-दिहानी” होना जरूरी है चाहे वास्तव में कब्जा नहो दिलाया जाय। तभा अधिकार समाप्त होगी।^१

१६२. वेदवली होने पर वकाया की मांग की पूर्ति होना—पारा १६४, १६५, और १६६ के उपर्योग के अवीन रहते हुए, जब कोई खातेदार प्रासामी, लगान मुआवान न करने के कारण, वेदवली की डिक्री या प्राज्ञा के निष्पादन में घण्टों सम्पूर्ण मूमि में पा उम के द्वारा दिस्ते से वेदवल पर दिया जाय तो प्रासामी द्वारा ऐसी मूमि का कब्जा छोड़ने की तारीख को उस मूमि के सम्बन्ध में देय सभी वकाया लगान, चुका दिया गया समस्ता जायेगा।

टिप्पणी

१. विषय—यदि कोई आसामी अपने भूमि-क्षेत्र से अवश्य उसके किसी भाग से लगान की वकाया के कारण वेदवल कर दिया जाय तो लगान वकाया को डिक्री की तकमीन समझी जायगी। यह धारा दावे में डिक्रीन लगान को वकाया पर हो लागू होगी परन्तु डिक्री में मम्मिलिन दावे के सचें पर नहीं।^२ ऐसे परचे डिक्री को इजाय के द्वारा बमूल किए जा सकते।

२. यह पारा भूतलशी नहीं है—इस पारा का प्रभाव भूतलशी नहीं है और इस अधिनियम के प्रवर्तन में यह होने वाली कार्यवादियों पर लागू नहीं होना।^३ परन्तु ऐसे आसामी पर लागू होनी है जिसको वेदवल करने की डिक्री न हो। इन अधिनियम के प्रवर्तन में यह हो चुका था परन्तु वास्तविक वेदवली नए अधिनियम के अन्तर्गत प्रवर्तन की तारीग के पश्चात हुई है।^४

+ ११३. विचोरित—

1. शीरखल V. गिलोना, 1959 R.L.W. (R.S.) 80.

2. मदेवरदयन सेठ V. गौड़ान, 1944 R.D. 111.

3. बहुनाय प्रगाढ़ V. राम उमरनाय बाबामिह, AIR 1944 Odh 86.

4. रामेंद्र बहादुर V. गिलोनी पारा, 1944 R.D. 428.

+ पा. प. २३ मन् १९५६ द्वारा विमुक्त।

१६४. ऐदतसी होने की दशा में मुपार-कार्य के तिथे प्रतिकर (मुआवजा)-यदि आसामी अपने द्वारा किये गये किसी मुपार में मुपारजे ने तिथे दारा करे और उसका दारा भीतावै हो तो आसामी को उगकी भूमि से या उगके किसी भाग में ऐदगामी पा शादेत देने वाला न्यायालय उस मुपार-कार्य के तिथे आसामी को देय मुआवै की राम निश्चित करेगा ।

१६५. प्रतिकर (मुआवजे) का भुगतान (१) यदि पूर्वामी यारा ने अन्तर्मंत निश्चित किया गया मुआवजा, आसामी से उसकी भूमि से किसे यगूत जिये जाने वाले व्यक्तियां लगान की रकम तथा खर्च, यदि कोई हो, तो अधिक हो तो वेदखली के तिथे कियी या आज्ञा, आसामी को देय अविष्ट रकम को ऐसे समय के भीतर त्रिसका न्यायालय निर्देश करे, भुगतान कर देने की शर्त पर, दी जायेगी ।

(२) अगर मुआवजा, आसामी से वेदखल यगूत रकम से अधिक न हो, जैसा कि उप-धारा (१) में निश्चित किया गया है, तो आसामी द्वारा मुआवजे के लिये किया गया कोई भी दावा उसे वेदखल किये जाने पर, सतुष्ट हुआ समझा जायेगा ।

टिप्पणी

धारा १६४ व १६५ साथ साथ पढ़ी जानी चाहिए । यदि वेदखली के दावे या कार्यवाही से मुआवजा (प्रति कर) की आपत्ति उठाई जावे तो वेदखली की आज्ञा देने वाले न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रदेश की जांच करे और मुआवजे की रकम निश्चित करे । मुआवजे का अन्तिम रूप से फेसला होने तक वेदखली का निरार्थ नहीं दिया जाना चाहिए^१ । यदि मुआवजा नहीं दिया जाता है तो वेदखली नहीं होनी चाहिए^२ । मुआवजे या दावा वेदखली के विरुद्ध आपत्ति (उज्जदारी) है और अन्तिम आज्ञा से पूर्व उसका फेसला होना चाहिए^३ ।

१६६. वेदखली होने पर फसलों तथा वृक्षों संबंधी अधिकार—(१) यदि इसी आसामी की वेदखली की डिश्री या आज्ञा के भनुसरण में वज्जा सोपने की तारीख की भूमि-देश में ऐसी असंग्रहीत फसलें या वृक्ष हों जो आसामी से निहित हैं तो डिश्री या आज्ञा का निपादन करने वाला न्यायालय उन फसलों तथा वृक्षों का मूल्य निश्चित करेगा और निम्नतिलित प्रकार कार्यवाही करेगा—

(क) यदि धारा १६४ के अन्तर्मंत निश्चित मुआवजे, यदि कोई हो, को घटाने के पश्चात आसामी द्वारा देय रकम उक्त फसलों या वृक्षों के मूल्य के बराबर या अधिक हो तो न्यायालय मूमिधारी को भूमि का वज्जा दे देगा और उक्त फसलों अपवा वृक्षों पर आसामी के समस्त अधिकार भूमिधारी को प्राप्त हो जायेंगे;

1. शिवधर V. मंगला, 1935 R.D. 14

2. भगवानसहाय V. शिवधरण्डिह, 4 R.D. 15

3. ऐतन V. त्रिसता, 1 R.D. R.E. 69

(क) यदि धारा १६४ के अन्तर्गत निश्चित मुपावजे, यदि कोई हो, को पटाने के पश्चात् आसामी द्वारा देय रकम, उक्त फसलों तथा वृक्षों के मूल्य से कम हो, और

[१] मूर्मिधारी उक्त रकम तथा उक्त मूल्य के अन्तर की रकम आसामी को देवे तो न्यायालय भूमि का वज्रा मूर्मिधारी को सौंह देगा और उक्त फसलों तथा वृक्षों पर आसामी के समस्त अधिकार मूर्मिधारी को प्राप्त हो जायेगा, या

+ [२] यदि मूर्मिधारी उक्त अन्तर की रकम नहीं दे—

(क) जहाँ मूल्य आसामी में निहित वृक्षों प्रयत्ना उन वृक्षों या बस्त्रहोत्र फसलों से ही सम्बद्ध हो, आसामी वैद्यनन्दी का भागी नहीं होगा जब तक कि उक्त मूल्य सबपी दावे की संतुष्टि न कर दी गई हो, और

(ख) जहाँ मूल्य उक्त अन्तर्गत फसलों में ही सम्बद्ध हो, न्यायालय मूर्मिधारी को भूमि का वज्रा दे देगा परन्तु आसामी को उक्त फसलों की रकम करने, संग्रह करने कथा हटाने का अधिकार होगा और वह मूर्मि के उपयोग तथा आधिकाम के लिये ऐसा मुकावजा देगा जो न्यायालय द्वारा निश्चित किया जाय।]

* [+ + +]

+ + [(.-का) आसामी या मूर्मिधारी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, वैद्यवली की दिकों पर आज्ञा का निष्पादन करने वाला न्यायालय फसलों प्रयत्ना वृक्षों का मूल्य तथा उप-धारा (१) के साथ (ख) के उपवर्त्तों के प्रधीन आसामी द्वारा दिये जाने वाला मुकावजा निश्चित कर सकेगा।]

(२) इस धारा की कोई भाव, धारा १८३ के उपर्यों के अन्तर्गत भूमि से वैद्यवल किये गये अनियन्त्री पर कागू नहीं होगी और कवचा सौंपने के ममय उक्त भूमि में स्थित कोई पृथक् या फैले पारा \div [१८३] की उप-धारा (२) के उपवर्त्तों के प्रधीन मूर्मिधारी में निहित हो जायेगा—

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के लागू किए जाने से पूर्व यह निश्चित किया जाना चाहिए कि फसल या वृक्ष आसामी में निहित हैं या नहीं। यदि वे निकलो आसामी की समस्ति हैं और आसामी को केवल उनमें हिस्सा पाने का अधिकार है तो आसामी इन पारा का सामने का हकदार नहीं है।¹

+रा. अ. २७ मन् १९५६ द्वारा प्रतिशासित।

× रा. अ. २७ मन् १९५६ द्वारा विमुच्य

+ +रा. अ. २७ मन् १९५६ द्वारा निश्चित

÷रा. अ. २७ मन् १९५६ द्वारा प्रतिशासित

1. विधीन प्रभाद V. विधान बहुमत, 1948 R.D. 418

२. मियाद—इस पारा के नीने आवेदन-पत्र देने के लिए कोई मियाद नहीं है परन्तु उपपारा (१) का अभिप्राप यह प्रतीत होता है कि पठता दिनामे गे पूर्व मुम्भायजे के दावों का फैसला किया जायगा।

यह धारा अनिकम्भी पर साधु नहीं होती है।^{१३}

२. प्रचिया—इस धारा के नीने आवेदन-पत्र एकीप अनुगृही के भाग २ के मद्दते ६० द्वारा दाखिल होगे और उपपारा (२) के नीने वेदपत्री को दिक्षी गा आज्ञा देने वाले न्यायालय के समझ पेश होगे।

न्यायालय शुल्क ५० रुपये का होगा। नहमीनदार द्वारा आज्ञा दी जाने पर पहली अपील कलबटर को और साहायक कलबटर, कलबटर या एम. डी. ओ. द्वारा आज्ञा दी जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी को होगी। अपील में दो गई आज्ञा की दृग्मी अपील नहीं होगी। पुनरीक्षण हो सकेगा।

१६७. नोटिस की अन्तर्वंस्तु तथा तामील—(१) इस अध्याय के मन्तर्गत आसामी को जारी किये जाने वाले प्रत्येक नोटिस में निम्नलिखित वार्ते होते हैं:—

(क) भूमिधारी का नाम, विवरण और निवास-स्थान

(ख) आसामी का नाम, विवरण और निवास-स्थान

(ग) गाव या ग्राम नामीय-स्थान जिसमें वह भूमि-देश स्थित है, का उल्लेख करते हुए,

(घ) भूमि-देश के रेकार्ड में दर्ज नम्बर, लगान की प्रत्येक विश्व की रकम जिसका फोई भाग बकाया हो और उन वकायाओं की रकम।

(२) न्यायालय द्वारा सम्मनों की तामील करने की रीति ही आसामी पर ऐसे नोटिस तामील करने की रीति होती है।

+ [विलोपित]

इन्हुंने ऐसे नोटिस की तामील आसामी पर रजिस्टर्ड पोस्ट मध्य रसीद के जरिये भी कराई जायेगी।

किन्तु यह और है कि यदि आसामी मिलता नहीं है या नोटिस लेने से या रसीद पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो नोटिस की तामील उस स्थान के दो व्यक्तियों की उपस्थिति में, जो नोटिस पर ऐसी तामील या प्रमाणीकरण करने के लिये हस्ताक्षर करेंगे, नोटिस को उसके सामान्य निवास-स्थान पर विपकावर की जायेगी और वह तामील आसामी पर उचित तामील समझी जायेगी।

टिप्पणी

१. नोटिस की अन्तर्वंस्तु - हालांकि नोटिस में व्या वार्ते होनी चाहिए वे इस

१. मुहम्मद अमीर यात V. वर्क्स, 1945 R.D. 527
२. उपपारा (३)

+ रा. अ. २७ सन् १९५६ द्वारा विस्तृत।

धारा में दी गई हैं और उन्हें नोटिस में लिखा जाना ही चाहिए परन्तु लिपिकीय भूलों की दुर्मी की जा सकती हैं।^१ नोटिस सारे भूमि-क्षेत्र के बावजूद होना चाहिए।^२ दो विलुप्त ही अलग भूमि-क्षेत्र के लिए सम्मिलित नोटिस गलत है।^३ गरज यह है कि आसामी को साफ पता चल जाना चाहिए कि नोटिस किस भूमि-क्षेत्र के विषय में है। यदि किसी खेत का कोई दर्जायुदा नम्बर नहीं है तो खेत का नम्बर न देना कोई त्रुटि नहीं होगी।

२. नोटिस को तामोल—उपधारा (२) में बनाया गया है कि नोटिस की तामीन न्यायालय के सम्मन की तरह कराई जायगी। दंड प्रक्रिया संहिता के आईर ५ में मम्मनों की तामीन का तरीका बनाया गया है जिसका पालन ठीक तरीके से होना चाहिए अन्यथा शार्यवाही रह हो सकती है।

३. स्पानापद तामोल—उपधारा (२) के दूसरे परन्तुक में बनाया गया है कि यदि आसामी नहीं मिले अथवा तामील ने इंकार कर दें तो नोटिस की तामीन उसके सामान्य निवास स्थान पर चिपकाया जाकर को जायगी जिसकी तसदीक (प्रभाणी करण attestation) उस स्थान के दो व्यक्तियों से करानी जायगी। इस उपधारा में तामीन नोटिस का प्रबलाश कराके अथवा आसामी के परिवार के बालिग सदस्य की तामील कराके नहीं कराई जा सकती। इस प्रकार आईर ५ नियम २० C.P.C में और इस उपधारा के उपर्योग में मन्तर है। सह आसामी को नोटिस देना इस उपधारा के नीचे पर्याप्त तामील नहीं है।

४. नियाव—धारा १८२ (२) में “ऐसी आज्ञा की तारीख से” शब्द घट्ट है और उनका अर्थ “आज्ञा का पता घलने की तारीख से” नहीं निया जा सकता।^४

१६८. रिहायशी मकानों से बेदखलो नहीं होना—कोई भी आसामी गांव में रियत रहने के मकान में, जो धारा १६ के उपर्योग के अन्तर्गत मुधार के रूप में निर्मित मकान से निश्च हो, ऐसम् इस पारए में ही बेदखल मही बिया जा सकेगा कि वह गाव में अपने भूमि-क्षेत्र में ऐसपत कर दिया गया है।

लगान की बकाया के कारण बेदखली

१६९. बकाया के भुगतान के सिये और भुगतान न करने पर बेदखली के लिये नोटिस जारी करना—(१) जब वर्षी भी आसामी द्वारा देय लगान दो वर्ष या अधिक समय से बढ़ाया हो तो तहमोसदार, आसामी के सीधे राज्य सरकार में प्राप्त भूमिपारण करने की दरा में अपने पाप, तथा अन्य दराओं में भूमिपारी द्वारा प्रारंभना-पत्र देने पर, आसामी को, नोटिस तामील होने के तीन दिन के अन्दर बकाया वा भुगतान करने या उपस्थित होकर उसे स्वीकार करने या उपका

१. रसुनदन V. परमारमसिह, 6 R.D. 526.

२. एनेती V. मैनेजर बोर्ट ऑफ वाईस, 4 R.D. 99

३. गालिदराम V. देनाराम, 1938 R.D. 392.

४. परमिश्र V. मुतिया 1960 R.L.W. (R.S.) 134,

मुल्क देय नहीं होगा, + [xxx] और

[२] तहसीलदार द्वारा पर वैधिक विचार करने में सक्षम होने वी दशा में, कागजात उम राजस्व न्यायालय को भेज दिये जायेंगे जो अधिकार-सेव रखता है।

(३) यदि ऐसे बाद में उक्त न्यायालय यह पाये कि आमामी द्वारा वोई रकम देय है तो न्यायालय उस आमामी को उक्त रकम न्यायालय में चुपाने का निर्देश देते हुए एक फ़िक्री देगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में बताया गया है कि धारा १६६ के नीचे जारी किए गए नोटिस की तामील के पश्चात् आमामी के उपस्थित होने अथवा नहीं होने की अवस्था में क्या कार्यवाही की जायगी। इसमें यह भी बताया गया है कि यदि आमामी के विष्ट एक पक्षीय कार्यवाही हो जाय तो उसे कैसे व किस आधार पर अपास्त कराया जा सकता है।

२. नियाद—एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त कराने के लिए आवेदन-पत्र आज्ञा की तारीख से एक महीने के भीतर करदी जानी चाहिए। ऐसा आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची के भाग २ के मद्द नं० ६२ द्वारा शासित होता है।

१७१. धारा १७० के अन्तर्गत दो गई आज्ञा का परिणाम य लाभ—(१) यदि आमामी धारा ११० की उप-धारा (१) के उपबंधों के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा आदेशित बकाया रकम को या उम धारा की उप-धारा (३) के उपबंधों के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा बकाया लगान वी बाबत दी गई फ़िक्री की रकम को, उन पर व्याज, एवं प्रायन्तर-पत्र के बचे या फ़िक्री द्वारा निर्णीत राशें, मदि कोई हो, सहित ऐसी आज्ञा जारी होने के एक साल के पश्चात् आने वाली ११ मई तक या जब तक यह फ़िक्री अंतिम न हो जाय हब तक भुगतान न करे तो तहसीलदार या फ़िक्री देने वाला न्यायालय उमे, उमको मम्पूर्ण भूमि में या भूमि के बृद्ध हिस्मे में वेद्यता करने की आज्ञा देगा और वह तदनुसार तत्काल वेद्यता कर दिया जायगा।

(२) इग धारा के अन्तर्गत किसी बात के होने हुए मो, कोई आमामी धारा [१२६] x के उपबंधों के अन्तर्गत स्थगित या छूट दिये गये लगान के किसी हिस्मे का भुगतान न करने के बारण वेद्यता नहीं किया जायगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के उपर्युक्त वाघकर (Mandatory) हैं और यदि इस धारा में दी गई अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो तहसीलदार आमामी को भूमि-सेव में वेद्यता करने की आज्ञा तुरंत देगा। आमामी को और नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।¹ तहसीलदार को मियाद में शुद्ध करने का अधिकार नहीं है।²

+ रा० घ० २७ सन् १९५६ द्वारा विनुष्ट

x रा० घ० २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिशादित।

1. अपनामेश्वर v. पिलमान, 1944 R. D. 214

2. पीरे v. राम प्रापरे, 1947 R. D. 116

प्रतिवाद करने का आदेश देते हुए एक नोटिंग जारी करेगा :

मिन्हु इस धारा के अन्तर्गत उग बकाया से भुगतान के लिये जो उगो यारे में प्रार्थनाम देने वी तारीग पर तीन साल से अधिक समय से बकाया निराय रही हो। और नोटिंग जारी नहीं किया जायगा ।

(२) इस धारा के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिंग में यह उल्लिखित होगा कि बाया लगान से भुगतान में वृद्धि करने की दशा में आसामी भूमि-धोन ने ऐकल किया जा सकेगा ।

ट्रिप्पली

१. विषय—इस धारा को धारा १७० व १७१ के भाय पढ़ा जाना चाहिए। इसके नीचे केवल तहसीलदार को ही आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए। इसमें बनाई गई वर्ती पूरी होने पर ही नोटिस जारी किया जायगा। इस धारा के नीचे समस्त आसामियों के विवर नोटिस जारी होना चाहिए अन्यथा वह निष्प्रभावी होगा।¹ यह धारा निसी लगान के मामलों में ही लागू होगी ।

२. नोटिस कब जारी नहीं होगा—यदि लगान की वस्तुली के लिए धारा १५० अथवा १५४ के नीचे नियमित दावा कर दिया गया है तो इस धारा के नीचे नोटिस जारी नहीं किया जा सकता ।

३. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची भाग दो के मद नं० ६१ द्वारा शार्सित होगा और तहसीलदार के समक्ष पेश किया जायगा ।

न्याय शुल्क २५ पैसे का लगेगा ।

मिशन बुद्ध नहीं है परन्तु तीन साल से अधिक पुरानी बकाया के लिए इस धारा के नीचे नोटिस जारी नहीं किया जा सकेगा ।

१७०. नोटिस जारी होने के पश्चात् कार्य—प्रणाली—(१) यदि आसामी उपस्थित नहीं हो, यदि उपस्थित हो और अधियाचित बकाया को स्वीकृत करते तो तहसीलदार उसको ऐसी बकाया भुगतान करने का निरेना करते हुए एक आज्ञा पारित करेगा :

विन्मु यदि ऐसी आज्ञा एक-पक्षीय दी गई हो तो आसामी उने अरास्ट (Set aside) किये जाने के निमित्त प्रार्थना-पत्र दे सकता है और यदि वह तहसीलदार को सनुष्ट करदे कि या सो उस पर नोटिस की तामील नहीं हुई या नियत तारीख पर उपस्थित न होने के लिये उसके पास पर्याप्त कारण हैं तो तहसीलदार उस आज्ञा को अपासा कर देगा और मामले की मुनवाई एतत्पश्चात् बताई गई रीति से करने को अप्पर होगा ।

(२) यदि आसामी उपस्थित होता है और बकाया के अधियाचित का विरोध करता है तो यदोचित न्यायालय-शुल्क देने पर, नोटिस की लगान की बकाया का एक बाद समझा जायेगा, किन्तु

[१] ऐसा नोटिस स्वयं तहसीलदार द्वारा जारी किये जाने की दशा में कोई न्यायालय-

मुन्ह देय नहीं होगा, + [१००६] प्रौर्

(२) तहसीलदार उस बाद पर वैधिक विचार करने में सक्षम होने की दशा में, कागजान उम राजस्व न्यायालय को भेज दिये जायेंगे जो अधिकार-देश रखता हो ।

(३) यदि ऐसे बाद में उक्त न्यायालय यह पाये कि आसामी द्वारा कोई रकम देय है तो न्यायालय उन आसामी को उक्त रकम न्यायालय में बुझाने का निर्देश देते हुए एक फ़िरो देगा ।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में बताया गया है कि धारा १६६ के नीचे जारी किए गए नोटिस की तामील के पश्चात् आसामी के उपस्थित होने अवधा नहीं होने की अवस्था में उन कार्यवाही की जायगी । इसमें यह भी बताया गया है कि यदि आसामी के विष्ट एक पक्षीय कार्यवाही हो जाय तो उसे कैमे व किस आधार पर अपास्त कराया जा सकता है ।

२. मियाद—एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त कराने के लिए आवेदन-पत्र आज्ञा की तरीक से एक महीने के भीतर कराई जानी चाहिए । ऐसा आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची के भाग २ के भाग नं० ६२ द्वारा प्राप्ति होता है ।

१७१. धारा १७० के अन्तर्गत दो गई आज्ञा वा परिणाम य उपर्युक्त—(१) यदि आसामी धारा ११० ही उप-धारा (१) के उपर्योगों के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा आदेशित बकाया रकम को या उस धारा को उप-धारा (३) के उपर्योगों के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा बकाया लगान वा बाबत दी गई फ़िक्री की रकम को, उन पर व्याज, एवं द्रायना-पत्र के बचे या फ़िक्री द्वारा नियमीन रावें, यदि कोई हो, सहित ऐसी आज्ञा जारी होने के एक साल के पश्चात् आने वाली ३१ मई तक या जब तक यह फ़िक्री अनियम न हो जाय तब तक मुगवान न करे तो तहसीलदार या फ़िक्री देने वाला न्यायालय उनीं, उसको मन्त्रालय नूमि में या नूमि के कुछ हिस्से में बेदमन करने वा आज्ञा देना और वह तदनुसार तत्साम बेदमन कर दिया जायगा ।

(२) इस धारा के अन्तर्गत किसी चान के होने हुए भी, कोई आसामी धारा [१२६] x वे उपर्योगों के अन्तर्गत स्वयंसित या छूट हिये गये लगान के बिना हिस्से वा मुगवान न करने के बारे बेदमन नहीं किया जायगा ।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के उपर्युक्त वाच्यकर (Mandatory) है और यदि इस धारा में दी गई अवधि में मुगवान नहीं किया जाता है तो तहसीलदार आसामी को नूमि-शेष में बेदमन करने की आज्ञा तुरंत देगा । आसामी को और नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है ।¹ तहसीलदार को मियाद में बुद्धि करने वा अधिकार नहीं है ।²

+ रा० घ० २३ अनु १९५६ द्वारा विमुच

x रा० घ० २७ अनु १९५६ द्वारा व्रतिम्पालिन ।

1. आसामाद्रमाद v. विलमान, 1944 R. D. 214

2. योगे v. राम आमरे, 1947 R. D. 116

प्रतिवाद करते हा प्रादेश देंगे हुए एवं नोटिस जारी करेगा :

किन्तु इस पारा में प्रमाणित उग बकाया के मुण्डान के लिये जो उगों पर में प्राप्तिवाद देने की तारीग पर तीन साल से अधिक समय से बदाया निर्मा रहे हों। कोई नोटिस जारी नहीं किया जायगा ।

(२) इस पारा के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस में यह उल्लिखित होगा कि बाया लगान के मुण्डान में भूमि करने की दशा में प्राप्तामी भूमि-देन से ऐदान दिया जा रहेगा ।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा की पारा १७० व १७१ के लाई पढ़ा जाना चाहिए। इनके नीचे वेबल तहसीलदार को ही आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए। इसमें बनाई गई नींवें पूरी होने पर ही नोटिस जारी किया जायगा। इस धारा के नीचे समस्त आसामियों के बिल्ड नोटिस जारी होना चाहिए अथवा वह निप्रभावी होगा ।^३ यह धारा इसी लगान के मामलों में ही लागू होगी ।

२. नोटिस कब जारी नहीं होगा—यदि लगान की वसूनी के लिए धारा १५० अथवा १५४ के नीचे नियमित दावा कर दिया गया है तो इस धारा के नीचे नोटिस जारी नहीं किया जा सकता ।

३. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे आवेदन पत्र हनीप अनुसूची भाग दो के मद्दते ६१ द्वारा शासित होगा और तहसीलदार के समक्ष पेश किया जायगा ।

न्याय शुल्क २५ पैसे का लगेगा ।

मियाद कुछ नहीं है परन्तु तीन साल से अधिक पुरानी बकाया के लिए इस धारा के नीचे नोटिस जारी नहीं किया जा सकेगा ।

१७०. नोटिस जारी होने के पश्चात कार्य—प्रणाली—(१) यदि प्राप्तामी उपस्थित नहीं हो, यदि उपस्थित हो और अधिकारित बकाया को स्वीकार करते ही तहसीलदार उसको ऐसी बकाया भुगतान करते हुए एक आज्ञा पारित करेगा :

किन्तु यदि ऐसी आज्ञा एक-पक्षीय दी गई हो तो आसामी उपें प्राप्तामी (Set aside) किये जाने के नियमित प्रार्थना-पत्र दे सकता है और यदि वह तहसीलदार को सनुष्ट करदे कि या तो उस पर नोटिस की हासील नहीं हुई या नियत तारीख पर उपस्थित न होने के लिये उसके पास पर्याप्त कारण हैं तो तहसीलदार उस आज्ञा को अपाहा कर देगा और मामले की मुनावई एतत्पश्चात बताई गई रीत से करने को अप्रतर होगा ।

(२) यदि आसामी उपस्थित होता है और बकाया के अधियाचन का विरोध करता है तो यथोचित न्यायालय-शुल्क देने पर, नोटिस को लगान की बकाया का एक बाद समझा जायेगा, किन्तु

[१] ऐसा नोटिस स्वयं तहसीलदार द्वारा जारी किये जाने की दशा में कोई न्यायालय-

कोर्ट बॉक पाइंट v. मैन दुला, 1944 R. D. 418

ओर (२) नोटिस के द्वारा। यह घारा इस बात का स्पष्टीकरण करती है कि कोई मूमिशारी लगान बमूनी के दोनों तरीकों को एक साथ काम में नहीं सा सकता। उपर्युक्त दिस्त्री से नगान बमूनी के निए दावा घारा १५० के अन्तर्गत पेश किया जाता है और नगदी लगान की बमूनी के लिए घारा १४४ के अन्तर्गत। जहाँ इन दोनों में ने किसी एक के नीचे दावा पेश कर दिया जाता है तो घारा १५३ के अन्तर्गत आसामी को कोई नोटिस जारी नहीं किया जावेगा। उपर्युक्त (२) इस प्रकार के नोटिस पर रोक लगानी है।

१७४. सागान ही बहाया को दिक्षो को निष्पादित करने में वेदवल किया जाना—
(१) [ब्यायाय दस्तवेज] + के अन्तर्गत बाद में लगान की बहाया के लिये दी गई छिक्री का निष्पादन, बाबून के अन्तर्गत निष्पादन के लिये अनुमति दिया गया तरीके के बनावा, आसामी की उसके नूमि-संदेश से वेदवली के हृष में किया जा सकेगा :

किन्तु कोई आसामी उस समय तक वेदवल नहीं किया जा सकेगा तब तक कि निष्पादन के अन्य समस्त तरीकों का प्रयोग न कर किया गया हो और ऐसी छिक्री की तारीख से दो वर्ष के अन्दर ऐसे किसी तरीके से उस छिक्री की पूरी पूरी संतुष्टि नहीं हुई हो।

(२) उप-घारा (१) के परन्तु वा अधीन नूमिशारी, उक्त छिक्री के अनुपार बाबिल राम के मुगलान के निमित्त तथा मुगलान न करने की दशा में वेदवली के लिए आसामी को नोटिस जारी किये जाने हेतु उस ब्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा जिसने छिक्री पारित की हो।

(३) उप-घारा (२) के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर ब्यायालय छिक्री के अन्तर्गत देव राम वा उत्सेष वर्ते हुए आसामी को एक नोटिस देगा जिसमें आसामी से उस राम को नोटिस की तामोल में दो महीने के अन्दर ब्यायालय में देने वो अपेक्षा की आपेक्षी तथा राम न दिये जाने की दशा में इस बात वा बारह बताने का अ देगा होगा कि उसे उसके नूमि-संदेश में वेदवल दर्यों न बर दिया जाय और यदि वेदवली की बातों दे ही जाय तो वह उसके द्वारा दिये गये किन्हीं मुशावरों के लिये कोई मुआवजा उमर्ह हक में बाबिल होता है।

(४) यदि राम इस प्रकार दाखिल कर दी जाय तो ब्यायालय छिक्री पर अरपाई यांत्रित फरेता तथा उसकी एक रमीद देगा, जो बमा की गई राम के ममत्य में अदिगुर्त-पत्र वा राम करेगी, मानो वह राम छिक्री पारी द्वारा प्राप्त वर्ती गई हो और उन राम का मुगलान छिक्री पारी को बरेगा।

(५) ब्यायालय दाखिली में प्रार्थना-पत्र पर,

[१] छिक्री के अन्तर्गत देव राम के मुगलान की घविषि को ममत ममत पर बढ़ा न देगा किन्तु इस घरार बड़ाई हुई घविषि किसी भी अशम्या में हीन दर्हीने से यदिक नहीं होगी, या

[२] दावा मुगलान देंगी छिक्री में चरने की घर्वन्त दे दरेगा जो यह निश्चित हो।

(६) यदि आसामी उमिदा होता है और हक के तोर पर बाबिल दर्हता है कि छिक्री पर निष्पादन छिक्री अन्य तरीके, जिसे आसामी स्वाक्षर दर्हता, में विविड़ छिक्रा जाय तो

२. भवायगी श्यामालय में को जायगी—धारा १७० (१) में दिया गया है कि भद्रायगी श्यामालय में की जायगी भतः यदि श्यामालय से बाहर को गई भद्रायगी को भुमियासी इनकार करे तो इसकी कोई जाय नहीं की जा सकती और वेदशास्त्री कर दी जानी चाहिए।

३. इजराय के लिए मियाद—भनुमूची में धारा १७० में दी गई आज्ञा की इजराय की मियाद नहीं दी गई है अनः कानून मियाद के प्रायधान साधु होगे और तीन साल की प्रबलि मानी जायगी।

१७२. उपस्थित होने पर, मुआवजे (प्रतिकर) के लिये आसामी का दावा—धारा १६४ तथा १६५ में निसी विपरीत बात के होते हए भी, जब आसामी धारा ११६ के अन्तर्गत, उग पर सामीन किये गये नोटिस के जवाब में उपस्थित हो तो उसमें यह पूछा जायगा कि यदि उसके विहृ वेदखली की कोई आज्ञा दी जाय तो क्या वह सुपार के लिये मुआवजे का दावा करता है और यदि वह ऐसा दावा करता है तो तहसीलदार उस मामले को निर्णय के लिये सद-दिक्षिणत आकिसर के पास भेज देगा।

टिप्पणी

१. विषय—धारा १६९ की नोटिस की सामीन में आसामी के न आने पर उसके विहृ एक पक्षीय कार्यवाही धारा १७० (१) के नीचे की जा सकती है, परन्तु यदि वह उपस्थित हो जाय तो तहसीलदार के लिए यह पूछना लाजिमी है कि क्या वह सुधार के लिए मुआवजे (प्रतिकर) का दावा करता है। ऐसा प्रश्न नहीं पूछने पर धारा १७० के नीचे दी गई आगे की आज्ञा अद्येष्ट हो जायगी।^१

२. इस धारा का पालन न करने का प्रभाव—यदि इम धारा के उपबंधों का पालन किए बिना कोई आसामी वेदखल कर दिया जाना है तो वह धारा १८७ अथवा १९७ स्था के नीचे वापिस कब्जा पाने का हकदार है। ऐसे मामले में (Res Judicata) का प्रश्न नहीं उठेगा।^२

१७३. कुछ दशाओं में वादों और प्राप्तना—पत्रों पर रोक (१) धारा १७० की उप-धारा (२) में जैसो व्यवस्था की गई है उपके अलावा धारा ११६ के उपबंधों के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट बकाया के सम्बन्ध में लगान की बकाया के निमित्त कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

(२) किमी ऐसी बकाया के सम्बन्ध में जिसकी वसूली के लिये धारा १५० अथवा धारा १५४ के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया हो, धारा ११६ के उपबंधों के अन्तर्गत कोई नोटिस जारी नहीं किया जायगा।

टिप्पणी

- धारा १५४ के अन्तर्गत लगान वसूली के दो तरीके बताये गये हैं (१) दावे के द्वारा १. वी० गुन्दरसिंह v हरिलाल, 1945 R. D. 351
२. गोविन्द वसूलिह v मातादीन, 1948 R. D. 98

(इजराय) का तरीका बतानी है। यह धारा १६६ के अन्तर्गत वाली कार्यवाहियों पर लागू नहीं होती।^१ यह धारा किसी पूर्व निर्णय के होते हुए भी आसामी के लाभ के लिए लागू की जाती है।^२ उपधारा (११) इस अभिप्राय को बहुत स्पष्ट कर देती है। यह धारा केवल लगान की वकाया की डिक्रियों पर लागू होती है न कि वेदवलों की डिक्रियों पर।^३ यदि आज्ञा दिए जाने के एक महीने के भीतर आसामी डिक्री की रकम न्यायालय में जमा करा दे तो वेदवलों की आज्ञा रद्द कर दी जायगी सिवाय उस सूरत में जबकि भूमिधारी की वज्ञा सांप्रदिया गया हो। इस धारा के उपबंध तभी काम में लिये जावेंगे जब कि लगान की वकाया की डिक्री दो वर्ष तक विना तकमीन के पढ़ो रहे और सभी नरीके काम में लिये जावें। यदि वकाया लगान की डिक्री की इजराय में भूमि क्षेत्र वेच दिया जाय तां वेदवलों की आज्ञा का प्रश्न नहीं उगता। यदि डिक्री वीर रकम अंशिक है में वसूल हो जाय जैसे कि आसामी की सम्मति को कुर्की व वेचान के द्वारा, तो शेष रकम के लिए इजराय इस धारा के नीचे जारी की जा सकती है।^४

२. इस धारा के विवरीत वेदवलो—जहाँ वकाया लगान की वसूली की डिक्री की इजराय में आसामी को वेद. ल. किए जाने की आज्ञा दे दो गई और वह भी इस धारा के सिलाक परन्तु आसामी ने धारा १८७ अथवा १८९ या के अन्तर्गत वापिस कब्जा पाने की प्रार्थना कर दी तो यह निर्णय दिया गया कि हालांकि सहायक कलनटर ने अपनी अधिकारिता के प्रयोग में गलती बरटी परन्तु वह आज्ञा उसके अधिकार से बाहर न थी और एक बार उसके अंतिम ही जाने के पश्चात् उस पर इन धाराओं के नीचे आपत्ति नहीं बीं जा सकती।

३. नोटिस जारी करने की प्रक्रिया—उपधारा (२) के नीचे नोटिस जारी करने के लिए आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची भाग २ के मद नम्बर ६१ द्वारा शासित होगा और उस न्यायालय में पेश किया जायगा। जिसने कि डिक्री दो थी।

नोटिस जारी करने के लिये आवेदन पत्र डिक्री की तारीख से तीन वर्ष के भीतर पेश किया जाना चाहिये।

प्रथीन केवल एक होगी। यदि आज्ञा तहसीलदार ने दी हो तो अप्रीन कलनटर को होगी और सहायक कलनटर ने दी हो तो राजस्व अप्रीन प्राधिकारी को।

हर सूरत में राजस्व बोर्ड में पुनरीगण हो सकेगा।

इस धारा के नीचे दी गई आज्ञा का पुनरावृत्तन (नजरसानी, Review) किया

१. एमरिह v. डिरेक्टर, 1941 R. D. 249

२. नियादरमाल v. रतिराम, A. I. R. 1945—All. 374

३. गिरजा दवाड v. ब्रगदाद, 1943 A. W. R. 300

४. रामसेवा गिह v. नोटाराय 1945 R. D. 506

५. दारा प्रयाद v. रामपर, 1950 R. D. 79

न्यायालय इस सम्बन्ध में अध्य प्राप्तिनाम की प्रोत्सा हिये दिना, जो भयं तरीके से हिकी हो इच्छाराय करने की यथायिषि कार्यवाही करेगा ।

(७) यदि प्राप्तामी उपस्थित होता है और एक तो और पा प्राप्तिन करता (Claims) है कि वह किसी अन्य आधार पर पेटिशन हिये जाने योग्य नहीं है तो न्यायालय उगाचा निर्णय करेगा ।

(८) यदि प्राप्तामी उप-धारा (२) के अन्तर्गत जारी हिये गये नोटिस के उत्तर में उपस्थित नहीं होता है या वह उपस्थित होता है लेकिन हिकी की रकम का मुगलान नहीं करता है या उप-धारा (५) के अन्तर्गत घबड़ी बदाने के लिये घबड़ा विश्वास में मुगलान करने की प्रत्युषित है तु आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है या इस प्राप्तार आवेदन परने पर हिकी की रकम का बढ़ाई गई घबड़ी में घबड़ा नियत कियते हैं, मुगलान नहीं करता है या उप-धारा (६) घबड़ा (७) वे अन्तर्गत आसामी द्वारा निष्पादन का निर्दिष्ट तरीका निष्पल सिद्ध हुआ है या घबड़ा (८) में अन्तर्गत उसका दावा अस्वीकार कर दिया गया है तो न्यायालय महाज्ञा पारित करेगा हि उगे उसके भूमि-क्षेत्र से बेदखल कर दिया जाय :

किन्तु इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाहियों में रत न्यायालय यदि श्रेणी में सहायक कलक्टर के न्यायालय से नीचों श्रेणी दा है तो वह ऐसी बेदखली के लिये आज्ञा पारित नहीं करेगा लेकिन मामले को आदेश-हैतु सहायक कलक्टर को श्रेणित भरेगा जो उसका अध्ययन करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाति व ऐसी और कार्यवाही जिसे वह उस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक और उचित समझे, करने के पश्चात् या तो उस आसामी को उसके भूमि-क्षेत्र से बेदखल किये जाने के लिये आवेदन-पत्र को प्रस्तीकार कर देगा या आसामी को उसके भूमि-क्षेत्र से बेदखल किये जाने को आज्ञा पारित करेगा ।

(९) जब उप-धारा (८) के अन्तर्गत आसामी को उसके भूमि-क्षेत्र से बेदखल किये जाने की आज्ञा पारित कर दी जाय तो उससे, यदि वह उपस्थित है, यह प्रकट करने के लिये वहाँ जायेगा कि वह उसके द्वारा किये गये विन्ही मुघारो के निमित्त उसके हक में मुगलाजा वाजिब होता है और यदि वह ऐसा कोई हक प्रकट करता है या उप-धारा (२) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के उत्तर में उसने उक्त हक का पहिले कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है तो न्यायालय ऐसे मुभावजे की रकम का निश्चय करने की कार्यवाही करेगा और उसका मुगलान धारा ६५ के उपवयों द्वारा नियमित किया जायगा ।

(१०) उप धारा (८) के अन्तर्गत पारित आज्ञा के अनुसरण में आसामी की बेदखली धारा १६६ तथा धारा १६८ में अन्तिरिष्ट उपवयों के अधीन होगी ।

(११) यदि प्राप्तामी बेदखली की आज्ञा दिये जाने के पश्चात् एक महीने के अन्दर न्यायालय में हिकी की रकम को जमा करा दे तो बेदखली की आज्ञा उस दसा में जबकि उसके अनुसरण में बड़ा भूमिधारी को सौप न दिया गया हो, रद्द कर दी जायगी ।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा अध्याय १० के अन्तर्गत दी गई हिकियों के निष्पादन

(इजराय) का तरीका बताती है। यह धारा १६६ के अन्तर्गत वाली कार्यवाहियों पर लागू नहीं होती।^१ यह धारा १कसी पुर्व निर्णय के होते हुए भी आसामी के लाभ के लिए सामूहीकी जाती है।^२ उपधारा (११) इस अभिप्राय को बहुत स्पष्ट कर देती है। यह धारा केवल लगान की बकाया की डिक्रियों पर लागू होती है न कि बेदखलों की डिक्रियों पर।^३ यदि आज्ञा दिए जाने के एक महीने के भीतर आसामी डिक्री की रकम न्यायालय में जमा करा दे तो बेदखली की आज्ञा रद्द कर दी जायगी सिवाय उस सूरत में जबकि भूमिधारी को बठजा सांप दिया गया हो। इस धारा के उपर्युक्त तभी काम में लिये जावेंगे जब कि लगान की बकाया की डिक्री दो वर्ष तक बिना तकमीन के पड़े रहे और सभी नरीके काम में ले लिये जावें। यदि बकाया लगान की डिक्री की इजराय में भूमि क्षेत्र बेच दिया जाय तो बेदखली की आज्ञा का प्रश्न नहीं उत्पत्ता। यदि डिक्री की रकम आंशिक रूप में बसूल हो जाय जैसे कि आसामी की सम्भाति को कुर्कु व बंचान के द्वारा, तो दोपर रकम के लिए इजराय इस धारा के नीचे जारी की जा सकती है।^४

२. इस धारा के विवरोत बेदखली—जहाँ बकाया लगान की बसूली की डिक्री की इजराय में आसामी को बेद. ल किए जाने की आज्ञा दे दी गई और वह भी इस धारा के विलाप परन्तु आसामी ने धारा १८७ अवधा १८७ द्वारा कापिस कठजा पाने की प्रार्थना कर दी तो यह निर्णय दिया गया कि हालांकि सहायक कन्वटर ने अपनी अधिकारिता के प्रयोग में गलती करदी परन्तु वह आज्ञा उसके अधिकार से बाहर न थी और एक बार उसके अंतिम हो जाने के पश्चात् उस पर इन धाराओं के नीचे आपत्ति नहीं की जा सकती।^५

३. नोटिस जारी करने की प्रक्रिया—उपधारा (२) के नीचे नोटिस जारी करने के लिए आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची भाग २ के मद नम्बर ६८ द्वारा शासित होगा और उस न्यायालय में पेश किया जायगा। जिसने कि डिक्री दो थी।

नोटिस जारी करने के लिये आवेदन पत्र डिक्री को तारीख से तीन वर्ष के भीतर पेश किया जाना चाहिये।

न्यायालय शुल्क ५० पैसे का समेगा।

अग्रीन बेवल एक होगी। यदि आज्ञा तहसीनदार ने दी हो तो अग्रीन कलमटर को होगी और सहायक कन्वटर ने दी हो तो राजस्व अग्रीन प्राधिकारी को।

हर मूरत में राजस्व बोर्ड में पुनरीक्षण हो सके गा।

इस धारा के नीचे दी गई आज्ञा का पुनरावृत्तन (नजरसामी, Review) किया

१. घरमण्डि v. डिपेशरो, 1941 R. D. 249

२. नियादरपान v. रत्नराम, A. I. R. 1945—AII. 374

३. गिरजा द्वारा v. अग्रदाय, 1943 A. W. R. 300

४. रामसंदर्भ मिह v. नोटाराय 1945 R. D. 506.

५. दाता प्रसाद v. रामपाल, 1950 R. D. 79

जा सकेगा और जब एक पक्षीय^३ आमा दी गई हो अथवा जब मूरा आसामी के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा सूचना देदातल दिया जाने की आमा दी गई हो^४ अथवा जहाँ अन्तिष्ठितना में तामीले कराई गई हों तो पुनरावलोकन के आवेदन पर्याप्त पर उदाराभावेन विचार किया जाना चाहिये ।^५

(१) अर्थात् अन्तरण (Transfer) या शिकमी-पट्टे पर देने के लालन देशाती—(१) यदि कोई आसामी अपने सम्पूर्ण भूमि-धेन या उसके बिसी हिस्से का दूसरे अधिकारी के लालनों के पनुसार कायं न करने हुए अन्य प्रगार से अन्तरण करदे या उसे शिकमी-पट्टे पर देदे और ऐसे अन्तरण या शिकमी-पट्टे के अनुग्रहण में उन अन्तरितीया या शिकमी-पट्टाधारी उण भूमिधेन या उक्त हिस्से में प्रवेश कर ले या उस पर लालन करने लो दोनों उक्त आसामी पर यह व्यक्ति जिसने इस प्रगार सम्पूर्ण भूमि-धेन को या उसके बिसी हिस्से को प्राप्त कर लिया हो अथवा उक्त सम्पूर्ण भूमि-धेन या उसका कोई हिस्सा जिसके कड़े में हो, भूमिधारी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उस क्षेत्र से देशातल किये जा सकें जो उक्तहेतु अन्तरित या शिकमी-पट्टे पर दिया गया है ।

(२) इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक प्रार्थना-पत्र में अन्तरितीया शिकमी-आसामी, यथास्थिति, पक्षकार बनाया जायगा ।

(३) इस धारा के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर न्यायालय विधी को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ऐसी अवधि, जो नोटिस में वक्त की जाय के भीतर उपस्थित होने तथा कारण प्रकट करने का आदेश होगा कि उसको उस क्षेत्र में देशातल द्वयोन कर दिया जाय जो इस प्रकार अन्तरित या शिकमी-पट्टे पर दिया गया है ।

(४) यदि नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर विधी उपस्थित होता है और देशातल किये जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय, यथोवित न्यायालय-शुल्क दिये जाने पर, उस प्रावेदन-पत्र को एक बाद समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जिस प्रकार कि किसी बाद में :

किन्तु सौये राज्य सरकार से सेवक धारण की गई भूमि की दशा में तहसीलदार द्वारा आवेदन-पत्र दिये जाने पर, कोई न्यायालय-शुल्क देय नहीं होगा ।

(५) यदि विधी उक्तहेतु उपस्थित नहीं होता है या याद वह उपस्थित होता है परन्तु देशातल किये जाने के दायित्व का विरोध नहीं करता तो न्यायालय प्रावेदन-पत्र पर ऐसी आमा पारित करेगा जिसे वह उचित समझे ।

टिप्पणी

१—विषय—कोई आसामी अपने भूमि क्षेत्र या उसके किसी हिस्से को केवल धार

1. टीकातिह v. खुशालतिह, 1941 R. D. 472

2. मुमारतिह v. रावतराजकुमार सिंह, 1928 R. D. 699

सह v. मुन्दरलाल, 1927 R. D. 527

४। ने ४७ के अनुसार ही अन्तरित कर सकता है अथवा उप-पट्टे (शिक्षमी-पट्टे) पर दे सकता है । इन उपवन्धों के विश्व किया गया अन्तरण अवैध होता है और अन्तरण कर्ता तथा जिसको कद्दजा दिया जाय वह व्यक्ति इस घारा में बनाई गई सास्तियों के भागी है । यदि दावे की तारीख को अन्तरिती अथवा उप आसामी का कद्दजा न हो तो इस घारा के नीचे कार्यवाही नहीं चल सकती ।^१ इनी प्रकार जब नक इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों में विस्ती का कद्दजा भूमि-शेय पर नहीं हो जाता तो वे दमती का दावा नहीं किया जा सकता ।^२ यदि इस घारा में बताई गई दावे पूरी हो जावें तो वे दमती की आज्ञा दी जानी चाहिए ।^३

२-प्रतिया—इस घारा के नीचे दिया जाने वाला आवेदन-पत्र तृतीय अनुमूली भाग २ के मद्द नम्बर ६६ द्वारा शामिन होगा और महायक कलबटर के न्यायालय में पेश किया जायगा । यदि आवेदन-पत्र का विरोध किया जाय तो उसे दावे की तरह मान लिया जावेगा ।

ऐसे आवेदन-पत्र पर ५० पेसे का न्यायालय शुल्क लगेगा ।

ऐसे आवेदन-पत्र के लिए अवधि अन्तरण अधः॥ शिक्षमी पट्टे पर दिये जाने की तारीख से तीन साल की है परन्तु यदि मुस्त्य आसामी द्वारा दावा पेश होने से पहले कद्दजा वापिस ले लिया जाय तो दावे का कारण नहीं रहेगा और दावा असफल हो जायेगा ।^४

सहायक कलबटर की आज्ञा के विश्व एक ही अपील राजम्ब अपील प्राधिकारी के न्यायालय में होगी । परन्तु यदि इक्की दी जानी है तो दूसरी अपील राजम्ब योर्ड को होगी ।

राजम्ब अपील प्राधिकारी की अपील में दो गई आज्ञा के विश्व पुनरीक्षण हो सकेगा परन्तु जहां राजस्व योर्ड में दूसरी अपील होनी हो वहां पुनरीक्षण नहीं होगा ।^५

१७५. पारा १७५ के अन्तर्गत इक्की अपेक्षा आज्ञा—(१) पारा १७५ के अन्तर्गत किसी दिल्ली या घाज्जा में लियी आसामी को तथा उसके अन्तरिती या शिक्षमी पट्टापारी यो उम मूमि-रोन्द में वेदायत किये जाने का निर्देश दिया जा सकेगा यो इस अधिनियम के उपकार्यों के अनुसार वायं न करते हुए अन्यथा अन्तरित किया गया हो या शिक्षमी-पट्टे पर दिया गया हो ।

(२) ऐसी इक्की या घाज्जा में यह भी निर्देश दिया जा सकेगा कि उसके दिल्ली या घाज्जा

1. शीतोनाम v. मु० खोशन्दा, (परीक्षण नम्बर 11-1942-43.)

2. रपुर्वीरनिह v. बाबूराम, 1944 R.D. 245.

3. शिक्षनारायण v. नारायणनिह, 1943 R.D. 406.

4. टेसाननिह v. माननिह, 1944 R.D. 159.

5. हरता v. ईंट, 1966 R.R.D. 6.

यर्थ के अन्तरिक्ष किसी के हेतु निश्चाप्त नहीं की जायगी यदि उस दिनी या आगामी की हारीन में तीन महीने के अन्दर या ऐसी अपेक्षा भवित्व के अन्दर जिनकी व्यायालय, कारणों वा उत्तेजक होए, प्रत्युत्तिं दे, यह सुप्राप्तजा दे दिया जाय जिसे व्यायालय दिनी या आज्ञा में निश्चित करे ।

१७७. हानिप्रद कार्यं या शर्तं भंग के कारण वेदाली—(१) आसामी भूमिधारी के आवेदन-पत्र पर नीचे लिखे ग्रामारोप पर अपने भूमि-धोन से वेदाल निया जा सकेगा—

(क) किसी ऐसे कार्य के करने या न करने की मूल के आधार पर जो उस भूमि-धोन की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की आवश्यत में हो जिसके निः उस भूमि-धोन पट्टे पर दिया गया हो, या

(ख) इस आधार पर या कि उसने या उससे लेकर घारणा करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त भग की है जिसके भग करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विनोद के अनुसार वेदाल निया जा सके जो इस अधिनियम के उपबन्धों के विवरीन नहीं है :

किन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वृक्ष संग्राह या कोई सुधार करना, इस धारा के अन्तर्गत वेदाली का आधार नहीं होगा ।

(२) इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदन-पत्र में आसामी के मार्फत रत्तव का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति पक्षकार के रूप में शामिल किया जा सकेगा और जहाँ वाद या मूल कारण पूर्णतः या अ शर्तः आसामी के अन्तरिती या शिकमी पट्टाधारी द्वारा किये गये किसी कार्यं, या मूल या शर्त-भंग पर आधारित हो वहाँ उक्त अन्तरिती या शिकमी पट्टा धारी एक पक्षकार के रूप में शामिल किया जायगा ।

(३) इस धारा के अन्तर्गत आवेदन-पत्र दिये जाने पर व्यायालय विकासी को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ऐसी गवावि जो नोटिस में निश्चित की जाय, के अन्दर उपस्थित होने और इस बात का कि उसे भूमि-धोन से वेदाल न कर दिशा द्वाय, कारण बताने का आवेदन होगा ।

(४) यदि वह नोटिस में निश्चित अवधि के अन्दर उपस्थित होना है और वेदाल दिये जाने के दायित्व का विरोध करता है तो व्यायालय, यथोचित व्यायालय-शुल्क भुगतान किये जाने पर, उस आवेदन-पत्र को वाद-पत्र समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यद्वाही करेगा जिस प्रकार कि एक बाद में :

किन्तु सीधी राज्य सरकार से लेकर घारणा की गई भूमि की दशा में, तहसीलदार द्वारा आवेदन-पत्र दिया जाने पर, कोई व्यायालय-शुल्क देय नहीं होगा ।

(५) यदि वह इस प्रगत उपस्थित नहीं होता है या यदि उपस्थित होता है लेकिन वेदाल दिये जाने के दायित्व वा विरोध नहीं करता है तो व्यायालय आवेदन-पत्र पर ऐसी आज्ञा पारित करेगा जिसे वह उचित समझे ।

टिप्पणी

१. विषय—धारा १७५ में आसामी के अवधि रूप से अस्तरण अथवा शिकमी

पट्टा कर देने पर उसे वे दखल बिये जाने का भागी बनाया गया था। इस धारा में उसको भूमि क्षेत्र पर हानिप्रद कार्य करने अथवा शर्त भंग करने वाला कोई कार्य करने पर वे दखली का भागी बनाया गया है।^१ परन्तु यदि कोई हानिप्रद कार्य अत्यधिक विस्म का हो तो आसामी वे दखली का भागी नहीं होगा।^२ यृक्ष नगराना अथवा इन अधिनियम के अनुमार कोई मुधार वा वार्य करना हानिप्रद कार्य नहीं कहनाया जा सकता। इस धारा के प्रत्यर्थित दिए गए आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही का नारीका चैमा ही है जैसा धारा १७५ के प्रत्यर्थित दिए गए आवेदन-पत्रों पर। यदि भूमि पर वह खोदने और इटें बनाने के कार्यों को रोकने का व्यादेन (injunction) जारी हो जाय और उमकी तामोल नहीं होने पर आईडर ३६ नियम २ (३) मी.पी. मी. के नीचे नोटिस जारी हो तो यह नोटिस इम अधिनियम की धारा २१२ और १७३ से असंगत नहीं है।^३

२. प्रविधि—हानिप्रद वार्य करने अथवा शर्त भंग के आधार पर वे दखली का आवेदन पत्र तृतीय अनुमूली भाग २ के मध्य नम्बर ६७ द्वारा शामिल होगा और सहायक कनकटर के न्यायालय में पेश होगा। जब इसे दावे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वही न्यायालय उस पर विचार करेगा।

ऐसे आवेदन पत्र की भियाद हानिप्रद कार्य अथवा शर्त भंग की नारीग में तीन मान की है। उस पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा परन्तु जब उसे दावे के रूप में मान लिया जाय तो अतिरिक्त न्यायालय शुल्क लगेगा।

सहायक कनकटर की आज्ञा के विरुद्ध केवल एक अपील ही सकेगी जो राजस्व अर्पण प्राधिकारी के यहां होगी। जब आवेदन पत्र को दावे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय और इक्की देवी जाय तो सहायक कनकटर द्वारा दी गई इक्की की पहली अपील राजस्व अरीन प्राधिकारी के यहां और दूसरी राजस्व बोर्ड में होगी। राजस्व अरीन प्राधिकारी द्वारा अपील में दी गई आज्ञा के विरुद्ध पुनरोक्ताण राजस्व बोर्ड में होगा परन्तु जब राजस्व बोर्ड में दूसरी अपील होती हो तो पुनरोक्ताण नहीं होगा।

१८. धारा १७३ के अन्तर्गत इनी या आज्ञा—(१) धारा १७३ के अन्तर्गत इनी या आज्ञा में इनी आसामी बो या तो सम्मूर्त भूमि-क्षेत्र में प्रदर्शन दस्तके लिये हिम्मे से विसर्जन न्यायालय उम मामते की तमाम परिस्थितियों बो घ्यान में रखते हुए निर्देश दे, देवनस निये जाने का निर्देश हो रहेगा।

(२) ऐसी इनी या आज्ञा में यह नी निर्देश होगा कि अगर आसामी इनी या आज्ञा से नारीग से तीन महीने के भीतर या ऐसी प्रदर्शन दस्तके लिये न्यायालय आगे नियर वर अनुमति दे, टट-फूट की मरम्मत करवादे, या ऐसे मुश्किलेवाला मुगवान कर दे जो

1. रामदासाद १. स्टेट, 1953 R.R.D. 41.

2. रामदासारी v. विकासर, 1942 R.D. 819.

3. रामदासाद १. स्टेट, 1964 R.R.D. 25.

गने के प्रतिरक्षा किसी के हेतु निष्ठा। उन गही की जायजी मदि उग हिती या आता वो हारीन गे सीन महोने के अन्दर या ऐसी पर्येता प्रति के अन्दर किसी न्यायालय, कारणों वा उन्नेक करते हुए, अनुमति दे, वह मुमालजा दे दिया जाय किसे न्यायालय हिती या आता मे निरिष्ट करे।

१७३. हानिप्रद कायं या दातं भंग के कारण वेदव्याप्ति—(१) आसामी भूमिशामी के आवेदन-पत्र पर नीरं तिरे धारारो पर अने भूमि-शोन से वेदव्याप्ति निया जा सकेगा—

(क) किसी ऐसे कार्य के करने या न करने की भूल के आपार पर जो उत्त भूमि-शोन की भूमि के सम्बन्ध हो या उत्त प्रयोजन की क्षमता मे हो तिसके नित उन भूमि-शोन पट्टे पर दिया गया हो, या

(ख) इस आधार पर या कि उसने या उससे लेकर धारण करने यांते किसी व्यक्ति ने ऐसी दातं भग की है जिसके भग करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध वित्र के अनुसार वेदव्याप्ति किया जा सके जो इस अधिनियम के उपरांथों के विवरीन नहीं है :

किन्तु इस अधिनियम के उपरांथों के अनुसार वृद्ध भगाना या कोई मुपार खरता, इन धारा के अन्तर्गत वेदव्याप्ति का आधार नहीं होगा ।

(२) इस धारा के अन्तर्गत प्रथेक आवेदन-पत्र मे आसामी के माफेन इवत्व का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति पक्षकार के हूर मे शामिल किया जा सकेगा और जहा वाद का भूल कारण पूर्णतः या अ शतः आसामी के अन्तरिती या शिरकी पट्टाधारी द्वारा किये गये किसी कार्य, या भूल या दातं-भंग पर आधारित हो वह उत्त अन्तरिती या शिरकी पट्टा धारी एक पक्षकार के हूर मे शामिल किया जायगा ।

(३) इस धारा के अन्तर्गत आवेदन-पत्र दिये जाने पर न्यायालय विकासी को एक नोटिस जारी करेगा जिसमे उसे ऐसी भवित्व जो नोटिस मे निरिष्ट की जाय, के अन्दर उपस्थित होने और इस बात का कि उसे भूमि-शोन से वेदव्याप्ति न कर दिया जाय कारण बताने वा आदेश होगा ।

(४) यदि वह नोटिस मे निरिष्ट अवधि के अन्दर उपस्थित होता है और वेदव्याप्ति जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय, यथोचित न्यायालय-शुल्क भुगतान किये जाने पर, उस आवेदन-पत्र को वाद-पत्र समझा और उस मामले मे उसी प्रकार कायंगाही दरेगा जिस प्रकार कि एक वाद मे :

किन्तु सोधी राज्य सरकार से लेकर धारण की गई भूमि की दशा मे, तहजीलदार द्वारा आवेदन-पत्र दिया जाने पर, कोई न्यायालय-शुल्क देय नहीं होगा ।

(५) यदि वह इस प्राप्त उपस्थित नहीं होता है या यदि उपस्थित होता है लेकिन वेदव्याप्ति जाने मे दायित्व का विरोध नहीं करता है तो न्यायालय आवेदन-पत्र पर ऐसी आज्ञा पारित करेगा जिसे वह उचित समझे ।

टिप्पणी

१. विषय-धारा १७५ गे आसामी के अवध रूप से अन्तरण अथवा शिरकी

पट्टा कर देने पर उसे वे दबलत किये जाने का भागी बनाया गया था। इस धारा में उसको भूमि खेत पर हानिप्रद कार्य करने अथवा शर्त भंग करने वाला कोई कार्य करने पर वे दबली का भागी बनाया गया है।¹ परन्तु यदि कोई हानिप्रद कार्य अभ्यायी किसी का हो तो आसामी वे दबली का भागी नहीं होगा।² वृक्ष नगाना अथवा इन अधिनियम के अनुसार कोई सुधार का कार्य करना हानिप्रद कार्य नहीं बहलाया जा सकता। इस धारा के अन्तर्गत दिए गए आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही का नरोका वैसा ही है जैसा धारा १७५ के अन्तर्गत दिए गए आवेदन-पत्रों पर। यदि भूमि पर खड़े खोदने और ईंटें बनाने के कार्यों को रोकने का व्यादिश (injunction) जारी हो जाय और उसकी तापीन नहीं होने पर आईडर दृष्टि नियम २ (३) भी पीभी के नीचे नोटिस जारी हो तो यह नोटिस इस अधिनियम की धारा २१२ और १७३ से अमंगत नहीं है।³

२. प्रविधि—हानिप्रद कार्य करने अथवा शर्त भंग के आधार पर वे दबली का आवेदन पत्र तृतीय अनुमूल्यी धारा २ के मद्द नम्बर ६७ द्वारा शामिल होगा और सहायक कन्वटर के न्यायालय में पेश होगा। जब इसे दावे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाना है तो वही न्यायालय उस पर विचार वरेगा।

ऐसे आवेदन पत्र को मियाद हानिप्रद कार्य अथवा शर्त भंग की नारीत से तीन माल की है। उस पर ५० दौसे का न्यायालय शुल्क लगेगा परन्तु जब उसे दावे के रूप में भान लिया जाय तो अतिरिक्त न्यायालय शुल्क लगेगा।

सहायक कन्वटर भी आज्ञा के विरुद्ध केवल एक अपीन हो सकेगी जो राजस्व प्रधीन प्रधिकारी के यहां होगी। जब आवेदन पत्र को दावे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय और इक्की देढ़ी जाव तो सहायक कन्वटर द्वारा दो गढ़े इक्की की पहचान अरीत राजस्व अरीत प्रधिकारी के यहां और दूसरी राजस्व घोड़े में होगी। राजस्व अरीत प्रधिकारी द्वारा अपीन में शी गई आज्ञा के विरुद्ध पुतरोशण राजस्व घोड़े में होगा परन्तु जब राजस्व घोड़े में दूसरी अपीन होनी हो तो पुनरीशण नहीं होगा।

१८८. धारा १७३ के अन्तर्गत इनी या आज्ञा—(१) धारा १७३ के अन्तर्गत इनी या आज्ञा में इनी आमामी को या तो गम्भूले भूमि-खेत में प्रदवा दग्धे के इनी हिस्से से जिमद्दा न्यायालय उस आमते को तामा परिवित्रियों को ध्यान में रखने हुए निर्देश दे, वैद्यनत इन्द्रे दावे वा निर्देश हो गेता।

(२) ऐसी इनी या आज्ञा में यह भी निर्देश होगा कि अगर आमामी इनी या आज्ञा भी आरोग तो तोन महीने वे भीउर या ऐसी दग्धेतर पर्याप्ति के नीतर दिवके रिये न्यायालय आज निय वा अनुसति दे, टृष्ण्यूट वी परम्परा बरकादे, या ऐसे मुआवजे वा मुगदान कर दे जो

1. न्यायालय १. ईट, 1955 R.R.D. 41.

2. रामामी v. निवाहर, 1942 R.D. 819.

3. वर्द्धनालय १. ईट, 1964 R.R.D. 25.

न्यायालय उभित राष्ट्रभे तो दिवी या भागा का साक्षर हे प्रसारा अल्य दिवी के लिये निशाचर नहीं किया जायगा।

१७९. मुआपने (प्रतिकर, Compensation) भारि के तिथे घास—पारा १७३ से इसी चात के होते हुए भी भूमि-पारी वेदानी का गोटिंग जारी करना या वेदानी के गोटिंग हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत वरने के यज्ञाप—

- (क) मुआवजे के लिये, या
 (ख) मुआवजे सहित या दिना मुआवजे के नियंत्रण के लिये, या
 (ग) मुआवजे सहित या बिना मुआवजे के टूट-फूट या अवध्यय वी मरम्मत के लिये दावा कर सकता है।

दिसंपत्ति

१. विषय—इस धारा में भूमि धारी को वेदखली के स्थान में इसमें बताए गए तीन अनुत्तरोपों (दादरसी, Relief) में से किसी के लिए दावा करते का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार इस धारा के अनुवर्धनों का उपयोग तभी किया जा सकता है जब कि वेदखली नहीं चाही जावे। इस प्रकार इस धारा के नीचे वृक्षों को काटने पर हरजाने का दावा नहीं लाया जा सकता जब कि वादी वृक्षों में अपना मालिकाना हक बताता हो।^१ धारा १८८ में व्युदेश (Injunction) का दावा इस धारा के नीचे किए गए दावे से भिन्न है। भूमि धारी धारा १९९ के नीचे दावा नहीं कर सकता। जब तक दावा १७३ के उपवर्धनों में नहीं आता वह इस धारा के नीचे पेश नहीं किया जा सकता। ऐसा दावा केवल आसामी के विशुद्ध ही किया जा सकता है—कसी तीव्रे व्यक्ति के विशुद्ध नहीं।^२

२. प्रक्रिया—मुश्खावजे, अपव्यय इत्यादि के लिए दावा तृतीय अनुसूची के भाग प्रथम के सद नं० २२ द्वारा शासित होता है और सहायक कल्पटर के न्यायालय में पेश किया जायगा।

इसकी मियाद हानि, अपव्यय या शर्त भंग को तारीख से एक साल की है।

दावे पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा।

सहायक कलबटर की आदा को पहनी अपील राजस्व अपील प्राधिकारों के यहाँ होगी। दूसरी अरीन राजस्व बाई में होगी।

चूं कि दूसरी अपील होगी अतः पुनरीक्षण नहीं होगा।

+ १८०. यदकाश के आसामियों या गेर सातेदार आसामियों या शिक्षी आसामियों को घेरखली के लिये अतिरिक्त उपचय—कोई सुदर्शन का आसामी या गेर-सातेदार आसामी या

¹ देसा v. धूमसिंह, A.I.R. 1935 All. 453.

2. मु० महाराजी v. नाया, 1958 R.R.D. 161.

+ राज० अधित्र० सद्या २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्पष्टित ।

शिकमी आसामी, बाबेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर वेदवल किया जा सकेगा, अर्थात्-

(क) ऐसे आसामी या शिकमी-आसामी द्वारा धारण की हुई भूमि का दोषफल राज्य सरकार द्वारा उस जिले या जिले के उस भाग जिमें वह भूमि स्थित है, के लिये निर्धारित घृतम दोषफल से अधिक है और उस अधिक दोषफल से देवतली भूमिधारी द्वारा प्रयोगी व्यक्तिगत हृषि के प्रयोगतापूर्ण चाही गई है :

इन्नु यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसे आसामी या शिकमी आसामी की पुढ़ वापिक आय, उसके तथा उसके कुटुम्ब द्वारा किये गये परिवर्तन के मूल्य के अतिरिक्त १२०० रुपये ही जाय भिन्न-भिन्न जिलों या जिले के भिन्न-भिन्न भागों के लिये भिन्न-भिन्न सामान्य निर्धारित की जा सकेंगी ।

+ (ख) वह वर्ष प्रति वर्ष भूमिधारण करने वाला आसामी या शिकमी-आसामी है :

परन्तु कोई आसामी या शिकमी आसामी जो आवृद्धों में भूमि वर्ष-प्रति वर्ष धारण करता है, इस राष्ट्र के अन्तर्गत वेदवल नहीं किया जा सकेगा :

स्पष्टीकरण—स्पष्ट (ख) के प्रयोगतापूर्ण किसी आसामी या शिकमी-आसामी में जो वर्ष-प्रति वर्ष भूमिधारण करता है, ऐसा आसामी या शिकमी-आसामी सम्मिलित होगा जो पट्टे या उप-पट्टे के समाप्त (determination) के पदचात भूमि पर कड़ा रखे और पट्टा-दाता या उसका वर्ष प्रतिवर्ती आसामी या शिकमी-आसामी से लेता है या घन्घण्ठा उसके द्वारा बनाये रखने के प्रति सहमति प्रकट करता है ।

(ग) इस अधिनियम के पारम्परा के पदचात पारा ४५ के अन्तर्गत स्वीकृत लिये गये पट्टे या शिकमी पट्टे की घवयि समाप्त हो गई है या बत्तमान वृत्ति वर्ष द्वारा समाप्ति के पूर्व समाप्त हो जायगी और भूमिधारी उस भूमि को व्यक्तिगत हृषि के लिये निये जैने की परंपरा करता है ।

(घ) वह भूमि सन् १९४८-४९ के हृषि वर्ष के टीक पूर्ववर्ती समातार पार्ष वर्ष तक भूमिधारी की व्यक्तिगत हृषि के अन्तर्गत वी तथा उस वर्ष के दोरान में या उसके पदचात एक निश्चित अवधि के लिये पट्टे या निर्मली पट्टे पर दो दो गई थी और यदि राजस्वान (प्रोटेक्शन ऑफ टिनेट्स) पाइनेंस १९४६ (राश. पाइनेंस ६ अक्ट १९४६) के उपलब्धों के समाय में उक्त पट्टा या शिकमी-पट्टा समाप्त हो गया होता तथा प्रामाणी या शिकमी आसामी उस भूमि का कड़ा उपने भूमिधारी को सौदा देने वा भागी हो जाना यदि उसी दोरान में, उस प्रामाणी या शिकमी-आसामी ने किसी कानून के अन्तर्गत उस पट्टे या शिकमी पट्टे की घवयि में गारेदारी घपितार प्राप्त न कर लिये हों :

इन्नु भूमिधारी, स्पष्ट (घ) के अन्तर्गत वेदवली वा भादेग पाने वा घपितारी नहीं होगा तब तक वह उस भूमि को घवयों व्यक्तिगत हृषि के लिये न पात्र हो जिसे वेदवली वा भादेग पारा जाता है और जब तक नि उस भूमि स्पष्ट (क) के प्रयोगतों के निए निश्चित "पूरान भू-दोष से अर्थात् न हो ।

+ राजस्वान अधिनियम मुख्या २३ मन् १९५५ द्वारा प्रतिस्पादित ।

+ [किन्तु यह भी है कि ऐसा भूमियारी जिसके पाग व्यक्तिगत हैं में उसके लिये अनुमत व्यक्तिगत भूमि के बराबर है, भी इनी आसामी को उण्ड (प) के अन्तर्गत वेदखल किये जाने की आज्ञा पाने का हकदार नहीं होगा और ऐसा भूमियारी जो कम भूमियारण करता हो, वेदखल उस क्षेत्र से वेदखल किये जाने की आज्ञा प्राप्त करने का हकदार होगा जो, उस भूमि से मिलने पर जो उसके पाग पहिले से है, उसे किये अनुमत व्यक्तिगत भूमि-क्षेत्र में अधिक नहीं हो ।]

++ [(१—क) कोई आसामी जो राजस्थान राजस्थ विधियाँ (विधार) परिवर्तनम् १९५७ के प्रारम्भ से पहिले, आयु शेष में भूमि धारण करता हो, उप-धारा (१) में वर्णित आपारो में से किसी आवार पर, मियाद समाप्त हो जाने के कारण प्रथम पटियाल, उक्त प्रारम्भ के पूर्व, वर्षभई टिनेंसी एण्ड एप्रीक्स्टरल लैण्डस् एकट १९५८ की धारा ३२ के अर्थात् अपनी भूमि का क्रेता मान लिया गया था, वेदखली का आगी नहीं होगा ।]

(२) राज्य सरकार उन मामलों में अपनाई जाने वाली वार्य प्रगासी नियमित करेगी जिनमें आसामियों अथवा शिकमी-आसामियों की स्थान एक से अधिक है या जिनमें आसामी या शिकमी-आसामी द्वारा धारण की हुई भूमि का क्षेत्रफल उस भूमि के क्षेत्रफल में अधिक है जिससे वेदखल किये जाने की उप-धारा (१) के उण्ड (प) के अन्तर्गत आज्ञा चाही जा सकती है ।

टिप्पणी

विषय :—इस धारा में खुदकाश्त के आसामी, गेर खातेदार आसामी, अथवा उप-आसामी (शिकमी) की वेदखली के लिए अतिरिक्त प्रावधान दिए गए हैं । धारा १८१ व १८२ में वह प्रक्रिया दी गई है जो इस धारा के अंतर्गत दिए गए आवेदन-पत्र के निपटारे के लिए अपनाई जायेगी । इस धारा के नीचे आवेदन-पत्र ऐसे सह भागीदार (Co-Sharer) के विरुद्ध नहीं दिया जा सकेगा जो कि अपने हिस्से से अधिक भाग पर कब्जा किए हुए है ।^१

इस धारा के नीचे वेदखली तभी हो सकेगी जब कि इसको उप-धाराओं में से किसी के नीचे आवेदन-पत्र दिया गया हो और वेदखल किए गए आसामी को राहत खा के नीचे दावे के द्वारा । यह धारा उपवन धारियों पर लागू नहीं होगी । यह धारा तब भी लागू नहीं होगी जब कि आसामी अथवा शिकमी आसामी की संविदा (मुवाहिदा) स्थापित नहीं होती । इस धारा के नीचे कार्यवाही में सरूप का भार बांदी पर होगा ।^२ उण्ड (क) और (प) के उपवंध तब तक लागू नहीं होंगे जब

+ रा० अ० १२ सन् १९६१ द्वारा प्रतिस्थापित ।

++ रा० अ० २ सन् १९५८ द्वारा निविष्ट ।

1. इदरखलाल v. दाऊदी, 1908, 4 A. L. J. I.

2. जगनदन v. भीड़ा, 1959 R. D. 277

तक कि राज्य सरकार ने किसी जिले या उसके किसी भाग में भूमि को ओसत कीमतें अधिमूचित नहीं कर दी हों।

इस धारा के नीचे वेदवली चाहने वाले आसामी के लिए आवश्यक है कि वह अपना मामना इस धारा के किसी स्थान के अंतर्गत होना साबित करे।¹ यदि उम बीच में गिरफ्तारी आसामी अथवा आसामी को इस अधिनियम के किसी उपचार के नीचे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो इस धारा के नीचे वेदवली की आज्ञा नहीं दी जा सकती।²

मियाद:—पटण (क) और (घ) के नीचे आवेदन-पत्र इस अधिनियम के प्रारंभ में तीन वर्ष के भीतर पेश होना चाहिए। उसके पश्चात् धारा १=२ (क) के कारण आवेदन-पत्र वर्जित हो जायगा। स्थान (ख) और (ग) के नीचे आवेदन-पत्र देने की मियाद एक वर्ष है—वाद कारण की तारीख से।

प्रतियोगिता:—उस धारा के नीचे आवेदन-पत्र सहायक बलबटर के यहां पेश होगा। और हनीय अनुमूली के भाग २ के मद्द मंस्या ६८ (१) (२) से शासित होगा।

न्यायालय शुल्क २५ प्रति वार्षिक रुपये का लगेगा। जब उसका विरोध किया जाय तो उसे दावे की मांति समझा जायगा और उसी के अनुनार उस पर फोस लगेगी।

अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगा। दूसरी अपील नहीं होगी। दिक्षी की सूत में पहली अपील रा० अ० प्रा० को व दूसरी राजस्व चोर्ड में होगी। जहां दूसरी अपील हो वहां पुनरोक्ताण नहीं होगा।

१८१—आवेदन-पत्र और नोटिस:—(१) पारा १८० के अन्तर्गत वेदवली विद्ये प्रावेदन-पत्र १ जुलाई और ३० निवाम्बर के बीच में दिया जायगा और उसके प्रधाना अन्य गमन में नहीं।

(२) चर-धारा (१) के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदन-पत्र में वह आवार यताया जायगा जिस पर वेदवली के निये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(३) पूर्वामी उठ-पारायों के अनुमार आवेदन-पत्र दिये जाने पर एक नोटिस, निर्दिक्ष शुल्क देने पर, आसामी या गिरफ्तारी-आसामी पर निर्भासित रोति है, टार्मिल दिया जायगा जिसमें उसे यह भूवता दी गयी है कि यदि वह वेदवली का विरोध करना चाहे तो, उसे चाहिए ति उन पर नोटिस जामोड़ दिये जाने की नारीर ये ३० दिन के अन्दर नोटिस के विरोध में आवेदन-पत्र दर्शाया करें।

टिप्पणी

१. जुलाई से ३० निवाम्बर के बीच में आवेदन-पत्र पेश करने का प्रावधान बाल्यहारी

1. बमरा १, राजस्व मंद्र, 1961 R. L. W. 479

2. रामनिधि v. टाटुरिया, 1938 R. R. D. 17; दमनगुप्ति v. देवदत्त, 1963
R. R. D. 397

नहीं है और दोनों के लिए पातक नहीं है विशेषकर तब जब यह या आपत्ति नहीं उठाई गई हो। धारा १८१ व १८४ के प्रावधान आसामी और शिकमी आसामी के अधिकारों के सुरक्षा के लिए है। इस प्रकार धारा १८१ के उपचयन आसामी द्वारा अभियंजित तिथि जलते हैं और उनका सामने तभी उठाया जा सकता है जब कि वे अभियंजित नहीं कर दिए गए हैं।¹

१८२. नोटिंग भारी लिये जाने के पश्चात् दो पार्यवाही—(१) यदि ऐसी पार्यामी या शिकमी-प्रासामी लिया पर धारा १८१ के अन्तर्गत नोटिंग तामील लिया जाय, उपस्थित होकर बेदखली के दायित्व को स्वीकार कर से तो न्यायालय उसकी बेदखली के लिये आज्ञा पारित करेगा लेकिन वह लिसी सर्वे के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

(२) यदि आसामी या शिकमी-प्रासामी ऐसे नोटिंग में निर्धारित को गई अवधि में उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय उसकी बेदखली के लिये आज्ञा पारित करेगा।

इन्हुंने ऐसा आसामी या शिकमी आसामी ऐसी आज्ञा की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस आज्ञा को निरस्त लिये जाने हेतु, आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह न्यायालय को इस बात से सन्तुष्ट कर दे कि या तो उस पर नोटिंग तामील नहीं किया गया या या नोटिंग में नदिष्ट अवधि में उपस्थित न हो सकने के लिये उसके पास पर्याप्त कारण ये तो न्यायालय उस आज्ञा को निरस्त कर देगा और उस आवेदन-पत्र की एततो परामत निर्धारित तरीके से मुनावाई करेगा।

(३) यदि आसामी या शिकमी-प्रासामी निर्धारित अवधि में उपस्थित होता है और बेदखल किये जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय, यदोचित न्यायालय-शुल्क का भुगतान करने पर, उस आवेदन-पत्र को बाद समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जिस प्रकार कि एक बाद में।

किन्तु सोपे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने परी दशा में, कोई न्यायालय-शुल्क देय नहीं होगा।

(४) इस धारा के अन्तर्गत पारित की गई डिक्री या आज्ञा पर धारा १७८ की उप-धारा (१) के उपचयन लागू होगे।

+ [(५) जहाँ कोई भू-सम्पत्तिधारक जो सप की सदस्त्र सेनामी का सदस्य रहा हो, अपने खुदकाश्त-प्रासामी या गैर-सातेदार आसामी की बेदखली चाहता हो अथवा जहाँ कोई आतेदार आसामी ऐसा सदस्य होने की दशा में, अपने शिकमी-आसामी की बेदखली, धारा १८० की उपधारा (१) के लिए (क) प्रथमा (घ) के अन्तर्गत चाहता हो, तो उन लिए के परन्तु जो में या धारा १९ में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी न्यायालय उक्त डिक्री के अन्तर्ये यह निरेश दे सकेगा कि खुदकाश्त-प्रासामी या गैर-सातेदार आसामी अथवा यथास्थिति शिकमी-आसामी, अपनी सम्पूर्ण भूमि से अथवा यथास्थिति, उसके किसी हिस्से से, बेदखल

1. करणसिंह v. राजस्व बोर्ड, 1962 R. L. W. 178

+ राजस्थान प्रधिनियम संस्था २२ सन् १९६० द्वारा निर्विष्ट।

विया जायेगा यदि उसका भूमि-सेवा उक्त भू-सम्पत्तिघारक या उक्त स्थानेदार-आमामी के लिये अनुभव अधिकतम भूमि सेवा में अधिक नहीं है ।]

∴ १८२-क. पारा १८० के अन्तर्गत दिये जाने वाले करिपय प्रायंना-पत्रों के लिये समय की अवधि—धारा १८० के खण्ड (क) या खण्ड (घ) के अन्तर्गत वेदवस्त्रों का कोई प्रायंना-पत्र नहीं लिया जायगा यदि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से [तीन] + वर्ष बीतने के पश्चात दिया जाता है ।

× [परन्तु यहां भूमि विसी गंगे स्थानेदार आमामी या गुदकाशन-आमामी या किसी ग्रामी आमामी द्वारा, धारा ४६ में बताये हुए व्यक्तियों में मे किसी से लेकर धारण की हुई हो, वेदवस्त्रों के निमित्त उक्त आवेदन-पत्र, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अपवाह उस तारीख में तीन वर्ष के भीतर जिसको उग पारा के अन्तर्गत विचारित नियोग्यता दूर हो जाय, दोनों तारीखों में जो भी पश्चातवर्ती हो, प्रम्तु किया जा सकेगा ।]

∴ १८२-ग. अधिनियम का उक्त अन्तर्गत नहीं साझे जाने वाली भूमि को लौटाना—(१) यदि भूमि धारी, जिसके अनुरोध पर या जिसके प्रायंना पत्र पर पारा १८० वे खण्ड (क) या खण्ड (घ) के अधीन हिसी भूमि से वेदवस्त्र दिया जाने वा प्राप्त दिया जाय, ऐसी भूमि को, पास्तविक वेदवस्त्रों की तारीख में दो वर्ष की प्रवधि तक अपने कानून परने में विफल रहता है, वेदवस्त्र किये गये व्यक्ति को—

(१). भूमि, जिसने वह वेदवस्त्र किया गया था, लौटाने के लिये,

[२] ऐसी भूमि में गानेशारी अधिकारों तथा मुषारो में अधिकारों की अवालि के लिये, या

[३] दोनों लौटाने या अन्तर्गत, के लिये ज्ञानेदान करने का अधिकारी होगा ।

(२) उग-पारा (१) के अन्तर्गत जिसी भूमि में ज्ञानेदारी अधिकारों तथा मुषारो में अधिकारों की अवधि के लिये दिये प्रायंना-पत्र पर पारा २० में पारा ३० तक वे उपदन्त लागू होंगे जाने वह पारा १९ के अन्तर्गत दिया हुआ प्रायंना-पत्र हो ।

∴ १८३. करिपय अनिश्चियों की वेदवस्त्री—(१) इस अधिनियम के जिसी उपदन्त में शोई विपरीत बात एउटरिष्ट होने हुए भी होई अनिश्चियों जिसने जिसी भूमि को इसमें दिना वेष अधिकार के लिया है या रखा है, उस अवलि या उन अनिश्चियों के बाद पर जो उसे पासामी के स्वरूप में स्वीकार करने वे हुदार तथा उग-पारा (२) के उपदन्तों के अधीन रहते हुए, वेदवस्त्री का भागी होना और मात्र ही प्रतिक्रिया कृति वर्ष किसमें उमने पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग

∴ राज० अधिनियम मंस्या २७ सन् १९५६ द्वारा निरिष्ट ।

+ राज० अधिनियम मंस्या १४ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्पातित ।

* राज० अधिनियम मंस्या १२ सन् १९५१ द्वारा निरिष्ट ।

∴ राज० अधिनियम मंस्या २७ सन् १९५५ द्वारा निरिष्ट ।

∴ राज० अधिनियम मंस्या २२ सन् १९५० द्वारा निरिष्ट ।

में इस प्रकार बदला रता हो, के लिये शास्ति के तोर पर ऐसी रकम देने का भी आगी होगा जो कानिका संग्रह के पन्द्रह मुने तक ही सकती है।

(२) ऐसी भूमि जो सीधे राज्य सरकार से बेदखली का हुई हो या विग पर राज्य सरकार तहसीलदार की मालिनी प्रतिक्रिया को आसामी के लॉ में हीकार करने की हालात है, तहसीलदार राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एकट १९५६ (राज० एकट १५ सन् १९५६) की घारा ६। वे उपवन्धों के अनुसारण में कार्यदाही करने को अप्रतर होगा।

टिप्पणी

प्रारम्भक—इस धारा में अतिक्रमियों की बेदखली के सम्बन्ध में निए गए उच्चान्वय दोष पूर्ण है। इस अधिनियम में अतिक्रमी की हैसियत और अधिकारों वा कोई उल्लेख नहीं है यदि उसे मियाद की अवधि में भूमि से बेदखल नहीं किया जाता इस प्रकार यदि वे दखली की डिको होने पर उसे मियाद के अन्दर वे दखल नहीं किया जाता तो अतिक्रमी को उस व्यक्ति के अधिकार मिल जायेंगे जिसकी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। परिणाम^१: जो व्यक्ति अतिक्रमी को आसामी को तरह स्वीकार कर सकता था उसके अधिकार समाप्त हो जावेगे। भारतीय परिसीमा अधिनियम में यह अवधि बारह साल की है और यदि इस अवधि में बेदखली नहीं कराई जानी तो अतिक्रमी को मूल व्यक्ति के अधिकार मिल जायेंगे। दूसरे शब्दों में मही व्यक्ति के अधिकारों के अवश्यन पर गलत काम करने वाले व्यक्ति को सही हक प्राप्त हो जायेंगे।^२ राजस्व बोर्ड राजस्थान ने भी यही मत प्रगट किया है।^३

१. य० पी० टिनेसी एकट १९३६ की धारा १८० में इसमें मिनवा जुनना प्रावधान है परन्तु उसमें मियाद की अवधि पूरी होने पर अतिक्रमी के अधिकार और दायित्व स्पष्ट रूप से बता दिए गए है।

इस धारा में भूमिधारियों और राज्य सरकार की भूमि में कोई अन्तर नहीं रखा गया है इसलिये सरकारी भूमि की सूत्र में भी उपरोक्त परिणाम निरूपित है।

२. विषय—पूर्ववर्ती धारा उन आसामियों, गिरकी आसामियों अथवा गुदकाशत के आसामियों वे दखली से सम्बन्धित हैं जो कातून के अनुसार भूमिधारण कर रहे हैं। यह धारा उन अनिक्रमियों को वे दखली से सम्बन्धित हैं जो भूमिधारी की सहमति के बिना भूमिधारण करते हैं। जो वर्ग किसी प्रकार का अधिकार धारण करने का बहाना करते हैं वे भी इसके नीचे वे दखल किए जा सकते हैं। इस धारा के नीचे उपाय (Title, हक) की जाच की जानी चाहिये और यदि यह पाया जाय कि प्रतिवादी को कोई हक (Title) नहीं है तो उसके विश्व दाये की डिको होनी चाहिये।^४ इस धारा में न केवल उन

1. हेमचन्द्र v. प्यारेलाल, 1942 P.C. 64.

2. छुगराज v. स्टेट, 1955 R.L.W. (R.S.) 34.

3. रघुनाथ प्रसाद v. मोहम्मद नोह, 1942 R.D. 636.

अक्षियों की वेदखली के लिए प्रावधान है जिनका कठजा प्रारम्भ से ही अवैध है परन्तु उनकी वेदखली के लिए भी है जो जो भूमिधारी द्वारा बाहर निकलने लिए वहे जाने पर भी ग्रनना कठजा याना ए रखते हैं।^१ इस धारा के नीचे नुकसानी (Damages) मात्र के लिए दावा नहीं चल सकता यदि भूमि पर प्रतिवादों का कठजा नहीं है।^२ अतिक्रमी की परिमाण धारा ५ (५५) में दी हुई है।

जहां पर न तो वादी ने कोई प्रार्थना सजा के लिए की और न नीचे की अदालत ने कोई सजा (Penalty) नज़बीज की तो वहां राजस्व बोर्ड के लिए कोई मजा तज़बीज करना उचित नहीं था।^३ इस धारा के नीचे अतिक्रमी को वेदखली कराने के लिए वादी को यह सावित करना होगा कि उसे वादग्रन्त भूमि पर दूसरे व्यक्ति की आसानी की तरह स्वीकार करने का हक प्राप्त था।^४

३. प्रतिया—इस धारा के नीचे दावा सहायक कलबटर के न्यायालय में किया जावेगा और वह तृतीय अनुमूली के भाग प्रथम के मद्द नं० २३ द्वारा शामिल होगा।

दावे पर न्यायालय शुल्क ५० पैसे दा लगेगा।

इसकी मियाद वाद का वारण उत्पन्न होने की तारीख में वारह साल की है।

महायक कलबटर की डिक्री के विशद पहली अपेल राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी और यदि स्वामित्व के हक का कोई प्रदेन नहीं हो तो दूसरी अपील राजस्व बोर्ड में होगी वरना पहली अपील सक्षम सिविल अपील न्यायालय में होगी जिसे कि स्वामित्व के हक का निर्णय करने वाले न्यायालय की अपीलें मुनने का अधिकार है। यदि पहला अपेल न्यायालय जिला न्यायालय हो तो दूसरी अपील उच्च न्यायालय में होगी।

नूँकि अपील राजस्व बोर्ड में अद्यवा हाईकोर्ट में होगी जनः कोई पुनरीक्षण नहीं होगा।

वेदखली का प्रबन्धन

१९४. प्रबन्धन वा समय—(१) वेदखली की आज्ञा या डिक्री के निष्पादन में कठजा दिग्गी भी कार्य में पन्डह खप्रेस के पहिले अद्यवा तीस दून के बाद, नहीं दिया जादेगा।

(२) पूर्वदर्ती पन्डह मार्च के पहिले निष्पादन के नियम दिये गये प्रार्थना-दत्र के सेवय में पारित वस्त्र इदें जाने की आज्ञा पर अद्यवा धारा १७१ या धारा १८३ के उपर्योग के अधीन पारित वेदखली की आज्ञा पर, इस धारा कोई यात सारू नहीं होगी।

ट्रिप्पली

इस धारा के उपर्योग निरन्तर अधिनियमों के नीने दी गई डिक्रियों पर भी आगू

1. नारायणशास्त्र व. विजयनकुमार, 1944 A.W.R. 212.
2. लैरिग्ट व. उमेशगिरि, 1966 R.R.D. 236.
3. हरभारायण व. राजस्व मंडल, 1966 R.R.D. 31.
4. पूर्वदर्त व. विजयनकुमार, 1966 R.R.D. 328.

होगे अगर उनकी इजराय इस अधिनियम के नीचे कराई जाय।¹ यदि येदस्यनी की कार्यवाही निरस्त अधिनियमों के नीचे प्रारम्भ हो। युक्ति हो गी ये उन्होंने अधिनियमों के नीचे चालू रखे जावेंगे।²

१८५. डिक्री या आज्ञा के निष्पादन का सरोकार—(१) निष्पादन उनके जैसे हि घारा १८४ में अन्यथा व्यवस्था को हुई हो, येदस्यनी की प्रत्येक डिक्री या आज्ञा वा प्रबन्धन गिरिन प्रक्रिया सहित १६०८ (गोप्त्व अधिनियम ५, १६०८) में अधिन गम्भीर के कब्जे के निष्पादन समयों उपर्युक्तों के अनुसरण में किया जायगा।

(२) प्रत्येक शिरामी पट्टापारी या हस्तान्तरिती विभाग हित उनके मूलिकारी या हस्तान्तरकर्ता की बेदखली होने पर अवशायित हो जाय, येदस्यनी की डिक्री या आज्ञा के निष्पादन हेतु निर्णीत-फूली समझा जायगा परन्तु जब तक कब्जा देने में अवरोध या बाधा नहीं पहुँचाये, खर्चों का भागी न हो जाएगा।

१८६. + विलुप्त—

+ [१८७. अवैध बेदखली का प्रतिकार—(१) कोई आसामी जो तत्त्वमय प्रमाणदील कानून के अनुसरण करने की रीत से भिन्न रीति से अपने भूमि-धेन या उसके किसी हिस्से से बेदखल विद्या गया हो या उस पर कब्जा करने से रोका गया हो उस व्यक्ति के विश्वद विस्तीर्ण उसे बेदखल विद्या हो या कब्जा करने से रोका हो नीचे लिखी राहतों में ऐसी विस्तीर्ण के लिये दावा दायर कर सकता है, अर्थात्—

[१] भूमि-धेन के कब्जे के लिये,

[२] अवैध बेदखली या कब्जा-विहीन किये जाने के लिये मुमालजा,

[३] किसी सुधार के लिये मुमालजा जो उसने किया हो।

* परन्तु जहा बादी डिक्री के समय चालू हुयि-वर्ष में इस अधिनियम के उपर्युक्तों के अनुसरण में बेदखल किये जाने का भागी है, उस दशा में कब्जे के लिये कोई डिक्री पारित नहीं की जावेगी।

(२) यदि कब्जे के लिये डिक्री पारित की गई हो तो, किसी सुधार के लिये मुमालजा नहीं लाया जायगा और उक्त डिक्री भी इस दार्त के अधीन होगी कि बादी प्रतिवादी को ऐसी रकम जो प्रतिवादी ने बेदखली या कब्जा-विहीन किये जाने के समय मुमालजे के रूप में बादी को दी हो, ऐसी अवधि के भीतर प्रतिवादी को बापिस लोटा देगा जिसे भ्यायावय मर्यादा करे।

(३) जहा इस घारा के अन्तर्गत बद्दों के निमित्त बाद में अवधि उक्त बाद में पारित डिक्री या आज्ञा वे विश्वद अपील में बद्दों के लिये डिक्री उपधारा (१) में वर्णित कारण से पारित नहीं की जा सकती हो, उस दशा में डिक्री देखल सर्च के लिये होगी।

1. नियम V. कु वरप्रशाद, 1931 R.D. 555

2. महादेवी V. सूजरखसी, 1941 R.D. 1071

+ रा. प्र. २२ सद १९६० घारा विलुप्त।

(४) जहां छिन्नी धर्यप देवशनी या बब्जा विहीनता के लिये मुप्रावदे के हेतु पारित की जाय और बच्चे के लिये नहीं उस दशा में, मुप्रावदा उस समूहां अधिकार के लिये होता जिसमें, बेदवन किया गया या बब्जा विहीन किया गया आसामी बब्जा बनाये रखने वा हक्कदार था।

(५) कोई आसामी जिसने केवल कब्जे के लिये दावा किया हो, उसी बाद-हेतु से संदर्भ में धर्यप देवशनी के लिये धर्यवा किसी सुधार के लिये मुप्रावदे के बास्ते प्रत्यग दावा दायर करने का हक्कदार नहीं होगा।

(६) इस धारा के अन्तर्गत कब्जे के लिये दावे में प्रत्येक घटकि जिसने बादी की बेदवल किया हो या बब्जा लेने में रोड़ा हो तथा वह घटकि जो जिसे उन बेदवनी के बाद, समूहां भूमि-धोत्र या उम्हे विसी हिस्से का बब्जा उम घटकि ने दिया हो जिसने बादी को बेदवल किया था, प्रतिबादी के तौर पर सम्मिलित लिये जायेंगे और कब्जे के लिये छिकी पारित करने में न्यायालय धारेश देगा कि जो घटकि उक्तहेतु बब्जा किये हुए हैं उसे बेदवल किया जायगा।

परन्तु न्यायालय, उक्त घटकि को बेदवल किये जाने का धारेश देने के बजाय, उस दशा में जब कि उनके घटकि ने, बाद के लिये नियत प्रथम सुनवाई के सम्बन्ध की ताकीत अपने पर होने के पहले, भूमि-धोत्र या उमके हिस्से में बास्त दो दी हो, उसे बादी का उम भूमि-धोत्र या विसी के लिये बेदवल उसी कफल के संबंध में तिक्कमो-आसामी धोपित कर सकता है।

(७) इस धारा के अन्तर्गत कब्जे के लिये पारित छिकी, यथा सभव उसी भाँति प्रदर्शित की जायेगी मात्रो वह बेदवली की छिकी हो लेकिन यदि उक्त छिकी के प्रदर्शन के लिये समयावधि, यदि नहीं हो, निश्चित ही नहीं हो तो उमका कोई ध्यान नहीं रखा जायेगा।]

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के अधिनियमित किये जाने से पूर्व धारा १८९ में (जो अब निरस्त हर दी गई है) उन आसामियों वा वापिस बब्जा कराने का प्रावधान था जिन्हें उस धारा के उपवर्धों के विलाफ बेदवल या बब्जा विहीन कर दिया गया था। मह धारा नगमग उक्त धारा १८६ के अनुरप ही है। इस धारा में बनाए गए प्रतिबार(remedy)का लाभ उठाने ने पूर्व विसी आसामी के लिए इन शर्तों पर होना आवश्यक है कि उसे इस अधिनियम के उपवर्धों के विन्दु बेदवल कर दिया गया है अथवा उसे उसी भूमि-धोत्र का बब्जा प्राप्त करने में रोका जारहा है। उत्थारा (१) में उमके लिए तीन प्रकार के प्रतिबार (remedy) बता दिए गए हैं वन्मान धारा १८७ में जिसने कि पहले ही धारा १८६ वा रक्षान निया है भूमिशाखियों द्वारा आसामी की धर्यप देवशनी के विन्दु प्रतिबार बनाए गए हैं परन्तु धारा १८३ के बारे में भूमि-धोत्री के विन्दु अधिकमण का दाया नहीं एवं सहना।^१ भूमिधारी द्वारा धर्यप रूप से बब्जा विहीन किये जाने पर यापिम बब्जा, पाने से पूर्व भूमिधारिता (Tenancy) दो सारिता करना आवश्यक है।^२ इन धारा की उत्थारा (१)

1. नियमान V. धीमडी भवर कवर, 1965 R.R.D. 242

2. उत्थारोग

में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस आसामी ने केवल कठज्ज्ञ के लिए दावा किया है वह बाद में अवैध वे दावती के लिए गुणावजा पाने का कठाकार नहीं होगा । यदि गुणावजा पाने का दावा प्रसक्त हो जाय तो यादी को उसके लिए नया दावा साना मना है ।¹

२. प्रक्रिया—इस घारा के नीचे दाया तृतीय आनुभूति के भाग एक के मद नम्बर २३ घा. घारा शासित होगा और सहायक कलबटर के न्यायालय में पेश किया जायेगा ।

उस पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा ।

दावे के लिए मियाद टिनेसी (तृतीय सशोधन) एकट १९६० के प्रारम्भ की तारीख से तीन साल है या उस तारीख से जब कि आसामी को अवैध रूप से वे दावत या कठज्ज्ञ विहीन कर दिया गया हो ।

यह साचित करने का भार आसामी पर है कि उसे वेध रूप से कठज्ज्ञ दिया गया था ।

सहायक कलबटर के निर्णय और डिक्टी के विट्ठ अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को पेश होगी और दूसरी अपील घारा २२४ (२) के आधार पर राजस्व बोर्ड में होगी । पुनरीक्षण नहीं होगा ।

+ १८३. क. घारा १८७ के उपबंधों वा कतिपय परिवेदित व्यक्तियों के लिये उपलब्ध होना—घारा १८७ के उपबंध ऐसे किसी आसामी को जिसका उल्लेख इस घारा की उप-घारा (१) में किया गया है लागू तथा उपलब्ध होंगे जिसने, १५ अक्टूबर १९५५ को तथा तत्पश्चात किन्तु राजस्थान टिनेसी (तृतीय सशोधन) प्रधिनियम १९६० के प्रारम्भ के पूर्व, घारा १८६ जैसे कि वह उक्त प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान थी, मे प्रावहित प्रतिकार (remedy) का कायदा नीही उठाया हो अथवा उक्त राहत के निमित्त जिसका आवेदन-पत्र इस आधार पर प्रस्तुतीकार कर दिया गया हो कि उस घारा में प्रावहित मियाद के बाहर हो गया था, और उक्त आसामी घारा १८७ के उपबंधों के अन्तर्गत तथा उसके सदसुसार दावा भी प्रस्तुत कर सकेगा, जाहे घारा १८६ में अथवा तृतीय आनुभूति के मद सह्या ६६ जैसी कि वह राजस्थान टिनेसी (तृतीय सशोधन) प्रधिनियम १९६० के पूर्व विद्यमान थी, मे कुछ भी अन्तर्विष्ट हो ।

+ १८७. ख. इन्जे पर आधारित पुनर्स्थापन हेतु सरसरी बाद—(१) घारा १८७ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई आसामी जो, अपने भूमि-धेन या उसके हिस्से से वेध रीति से भिन्न अन्यथा, अपनी इच्छा के विरुद्ध, वेदाल या कठज्ज्ञ विहीन कर दिया जाय, अपने भूमि-धेन या उसके हिस्से पर पुनर्स्थापित किये जाने हेतु प्रार्थना करते हुए याद प्रस्तुत कर सकता है और किसी अन्य स्वत्व जो उस बाद में स्थापित कर दिया जाय के होते हुए भी, कठज्ज्ञ वापिस ले सकता है ।

(२) इस घारा की कोई बात जिसी भी व्यक्ति को उक्त भूमि-धेन या उसके हिस्से पर

1. दोरसिह V. उन्मेदसिह, 1966 R.R.D 236.

+ रा. घ. २२ सन् १९६० घारा निविष्ट ।

प्रपत्ता स्वतं स्थापित करने हेतु तथा उमका कड़ा वापिस लेने हेतु बाद प्रस्तुत करने से वाधित नहीं करेगी ।

(३) इस धारा के अन्तर्गत कोई बाद केन्द्रीय सरकार अधिकार अधिकार विमी राज्य सरकार के विरुद्ध दायर नहीं किया जा सकेगा ।

(४) इस धारा के अन्तर्गत किसी बाद में पारित किसी डिक्री या आज्ञा की कोई अन्तर्गत नहीं होगी और न ऐसी डिक्री या आज्ञा के पुनर्विलोहन के लिये अनुमति दी जायेगी ।

(५) धारा १८४ के उपबंध ऐसी किसी डिक्री या आज्ञा पर लागू नहीं होगे जो इस धारा के अन्तर्गत पारित की गई हो ।

ट्रिपणी

१. विषय—यह धारा पिछली धारा १८६ के स्थान पर रखी गई है और इसमें अवज्ञा प्राप्ति के लिए सरसरी प्रक्रिया बताई गई है । परन्तु इसका प्रभाव अधिक व्यापक है । इस धारा के अन्तर्गत बाद धारा १८७ के अधीन नहीं है परन्तु जहां आमामा डिक्री देते समय इम अधिनियम के उपबन्धों के नीचे वेदवनी के लायक है (चानू कृषि वर्ग में) तो इस धारा के नीचे डिक्री नहीं दी जा सकती ।^१ इस धारा के उपबन्ध योल्लिक्षित अनुतोष अधिनियम (Specific Relief Act) की धारा ६ से मिलते जुलते हैं ।

इस धारा का उद्देश्य व्यक्तियों को कानून अनुसन्धाने हाथ में लेने से निरसाहित करना है जाहे उनका स्वतंत्र (हक, Title) कितना ही सही बयां न हो ।^२ इस धारा के अन्तर्गत बादों में हक का प्रदन अव्यंगत है यद्योऽकि इपका उद्देश्य उन व्यक्तियों के विहृद संसरी कार्यवाही बताना है जिन्होंने कानून अनुसन्धाने हाथ में लेकर कड़ा वालों को कड़ा विहृत कर दिया है ।^३

२. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे बाद कृतीय अनुमूल्य भाग १ के मद २३ द्वारा शासित होता है और सहायक लकड़ार के महां पेश होंगा ।

न्यायानय घुलक २५ पैसे का लगेगा ।

बेदमली वी तारीख से ६ महीने को मियाद है ।

इस धारा के नीचे डिक्री या आज्ञा की अनोखे नहीं होनी । धारा २२३ व २२५ लागू नहीं है । अमफन पश्चात राजम्व बोइं में पुनरीकाण कर सकता है अपवा हक का दावा (Title Suit) दर सरका है ।

धारा १८८ मध्ये लेटली के विरुद्ध आदेश—(१) कोई आमामी विस्ते मूमिलेन या मूमिलेन के हिस्ते पर उमो अधिकार अपवा उपमोग पर मूमिलारी या अन्य व्यक्त द्वारा आदेश दिया जाता है या आदेश पी पमरो दी जाती है, विस्त्यादो आदेश दी मदूरी के नियम बाद प्रस्तुत दर मदता है ।

१. बासद्वारुद v. मालीकाम, १९६१ R. R. D. 258

२. रुद्धा v. नगनिहाव, २९ Bom. 213

३. शोमामविह v. मालोविह, १९३९ M. L. R. 221

(२) व्यायामय आवश्यक जोग करने से पश्चात् निश्चयित दायांमें में विरतगायी व्यादेश आगे कर सकता है अर्थात्—

- (क) यदि आक्रमण से हुई वारतविक दायि या होने वाली सम्भावित दाति से निश्चयन से लिये कोई प्रमाण नहीं है;
- (ख) यदि आक्रमण ऐसा है जिसके लिये आधिक मुमाला परिवर्तन नहीं है,
- (ग) जहाँ बहुत सम्भावना यह हो कि आक्रमण के लिये आधिक मुमाला प्राप्त नहीं हो सकता है;
- (घ) जहाँ कार्यवाहियों को बहुलता वा रोपने के लिये व्यादेश आवश्यक हो।

टिप्पणी

१. विषय— इस धारा में यथोल्लिखित अनुशोध अधिनियम (Specific Relief Act) की धारा ५४ के उपबन्ध ले लिए गए हैं। इस धारा में उत्तरविधि प्रतिकार (remedy) केवल आसामियों के लिए ही है। चिरस्थायी व्यादेश (नियेधाजा) के लिए भूमि-धारियों द्वारा किए जाने वाले दावे राजस्व न्यायालयों द्वारा प्रसंशील (Cognizable) नहीं हैं हालांकि खुदकादत धारकों द्वारा किए जाने वाले दावे धारा ९२-का वी सीमा में आ जाते हैं।

व्यादेश एक अल्प वयस्क व्यक्ति के विरुद्ध भी दिया जा सकता है।^१ व्यादेश चाहने वाले व्यक्ति के लिए हक को सावित करना आवश्यक नहीं है।^२ यह सावित करना ही काफी है कि वह भूमि क्षेत्र पर कानूनी तौर से काविज या और उसके कट्टजे पर ऐसा आक्रमण हुआ अथवा आक्रमण की संभावना थी जिसका कोई हक नहीं था।^३

२. प्रतिपादा— इस धारा के नीचे दावा शृंतीय अनुसूची के भाग प्रथम के मद नं० २३-का द्वारा शासित है और सहायक कलबटर के न्यायालय में पेश होगा।

मियाद वाद कारण उत्पन्न होने से ३ वर्ष की है।

न्यायालय शुल्क ५० पैसे का होगा।

पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहाँ होगी। यदि मालिकाना हक का प्रश्न अर्तवर्लित हो तो पहली अपील सम्बन्धित सिविल न्यायालय में होगी। द्वितीय अपील राजस्व बोर्ड में होगी अथवा मालिकाना हक के प्रश्न की सूरत में हाई कोर्ट में होगी।

चूंकि दूसरी अपील राजस्व बोर्ड में या उच्च न्यायालय में होगी अतएव पुनरीक्षण नहीं होगा।

1. रामचंद्र बलवत v. नरसिंह चिन्तामणि, A. I. R. 1931 Bom. 466

2. उपरोक्त

3. उपरोक्त

अध्याय १२

भूमि का अनुदान

अनुकूल लगान-दर पर अनुदान

१८९. अनुकूल संगत-दर पर अनुदानों का वृद्धि के लिये भागी होना—(१) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून में या कानून का बल रखने वाली किसी पृथ्या या रिवाज में या किसी आज्ञा या विसेस की दातों व प्रतिवंधों में किसी विपरीत बातें के घन्तविष्ट होते हुए भी, अनुकूल संगत-दर पर अनुदान, जो ग्राम-सेवा विषयक अनुदान नहीं हो, अध्याय ६ के उपवंधों को धारणा में, [स्वीकृत लगान-दरों के] + अनुसार [आवेदन पर] + लगान-वृद्धि का भागी होगा।

(२) [उक्त देशेण लगान-वृद्धि होने पर] + अनुकूल संगत-दर पर अनुदान-प्रहीता रातेदार आसामी समझा जायेगा।

कि १८६-क. अनुकूल-दरों पर अनुदान प्रहीताओं के हितं तथा अन्य अधिकारों का अवतरण तथा हस्तान्तरण—(१) अनुकूल लगान दर पर किसी अनुदान-प्रहीता का हित दाय-योग्य है और उसका अवतरण उम पर सागृ ध्यक्तिगत कानून के अनुसार होगा।

(२) ऐसा हित, उसी रीति से तथा उसी हृद सक जैसे किसी रातेदार आसामी का अपने मूलि-दोत्र में होता है, हस्तान्तरणीय होगा।

(३) अनुकूल संगत-दर पर अनुदान-प्रहीता में अपने प्रमुदान के विषय में गुणारों तथा उसों के संबंध में वही अधिकार होगे जैसे सातेदार आसामी के अपने मूलि-दोत्र के विषय में होते हैं तथा अध्याय ६ व ७ के उपबंध सागृ होंगे।

(४) अध्याय ८, १०, १५ तथा १६ के उपबंध इसे प्रदार लागू होंगे मानो उक्त अनुदान-प्रहीता रातेदार आसामी हो।

५. १८६-क. अनुकूल दरों पर अनुदान प्रहीताओं के हितों का अवसान—अनुकूल दरों पर अनुदान प्रहीता के हित समाप्त हो जायेगे—

(क) यारा ६३ में छलित दातों से से गिनी दात के होने पर, या

(ग) जब उसके अनुदान के सम्बन्ध में नियान यारा १८९ के उपवंधों के अनुसारण में बड़ा दिया जाय।

ग्राम-सेवा हेतु अनुदान

१८०. ग्राम सेवक के अधिकार व दायित्व—(१) ग्राम देवक का हित, एक चार में
+ रा० घ० २७ ग्र० १९५६ द्वारा निविष्ट य प्रतिशतांशि।
+ रा० घ० २७ ग्र० १९५६ द्वारा निविष्ट
+ रा० घ० २७ ग्र० १९५६ द्वारा निविष्ट।

ऐसी प्रवधि जो एक वर्ष से प्राप्तिका न हो, के लिये, शिवमी-पट्टे पर देखे के गिराय अन्यथा दाय-योग्य या हस्तान्तर योग्य महीं होगा और न हो ऐसा हिंग किसी घासा या फ़िक्री के निम्नान्त में तुर्की के योग्य होगा ।

(२) उप-धारा (१) के उपर्युक्त के अधीन घास सेवक गैर खातेदार घासामी समझा जायेगा ।

१६१. घास सेवक की बेदखली—(१) + घास-सेवक भू-सम्पत्ति-पारक के दावे में फ़िक्री पर या यदि ऐसा पनुदान सीधे राज्य सरकार से सेकर घारण किया हुआ हो तो तहसीलदार द्वारा नोटिस दिये जाने पर निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर अपने घास-सेवक अनुदान की भूमि से बेदखल किया जा सकेगा, अर्थात्

[१] उसने अपने अनुदान को घारा १६० के या इस अधिनियम के किमी अन्य उपर्युक्त के उल्लंघन में अन्तरित या अन्यथा अप्यनित (disposed) कर दिया है;

[२] उसने वह सेवा करना बंद कर दिया है जिसे करने के लिये वह वाप्त है अयवा उचित रूप से उसे करने में विफल रहा है;

[३] उसने अपनी अनुदान-वस्तु को भ-कृयिक प्रयोजनों के लिये सागा दिया है;

[४] उसने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है या वह उससे बर्खास्त कर दिया गया है ।

(२) अध्याय ११ के उपर्युक्त, यथाशक्य, इस घारा के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि गैर-खातेदार घासामियों की दशा में लागू होते हैं ।

१६२. घास-सेवक या उसके उत्तराधिकारी को भूमि का कबज्जा सीधे जाने की दाखिला—
(१) यदि कोई घास-सेवक अपनी अनुदान-भूमि से बेदखल कर दिया जाय या भर जाय तो तहसीलदार उसके पदीय उत्तराधिकारी की, उसके आवेदन-पत्र पर, अनुदान-भूमि का कबज्जा दिला देगा ।

(२) यदि कोई घास-सेवक इस अधिनियम के उपर्युक्त के प्रतिकूल काय किसी प्रकार से अपनी अनुदान-भूमि का कबज्जा खो बैठता है तो, तहसीलदार, उसके आवेदन-पत्र पर, उसे पुनः उक्त अनुदान-भूमि का कबज्जा दिला सकेगा और किसी भी अप्यकि को जो उस समय अनुदान-भूमि पर कबज्जा किये हुए हों, पैदलक कर सकेगा ।

१६३. भूमि का उस दशा में अपन जब कि सेवामों की आवश्यकता न रहे—यदि कलबटर यह घोषित कर दे कि उन सेवाओं की जो घास-सेवक करता है, आगे आवश्यकता नहीं है तो उक्त घास-सेवक अपनों अनुदान-भूमि का खातेदार घासामी हो जायगा और तदनुसार लगान मुगलान करने का भागी होगा ।

अध्याय १३

उपवन-धारी

१४४. उपवन धारियों के अधिकार य देवतायें—(१) अध्याय ७ में किसी बात के होने हुए भी उपवन-धारी शृङ्खों को काट सकेगा तथा चैच सकेगा और शृङ्खों के काटे जाने या मर जाने पर उनके स्थान पर बृक्ष पुनः सगा सकेगा।

(२) धारा ६३ के उपबन्धों के घघोन रहते हुए जो कि यथा सम्मव, उपवन धारी पर उसी प्रकार सागू होंगे जैसे वे किसी आसामी पर सागू होते हैं, उपवन-धारी के अधिकार तब तक कायम रहेंगे जब तक उपवन-भूमि उपवन के रूप में अपना स्वरूप कायम रखेंगी और उपवन-भूमि न रहने पर उपवन-धारी उस भूमि का सातेदार-आसामी हो जायेगा।

(३) उपवन-भूमि, धारा ५३ के उपबन्धों के अनुसार, जो कि यथाशब्द, उपवनधारी पर उसी प्रकार सागू होंगे जिस प्रकार वे आसामी पर सागू हैं, विमानित की जा सकेगी।

(४) जब कोई अक्षति उस भूमि का जिसका कि यह आसामी हो, उपवनधारी हो जाय, तो वह उस भूमि से सम्बन्धित तरसमय अवस्थित समस्त अधिकारों तथा देवतामणों जिस सीमा तक वे उससे असंगत हों, के अधिकमण में उस भूमि को उपवन-धारी के रूप में धारण करेगा।

१४५. सुधार करने का अधिकार—उपवनधारी वे सब सुधार कर सकेगा जिन्हें सातेदार आसामी कर महता है और पर्याय ६ के उपबंध उस पर उसी प्रकार सागू होंगे मानो वह सातेदार आसामी हो।

१४६. हित का अवतरण व हस्तान्तरण—(१) उपवनधारी का हित उम ध्यक्तिगत कानून के अनुषार अवतरित होगा जो उस पर सागू होता है।

(२) उपवनधारी को अपने सम्मूर्ण भूमि-देव या उसके जिसी भाग को बित्री, दान (गिरट) या बंधक के जरिये अवंतरित करने का अधिकार होगा और ऐसा अवतरण सातेदार आसामी द्वारा किये जाने की दशा में जो प्रतिबंध लागू हैं वे उपवनधारी पर सागू नहीं होंगे :

परन्तु बंधक से अवंतरण करने की दशा में ऐसा अवतरण भोग-बंधक (usufructuary mortgage) के रूप में होगा जिसकी अवधि शीघ्र वर्ष से अधिक नहीं होगी और उस पर धारा ४३ की उप-धारा (२) व (३) के उपबंध सागू होंगे।

(३) उपवनधारी अपने सम्मूर्ण भूमि-देव को या उसके जिसी भाग को निकलो पटे पर वे सहेगा और निकली-पटे पर धारा ४३ के अनुगंत सागाये हुए प्रतिबंध सागू नहीं होंगे :

परन्तु उपवनधारी के निकली आसामी को इस पर्याय के उपबन्धों के अनुरूप उसे दिये गये अधिकारों ने नियम उन अधिकारों में मैं कोई भी अधिकार आप्त नहीं होंगे तो इस अधिनियम द्वारा निकली-धागामियों को प्रदान किये गये हैं।

(४) उपवनधारी नियत इस्तानामे के जरिये अपने उपवन की दरबार को मंडीन करने अद्या ऐपने के जिये अनुबंध अद्यवा पटा भी मंडूर कर सहेगा जिन्हें दें तो अपना पटे को

प्रविधि एक बार में तीन वर्ष से प्रविधि नहीं होगी और ऐसे टेक्स्टोदार उपचार के अधिकार एवं देयताएँ रात्राम अधिकारिता रखने वाले राजस्व व्यायालय द्वारा उत्तर इकारारणमें की भठ्ठों के प्रत्युत्तर दातित एवं प्रवर्तनीय होंगे ।

१९७. सगान संबंधी उपचंप—(१) उपचारा (२) में निहित उपचंपों के अधीन, खुदकाश-धारी से भिन्न उपचनधारी द्वारा उपचन-भूमि के बारे में देय सगान नकद में होगा और ऐसा होगा जो आपस में समझौते के जरिये तथ किया जाय अथवा उक्त समझौते के अनाव में, ऐसा होगा, जो सदाम राजस्व व्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाय और सगान के निर्धारण तथा सम्पर्कित तंत्र सम्बन्धी घट्याय ६ के उपचंप इस प्रकार लागू होंगे मानो वह उपचन-धारी खातेदार आसामी हो ।

(२) उपचारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी उपचन-भूमि के सम्बन्ध में उस उपचन-धारी द्वारा कोई सगान देय नहीं होगा जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अपने भूमिकेन को उपचन के प्रयोजनों के लिये सगान के बदले प्रीरियम का भुगतान करके स्थापी रूप से लगान-भुक्त प्राप्त किया हो :

किन्तु

[१] उसके द्वारा दिया गया प्रीरियम, तत्समय उस भूमिकेन के सगान के दस गुने से अधिक हो तो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने अथवा ऐसी प्राप्ति से ३० वर्ष की अवधि समाप्त होने, दोनों में जो बाद में हो, पर, या

[२] उसके द्वारा दिया गया प्रीरियम, ऐसे वार्षिक सगान के दस गुने से अधिक नहीं हो, तो, उक्त प्रारम्भ अथवा उक्त प्राप्ति से १५ वर्ष की प्रविधि के समाप्त होने, दोनों में से जो बाद में हो, पर, ऐसे उपचन-धारी द्वारा सगान उपचारा (१) के अनुसार देय होगा ।

(३) उपचन-भूमि के संबंध में शिकमी आसामी द्वारा उपचन-धारी को देय सगान नकद में दिया जायगा और ऐसा होगा जो उपचनधारी तथा उसके शिकमी-आसामी के बीच परस्पर समझौते द्वारा तय हो जाय अथवा ऐसे किसी समझौते के अमाव में ऐसा होगा जो सदाम राजस्व व्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाय ।

किन्तु इस उपचारा के अन्तर्गत किये गये समझौते में उपज का कोई निर्दिष्ट हिस्सा ऐसे सगान के आंशिक भुगतान में उपचन-धारी को उसके अक्षतिगत उपयोग के लिये देने को कोई शर्त मान्य समझी जायेगी ।

(४) घट्याय १० के उपचंप उपचनधारियों पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे खातेदार आसामियों पर लागू होने हैं ।

१९८. वैदेशी—(१) जब तक उपचन-भूमि बनी रहे, उपचनधारी केवल द्वारा १७७ में उत्तिलित प्राधारों में से ही किसी आधार पर वैदेशी किया जा सकेगा और धारा १६१, १६२, १६४, १६५, १६६, १७४, १७८, १७९, १८४, १८५, १८६, १८७ तथा १८८ के उपचय उम पर ऐसे लागू होंगे मानो वह आसामी हो ।

(२) उपवनधारी जो अतिश्रमी (trespasser) हो, भारा १८३ के उपर्योग के अनुसार बेदखल किया जा सकेगा।

उपवनधारी का शिकायी आसामी घारा १७५, १७७, १८० और १८३ में उत्तिलित आदारों में से किसी भी आदार पर बेदखल किया जा सकेगा और अध्याय ११ के उपर्योग यथा सम्बद्ध नामूद होंगे।

(३) उपवन-धारी का टेकेदार या पट्टाधारी वाद प्रस्तुत होने पर टेके की शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन किये जाने की शर्त के आदार पर बेदखल किये जाने का नामूद होगा।

+ १६८. क. अध्याय ८, १५ तथा १६ का लागू होता—अध्याय ८, १५, तथा १९ के उपर्योग उपवन-भूमि पर इस मात्रा मात्रा होंगे मानो उपवन-धारी लातेदार आसामी हो।

अध्याय १४

इजारेदार अयवा टेकेदार

११६. इजारेदार अयवा टेकेदार द्वारा प्रयोग्य अधिकार—(१) कोई इजारेदार अयवा टेकेदार, याने इजारे या टेके की शर्तों में प्रतिकूल प्राप्तिपान होने की विविध के अतिरिक्त अपने इजारे या टेके की अवधि में तथा उसकी सीमा तक, इस अधिकारियम के घन्तर्गत पट्टा-दाता के समझ अधिकारों को विनाशित के अतिरिक्त, प्रयोग कर सकेगा:—

- [१] संग्रान की वुद्दि या रिसी आसामी की बेदखली के तिये वाद प्रस्तुत करने पा अधिकार;
 - [२] कोई मुशार करने या कोई मुशार किये जाने की अनुमति देने का अधिकार;
 - [३] मुदा कराने का अधिकार;
 - [४] अनुरूप-संग्रान दर पर अनुशान-पट्टीता के विस्त अध्याय १२ के उपर्योग के घन्तर्गत वाद प्रस्तुत करने का अधिकार।
- (२) जिन अधिकारों को इजारेदार या टेकेदार पूर्णक उपवारा के घन्तर्गत प्रयोग कर सकेगा उन्हें इजारे या टेके वो अवधि में पट्टा-दाता प्रयोग नहीं कर सकेगा।

टिप्पणी

इन पारा के द्वारा इजारेदार को भूमियारों की समस्त वक्तियां प्रयोग करने के नए मानक निया गया है निया उपर्योगों जां उपवारा (१) में वर्णित गर्द है। टेकेदार की

आसामी स्वीकार^१ करने की ओर उसे वेदलत करने का अधिकार है।^२ प्रौढ़ों की अवधि में भूमिधारी की आसामी की वेदलत करने का अधिकार नहीं है।^३

२००. इजारे या ठेके के अस्तरण अपवा उत्तराधिकार पर रोक—(१) इजारेदार या ठेकेदार का हित—

[१] किसी न्यायालय की दिवी अपवा आदेश के निष्पादन में अनुरित नहीं किया जा सकेगा; या

[२] इजारे या ठेके की दातों में व्यवस्थित प्रकार के अतिरिक्त अपवा अन्तरण-योग्य या दाय-योग्य नहीं होगा।

(२) जब किसी इजारेदार या ठेकेदार का हित दाय-योग्य हो तो उसके हित का अवतरण उस पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अनुसार होगा।

टिप्पणी

इजारेदार या ठेकेदार का हित किसी न्यायालय की दिकी अपवा आज्ञा की इजाराय में अन्तरण के योग्य नहीं होगा। इस अधिनियम के शब्दों में ठेकेदार एक आसामी नहीं है और उसके अन्तरण करने पर रोक नहीं है। परन्तु उसका यह अधिकार पट्टे की दातों के अधीन है।

२०१. वेदलती के आधार—इजारेदार अपवा ठेकेदार विभिन्निति आधारों में से एक या अधिक आधारों पर वेदलत किया जा सकेगा, अर्थात्

(१) यह कि उससे देय लगान का पूर्णतः मुगवान नहीं किया गया है,

(२) यह कि उसके द्वारा पट्टा-दाता के अधिकारों के प्रति हानिकारक अपवा इजारे या ठेके के अभिप्राय से असंगत कोई कार्य किया गया है या मूल की गई है,

(३) यह कि उसने या उसके अधीन किसी उप-इजारेदार या उप ठेकेदार ने ऐसी दातों को मंग किया है जिसके मंग करने पर वह इजारे या ठेके की दातों के अनुसार वेदलत किया जाने का मार्गी है,

(४) यह कि इजारे या ठेके की अवधि चालू कृपि वर्ष के अन्त पर या तत्पूर्व समाप्त हो गई है;

(५) यह कि आसामियों या गोव के मन्य निवासियों के प्रति उसका अवहार इमतकारी रहा है।

टिप्पणी

इस धारा में वे आधार बताए गए हैं जिन पर किसी भी ठेकेदार को वेदलत किया जा सकता है। जब किसी ठेकेदार के कब्जे में उसके पट्टे में बताई गई से अधिक भूमि थी

1. सद्यमन प्रसाद V. रामसहाय, 1935 R.D. 203

2. मुदाई लान V. जगतनारायण, 1919 R.D. 350

3. चेताराम V. काशी प्रसाद, 1922 R.D. 44

ओर वह ठेके की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी उसमें काश्त करता रहे तो उसे अतिक्रमी ही भाँति वेदखल किया जा सकता है।¹ इस धारा के नीचे दावा केवल ठेकेदार के विनष्ट ही किया जा सकता है। यदि उसका लड़का उस पर काश्त के कारण काव्रिज है तो उसे वेदखली के इसी दावे में मिलाया नहीं जा सकता। उसके विषद् वेदखली की ग्रन्ति कार्यवाही करनी पड़ेगी।²

२०२. वेदखली के लिये कार्यवाही किस प्रकार की जाय—जब राज्य सरकार से मिश्र और पट्टा-दाता किसी इजारेदार या ठेकेदार को किसी भावार पर वेदखल करना चाहे तो वह बाद प्रस्तुत करेगा।

२०३. अवैष्य वेदखली के लिये प्रतिकार (remedy)—कोई इजारेदार या ठेकेदार, जिसको इबारे या उनके की सम्मूल्य भूमि या उसके किसी भाग से अवैष्य रीति से वेदखल किया गया हो अथवा जिसे पट्टा-दाता या उसके स्वत्वाधीन अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति या उसके अभिकर्ता-द्वारा, इजारेदार या ठेकेदार की हैसियत से घपने अधिकारों का प्रयोग करने से अवैष्य रीति में रोका गया हो, ऐसी अनुचित वेदखली या अवैष्य हस्तदोष के कारण मुपादवे के लिये बाद प्रस्तुत कर सकेगा।

टिप्पणी

१. विषय—यदि ठेकेदार गलत रूप से वेदखल कर दिया गया हो अथवा पट्टा-दाता पा उसके अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा ठेकेदार के अधिकारों के प्रयोग से मुक्त कर दिया गया हो, तो उसके लिए एक ही उपाय यहां बताया गया है। जिस ठेकेदार को पूरी ठेका भूमि पर बैठा नहीं दिया गया हो वह इस धारा के नीचे राजस्व न्यायालय में दावा पेश कर सकता है।³

२. प्रक्रिया—ऐसे दावे तृतीय अनुमूल्य के भाग १ के मद्द नम्बर ३० द्वारा शासित होंगे और भालियत दावा ३०) ३० तक होने और राज्य सरकार के पदकार न होने को मूलन में तहसीलदार के यहां पेश होंगे वरना सहायक कलनटर के यहां।

मियाद बाद कारण (विवाय दावा) उत्पन्न होने की तारीख से एक साल है।

न्यायालय मुक्त ठेका की भूमि के लिए की रकम के मूल्यानुमार होगी।

तहसीलदार की पहली अरील कलनटर को और सहायक कलनटर की राजस्व अधीन प्राधिकारी के पहां होगी। दूसरी अधीन राजस्व अधीन प्राधिकारी या राजस्व बोर्ड में योगायित होगी। पहली स्थिति में पुनरीकाश भी ही सकेगा।

२०४. समर्पण—कोई इजारेदार या ठेकेदार पट्टा-दाता की सहमति ये इसी भी समर्पण धारे या ठेके से गमद्वय रीत में निहित घटने हृत की समर्पित कर सकेगा।

1. बलदेव V. पट्टादाता, 17 R.D. 332

2. दमद रिहारीकाला V. राजाराम, 1944 R.D. 125

3. एसीए एंट एन. V. बे. बार. बे. बेलेम, 1944 All. 200.

२०५. भूमि को व्यवसित हो उपरागत घारण करने की व्यवस्था—यदि कोई इजारेदार या ठेकेदार, घरने इजारे या ठेके की व्यवसित समाप्त हो जाने के बाद भी उस पर माला वड़ा बहाने पर रहे और पट्टा-दाँता उसे लगान सेता रहे, अथवा उसका वड़ा बने रहने की प्रगति प्रकार से स्वीकृति देदे तो वह इजारा या ठेका, विसी प्रतिकूल करार की अनुशस्त्रियति में, वर्द प्रति वर्ष, पुनः स्वीकृत किया हुआ समझा जायेगा ।

अध्याय १५

राजस्व न्यायालयों की कार्य प्रणाली तथा उनकी अधिकारिता सामान्य

+ २०६. विचाराधीन मामलों आदि के लिये व्यवस्था—(१) अधिनियम के प्रभावशील होने पर, राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन इस अधिनियम में निर्दिष्ट मामलों से सम्बद्ध समस्त बाद, मामले, अपीलें, प्रार्थना-पत्र, निर्देश तथा कार्यवाहियाँ इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई समझी जायेंगी और उन पर इस अधिनियम द्वारा या तदन्तर्गत निर्धारित रीति से विचार, सुनवाई एवं निरांय किया जायेगा ।

(२) ऐसे किसी बाद, मामले, अपीलें, प्रार्थना-पत्र, निर्देश या कार्यवाहियाँ, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उगा राजस्व न्यायालय में नहीं होने चाहिए या उसके द्वारा विचारणीय नहीं हैं जिसके समक्ष वे जैसा ऊपर कहा गया है, विचाराधीन हैं, उस राजस्व न्यायालय को अन्तरित करदी जायेगी तथा उसके द्वारा ही कानून के अनुसार उनकी सुनवाई एवं निरांय किया जायेगा जिसमें वे होनी चाहिये अथवा जिसके द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वे विचारणीय हैं ।

(३) इस अधिनियम के प्रभावशील होने के समय, किसी सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कोई ऐसा बाद, प्रार्थना-पत्र, मामला या कार्यवाही जो धारा २०७ के अनुसार एक मात्र राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय पोषित की गई है उस सिविल न्यायालय से कार्यवाही तथा निरांय हेतु धारा २१७ के अन्तर्गत सक्षम राजस्व न्यायालय को अन्तरित कर दी जायेगी ।

(४) इस अधिनियम के प्रभावशील होने के समय धारा २०७ में निर्दिष्ट बादों, प्रार्थना-पत्रों, मामलों या कार्यवाहियों, के अतिरिक्त राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कोई बाद, प्रार्थना-पत्र मामला या कार्यवाही उस राजस्व न्यायालय से ऐसे सिविल न्यायालय को अन्तरित कर दी जायेगी जो उन पर विचार तथा सुनवाई एवं निरांय करने की अधिकारिता रखता हो ।

टिप्पणी

इस धारा में इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय सिविल या राजस्व न्यायालयों

में विचाराधीन मुकदमों के लिए प्रक्रिया बताई गई है। इस अधिनियम के प्रारम्भ के सभी पूर्ववर्ती अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन भासले इस अधिनियम के नीचे प्रारम्भ हुए समझे जावेंगे और इस धारा में दिए गए प्रकार से सही न्यायालय में भेज दिए जावेंगे। जहां तहसीलदार को अधिकारिता (Jurisdiction) नहीं है तो तहसीलदार को गहादत लेकर अपनी शिकायित सहायक कलकटर को भेजने के स्थान पर मुकदमा उसी के पास मुंतकिल कर देना चाहिए।¹

२०७. केवल राजस्व न्यायालय द्वारा ही विचारणीय वाद तथा प्राप्तना-पत्र—(१) दौषिण्य अनुमूली में निर्दिष्ट प्रकार के समस्त वाद तथा प्राप्तना-पत्रों की मुनवाई एवं उनका निर्णय राजस्व न्यायालय द्वारा किया जायगा।

(२) राजस्व न्यायालय के अतिरिक्त कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद या प्राप्तना-पत्र की प्रदान विरुद्ध वाद के उक्त कारण वित्तके संबंध में उक्त किसी वाद या प्राप्तना-पत्र द्वारा कोई सहायता प्राप्त की जा सकती हो, पर आपारित किसी वाद या प्राप्तना-पत्र की मुनवाई नहीं करेगा।

संस्टीकरण—यदि वाद का कारण ऐसा हो जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती थी तो यह महत्वहीन है कि उन्निमित्त न्यायालय से माली गई सहायता उस सहायता से अधिक या तदतिरिक्त है अयवा तदृप नहीं है जो राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान की जा सकती थी।

टिप्पणी

राजस्व न्यायालय से तात्पर्य उस न्यायालय से है जिसे किसी स्थानीय विधि के अंतर्गत संग्राम, राजस्व, कृषि के लिए काम में लिए जाने वाली भूमि के लाभों से सम्बंधित दावे या कार्यवाही दर्ज करने व निर्णय करने का अधिकार है। ऐसे विषयों में सम्बन्धित भासलों के लिए इस अधिनियम में राजस्व न्यायालयों को प्रान्त्य (exclusive) अधिकारिता दे दी गई है। ऐसा करने का कारण यह है कि राजस्व अधिकारियों को ऐसे मासलों की अच्छी जानकारी होती है और मिलिन न्यायालयों के मुकाबले में राजस्व न्यायालयों में अधिक सघीली और संरक्षित कार्यवाहियों की आवश्यकता भी है।² जिन मासलों में राजस्व न्यायालयों को प्रान्त्य अधिकारिता है उनमें दी गई दिक्षा को प्राप्त (Set aside) करने की ज़माना सिविल न्यायालय की नहीं है।³ परन्तु जो मासले दूषीय अनुमूली में उल्लिखित नहीं है उदाहरणार्थ कपट, अनियमिता,⁴ मानिषाना अधिकारों के प्रस्तुत इत्यादि।⁵ इसी भूमि के रहन दृढ़ाने की (फ़्रून रहन)

1. रिसना v. हेया, 1955 R.L.W. 180

2. 17 C. W. N. 1201

3. राम बासरे v. बंडलाय, AIR 1943 Oudh 106

4. ५० टेक्सोगार्ड v. पंचाहराय, 1948 Nag. 299

5. शानीनाय दोहर्यर v. भगवन मुहम्मद राहमार, 1917 Madras 276

की दिली की इजराय घब राजस्व न्यायालय के समाझा होता है ।¹

२०८. तिविद प्रोटीजर बोड का सामूहिक—तिविद प्रोटीजर बोड १९०८ (मिशन एष्ट ५, गव. १६०८) में उत्तराधिकार उनके जो,—

(क) इस अधिनियम की किसी भी बात से अंगठा है, अंगठी की सीमा ताड़,

(ख) केवल उन विविष्ट वादों पर कार्यवाहियों पर सामूहिक है जो इस अधिनियम के द्वेष में याहार है, और

(ग) चतुर्थ अनुगूढ़ी की प्रथम अनुगूढ़ी में अन्तविष्ट है,

चतुर्थ अनुगूढ़ी को द्वितीय गूढ़ी में बनाये गये पारवर्तनों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त वादों तथा अन्य कार्यवाहियों पर सामूहिक होते ।

टिप्पणी

राजस्वान रेवेन्यू कोर्टस् (प्रोसीजर एण्ड जुरिसडिकेशन) एष्ट १९५१ में ज.वा.दा. दीवानी को स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया गया था । राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया उक्त अधिनियम द्वारा शासित होनी थी और उसकी धारा ८ के नीचे तद्विवेक नियम भी बनाए गए थे । वे नियम भी सर्वांगत (exhaustive) नहीं थे और जामता दीवानी के सिद्धान्त राजस्व न्यायालयों पर लागू किए गए थे ।

आईडर ३६ नियम १ व २ उस अधिनियम को धारा २१२ के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं अतः इनके लिए यह समझा जाना चाहिए कि वे धारा २०८ के नीचे नामूने हैं ।²

२०९. वादी को कोई ऐसी सहायता देना जिसे पाने का यह हकदार हो—जिसी भी बाद या कार्यवाही में न्यायालय वादी के प्रार्थना-पत्र पर, आवश्यक बाद-पद बनाने के पदवात्, इस बात के होने हुए भी कि उक्त सहायता बाद-पत्र या प्रार्थना-पत्र में नहीं मांगी गई है, कोई भी ऐसी सहायता प्रदान कर सकता है जिसे प्रदान करने के लिये वह समय हो तथा जिसे प्राप्त करने का वादी को वह हकदार ठहराये :

किन्तु बाद-पद बनाने के पश्चात्, न्यायालय किसी भी प्रष्ठकार की प्रार्थना पर, साइर प्रस्तुत करने के लिये उचित समय दे सकता है ।

टिप्पणी

यह धारा मुकदमेवाजी में वृद्धि (multiplicity of case) से बचने और वादों को इस आधार पर खारिज होने से रोकने के लिए कि दावा किसी गलत धारा के नीचे पेश किया गया था अथवा कोई विशेष सहायता (Relief) दावे में नहीं मांगी गई अथवा दावा पेश करते समय उपलब्ध नहीं थी, बनाई गई है । इस धारा में दावा पेश होने के पश्चात् होने वाली घटनाएँ भी सम्मिलित हैं और इसका अधिकार अपील न्यायालय भी काम में ला सकते हैं ।³

1. गोदार v. माना, 1965 R.R.D. 112.

2. यो नवंदाप्रसाद v. स्टेट, 1964 R.R.D. 25

3. पुरंपर v. कुंबी 1943 R.D. 172

इस धारा को बनाने में विधान मंडल का उहै द्य किसानों को लम्बी मुकदमेवाजी और बठिनाइयों से बचाना था। इसमें वाद को संशोधित करने के उपबंध नहीं है परन्तु प्रार्थना पत्र पेश होने पर स्वयं न्यायालय को आवश्यक वाद पद बना कर आवश्यक शहादत लेकर उचित सहायता दे देनी चाहिए।¹

२१०. सद्भावना से किसी तीसरे व्यक्ति को भुगतान किया जाने को दसील पेश करने की दशा में कार्य-प्रणाली—जब किसी आसामी के विश्वद लगान की बकाया के लिये, इस परिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये किसी वाद या कार्यवाही में, आसामी यह दसील पेश करे कि उसने उस भूमि का उस समय का लगान जिसके विषय में वाद या कार्यवाही प्रस्तुत की गई है, किसी तीसरे व्यक्ति को सद्भावना से यह समझने हए मुगतान कर दिया है कि उक्त तीसरा व्यक्ति उक्त लगान को प्राप्त करने का हक रखता था तो न्यायालय उक्त आसामी के सचें पर, उक्त तीसरे व्यक्ति को वाद या कार्यवाही का एक पक्षकार बनायेगा और उक्त प्रश्न के विषय में जोन करके उसका निर्णय करेगा।

टिप्पणी

यह धारा केवल तभी लागू होगी जब कि आसामी ने संबंधित विवाद प्रस्त अवधि का लगान वास्तव में किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया हो और उस तीसरे व्यक्ति को उसने लगान का वास्तविक हकदार होने का सद्भावना पूर्वक विश्वास कर लिया हो। इस प्रवार यह धारा उस बक्त लागू नहीं होगी जब कि तहसीलदार ने धारा १७० (१) के नीचे आज्ञा दे दी हो और तीसरे व्यक्ति को लगान उसके बाद दिया गया हो। इसी प्रकार यदि मदयून डिक्टीदार को न्यायालय के बाहर अदायगी कर दे और आर्डर २२ नियम २ (२) C.P.C. के नीचे प्रमाणित नहीं करावे तो इस धारा का लाभ उसे नहीं मिल सकता।

२११. सह भागियों द्वारा वाद इत्यादि—(१) उपरारा (३) में अन्यथा उपरिषित होने के अतिरिक्त, जब किसी अधिकारी, हक या हित में दो या अधिक सहभागी हों तो अपेक्षित या अनुमति ये सभी कार्य जो उस पर आधित्य रखने वाले द्वारा किये जाने हैं उन सब के द्वारा संयुक्त हैं से किये जायेंगे जब तक कि उन्होंने अपने सब की ओर से काम फरने के लिये कोई ऐकेंट नियुक्त न कर दिया हो।

(२) उपरारा (१) की कोई भी शात रियो तेसे स्थानीय लिंग या विदिष्ट संविदा पर प्रमाद नहीं दर्जेगी जिसके अनुमार कोई सहभागी आसामी द्वारा देय सम्मुख समान को अपका अपने हिस्से को पृष्ठतया पाने वा हकदार हो।

+ (३) जब दो या अधिक सहभागियों में से कोई एक सहभागी फरने से वाद प्रस्तुत बरने या कार्यवाही फरने वा हक नहीं रखता हो और दो सहभागी, उन गव द्वारा विलाप यानु फरने योग्य रकम के लिये कार्यवाही या वाद में सम्मिलित होने के द्वारा फरवे हों तो, उन-

1. इसामादेनी ५. घोर्समा, १९६१ R.R.D. 226

+ श. प. २३ गव १९५६ द्वारा यथा संतोषित

यहमानो घण्टे हिस्ते के मिये, अविष्ट गहनागियों को प्रकार बताते हुए, अरेसा वाद पा कार्यवाही प्रस्तुत कर सकता है, मोर

(४) यदि इसी भूमिकेत्र का आसामी या उगाका अवैष अन्तर्ली उक्त भूमि के स्वामित्व में शाहपोती हो तो इस प्रयिनियम के उल्लंघनों के अन्तर्गत, उसे विच्छ, नाम आसामी या अवैष अन्तर्ली की हृतिपत्र में, लाये गये या दाखर किये गये तिगी वाद पा प्रत्यंत-पत्र में, इस पारा की कोई भी वाता, उसे गहनाशी या गहनार्थी बाते जौने वाली अपेक्षा नहीं करेगी ।

टिप्पणी

किसी भूमिकेत्र के आसामी को अथवा ऐसे भूमिकेत्र के अन्तर्ली जो उसके विवृद्ध किसी दावे अथवा आवेदन-पत्र में वादी नहीं बनाया जायगा ।^१ यह धारा अतोन्मो पर लागू नहीं होती^२ और न उसको नामों की प्रतिस्थापना (Substitution) के लिए काम में लाई जा सकती है ।

२१२. ध्यादेश (injunction) तथा रिसीवर की नियुक्ति का उपर्यंथ—(१) यदि इस प्रयिनियम के अन्तर्गत किसी वाद या कार्यवाही के द्वारा शपथ-पत्र पर या अन्य प्रकार से यह सिद्ध हो जाय कि—

(क) कोई सम्भालि किसके बारे में उक्त वाद या कार्यवाही तत्सम्बद्ध किसी पकार द्वारा दुष्प्रयोग किये जाने, अतिप्रस्त किये जाने या परकोहरण किये जाने (alienation) के सतरे में है, या

(ख) उक्त वाद या कार्यवाही से सम्बद्ध कोई पकार, न्याय के उद्देश्य को सफल न होने देने के अभिग्राह में उस सम्भालि को हटाने या उसका व्यपत (disposal) करने की घमकी देता है या विचार रखता है,

तो न्यायालय प्रस्थायो ध्यादेश जारी कर सकता है और यदि ध्यादेश हो तो एक रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है ।

(२) कोई व्यक्ति उपचारा (१) के अन्तर्गत जिसके विवृद्ध ध्यादेश जारी किया गया हो या जिसकी सम्भालि के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया हो, वाद या कार्यवाही का निर्णय उसके लिलाक हो जाने की दशा में, रिवायो पक्ष को अतिपूर्ति करने के लिये ऐसी रकम जो न्यायालय तय करे, की जानक अमानत दे सकेगा और जमानत की रकम जमा करने पर न्यायालय ध्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति की बाज़ा, यथास्थिति, को बाधित ले सकेगा ।

1. उपचारा (४)

2. गंगाधर v. ज्वालाप्रसाद, 1955 R.D. 366

टिप्पणी

१. विषय—इस घारा के बनने से पहले अस्थायी व्यादेश (व्यादेश, T. I.) राजस्व न्यायालयों की अनन्हित शक्तियों के अन्तर्गत^१ एवं राजस्व बोर्ड द्वारा बताए गए सिद्धांतों के अन्तर्गत दी जाती थी।^२ इस घारा में आर्डर ३६ व ४० C.P.C के उपबंध डाल दिए गए हैं। इस घारा के अंतर्गत दी गई आज्ञा न्यायालय की अगली आज्ञा तक अद्यता मामले के निर्णय तक जारी रहेगी।

अस्थायी व्यादेश स्थायी व्यादेश में इस हृष्टि से भिन्न होता है कि वह मुकदमे के गुणदोष मुनने से पहले दे दिया जाता है और गुणदोष पर निर्भर भी नहीं होता। स्थायी नियेधाज्ञा (व्यादेश) मुकदमे के गुणदोष का अंतिम विचारण होने के पश्चात् जारी की जाती है।

जट्ठां प्रतिवादी को जमीन नष्ट करने से रोक दिया जाय तो रिसीवर नियुक्त करना आवश्यक नहीं है।^३

अस्थायी नियेधाज्ञा जारी करना लाजिनी नहीं है, यह न्यायालय के विदेश पर निर्भर है।^४ वादी के पश्च में प्रत्यक्षनः मामला, अन्तर्राष्ट्रीय क्षति एवं मूलिक्य का संतुलन देखकर ही अस्थायी नियेधाज्ञा दी जानी चाहिए।^५ अस्थायी नियेधाज्ञा का उद्देश्य दावे की विषय वस्तु को मुरक्कित बनाए रखना है।^६

२. अधीक्षण—इस घारा के नीचे दो गई अंतरिम आज्ञा अन्य आज्ञा की माँति अरीत योग्य है और केवल एक ही अधीक्षण होगी। अधीक्षण में दी गई आज्ञा का पुनरोद्दारण हो सकेगा।

२१३. लग्न की व्यापाय की छिक्री के नियादन में लातेदार मासामी के हित का बेका जाना—(१) घारा ४२ के उपबंध के अधीन लातेदार मासामी का बनने मूलिकता या उपके दिसी हिस्से में निहित हित उक्त मूलिकेन के लगान की व्यापाय की छिक्री के विशद रूप में बेका जा सकता है और उक्त हित उक्त व्यापाय द्वारा ही खरीद न सिया जाय, गरीदार चौ, उक्त घारा (२) के अधीन रहने हए, उक्त मूलि-दीन या उनके दिसी हिस्से में वही हित प्राप्त होगा तथा उम्मे उम्मे में उम्मे वे ही दावित होंगे जो कि उक्त मासामी के थे।

(२) छिक्री का नियादन बरने वाला न्यायालय उपायारा (१) के अनुमार लातेदार मासामी के मूलि-दीन के बेकन दिसी हिस्से में निहित उम्मे के हित जो बेकने के पहिले बोर्ड द्वारा

1. रामेश्वरिह v. रठन, 1952 R.L.W. (R.S.) 79

2. दा० मूरवालिह v. राविला, 1954 R.L.W. (R.S.) 68

3. मुरोड विह v. मंगला, 1964 R.R.D. 240

4. पश्च v. हेत्र, 1964 R.R.O. 315

5. महलरामपरमदास v. देसरी, 1965 R.R.D. 69

6. अनोदाम v. ग्रहवाद, 1965 R.R.D. 120

बताये गये नियमों के अनुसार उत्तर भूमि-दीप के लगान को उत्तर हिस्से तथा भविष्यट हिस्से पर वितरित कर देगा ।

(३) जब उत्तर हित देवा जाय तो:—

(क) कोई तिकमी-आसामी, या

(ख) कोई इवि-जीवी या अभ्य थम-जीवी अथवा याम-सेवक जो उस गांव में रहता हो, या

(ग) कोई हृषक जो उस गांव में रहता हो, या

(घ) राज्य सरकार या गू-सम्पत्ति धारक के असाधा कोई भूमि-धारी या

(इ) गू-सम्पत्ति धारक,

उपरोक्त प्राथमिकता के अनुसार बिक्री की तारीख से १५ दिन के भीतर सबसे ऊंची बोली सरा कर, उक्त हित को प्राप्त करने का दावा कर सकता है ।

किन्तु यदि खण्ड (क) या (ग) में बताये गये वर्गों में से एक एक ही वर्ग के दो या अधिक व्यक्ति उक्त हित को प्राप्त करने का दावा करें तो अधिमान्यता उस दावेदार की दी जायगी जो उस गांव में सबसे कम क्षेत्रफल आसी जमीन में इषि करता हो और जब वे बराबर भूमि पर कानून करते हों तो दावे का निरांय निदिष्ट प्रणाली के अनुसार किया जायेगा :

+ किन्तु यह और है कि यदि खण्ड (ख) में बताये गये वर्ग में से एक ही वर्ग के दो या अधिक व्यक्ति उक्त हित को प्राप्त करने का दावा करें तो दावे का निरांय निदिष्ट प्रणाली के अनुसार किया जायगा ।

+ + [(४) उप-धारा (३) में किसी भार के होते हुए भी, यदि खातेदार आसामी विसका हित इस भार के अन्तर्गत बेचा गया हो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का सदस्य हो तो, खण्ड (क), (ख) तथा (ग) में बनाये गये किन्हीं वर्गों के प्रतिद्वन्द्वी दावेदारों में से उस वर्ग विशेष के दावेदार को अधिमान्यता दी जायगी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का सदस्य हो ।]

टिप्पणी

किसी भूमिक्षेत्र को उसके लगान की वकाया के लिए ही बेचा जा सकता है ।¹ भूमिक्षेत्र को किसी सिविल न्यायालय की डिक्टी अधिवा किसी राजस्व न्यायालय की अन्व डिक्टी की इजराय में नहीं बेचा जा सकता । इस धारा में यह अपेक्षित नहीं है कि भूमिक्षेत्र को बेचने से पूर्व उसे कुर्कि बिया जावे ।

२१४. इस अधिनियम के अन्तर्गत दावों की परिसीमा (मियाद, limitation)-(१) तृतीय अनुसूची में निदिष्ट वाद तथा प्रार्थना-पत्र उनके लिये उसमें निश्चित समय के भीतर दायर या प्रस्तुत किये जायेंगे और ऐसा प्रत्येक वाद या प्रार्थना-पत्र जो इस प्रकार विहित की गई अवधि की

+ रा. अ. २७ सन् १९५६ द्वारा यथा सशोधित ।

+ + रा. अ. २८ सन् १९५६ द्वारा निदिष्ट

1. चेता v. राजेन्द्रनाथ, 1943 R.D. 363.

समाप्ति के बाद दायर या प्रस्तुत किया जाय स्थारित कर दिया जायगा :

किन्तु यदि कोई बाद या प्रायंना-पत्र जिसके लिये उक्त प्रनुभूची द्वारा निर्धारित समय, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रभावशील किसी विधि द्वारा निर्धारित समय की अपेक्षा कम हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद आगामी छः महीने के भीतर या उक्त विधि द्वारा विहित परिसीमा के भीतर, जो भी पहिले समाप्त होती हो, दायर या प्रस्तुत किया जा सकेगा :

किन्तु यह और है कि ऐसा कोई बाद या प्रायंना-पत्र जिसके लिये उक्त प्रनुभूची द्वारा परिसीमा विहित की गई हो जिसके लिये उक्त विधि द्वारा कोई अवधि निर्धारित नहीं थी गई हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से गिनते हुए उक्त अनुभूची द्वारा विहित अवधि के भीतर दायर या प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(२) यदि कुपि संबंधी किसी आपत्ति (calamity) के कारण सकाम सत्ता की आज्ञा के अन्तर्गत लगान का मुण्डान स्थगित घार दिया गया हो तो ऐसे लगान की अनुभूची के निमित बाद के निये विहित की गई परिसीमा—अवधि की गणना बरने में स्थगन-समय छोड़ दिया जायगा ।

(३) उप-धारा (१) तथा (२) में निर्दिष्ट उपवधों के अधीन रहते हुए इंदियन नियमितेशन एकट १९०८ (इंग्रीज अधिनियम अं० ६ सन् १९०८) के उपवंश इस अधिनियम के अन्तर्गत या तदनुकरण में होने वाले बादों, अप्रीलों प्रायंना-पत्रों तथा कार्यवाहियों पर साझा होंगे ।

टिप्पणी

इस धारा में वे मियादें यताई-गई हैं जिनके बाद कोई दावा अथवा अन्य कार्यवाही दोपर नहीं की जा सकती^१। विभिन्न प्रकार के दावों का वर्णन और उस बान वा उल्लेख जिसके होने पर मियाद शुरू हो जाती है, यह अर्थ नहीं रखता कि इन वर्णनों वाला कोई दावा उस बाद-कारण के उत्तरान्त होने पर आवश्यक है जिसे कि कानून में मान रख दी गई है^२। कोई न्यायालय मुनाफ़ित (equity) के आधार पर मियाद से छूट नहीं दे सकता चाहे उससे किसी पक्षकार के प्रति कठोरता वर्णन न होती हा^३। फिर भी समुचित मापलों में कानून मियाद (भारतीय परिसीमा अधिनियम) के नीचे विलम्ब को भाक किया जा सकता है।

दोदर 'परमित बारण' की परिनाम बहों नहीं दी गई है। इस विषयक प्रदन प्रत्येक मामले के तरयों के अनुसार तद किए जाने चाहिए^४। इससे तात्पर्य है ऐसा कारण जो सम्बन्धित पक्षकार के नियंत्रण से बाहर हो^५।

२१५. देव न्यायालय युस्क—इस अधिनियम के अन्तर्गत यादों में या प्रायंना-पत्रों पर

1. हरिनाथ v. शोपूरबोहन, 21 Calcutta 8 P.C.

2. मुनिमिश्व बोइं सत्तन्द्र v. बासीपट्टा, A.I.R. 1944 पर्य 135.

3. जेरोडुपाम v. रामबद्दार, A.I.R. 1921, Allahabad 23.

4. मिया वप्पमिदा v. रामचन्द्र यांतुराम, A.I.R. 1938 Bombay 408

देय न्यायालय शुल्क वह होगा जो तृतीय अनुमूली के एठे स्तम्भ में निर्दिष्ट किया गया है :

+ [किन्तु राज्य सरकार हारा या उसकी ओर से प्रभुगत किये गये या दायर किये गये किसी बाद या प्रार्थना-पत्र पर कोई न्यायालय-शुल्क देय नहीं होगा ।]

टिप्पणी

यह धारा न्यायालय शुल्क अधिनियम की आसामियों के पद्धति में रूपान्तरित बरने के लिए बनाई गई है । जहाँ पर यह अधिनियम मौन है वहाँ न्यायालय शुल्क अधिनियम लागू होगा ।

न्यायालय की शक्तियाँ

२१६. राजस्व न्यायालय के बैठक का स्थान—(१) योई दावे के निर्णय के लिये + + [राज्य] में किसी भी स्थान पर बैठ सकता है ।

(२) + + + [राजस्व अपील प्राधिकारी अपने डिवीजन के भीतर किसी भी स्थान पर अपने न्यायालय की बैठक कर सकता है ।

(३) कलेक्टर, सब-डिवीजनल अफिसर या सहायक कलेक्टर, उस जिले, सब-डिवीजन या अन्य स्थानीय क्षेत्र जिसमें उसकी नियुक्ति हुई हो, के भीतर किसी भी स्थान पर अपने न्यायालय की बैठक कर सकता है ।

(४) तहसीलदार अपने न्यायालय की बैठक तहसील के भीतर किसी भी स्थान पर कर सकता है ।

२१७. विभिन्न श्रेणियों के राजस्व न्यायालयों की सापारण शक्तियाँ—(१) इस अधिनियम के अन्तर्गत बादों या प्रार्थना-पत्रों का निर्णय बरने के लिये सक्षम राजस्व न्यायालयों की विभिन्न श्रेणियाँ वे होंगी जो तृतीय अनुमूली के सातवें स्तम्भ में निर्दिष्ट की गई हैं ।

(२) उप-धारा (१) में किसी बात के होते हुए भी तहसीलदार को तदनुसार केवल उन्हीं बादों या प्रार्थना-पत्रों का निर्णय बरने की शक्ति होगी जिनमें राज्य सरकार पक्षकार न हो तथा जिनमें विषय-वस्तु की रकम या मूल्य तीन सौ रुपये से अधिक अन्य ऐसी उच्चतम-सीमा जो १०० रुपये से कम न हो, जिसका राज्य सरकार समय समय पर जातकीय राजपत्रमें अधिसूचना निकाल कर निर्देश करे, से अधिक न हो और जब कोई बाद या प्रार्थना-पत्र जो तृतीय अनुमूली में तहसीलदार की सक्षमता में होता निर्दिष्ट किया गया हो उक्त मूल्य या रकम से अधिक का हो या जो राज्य सरकार हारा या राज्य सरकार के खिलाफ दायर या प्रस्तुत किया गया हो तो उसकी सुनवाई व निर्णय, सहायक कलेक्टर करेगा ।

+ रा. अ. २७ सन् १९५६ द्वारा जोड़ा गया ।

+ + रा. अ. २ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित ।

+ + + रा. अ. ८ सन् १९६२ द्वारा प्रतिस्थापित ।

+ का रा. अ. २ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित ।

२१६. राजस्व व्यायालयों की स्वामाविक शक्तियाँ—पूर्ववर्ती धारा में निर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त—

(१) + [राजस्व व्यायालय प्रधिकारी] को, कलबटर, सबडिवीजनल आफिसर, सहायक कलबटर और तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।

(२) कलबटर की सबडिवीजनल आफिसर, सहायक कलबटर तथा तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।

(३) सबडिवीजनल आफिसर को सहायक कलबटर और तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।

(४) सहायक कलबटर को तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।

२१७. राजस्व व्यायालय की अतिरिक्त शक्तियाँ—(१) राज्य सरकार—

(क) इसी नामव तहसीलदार परो सहसीलदार की समस्त शक्तियाँ या उनमें से बोई शक्ति

(ख) इसी तहसीलदार को महायक कलबटर की समस्त शक्तियाँ या उनमें से बोई शक्ति,

(ग) इसी सहायक कलबटर परो सबडिवीजनल आफिसर या कलबटर की समस्त शक्तियाँ या उनमें से बोई शक्ति, प्रदान कर सकती है ।

(२) इन धारा के अन्तर्गत शक्तियों प्रदान एवन में राज्य सरकार व्यक्तियों को, उनके नाम में या पदाधिकारियों के यारों को नामांक्या; उनके नरसारी पदों के नाम में, समन्वय दर घटाती है ।

(३) जब इसी तहसील, सबडिवीजन, विनि या अन्य दीप्र में नियुक्त इसी पदाधिकारी, दिसदे नाम में एव धारा के अन्तर्गत बोई शक्तियों प्रदान की गई हों, का तबादला दूरी तहसील, सबडिवीजन, विनि या दीप्र में, समान प्रशासन के समान दृष्ट पर होता है, तो वह, जब उक्त प्रशासन अप्यथा घटाता न हो, वैसी दूसरी तहसील, सबडिवीजन, विनि या दीप्र में, इन धारा के अन्तर्गत दृष्टी शक्तियों में विनियित दृष्टा माना जायेगा ।

२१८. व्यायालय जिनमें दार्यवाही दायर की जायेगी—दृष्टी दृष्टुकी में गमन वाद और शार्यना-पत्र धारा २१७ के अन्तर्गतों के अनुगार उन्वा एवला वर्तने के लिये समन्वय निम्न-पत्र खेली के राजस्व व्यायालय में दायर या प्रत्युत लिये जायेंगे :

X | इन्तु पर्द इसी दीप्र में बोई सहायक कलबटर या एव विवेकनन आरिमद न हो तो उनमें से इसी के द्वारा इच्छापत्र वार या शार्यना-पत्र, उक्त दीप्र पर अदित्ताग्रिका रामने वारी राजस्व के व्यायालय में प्राप्तु लिये जायेंगे या दायर लिये जायेंगे ।

टिप्पणी

इन धारा की दायर ये जल्दी धारा १५ C.P.C. ने दी गई है और उनमें दायर दायरी

* रा. घ. ८ मन् १९५२ द्वारा प्रभिग्यात्रित ।

* राज्य अधिकारी मन् २३ मन् १९५५ द्वारा घोषा दिया ।

के स्थान वा उल्लेख किया गया है। प्रत्येक दाया और प्रार्पना-पत्र धारा २१७ के अनुसार निम्नलिखित राजस्व न्यायालय में पेश किया जायेगा। धारा २०७ में बताया गया है कि दूनीय अनुसूची में निदिष्ट प्रकार के समस्त दाये और प्रार्पना-पत्र राजस्व न्यायालयों द्वारा सुने और फैसल किये जायेंगे।

२२१. राजस्व न्यायालयों की अधीनस्थता—समस्त राजस्व न्यायालयों के ऊपर सामान्य अधीक्षण व नियन्त्रण योर्ड में निहित होगा तथा उक्त समस्त न्यायालय उक्त योर्ड के अधीन होंगे और उक्त अधीक्षण, नियन्त्रण का एवं अधीनस्थता के प्रयोग—

× (क) × × ×

- (क) किसी जिले के समस्त अधिकारीय कलबटर, सब डिवीजनल ऑफिसर, गहायक कलबटर और तहसीलदार उस जिले के कलबटर के अधीन होंगे,
- (ग) किसी सब डिवीजन के समस्त सहायक कलबटर तहसीलदार और नायब तहसीलदार, उस सबडिवीजन के सबडिवीजनल ऑफिसर के अधीन होंगे,
- (घ) किसी तहसील के समस्त अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार उस तहसील के तहसीलदार के अधीन होंगे।

अपीलें

२२२. जब तक इस अधिनियम द्वारा अनुमत न हो अपील नहीं होगी—किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री या आज्ञा की प्रपोल इस अधिनियम में की गई विवस्या से अन्यथा नहीं होगी।

२२३. मूल डिक्रियों की अपीलें—किसी मूल डिक्री की अपील—

- (१) यदि उक्त कोई डिक्री तहसीलदार द्वारा दी गई हो तो कलबटर को, और
- (२) यदि उक्त डिक्री किसी सहायक कलबटर, सब डिवीजनल ऑफिसर या कलबटर द्वारा दी गई हो तो, क्षि [राजस्व अपील प्राधिकारी] को।

होगी।

टिप्पणी

तहसीलदार, सहायक कलबटर, सब डिवीजनल ऑफिसर अध्यवा कलबटर द्वारा दी गई समस्त मूल डिक्रियों की अपील ही सकती है। इस धारा के नोचे अपील सिर्फ डिक्री की ही हो सकती है। किसी निर्णय में दिये गये किसी निष्कर्ष की अरीन नहीं होनी।^१ अपील न्यायालय कोई ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता जो शहादत के विलम्ब हो चाहे अपील की सुनवाई एक पक्षीय रूप में हा वयो न की गई हो।^२

× राजस्व अधिनियम संख्या ८ सन् १९६२ द्वारा विनुष्ट।

क्षि राज० अधि० संख्या ८ सन् १९६२ द्वारा प्रतिस्पावित।

1. करीम मिया v. जफराली, 1942 Bombay 279.

2. मूरा v. सादू, 1961 R.L.W. (R.S.) 106.

[३] यदि उत्तर आज्ञा राजस्व अपील प्राप्तिकारी द्वारा दी गई हो तो बोई नहीं होगी।

(२) इस धारा के अन्तर्गत अपील में पारित आज्ञा भी बोई परीक्षण नहीं होगी।

टिप्पणी

पुराने प्रधिनियम में सब आज्ञाओं की चाहे वे मूल आज्ञाएँ हो अथवा अपील में दी गई हो—अपील हो सकती थी।^१ वर्तमान धारा ना प्रभाव भीमित है और अब अपील में दी गई आज्ञा भी और अपील नहीं हो सकती। इस धारा में इसी आज्ञा की नेतृत्व एक अपील दी गई है। अपील का यह अधिकार केवल अनियम आज्ञा तक ही सीमित नहीं है और अन्यथा आज्ञा की भी अपील हो सकती है।^२ इस प्रावार मामले मूल वादों, प्रार्थना-पत्रों और कार्यवाहियों तथा धारा २२३ एवं २२४ के अन्तर्गत डिक्टियों के विष्ट अपील में दी गई आज्ञाओं की अपीलें हो सकती हैं। किसी आज्ञा की दूसरी अपील नहीं हो सकती।^३

२२६. किसी अपील को सरसरी तौर पर अस्वीकार करने की बोई की शर्ति—बोई किसी अपील को या तो स्वीकार कर सकेगा या सरसरी तौर पर अस्वीकार कर सकेगा।

टिप्पणी

सरसरी तौर पर अपील को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की शर्ति केवल बोई की है विसी अधीनस्थ राजस्व अपील न्यायालय को नहीं। अतः अधीनस्थ अपील न्यायालय किसी अपील को मिथाद बाहर होने पर भी सरसरी तौर पर अस्वीकार नहीं कर सकते।^४

इस धारा के नीचे सरसरी तौर पर अस्वीकृति की आज्ञा न्यायिक आज्ञा है और धारा २२६ के नीचे उसका पुनरावलोकन (नजरसानी) किया जा सकता है।^५

२२७. अनेमितता के कारण फिसो डिशो या आज्ञा को पलटा या उपाल्टरित न किया जाना—किसी कार्यवाही में पद्धो या वाद-हेतुओं के ऐसे दुसरों (Misjoinder) या नुटि या अनियमितता के कारण जिसका मुकदमे के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो कोई डिशी या आज्ञा अपील में न तो पन्दी जायेगी न सारभूत रूप में परिवर्तित की जायेगी और न पुनः अन्वेषण के लिये लोटाई (रिमाण्ड) जायेगी।

टिप्पणी

१. विषयः—इस धारा का उद्देश्य अपील न्यायालय को मुश्दमों की कार्यवाहियों

1. रामदास v. सीदाल, 1952 R.L.W. (R.S.) 67.

2. मुंघापू v. थोंडारमल, 1952 R.L.W. (R.S.) 35.

3. उपधारा (२)।

4. संस्कृत पाठ्याला vs. सदालू, 1942 A.W.R. 202.

5. भूत v. शिवहरख, 1948 R.D. 28.

में अनियमितता के सम्बन्ध में अधिक विवेक प्रयोग की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार यदि कोई निर्णय गुण दोष की हटाई से ठीक हो और न्यायालय को अधिकारिता में दिया गया हो तो प्राचीनिक (टेक्नोकल) अनियमितता के कारण उसे नहीं पलटा जाना चाहिए ।¹

२. धारा का प्रभाव भूतलक्षी है—इस धारा का प्रभाव भूतलक्षी है अतः सबस्त विचाराधीन अपीलों का नियमन इसके अनुसार होगा ।²

३. पुनः व्यवेषण (रिमाण्ड)—इस धारा के द्वारा किसी अनील प्राधिकारी द्वारा अनियमित रूप से दी गई रिमाण्ड की आज्ञा के दोष का परिहार हो जाता है जब तक कि यह नहीं बता दिया जाय कि ऐसी आज्ञा का मामले के गुण दोष पर प्रभाव नहीं है ।³ जहाँ कोई मामला किसी प्राथमिक आधार (प्रीलिमिनेरी पाइन्ट) पर फँसल नहीं किया गया हो वहाँ रिमाण्ड की आज्ञा न केवल अनियमित अपितु अवैध है और रिमाण्ड के बाद की सब कार्यवाहीयों शून्य होंगी ।⁴

२२८. अपीलों के नियम परिसीमा—(१) जिस छिकी या आज्ञा के विरुद्ध आपत्ति हो उसकी तारीख से तीस दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् उसको कोई अपील कलक्टर को नहीं होगी ।

(२) जिस छिकी या आज्ञा के विरुद्ध शिकायत (complaint) हो उसकी तारीख से ६० दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् उसको कोई अपील [राजस्व अपील प्रांगिकारी] को नहीं होगी ।

(३) जिस छिकी या आज्ञा के विरुद्ध शिकायत हो, उसकी तारीख से ९० दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात्, उसकी कोई अपील बोर्ड में नहीं होगी ।

टिप्पणी

परिसीमा (मिथाद) के प्रश्न पर न्यायालय को स्वयं विचार करनेना चाहिए चाहे उसे पक्षकारों द्वारा नहीं उठाया गया हो ।⁵

इस धारा में परिसीमा अधिनियम १६०८ की धारा ५ के समान उपचार नहीं है अतः उसमें विहित अवधि के पश्चात् पेश की गई अपील स्वारिज होने योग्य है ।⁶

जहाँ २७-१-६३ को नायव उहमीनदार ने एक तरफ़ आज्ञा दी जिसका ज्ञान पक्ष-

1. 1842-1896 अरावणा खनियम 282.

2. रुपनारायण vs. गोपालदेवी, 36 Cal. 780.

3. हेवेन्टनाथ vs. बनमत कुमार, 5 R.L.J. 328.

4. पापिनी चेटी vs. रघीशम नायडू, 32 Mad. 83.

5. राजस्वान अधिनियम संसदा ८ सन् १९६२ द्वारा प्रतिस्थापित ।

6. अनन्तराज ला vs. कुरुवान सांत, A.I.R. 1948 Nag. 41.

6. वालमुकन्द vs. बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू, 1954 R.R.D. 338.

अपील नहीं को जा सकती हो, के रेकार्ड को मंगवा सकेगा। और यदि ऐसा प्रतीत हो कि उस न्यायालय द्वारा

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया गया है जो विधि के प्रमुखार उसमें निहित नहीं है, या

(ख) उसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया गया है या

(ग) अपनी अधिकारिता के प्रयोग करने में अवैध रीति से अथवा सारवान अनियमितता से कार्य किया गया है,

तो बोर्ड उस मामले में ऐसी आज्ञा दे सकेगा जैसी वह उचित समझे ।

टिप्पणी

सिवा उन तीन प्रकार के मामलों में जिनका उल्लेख इस धारा में किया गया है बोर्ड को पुनरीक्षण के द्वारा हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।¹ जहाँ वैकल्पिक-प्रतिकार (Remedy) उपलब्ध होते हुए भी उसका लाभ नहीं उठाया जाय तो पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता।² पुनरीक्षण की अधिकारिता का प्रयोग बोर्ड करे, इसके लिए आवेदन-पत्र देना भी आवश्यक नहीं है।³ जहाँ अग्रील हो सकती हो पुनरीक्षण नहीं होगा।⁴ भारत रक्षा अधिनियम के नीचे कलमटर द्वारा दी गई आज्ञा राजस्व न्यायालय की आज्ञा नहीं होने से राजस्व बोर्ड द्वारा उसका पुनरीक्षण बोर्ड की अधिकारिता के बाहर है।⁵

जहाँ दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष एक से हों तो पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं होता चाहिए जब तक कि सारवान अनियमितता नहीं हुई हो। जा यात्र अधीनस्थ न्यायालय के विवेकाधीन हो उसमें बोर्ड को शाहदार का अपनी अर से अय लगा कर मुकदमे के गुण दोष पर अपना निर्णय प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए।⁶

२३१. हाई कोर्ट की बातों को मगवा भेजने की शक्ति:—हाई कोर्ट ऐने किसी वाद पा प्राप्तना-पत्र जिसका निर्णय किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा दिया गया हो, तथा जिसको अपील पारा २३६ के अन्तर्गत किसी सिविल न्यायालय में हो सकती हो परन्तु जिसकी अग्रील हाई कोर्ट में नहीं हो सकती हो, के रेकार्ड को मगवा सकेगा और यदि ऐसा प्रतीत हो कि सिविल या राजस्व न्यायालय ने :—

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या

1. मुख्यमान v. स्टेट, 1959 R. L. W. (R. S.) 8

2. मगवारा v. स्टेट, 1955 R. L. W. (R. S.) 39

3. रामचन्द्र v. प्रदातान, 1955 R. L. W. 138

4. द्वयगण v. मुआ, 1966 R. R. D. 100

5. द्वौनियन घोंड दंडिया v. मजमेर इनव, 1966 R. R. D. 159

6. गुरेन्द्रसिंह v. मंगला, 1964 R. R. D. 240

(च) उसमें ऐसे निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है, पर

(ग) अपनी अधिकारिता के प्रयोग करने में अर्द्ध रीति में अथवा सारदात अनियमितता से कार्य किया है,

तो हाई कोर्ट उसमें ऐसी आज्ञा दे सकेगा जैसी वह उचित नहीं ।

टिप्पणी

यह धारा सामग्री धारा ११५ C. P. C. की पुनरायृति है हालांकि अनुसूची चतुर्थ की सूची प्रधम में उसे राजस्व न्यायालयों पर लागू होना विशेष स्पष्ट में दिया है । अतः उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) की पुनरीक्षण अधिकारिता इम धारा की परिपि के भीतर ही है ।^१ अलवत्ता हाई कोर्ट को मह अधिकार है कि वह आवेदक के सामने दूसरा प्रतिकार (Remedy) होते हुए भी पुनरीक्षण में हस्तांशेष कर सकता है बश्ते कि ऐसा करने से मुकदमावाजी कम हो और विलम्ब एवं अनावश्यक लर्च से बचा जा सके ।^२

निर्देश

२३२. रेकार्ड मानवाने तथा घोड़ की निर्देश (रेफर) करने की शर्त :— कलबटर अपने अधीनस्थ विसी राजस्व न्यायालय द्वारा निर्दित या उसके गमक विचाराधीन पिसी वाद या कार्यवाही के रेकार्ड को, दी गई आज्ञा या वैधता या अधिकृत तथा कार्यवाही की नियमितता के सम्बन्ध में, स्वयं दो सनुष्ट करने वे अभिन्न या मानवासंवेगा और उमदा निरीक्षण वर सकेगा और यदि उसकी राय यह हो कि उस न्यायालय द्वारा दी गई आज्ञा या की गई कार्यवाही परिवर्तित, खण्डित या पलट दी जाने योग्य है तो वह उग्र मामले को अपनी राय के साथ घोड़ को निर्देशित कर देगा और तदुपरान्त घोड़ उस पर ऐसी आज्ञा दे देगा जो वह उचित समझे :—

अन्तु इस पारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, धारा २३९ के अन्तर्गत जाने वाले वार्डों अथवा कार्यवाही के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा ।

टिप्पणी

दियय :—इस धारा में घोड़ की निर्देशित (Referred) विए जाने वाले मामलों का उल्लेख किया गया है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ११३ और आईर ४६ इस अक्षियन्प्रम के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों पर लागू नहीं होते ।^३ निर्देश (रेफरेंस) वेवन रा० अ० प्रा० अथवा कलबटर के द्वारा ही विए जा सकते हैं ।^४

1. कोनजीता v. चिरजीताल, A. I. R. 1932 All 589

2. डिस्ट्रिक्ट घोड़ वहराहच v. रामेन्द्रप्रसाद सिंह 1944 O. W. N. 174

3. चतुर्थ अनुसूची, सूची 9

4. लूणकरण v. खेतम, 1955 R. L. W. (R. S.) 75

हाई कोर्ट में रेफरेंस करने की प्रक्रिया धारा -२४३ (१) में बताई गई है। जहां कोई न्यायालय स्वयं किसी वात का निर्णय कर सकता है तो निर्देश (रेफरेंस) नहीं किया जाना चाहिए।¹ बिना पक्षकारों को सुने और अपना दिमाग लगाए निर्देश कर देना उचित नहीं है।²

२. अपोल और निर्देश :—जहां कलबटर के समक्ष अपील विचाराधीन हो तो निर्देश नहीं किया जा सकता।³ यदि सम्बन्धिन आशा के विश्व अपील या पुनरीक्षण बोई में ही सकता हो तो भी निर्देश किया जा सकता है परन्तु निर्देश करने से पूर्व कलबटर से यह आशा की जानी है कि वह पक्षकारों को सुने।⁴

मामलों का अन्तरण

२३३. ऐवेन्यू बोर्ड द्वारा मामलों का अन्तरण :—बोर्ड, पर्याप्त कारण बतलाये जाने पर, किसी वाइ, कार्यवाही, ग्राहना-पत्र अथवा अपील को या किसी प्रकार के बाइ, कार्यवाहियों प्रायंना-पत्रों अथवा अपीलों के किसी वार्ड को एक राजस्व न्यायालय से किसी अन्य राजस्व न्यायालय को जो उसकी सुनवाई करने के लिये सक्षम हो, अन्तरित कर सकेगा।

+ २३४ X X X

२३५. कलबटर अथवा सब दिवीजनल आफिसर द्वारा मामलों का अन्तरण तथा उन्हें बापिस दिया जाना :—कलबटर, मा सब दिवीजनल आफिसर अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय से किसी मामले मा मामलों के किसी वार्ड को वापिस ले सकता है और ऐसे मामले या मामलों के ऐसे वार्ड पर स्वयं विचार कर सकता है अथवा उसे किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय में, जो उसकी सुनवाई करने के लिये सक्षम हो, प्रस्तुति कर सकता है।

+ २३६. X .X X

२३७. कलबटर, मा. सब, दिवीजनल आफिसर द्वारा मामलों का अन्तरण :—कलबटर अथवा सब दिवीजनल आफिसर अपने समक्ष विचाराधीन किसी मामले या किसी प्रकार के मामलों को, उसकी सुनवाई करने में सक्षम किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय को अन्तरित कर सकेगा।

२३८. हाई कोर्ट द्वारा राजस्व अपीलों का अन्तरण :—हाई कोर्ट पर्याप्त कारण बतलाये जाने या धारा २३६ की उपधारा (४) के अन्तर्गत किन्हीं अपीलों को, उस तिविल न्यायालय, जिसमें वे प्रस्तुत की गई हों, से, किसी अन्य सिविल न्यायालय को, जो उसकी सुनवाई करने के लिये सक्षम हो, अन्तरित कर सकेगा।

1. जेतदान v. बगसा, 1955 R. L. W. (R. S.) 110

2. गुणमिह v. स्टेट, 1962 R. L. W. (R. S.) 79: 1962 R. R. D. 191

3. विश्वेसर दयान, v. मापोमिह, 1964 R. R. D. 198

4. स्टेट v. मीरा, 1966 R. R. D. 44

+ रा० घ० ८ सन १९६२ द्वारा विनुक्त ।

राजस्व न्यायालयों के समव स्वामित्व के अधिकार का प्रश्न

२३६. स्वामित्व के अधिकार को रक्षीत प्रस्तुत किये जाने की दशा में वाप-प्रणाली—
 (१) यदि, राजस्व न्यायालय के समव दिसो वाद या कार्यवाही में, उग भूमि के सम्बन्ध में जो उस वाद या कार्यवाही की विषय—वस्तु है, स्वामित्व के अधिकार का प्रश्न उठाया जाय और उस प्रश्न का निर्णय सधार अधिकारिता रखते वासि सिविल न्यायालय द्वारा पढ़िने जानी किया जा चुका हो तो, उस राजस्व न्यायालय स्वामित्व के अधिकार के प्रश्न पर वाइन-पट (तारी) फिर करेगा और रेकार्ड पर, वेबल उसी वाद-पट के निर्णय सधार सिविल न्यायालय को भेज देगा।

स्पष्टीकरण—[१] स्वामित्व के अधिकार को उक्त दलीन, जो स्पष्टतया स्वीकार करने योग्य न हो और वेबल राजस्व न्यायालय की अधिकारिता को वहिदृत करने की इच्छा से की गई हो, इस घारा के अन्तर्गत, स्वामित्व के अधिकार का प्रश्न उत्पन्न करने वाली नहीं समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण—[२] स्वामित्व के अधिकार के प्रश्न में यह प्रश्न सम्मिलित नहीं है कि क्या भूमि “खुदाई” है।

(२) सिविल न्यायालय यदि आदेशक हो, तो वाद पद किर से कायम करने के बाद, वेबल उस वाद पद का ही निर्णय करेगा और अमिलेश को तत्सम्बन्धी अपने निर्णीत भत के साथ, उस राजस्व न्यायालय को वापिस कर देगा जिसने उसे भेजा था।

(३) राजस्व न्यायालय तब, जैते गए वाद पद (issue) के विषय में सिविल न्यायालय के निर्णीत भत को स्वीकार करते हुए, वाद का निर्णय करने के लिये अप्रसर होगा।

(४) राजस्व न्यायालय द्वारा उक्त वाद, जिसमें स्वामित्व के प्रधिकार के प्रश्न का निर्णय उप-घारा (२) के अन्तर्गत सिविल न्यायालय द्वारा किया गया हो, में दी गई इच्छी की अपील उस सिविल न्यायालय में की जायेगी जो वाद के मूल्यांकन का विवार करते हुए, उस न्यायालय की अपीलों की मुनबाई करने की अधिकारिता रखता हो जिसको कि स्वामित्व के अधिकार का वाद पद निर्देशित किया गया था।

(५) उप-घारा (४) के अन्तर्गत सिविल न्यायालय द्वारा अग्रीन में दी गई इच्छी या आज्ञा की दूसरी अपील, कोड पांक सिविल प्रोसीजर १६०८ (सेप्टेम्बर ५, बॉक १६०८) की घारा १०० में निर्दिष्ट प्राधारों में से किसी आधार पर, हाई कोर्ट में होगी।

टिप्पणी

१. विषय—स्वामित्व विषयक प्रश्नों पर निर्णय देने की अधिकारिता केवल मात्र सिविल न्यायालयों की है।^१ इस घारा को उपाधारा (१) तथ उसके स्पष्टीकरण में वताए गए अपवादों के अतिरिक्त इस विषयक उपवन्व वाध्यकर (Mandatary) है।^२ यदि

1. चारण देवीदान v. राजस्व मठल, A.I.R. 1955 N.U.C. (1049)

2. रामधाराई v. शिवकुमार, 1947 R.D. 381.

स्वामित्व के अधिकार सम्बन्ध में प्रश्न वास्तव में उत्तम होता हो तो अपीलकर्ता द्वारा द्वितीय अपील में भी उठाया जा सकता है यदि वह ऐसी साक्ष्य पर निर्भर नहीं हो जो रेकर्ड पर नहीं हो ।^१

२. सातेदारी अधिकार—सातेदारी अधिकार स्वामित्व विषयक अधिकार नहीं है क्योंकि सातेदार भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता । यदि कृपि अधिकार (टिनेसी) सम्बन्धी विवादों में हैसियत अथवा हक (टाइटल) का प्रश्न उठाया जाता है तो राजस्व न्यायालय उसे तय करने के लिए सक्षम है ।^२ परन्तु राजस्व बोर्ड ने इस निर्णय से एक मर्हीने पहले ही एक अन्य मुकदमे में यह निर्णय लिया था, कि जहाँ विश्वाद ग्रस्त भूमि को वादी अपने खुदकाशन की भूमि बताता है और प्रतिवादी उसमें सातेदारी अधिकार अर्जित कर नेना बताता है तो यह समझा जाना चाहिए कि स्वामित्व और अधिकारिता के प्रश्न उद्भूत हो गये हैं चाहे वे पक्षकारों द्वारा नहीं उठाए गए हैं और इसका निर्णय करने के लिए सिविल न्यायालय में निर्देश आवश्यक है ।^३ सादर निवेदन है कि श्री नारायण V. मु० गोरन के मुकदमे में दिया गया निर्णय अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है ।

३. वास्तविक करजा—जहाँ वास्तविक कर्जे के आधार पर स्वामित्व के अधिकार का दावा किया गया जब कि अपील के स्मरण पत्र में इस विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया तो राजस्व न्यायालय को अधिकारिता द्वीनने के प्रयास को अस्वीकार किया गया ।^४

४. व्यादेश (हृषम इस्तनाहौं) के दावे—जहाँ स्थायी व्यादेश के दावे में वादी ने अपने को पिछले सातेदार का दच्छक पुत्र होना बनाया तो उसकी हैसियत का प्रश्न गोण समझा गया और स्वामित्व के अधिकार से सम्बन्धित न माना जाकर प्रश्न को सिविल न्यायालय में निर्देशित नहीं किया गया ।^५

२४०. पारा २३६ के अन्तर्गत अपीलों के लिये परिसीमा तथा न्यायालय शुल्क—‘पूर्ववर्ती अन्तिम धारा की उपधारा (४) तथा (५) के अन्तर्गत अपीलों के सम्बन्ध में परिसीमा की अवधि तथा न्यायालय—गुनर बही होगा जो उन न्यायालयों में प्रस्तुत को जाने वाली सिविल अपीलों के लिये तत्समय प्रावहित हो ।

२४१. स्वामित्व के अधिकार के प्रश्न के निर्णय—हेतु अभिलेख में सामग्री उपसम्बन्ध न होने वी रद्दा में, अपीलों के बारे में प्रक्रिया—यदि धारा २३६ की उप-धारा (४) तथा (५) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अपील में, अपील न्यायालय के समझ स्वामित्व के अधिकार के प्रश्न

1. टिनेसी v. राजनारायणहि, 1955 R.D. 376.

2. धीनारायण v. मु० गोरन, 1965 R.R.D. 349.

3. रामचंद्र v. गुनाह कवर, 1965 R.R.D. 250.

4. नारायण v. विजनमास, 1965 R.R.D. 393.

5. धीमनी गुनाह बाई v. अमननिह, 1966 R.R.D. 123.

के निर्णय-हेतु धारावदयक समेत तात्परी उपलब्ध नहीं होती, यह— :

- (क) या तो भासते पो उस तिविल न्यायालय को प्रतिप्रे-गिर (रिमार्ट) कर देगा जिसने स्वामित्रव के अधिकार में वाद-पद का निर्णय दिया हो, या
- (ग) उस प्रश्न के साथगत में एक नया वाद-पद तिवर करके उसे विचार हेतु इसी अधीनस्थ सक्षम अधिकारिता रखने वाले तिविल न्यायालय को निर्देशित (रेफर) कर देगा ।

सिविल न्यायालय में टिनेसी के अधिकार का प्रश्न

२४२. सिविल न्यायालय में टिनेसी के अधिकार की दलील पेश की जाने की बात में प्रविधा—(१) यदि सिविल न्यायालय में कृपि-भूमि के सम्बन्ध में दायर किये गये किसी वाद में टिनेसी के अधिकार सम्बन्धी कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाय और उस प्रश्न का निर्णय सक्षम अधिकारिता रखने वाले तिविल न्यायालय द्वारा पहले तिविल निर्दिष्ट नहीं दिया गया हो तो, उक्त सिविल न्यायालय टिनेसी के अधिकार की दलील पर एक वाद पद तिवर करके अभिलेख को, केवल उसी वाद पद के निर्णय हेतु, समुचित राजस्व न्यायालय को प्रेपित कर देगा ।

स्पष्टीकरण—(१) टिनेसी की उक्त दलील (plea) को जो स्पष्टतया स्वीकार करने योग्य में हो और केवल सिविल न्यायालय की अधिकारिता को बहिष्कृत जाने के प्राप्ताय से दी गई हो; टिनेसी की दलील (plea) उत्पन्न करने वाली नहीं समझा जायेगा ।

(२) राजस्व न्यायालय यदि धारावदयक हो, वाद पद को पुनः तिवर करने के बाद केवल उसी वाद पद का निर्णय करके अभिलेख को, अपने निर्णीत मत के साथ उस सिविल न्यायालय को वापिस भेज देगा जिसमें उसे प्रेपित किया था ।

(३) सिविल न्यायालय, तब प्रेपित किये गये प्रश्न पर राजस्व न्यायालय के निर्णीत-मत को स्वीकार करते हुए, वाद का निर्णय करने के लिये अप्रसर होगा ।

(४) राजस्व न्यायालय का, उसे प्रेपित किए गए वाद पर निर्णीत-मत, अपेक्ष के अभिप्रायों के लिये, सिविल न्यायालय के निर्णीत-मत का अंग समझा जायेगा ।

टिप्पणी

१. विषय—धारा २३६ में वह प्रक्रिया बताई गई थी जो राजस्व न्यायालय में स्वामित्र के अधिकार सम्बन्धी प्रश्न उत्पन्न होने पर काम में लाई जानी है। इस धारा में वह प्रक्रिया बताई गई है जबकि सिविल न्यायालय में कृपि-अधिकार (टिनेसी) का प्रश्न उठाया जाय। चूंकि टिनेसी सम्बन्धी अधिकार का प्रश्न केवल राजस्व न्यायालय की अधिकारिता में है अतः तिविल न्यायालय को ऐसी सूख्त में एक वाद-पद तिवर करके उसे उचित निर्णय हेतु समुचित राजस्व न्यायालय में भेज देना चाहिए तिवा उन सूख्तों के जबकि ऐसा प्रश्न सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा पहले ही तय कर दिया गया हो अथवा जब ऐसा प्रश्न केवल तिविल न्यायालय की अधिकारिता को बहिष्कृत करने के आशय से किया गया हो ।

राजस्व न्यायालय से अभिनेत्र भेजने से पूर्व सिविल न्यायालय की अपता समावान इस विषय पर कर लेना चाहिए कि दावा वास्तव में कृपि भूमि में सम्बन्धित है।^१ सिविल न्यायालय को उन मामलों में, जो स्पष्टतः राजस्व न्यायालय को अधिकारिता में हो, कोई निर्णय देने का अधिकार नहीं है। अनः जहां पर अनुनोद (दादरसी) का कोई अंदर राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता हो तो उसमें सम्बन्धित अंश को सिविल न्यायालय में पेश किए जाने वाले दावे से निकाल देना चाहिए।^२

२. टिनेसी अधिकार—यह प्रश्न कि आया कोई संयुक्त हिन्दू परिवार अथवा उसका कोई संदर्भ आंसार्मी है या नहीं—टिनेसी अधिकार सम्बन्धी प्रश्न है।^३

३. अपील—संक्षम न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रश्न के बिन्दु कोई अग्रीत पेश नहीं की जा सकती है। इसके पश्चात् एक ही प्रतिकार (Rémedy) देंप रह जाता है और वह यह कि सिविल न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री की अरीन समुचित अरीन न्यायालय में पेश की जाय और तब राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रश्न की चुनौती दी जाए।^४

अधिकारिता सम्बन्धी विवाद

२४३. अधिकारिता के प्रश्न को हाई कोर्ट में निर्देशित करने की शक्ति—(१) यदि किसी सिविल या राजस्व न्यायालय को यह सन्देह हो कि आया वह किसी वाद, मामले, कार्य-वाही, प्रायंना-पत्र या अपील को प्रहण करने में सक्षम है, अथवा आया उसे बादी, प्रार्थी या अधीक्षक्ता को उस वाद, मामले, कार्य-वाही प्रायंना-पत्र या अपील को दूसरे प्रकार के न्यायालय में प्रस्तुत करने का भावेन देना चाहिए तो वह न्यायालय अभिनेत्र को, बरने सन्देह का कारण बताते हुए, हाई कोर्ट को प्रेपित कर सकता।

(२) जेवं कोई वाद, मामलों, कार्य-वाही, प्रायंना-पत्र या अरीन अधिकारिता के अंतर्गत के कारण यिसी सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा प्रस्तीकार किये जाने पर, तदनंदनात् दूसरे प्रकार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाय तो उक्त दूसरे प्रकार का न्यायालय, यदि वह पूर्वशर्ती न्यायालय के निर्णीत मत से असहमत हो, अभिनेत्र को अपनी असहमति के कारणों का विवरण देते हुए, हाई कोर्ट को प्रेपित कर देगा।

(३) उपर्याप्त (१) या उपर्याप्त (२) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में, यदि न्यायालय कंलंबटर के अधीनस्थ कोई राजस्व न्यायालय हो तो, कोई भी निर्देश इस शार के पूर्वामी प्रावधानों के अन्तर्गत कंलंबटर की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिता नहीं किया जायगा।

(४) निर्देश हेतु, इस प्रकार प्रेपित किये जाने पर, हाई कोर्ट उक्त न्यायालय को, या

1. मुहम्मद मेहदी v. बानकीदास, A.I.R. 1943 Oudh 307.

2. दारोक्त।

3. रामकरता v. पणकन्दन, 1944 R.D. 51.

4. किशनचंद v. मुहम्मद रबहा, A.I.R. 1931 All. 51.

तो मामले में प्रांगे कार्यवाही करने को या उत्तम वाद, प्रांगना-पत्र या अधीन को ऐसे अध्ययनालय में, जिसे वह उत्तम मामले पर विचार के लिये गदाम घोषित करे, प्रस्तुत करने के लिये लौटा देने की आज्ञा दे रहे हों।

(५) हाई कोर्ट की आज्ञा अनियम होगी और उन राजस्व न्यायालयों द्वारा मान्य होगी जो हाई कोर्ट अपना बोर्ड के अधीनस्थ हों।

टिप्पणी

इस अधिनियम के निर्वचन के सिलसिले में अधिकारिता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करने के लिए उच्च न्यायालय को अंतिम प्राधिकार दे दिया गया है। इस धारा के अन्तर्गत किसी विधिक प्रश्न पर उच्च न्यायालय में निर्देश (रेफरेंस) नहीं किया जा सकता परन्तु अभिलेख को इस प्रकार का निर्देश (डाइरेक्शन) प्राप्त करने के लिए प्रेषित कर देना चाहिए कि आया न्यायालय को वाद में कार्यवाही जारी रखनी चाहिए अपना वाद पत्र (प्लेट) को लौटा देना चाहिए।^१ यह धारा वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ कि दावा राजस्व न्यायालय द्वारा अधिकारिता के अभाव के आधार पर अस्वीकार (रिजेक्शन) कर दिया जाए और उसे बाद में सिविल न्यायालय में पेश किया जाए और वह न्यायालय राजस्व न्यायालय के निर्णय से असहमत हो।^२ इस धारा में अन्य न्यायालय में निर्देश (रेफरेंस) के लिए प्रावधान किया गया है त कि मुकदमों के अंतरण के लिए। हाई कोर्ट का काम अधीनस्थ न्यायालयों को सलाह देना नहीं है। जब अधीनस्थ न्यायालय वाद पद (तजकी) बनाने में ही गलती करें तो निर्देश (रेफरेंस) नहीं किया जा सकता।^३ जहाँ अपील में अतिरिक्त कमिशनर ने यह तय किया कि दावा सिविल न्यायालय द्वारा विचारणीय था और उस न्यायालय में पेश करने को दावा लौटा दिया तो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि अतिरिक्त कमिशनर की आज्ञा उचित नहीं थी और उसको हाई कोर्ट में निर्देश (रेफरेंस) करता चाहिए था।^४

२४४. अपील में यह बलोल(plea) पेश करना कि वाद गलत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था—जब सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किये गये किसी वाद में, अपील सिविल न्यायालय में होती हो तो यह प्राप्ति कि वाद गलत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, अपील न्यायालय द्वारा नहीं सुनी जायेगी जब तक कि वह प्राप्ति (objection) प्रथम न्यायालय में ही नहीं उठाई गई हो, और अपील-न्यायालय, अपील का निर्णय इस प्रकार करेगा मानो वह वाद सही न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

टिप्पणी

इस धारा का विषय केवल उन्हीं वादों तक सीमित है जो कि राजस्व अयवा सिविल

1. परमेश्वरीदास v. ओगुनलाल, A.I.R. 1944 All. 81.

2. दीरेन्द्र किशोर v. गोकुल, 1949 A.L.J. 267.

3. कमर v. सुखा, 1960 R.L.W. 395.

4. राजकुमार राजेन्द्रसिंह v. गगाबिशन, 1964 R.D. 150.

न्यायालय में पेश किए गए हों परन्तु जिनमें अपील केवल किसी सिविल न्यायालय में ही हो सकती हो।¹ अधिकारिता का दोष उन मामलों में नहीं मिटाया जा सकता जहाँ कि कोई बाद गलत तरीके से सिविल न्यायालय में पेश कर दिया गया हो और अपील राजस्व अपील प्राविकारी के पास उस राजस्व न्यायालय के निर्णय के विवर होती हो जिसके समझ कि वह पेश होना चाहिए था।² जहाँ दावा राजस्व न्यायालय में हो पेश किया गया हो तो यह धारा लागू नहीं होगी।³ इस धारा के अंतर्गत इस प्रकार की उक्त अपील में पेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि किसी बाद पद को पहली अदालत द्वारा धारा २४३ (३) के नीचे कलटर को निर्देशित किया जाना चाहिए था।⁴ इस धारा में अधिकारिता के सम्बन्ध में सीमावर्ती मामलों (border line cases) का निपटारा करने के लिए उत्तम प्रावधान है।⁵

२४५. आवृत्ति प्रथम न्यायालय में उठाई जाने को देखा में कार्य प्रणाली—(१) यदि जिसी ऐसे बाद में आपत्ति प्रथम न्यायालय में ही प्रस्तुत को गई हो और बाद के निरुद्योग-हेतु समस्त आवश्यक सामग्री अपील न्यायालय के समझ विद्यमान हो, तो अपील-न्यायालय अपील का एमला इस प्रकार करेगा मानो वह बाद उपर्युक्त न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

(२) यदि अपील न्यायालय के समझ वैसी समस्त सामग्री विद्यमान न हो और वह सामग्रे को लोटा दे या बाद पद स्थिर करके उन्हें विवार हेतु प्रतिप्रेरित करे या अतिरिक्त साधय दिये जाने की घरेवार करे तो वह अपनी आज्ञा को मा तो उस न्यायालय को जिसमें बाद प्रस्तुत किया गया हो अथवा ऐसे न्यायालय को जिसे वह उस बाद पर विचार करने के लिये सदाचम प्रोपित करे, निर्देशित बार सकेगा।

(३) ऐसी आज्ञा के सम्बन्ध में इस प्रावधार पर कि वह आज्ञा ऐसे न्यायालय को निर्देशित की गई है जो बाद पर विचार करने के लिये सदाचम नहीं है, कोई आपत्ति, अपील में या अन्यथा, न तो स्वीकार की जायगी न उठाई जायगी।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा को इसमें पहिले बाली धारा के साथ पढ़ा जाना चाहिए। वह धारा २४४ का हो प्रति-अंश है। इस धारा के उपबन्ध उन दावों पर लागू होंगे जो गलती से सिविल न्यायालय में पेश हो गए हों।⁶ यदि कोई दावा सिविल न्यायालय में

1. महादेव प्रमाद v. जोसनराम, A.I.R. 1947 Oudh 133.

2. चुदावत v. बकांती, A.I.R. 1948 Oudh 46.

3. मनुभक्त v. पटेश्वरी प्रमाद सिंह, A.I.R. 1946 All. 294.

4. बाकूनदान सिंह v. दूनेश्वरी, A.I.R. 1937 All. 105.

5. सौम-उल-मिसा v. दिल दूमेन, A.I.R. 1921 All. 112 : और द्वगननाथ v. मुमसाम, 1962 R.L.W. 349.

6. हामिद दूमेन v. बेलेस, A.I.R. 1944 All. 200.

पेश हो और उसकी अपील इस्टिक्ट जज के यहाँ होनी हो और इस्टिक्ट जज इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दावा राजस्व न्यायालय में पेश होना चाहिए था तो उसे दावे को खारिज नहीं करना चाहिए परन्तु अपील को उसी प्रकार निपटाना चाहिए मानो दावा सही न्यायालय में पेश किया गया था ।¹

२. धारा २४४ व २४५ में अन्तर—दोनों धाराओं का उद्देश्य सद्भावना पूर्वक की गई गतियों से उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण करना है। यदि युर की अदानत में अधिकारिता सम्बन्धी आपात्ति नहीं उठाई गई हो तो अपील न्यायालय उसे अपील में नहीं उठाने देगा और अपील में निर्णय उसी प्रकार करेगा मानो वाद सही न्यायालय में पेश किया गया था। दूसरी ओर यदि ऐसी आपात्ति पहले ही उठाई गई थी तो अपील न्यायालय इस धारा के नीचे अप्रसर होगा। यह धारा उन मामलों में सागू होगी जो सिविल एवं राजस्व न्यायालयों की अधिकारिता की सीमा पर्कि में हो ।²

अध्याय १६

विविध

२४६. राजस्व, साम इत्यादि को बकाया:—भूमि के सामन, या उसकी उपत्र में से साम की बकाया के लप में किसी रकम का हक रखने वाला कोई व्यक्ति उसे बमूल करने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है।

टिप्पणी

१. विषय:—इस प्रारा में प्रयुक्त शब्द 'कोई व्यक्ति' से अभिन्न भूमिधारी मा ठेकेदार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति से है। यदि भू-राजस्व किसी ऐसे व्यक्ति ने भुगतान कर दिया है जो कि एक सहभागी नहीं है तो उसकी वसूली के लिए इस धारा के अंतर्गत वाद लाया जायगा ।

२. प्रक्रिया:—इस धारा के अंतर्गत लाया जाने वाला वाद अनुसूची लूटीय के भाग प्रथम की मद संख्या ३१ से शासित होता है। धारा २१७ (२) के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसा वाद तहसीलदार के न्यायालय में पेश होगा ।

जितनी रकम का दावा किया जाय उसके मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क लगेगा ।

जिस दिन बकाया देय हो जाय उस दिन से तीन साल की मिथाद होगी ।

सहायक कलक्टर द्वारा दी गई डिक्टी की पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को और तहसीलदार की डिक्टी की पहली अपील कलक्टर के यहाँ होगी। पहली सूरत में दूसरी अपील बोर्ड को और दूसरी सूरत में राजस्व अपील प्राधिकारी के यहाँ होगी ।

1. बटाना कौर v. रामलगन, 2 R.D. 31.

2. सईद उलनिसा v. किशोरसेन, A.I.R., 1921 All. 112.

अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दो गई आज्ञा के विरुद्ध पुनरीक्षण केगा ।

२४७. भुगतान किये हुए राजस्व की वकाया के लिये वाद :—(१) कोई भू-सम्पत्ति-जिसने सहभागी द्वारा देय राजस्व की वकाया का भुगतान किया हो उस भुगतान की रकम के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है ।

(२) कोई भी सहभागी जिसने भू-सम्पत्तिधारक या अन्य सहभागी द्वारा देय राजस्व वकाया का भुगतान किया हो इस प्रकार भुगतान की गई रकम के लिये उक्त भू-सम्पत्ति-यथा सहभागी पर वाद प्रस्तुत कर सकता है ।

टिप्पणी

१. विषयः—इस घारा में सहभागियों द्वारा परस्पर वाद किये जाने का उपबन्ध यह सहभागियों को कानूनी प्रधिकार इस बात का देती है कि यदि किसी ने अपने नागियों की ओर से राजस्व की वकाया का भुगतान कर दिया हो अथवा उसे भुगतान ने को बाध्य किया गया हो तो वह अन्य सहभागियों से उस भुगतान की गई रकम वांपिस वसूली के लिए दावा कर सके और उसके इस प्रकार के कानूनी प्रधिकार इस घारा का कोई असर नहीं होगा कि उसने लाभों का संग्रह कर लिया हो ।^१ घारा (१) में बताया गया है कि यदि किसी भू-सम्पत्तिधारक ने अपने सहभागी ओर से राजस्व का भुगतान कर दिया हो तो वह उस पर दावा कर सकता है और घारा (२) में दिया गया है कि यदि किसी सहभागी ने भू-सम्पत्तिधारक अथवा अन्य सहभागी की ओर से भुगतान कर दिया हो तो वह भी यथा स्थित दावा कर सकता है । किसी सह-आसामी द्वारा दावा भी इसी घारा के अन्तर्गत होगा ।

२. न्यूनता ((Set off) ; का दावा : (बतेम)) :—इस घारा के नीचे न्यूनता (Set off) का अभिव्यक्तन (प्ली) उठाया जा सकता है—परन्तु न्यायालय को उस विचार करना स्वीकार करने से पूर्व यह स्थापित कर दिया जाना चाहिए कि आँड़ेर नियम ६ सि १ प्र० सं० की सब आवश्यकतायें पूरी कर दी गई हैं ।

^१ ३. प्रक्रिया :—उप घारा (१) वा (२) के 'अन्तर्गत भू-राजस्व' को वकाया के अप में भुगतान की गई रकम की वसूली के लिए दावा अनुमूलीय दृष्टीय भाग यथा के मद संस्था १२ के द्वारा शासित होगा तथा घारा २१७ (२) के उपबन्धों के प्रध्यधीन तहसीलदार के न्यायालय में पेश होगा ।

जितनी रकम का दावा किया गया हो उसके मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क लगेगा । जिस दिन भुगतान किया गया हो उससे तीन साल की मिवाद होगी ।

अपील एवं पुनरीक्षण पूर्वकी घारा की टिप्पणी में दो गई प्रक्रिया के अनुसार होगा ।

+ [२४८. इजारेशारों पा ठेकेदारों द्वारा या उसके विरुद्ध वाद :—पोई इजारेशार या ठेकेदार, भू-गम्भीरतापारक या उसके सहभागी या दोनों द्वारा देव राजम् ची बहाया के रूप में अपने द्वारा चुकाई गई किसी राम की वटुओं के लिये वाद दायर कर गयेगा और भू-गम्भीरतापारक या किसी सहभागी द्वारा उसकी ओर से चुकाई गई हिसी राम की वटुओं के लिये उसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है।]

२४६. हिसाब का नियटारा करने के लिये वाद :—पोई भी सहभागी, भू-गम्भीरतापारक पर या किसी अन्य सहभागी पर हिसाब के नियटारे हेतु उपा साम में अपने द्वितीये के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है।

टिप्पणी

१. विषय :—इस धारा के नीचे किया जाने वाला वाद हिसाब के लिए होता है अतः लेखों की जांच के पश्चात यदि कोई रकम आदी के दिम्ये निकले तो उसके भी विरुद्ध ढिकी दी जा सकती है।^१ यह वाद हिसाब फहमो के लिए होता है अतः लेखों की जांच के लिए प्राप्तक (रिसीवर) नियुक्त किया जा सकता है जो वादी व प्रतिवादी से लेखे (accounts) माग सकता है। किसी सहभागी के वारिस (Heir) अपने, मृत पिता को देव लाभों के लिए वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।^२ इसी प्रकार अभि हस्तांकिती (Assignee) भी इस धारा के नीचे वाद ला सकते हैं।^३

२. प्रारंभिक (इन्वाई) ढिकी :—ऐसे वादों में लेखों की जांच के लिए प्रारंभिक ढिकी दी जायगी हालांकि ऐसा न करने पर अन्तिम ढिका अवैध नहीं हो जाता। यदि उससे पक्षकारों को कोई नुकसान नहीं हुआ हो।^४

३. प्रक्रिया :—इस धारा के अंतर्गत वाद अनुसूची शृंखला के भाग प्रथम के मद संख्या ३४ द्वारा शासित होंगे और धारा २१७ (२) के उपवर्त्यों के अध्यधीन तहसीलदार के न्यायालय में पेश होंगे। वाद में अनुतोष (दादरसी) का जो मूल्याकान हो उसी के अनुसार न्यायालय शुल्क लगेगा। जिस दिन से लाभ वितरणीय हों उससे तीन साल की मियाद होगी। अराल और मुतरीजाए धारा २४६ के अनुसार होंगे।

२५०. कुछ मामलों में पर्यों का संशोङ्ग—यारा २४६ या धारा २१७ या धारा २४४ या धारा २४९ के अन्तर्गत किसी वाद में, वादी, दिवो ही व्यक्तियां पर संयुक्त रूप से वाद कर सकता है और ऐसे मामले की ढिको में यह निर्दिष्ट किया जायगा कि उक्त व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति किस सीमा तक उससे प्रभावित होता है।

+ राज० अधिन० २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित।

1. ग्रिजलाल v. राजकुमार, 1944 R. D. 95

2. बीबी अफजल सानून v. मुहम्मद इसमाइलखान, 1942 A. W. R. 147

3. उपरोक्त

4. पांडुरंग v. गुनवंतराव, A. I. R. 1928 Nag. 299

२५१. रास्ते तथा अन्य निजो सुखाचार (हिंजमैण्ट) के अधिकार— + [(१) उस दशा में जब कोई भूमिधारी जो वस्तुतः रास्ते के अधिकार, या अन्य सुखाचार या अधिकार का उपभोग कर रहा हो, अपने उक्त उपभोग में बिना उसकी सहमति के, विधि विहित प्रणाली से निश्च तरीके से, बाधित किया जाय, तहसीलदार, उक्त रूपेण बाधित भूमिधारी के प्रायंना-पत्र पर, तथा उक्त उपभोग एवं धाधा के विषय में सरसरी जांच करने के पश्चात्, धाधा यो हटाये जाने वी अधिवावं बंद किये जाने को और प्रार्थी भूमिधारी को पुनः उक्त उपभोग करने देने की आज्ञा, वे सकेगा चाहे उक्त रूपेण पुनः उपभोग किये जाने के विरुद्ध तहसीलदार के समक्ष ग्रन्थ कोई हक् स्थापित किया जाय ।]

(२) इस धारा के अन्तर्गत पारित कोई आज्ञा किसी व्यक्ति को ऐसे अधिकार या मुखाचार को स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगी जिसके लिये वह सकाम निविल न्यायालय में नियमित रीति से बाद प्रस्तुत फर के दावा कर सकता हो ।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा अधिनियम १२ सन् १९६१ द्वारा विल्कुल नए रूप से बनाई गई है । पुरानी धारा में एवं इसमें कुछ अन्तर इस प्रकार हैं—

(१) पहले वाली धारा तो अधिकार के विषय में विवाद होने पर ही वाम में साई जा सकती थी जब कि इसमें वास्तविक धाधा (disturbance) आवश्यक है ।

(२) विद्युली धारा का लाभ खेतों, बंजड़ भूमि के चरागाह या जल प्रवाह या स्त्रोत तक पहुँचने तक सीमित था, अब वह सब सुखाचारों एवं अधिकारों तक विस्तृत कर दी गई है ।

(३) पिछली धारा में मान्यता प्राप्त रास्ते व सड़कें (वे भी जो बन्दोवस्त में दर्ज थे) अपवर्जित (excluded) ये अब उन्हें सम्मिलित किया जा सकता है ।

(४) पहले विवाद का निर्णय पुराने रिवाज और सुविधा के आधार पर किया जाता था अब उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

(५) पहले तहसीलदार के निए भोका देखना कानूनन आवश्यक था अब ऐसी घात नहीं है ।

यह धारा मूलनक्षी नहीं है ।

२. प्रतिया—इस धारा के अंतर्गत आवेदन पत्र अनुसूची तृतीय के भाग द्वितीय के मद संस्था ८१ द्वारा शासित होंगे और तहसीलदार के सम्मुख पेश होंगे । न्यायालय शुल्क वैवल ५० रुपये का होगा । मियाद कुछ नहीं है परन्तु आवेदन पत्र केवल विवाद उत्पन्न होने पर ही पेश होना चाहिए ।

इस धारा के नीचे दी गई तहसीलदार की आज्ञा की अपील हो सकेगी । अपील + राम १२ सन् १९६१ द्वारा प्रतिस्थापित ।

कलमटर के यहां होगी। दूसरी परीज गढ़ी होगी परन्तु योई द्वारा मात्रा का गुनरीपाल किया जा सकेगा।

३. ग्राम पंचायतों के अधिकार विषयक अधिकृतता—राजस्थान सरकार ने अधिकृत सूचना संरेखा एक ६ (४१) रें वी/१० दिनांक १७-५-६३ के द्वारा इस धारा के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाने वा उपबन्ध कर दिया है परन्तु इससे तहसीलदारों की शक्तियों समाप्त नहीं हो गई हैं और अब उनको ये ग्राम पंचायतों को इस धारा के सम्बन्ध में समर्थता अधिकारिता (Concurrent Jurisdiction) है।

४. धारा सब प्रकार के मुख्याचारों व अधिकारों पर लागू है— अधिकारों के उपयोग में वाधा (disturbance) होने पर यह धारा सब प्रकार के मुख्याचार व अधिकारों पर लागू होती है। इसका प्रभाव केवल प्रार्थी के कठजे वाली भूमियों तक ही सीमित नहीं है।^१

२५२. आसामी, अर्यथ हप से सी गई रकमों के लिये प्रतिशर (मुआवजे) का हशदार होगा—यदि कोई व्यक्ति—

(१) जानवृक्ष कर लगान या साधर की वकाया के रूप में वाजिब रकम या मात्रा से अधिक रकम या उपज बसूल करता है, या

(२) लगान की वकाया पर व्याज इस अधिनियम द्वारा प्रनुभत दर से अधिक-८८ पर लेता है, या

(३) धारा ३४ के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या धारा ३४ और ३५ के उपबन्धों के अन्तर्गत नजराने (प्रेमियम) या उप-कर (cess) के रूप में ऐसी रकम बसूल करता है जो बसूल किये जाने योग्य नहीं है, या

(४) ऐसा लगान बसूल करता है जिसका मुगतान इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार माफ कर दिया गया है या स्थगन-अवधि की समाप्ति के पहिले, ऐसा लगान बसूल करता है जिसका मुगतान, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार स्थगित कर दिया गया है, या

(५) विना किसी उचित कारण के, लगान या साधर, के साते में, मुगतान की गई किसी रकम की, इस अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत जमा करता है,

तो, आसामी उस व्यक्ति से, उक्तहेतु बसूल की गई, सी गई, अवधा जमा की गई रकम या उपज के मूल्य के अतिरिक्त, ऐसा प्रतिशर (मुआवजा) जो सी रपये से अधिक न हो, तथा जिसकी कि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इक्की पारित करे, बसूल करने का अधिकारी होगा।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा आसामियों के संरक्षण के लिए बनाई गई है और इसके उपबन्ध वाध्यकर हैं। इस धारा के प्रयाजनर्थ शब्द 'लगान' में 'सापर' भी सम्मिलित है। फर भी यह धारा अपूर्ण है। बसूलों राजस्व न्यायालयों द्वारा करने के लिए स्पष्ट प्रावधान

होता चाहिए था ।

२. प्रतिष्ठा—इस धारा के नीचे दिया गया प्रतिकार (Remedy) के लिए तहसीलदार के पास आवेदन पत्र देना चाहिए । ऐसा आवेदन पत्र हनीय अनुसूची के भाग २ के मद संख्या ८२ द्वारा शासित होगा परन्तु यह धारा २१७ (२) के अध्यवीन होगा ।

ऐसे आवेदन पत्र पर ५० पैसे न्यायालय शुल्क लगेगा । मियाद कुछ नहीं है ।

तहसीलदार, या न्यायालय कलबटर की आज्ञा के विवर एक ही अपील दी गई है । अपील में कलबटर, या न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा के विवर पुनरीक्षण बोर्ड में होगा ।

२५३. रसीद देने में विकलता—(१) जब लगान की बकाया-हेतु किसी बाद में, न्यायालय को यह मालूम पड़े, कि राज्य सरकार के सिवाय अन्य किसी भूमिघारी ने, बिना उचित कारण के, धारा १३५ द्वारा निर्धारित तरीके से आसामी को रसीद देने से इन्कार किया है अयवा लापरवाही की है या रसीद तैयार करने या उसकी दूसरी परत (कारप्टर कॉर्याल) तैयार करने या रखने में लापरवाही की है तो न्यायालय आसामी को ऐसा मुप्रावजा दिलाएकरता है जो भुगतान किये हुए लगान की रकम या मूल्य के दुगुने से अधिक न हो एवं जिसके लिये कि वह डिक्टी पारित करे ।

(२) यदि कोई व्यक्ति, धारा १३५ के उपबन्धों के अनुसार रसीद देने से अभ्यस्ततया मना या, लापरवाही करता है तो वह दण्ड न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष होने पर ऐसे जुर्माने का मार्गी होगा जो दो सौ रुपये से अधिक नहीं हो ।

टिप्पणी

उपधारा (१)-में, राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य भूमिघारी द्वारा आसामी को रसीद न देने या नियमानुसार आज़ररण न करने पर आसामी को प्रतिकर (मुशावजा) दिलाये जाने का प्रावधान है और उपधारा (२) में किसी भूमिघारी द्वारा आदतन ऐसा करने पर फोजदारी न्यायालय द्वारा दण्ड दिया जाने का प्रावधान है ।

२५४. इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये कार्य का संरक्षण—(१) राज्य सरकार के विस्तर इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत नियमित किसी नियम के अन्तर्गत किये गये, अपवा आधिकारित किसी कार्य के कारण कोई बाद या अन्य विधिक कार्यवाही, नहीं की जा सकेगी ।

(२) इस अधिनियम या तदन्तर्गत नियमित किसी नियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा उद्भावना से किये गये किसी कार्य या सद्भावना से किसी कार्य को करने का आदाय रक्खने के किये कोई बाद या विपरिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

२५५. लग्नों आवि की वस्त्रो—इस अधिनियम या उद्भावना नियमों के अन्तर्गत, राज्य सरकार को देय समात स्थानीय कर, सचें, व्याप, चार्ज, फार्से, जुर्माने, राहितयों, मुशावजे, और अन्य रकमें, जब तक उनके विषय में विशेष रूप से अन्यथा उपबन्ध नहीं कर दिया गया

हो, राजस्व वी व्यायाम की तरह यगून रिये जायेगे।

२५६. तिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक—(१) इस अधिनियम के अन्तर्गत या इसके द्वारा विशेष रूप से अन्यथा उपचारित दाता के अतिरिक्त, इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत निमित नियमों से पैदा होने वाले किसी भी मामले जिसके प्रतिकार स्वरूप उगम वाद, प्रार्थना-पत्र, आपील या अन्य रूप में उपचारित बी हुई है, के गत्यन्य में विसी निविल न्यायालय में कोई वाद या वार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(२) ऊपर बताये गये अनुसार के अतिरिक्त, इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत नियमों द्वारा प्रदत्त व्यायालयों के प्रयोग में, राज्य सरकार द्वारा या विसी राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा पारित किये गये भादेश पर किसी तिविल न्यायालय में, कोई आपत्ति नहीं उठाई जायेगी।

टिप्पणी

१. विषय—धारा २०७ में घटाया गया है कि अनुसूची तृतीय में विनिर्दिष्ट वादों व आवेदनों के लिए केवल राजस्व न्यायालय को ही अधिकारिता (Jurisdiction) होगी। इस धारा में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता उन सब मामलों में भी वर्जित कर दी गई है जिनके लिए वाद, आवेदनपत्र, आपील इत्यादि के द्वारा कोई प्रतिकार बताया गया है। इस प्रकार जहाँ तक अनुसूची तृतीय में बताए गए मामलों के निर्णय का एक मात्र अधिकार केवल राजस्व न्यायालयों को दिया गया है। राजस्व न्यायालय द्वारा अधिकारिता के प्रयोग से मना कर दिए जाने पर भी ऐसे मामलों में सिविल न्यायालयों को अधिकारिता नहीं मिल जाती।¹

२. उपधारा (२)—इस उपधारा में राज्य सरकार, उसके अधिकारियों तथा राजस्व न्यायालयों को संरक्षण प्रदान किया गया है। परन्तु इससे हाई कोर्ट के रिट जारी करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सके कि आपा राजस्व न्यायालयों ने अपने कार्य कानून के प्रावधानों के अनुसार किए हैं या नहीं।²

२५७ सरकार को नियम घनाने की शक्ति—(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपचारों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, शासकीय राजपत्र + में अधिसूचना के जरिये नियम घना सकती है।

(२) विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की ध्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव दाले विना ऐसे नियमों द्वारा निम्नलिखित समस्त विषयों की या उनमें से किसी के लिये उपचार दिया जा सकेगा, अर्थात्

1. गुण्डरलाल v. कफायत हुसेन, 1924, 7 R. D. 529

2. मौगाप्या का मुकदमा, A. I. R. 1940 रंगून 84

+ रा० य० २ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित।

[१] इस अधिनियम के अन्तर्गत देय प्रत्यक्ष (फीस)

[२] × × × क्षे

[३] पट्टों, प्रतिलिपियों और इकारारनामों का प्रमाणीकरण,

[४] × × × क्षे

[५] कोई भी विषय जिसको, इस अधिनियम के किसी भी उपचरण के अन्तर्गत विहित किया जाना है या किया जा सकता है या जिसके लिये उन्हें किसी उपचरण के अनुमार राज्य सरकार द्वारा नियम बनाये जाने हों या बनाये जा सकते हों ।

२५८. बोड़ की नियम बनाने की शक्ति—(१) बोड़, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, तथा [शासकीय राजपत्र] + में अधिसूचना के जरिये, इस अधिनियम की तथा घारा २५७ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों की समति में, नियम बना सकती है ।

(२) ऐसे नियम विशेषतः तथा पूर्दंगामी शक्ति को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव हुये थिना निम्नलिखित के लिये उपचरण कर सकते हैं—

[१] लगान के निर्धारण, वृद्धि, कमो तथा अवश्यकतान करने में अफसरों के पथ-प्रदर्शन के लिये,

[२] इस अधिनियम के अन्तर्गत वादों तथा प्रार्थना-पत्रों का निएंय करने वाले अफसरों के पथ-प्रदर्शन के लिये,

[३] इस अधिनियम के अन्तर्गत वादों तथा प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में अनुकरणीय प्रणाली के विषय में,

[४] राजस्व व्यायालयों द्वारा मामलों के अन्तरण के विषय में,

[५] जिन व्यक्तियों के समझ तथा जिस रीति से धारण-पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं और जो माध्यमे दायर-पत्रों द्वारा साक्षित विये जा सकते हैं उनके विषय में,

[६] भूमि के जिस भाग से भासामी को बेइक्सल किया जाना है उसका जिन सिद्धान्तों पर निर्भयन हो सकता है उन सिद्धान्तों और वेसे भाग के सीमा-बंधन (demarcation) के विषय में,

[७] इस अधिनियम के उपचरणों और उनके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अन्तर्गत सामाय गये जुर्मानों, निर्णीति मुआवजा या भुगतान करने के लिये आदेशित रकमों, नुकसानों, घयवा अन्य रकमों की वसूली के लिये,

[८] सगान-दर पदाधिकारियों के पथ-प्रदर्शन के लिये,

[९] भूमि में या भूमि के किसी भाग में भासामी के निहित हित के विक्रय द्वारा सगान की बकाया की डिक्टी का निपादन करने में अफसरों के पथ-प्रदर्शन के लिये,

के राज० अधिर० संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा विनुक्त ।

+ राजस्वान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्पानित ।

[१०] ऐसे गद मामलों के लिये जो इस अधिनियम के विभी उपबन्ध के अन्तर्गत विहित किये जा सकते हैं या किये जाने अपेक्षित हैं या जिनके लिये ऐसे विभी उपबन्ध द्वारा, राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा अन्य के द्वारा नियम बनाये जा सकते हैं या बनाये जाने अपेक्षित हैं, और

[११] इस अधिनियम के उपबन्धों तथा घारा २५७ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों को सामान्य रूप से कार्य रूप में परिणित करने के लिये।

२५९. नियमों का पूर्व-प्रकाशन की दार्त के अधीन होना— (१) घारा २५७ और २५८ के अन्तर्गत बनाये गये समस्त नियम उनके पूर्व-प्रकाशन की दार्त के अधीन होंगे तथा जनरल कलोजिज एक्ट १८६७ (मेण्टल एक्ट १०, सन् १८६७) की घारा २३ के सण (१) के अन्तर्गत निविष्ट की जाने वाली तारीख व उस तारीख से जिसको प्रस्तावित नियमों का अन्तिम प्राप्त प्रकाशित किया जाय, कम से कम एक माह आगे की होगी।

(२) इस अधिनियम के अन्तर्गत निमित समस्त नियम, निमित हो जाने के पश्चात्, यथा समव, दीघ, किन्तु कम से कम १४ दिन पहिले राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जायें।

+ [२६०. अपवाह—इस अधिनियम में अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में कोई बात किसी रूप में राजस्थान भू-दान एक्ट १९५४ (राजस्थान एक्ट १६, सन् १९५४) के उपबन्धों तथा उद्दार्थांत बनाये गये नियमों में या उन उपबन्धों के 'अन्तर्गत या उनके अनुसार की गई या की हुई समझी गई बात को प्रभावित नहीं करेगी।]

टिप्पणी

यह घारा प्रथम संशोधन, १९५६ के द्वारा निविष्ट की गई थी। भूदान अधिनियम अपने विषय पर संपूर्ण कानून है, जिसके बनाने का उद्देश्य भूदान यज्ञ बोर्डों की स्थापना की सुविधाजनक बनाना है। उक्त अधिनियम के द्वारा भूमि का स्वामी अपनी भूमि भूदान यज्ञ बोर्ड को दान दें सकता है—तत्पश्चात् उस भूमि का स्वामित्व उस बोर्ड में निहित हो जायगा। भूदान यज्ञ बोर्ड ऐसे एकत्रित भूमि को वितरित करने में समर्थ होगा।

+ 'राज' अधिं संवया २७ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट।

प्रथम अनुसूची

विखण्डित की गई अधिनियमितियों का सूची

[देलिये धारा ३ (१)]

क्रम सं.	अधिनियमिति का मंदिरत दीर्घक	विखण्डन की सीमा
१	२	३
१.	बून्ही टिनेसी एकट—सम्पूर्ण	
२.	बीकानेर टिनेसी एकट १६४५—सम्पूर्ण	
३.	मारवाड टिनेसी एकट १६४६—सम्पूर्ण	
४.	जयपुर टिनेसी एकट १६४—सम्पूर्ण	
५.	जयपुर स्टेट प्रांट्रस लेण्ड टेण्योम एकट १६४७—पैमायद, रेकार्ड व बन्दोबस्त से सम्बन्धित उपवर्धो के अलावा सम्पूर्ण।	
६.	राजस्थान रिसूवल बॉफ ट्रीज (रेमूरेशन) आडिनेस १९४६—सम्पूर्ण	
७.	राजस्थान प्रोटेक्शन ब्रॉफ टिनेट्रस आडिनेस १६४६—सम्पूर्ण	
८.	राजस्थान प्रोटेक्शन ब्रॉफ टिनेट्रस आडिनेस (एमेण्डमेंट) एकट १६५२—सम्पूर्ण	
९.	राजस्थान (प्रोटेक्शन ब्रॉफ टिनेट्रस) एमेण्डमेंट एकट १६५४—सम्पूर्ण	
१०.	राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट्र (प्रोसीजर एण्ड बुरिसडिगन) एकट १९५१—	पैमायद, रेकार्ड व बन्दोबस्त से सम्बन्धित उपवर्धो के अलावा सम्पूर्ण।
११.	राजस्थान प्रोटेक्शन रेण्ट्रस रेग्युलेटिंग एकट १९१—सम्पूर्ण	
१२.	राजस्थान एयोवल्वरल रेण्ट्रम कान्ट्रोल एकट १६५४—सम्पूर्ण	

द्वितीय अनुयूची

जागीर-भूमि के भोगाधिकार

[देशिये पारा ५ का गण्ड (२२)]

क्रम सं०	भोगाधिकार	क्रम सं०	भोगाधिकार
१	२	३	४
१.	जागीर	२.	इस्तमरार
३.	चकीती	४.	तनवा
५.	सूबा	६.	मासला
७.	इनाम	८.	लालबी
९.	कागी	१०.	धलूका
११.	घोलपुर स्टेट के ठिसाने	१२.	खिदमत
१३.	खानपान	१४.	आवदाद सीगड़
१५.	मुग्राकी	१६.	टाकेदार
१७.	भौम	१८.	रानाधी
१९.	चाकराना	२०.	पेट शेटी
२१.	राजबी	२२.	हाजीमी
२३.	भोगता	२४.	मुतसदी
२५.	हजूरी	२६.	दांतन
२७.	खवास पासवान	२८.	रिसाला
२९.	मर्जीदान	३०.	पट्टे
३१.	उदक	३२.	मुजारा
३३.	जूना जागीर	३४.	भौमिचारा
३५.	पसायना	३६.	वाद
३७.	दुम्हा	३८.	डोली
३८.	मिलक	४०.	पुष्पार्घ
४.	घमदा	४२.	इवारा इस्तमरार
४३.	बापोती	४४.	बहशीर
४५.	राज्य द्वारा भूमि-प्रतुदान की कोई अन्य विस्मय या भोगाधिकार ।		

दूसी प्रक्रिया अनुबूति

अधिनियम के अन्तर्गत दावे, आवेदन-पत्र तथा अपीले

[दृष्टिपात्र २०७, २१४, २१५ तथा २१७]

नोटः—एस अनुबूति में कोई फ्रांस पट के निर्देशन के दृष्टिपात्र संहार के कोठं कीम एक १८०, जैसा कि यह राजस्थान में मनुक्तित दिया गया है, के निर्देशन समझे जायें।

क्रम संख्या	अपि- तियम प्राप्ति	पाद, आवेदन-पत्र या अपील का विवरण		ग्रन्थालय (प्रियाचि) की अवधि	यह समय जब से अधिक सामाजिक होता है।	यापोचित व्यापास इ शुल्क न्यायालय द्वारा अधिकारी जो नियंत्रण करते के लिये सधार है :	(२८)
		मास	वार्ष				
१	३२	पट्टा या उत्तरी ब्रह्मपुराने हेतु		कुछ नहीं	कुछ नहीं	सहायक कलश्वर	
२	५१	पाद तोपित किया गया मुमिं केन के विभाजन का याद समर्पण के नोटिस को प्रमाण प्राप्तने हेतु याद		कुछ नहीं एक महीना	कुछ नहीं तीव्रिक तारीख	सहायक कलश्वर सहायक कलश्वर	
३	५२	यादी के हक को प्रोपता का याद— १—यहोर आपामी या २—यहोर जातामी युद्धश्वर या ३—यहोर तिकानी जातामी या ४—गंगुल कालश्वरारी में हिस्पे के लिये		कुछ नहीं	कुछ नहीं	सहायक कलश्वर	

जैसा गांवेदार घासामी
या सुमिष्ठरी यथा—
रियनि, के नामकर मे
होता है ।

जैसा गांवेदार घासामी
या सुमिष्ठरी यथा—
रियनि, के सम्बन्ध मे
होता है ।

उपबन-यारियों द्वारा या उनके
विवरण अधिकारों की घोषणा तथा
उन अध्यायों में उल्लिखित विषयों के
निए वाद ।
एवं प्राप्ति के साथ
गठते हुए ।

११५ को इजारेदार व टेंटेदारों द्वारा या
अध्याय १११ के उल्लिखित
६ तथा १० के
नियमित विषयों के सम्बन्ध में वाद ।
गठते हुए ।

२०२ इजारेदार या टेंटेदार की वेदात्मके
निए वाद ।

कुछ नहीं

५० दसे

गदायक भारत

२०३ इजारेदारों या टेंटेदारों द्वारा
मुपावेन के लिए वाद ।

कुछ नहीं

जैसा कोट फोन ५८२

जैसा गांवेदार घासामी
या सुमिष्ठरी यथा—
रियनि, के नामकर मे
होता है ।

२४६ राजस्व लगान या मुनाफा की
बकाया के लिए वाद ।

कुछ नहीं

जैसा गांवेदार घासामी
या सुमिष्ठरी यथा—
रियनि, के नामकर मे
होता है ।

२४७ (१) सहभागी या (२) मूः-सपत्नि-
यारो के लाने में राजस्व या
बकाया के लिए में चुकाई गई
रकम के लिए वाद ।

कुछ नहीं

जैसा गांवेदार घासामी
या सुमिष्ठरी यथा—
रियनि, के नामकर मे
होता है ।

क्रम संख्या	अधिकृत- निष्पादन की सारा	परिलीमा (नियाइ) की अवधि	यह समय वह से पश्चात् का पारदर्श होता है।	योग्यिता समाप्त युक्ति का पारदर्श होता है।	योग्यिता समाप्त युक्ति का पारदर्श होता है।
३३	२८८	इत्यरेतारीं पा देक्षेदारों दारा या उनके विकल्प राजस्व पा लगान दी बकाया के लक्ष में ही पौर्ण रकम की पात्रता का बाद।	३ साल	जब युगलाक दिया रासा हो।	जब युगलाक दिया रासा हो।
३४	२९५	हिताव तथ फारने और मुकाफ के लिए बाद।	“	जब मुकाफ विभाग- योग्य हो जाए।	“
३५	सामान्य	इस परिविष्ट के घरानेत उत्तरन होने वाले किसी ऐसे कारण मामले के प्रियंका ही पाद बिरकी, इस तूची में प्रायः बहुती विवेदणः प्रवरप्त्य न हो।	१ साल	जब दादेश्वर का बारह उत्तरन हो।	५० वर्षे सदायक कलाश्वर
३६	१५ (३)	मात्र २— सांवेदन—पन	३ साल	परिविष्ट के मारम्भ होने की तारीख	२५ वर्षे
३७	१५ (२)	सांवेदन के लिए पांचवें—पन।	४ साल	“	“
३८	१२ (२)	मूल्य में रातेश्वरी भवित्वार अवधि की भवत्वा के लिए पांचवें—पन।	२ साल	राजः दिनेसी (संतोषपत्र) क्रमिं १५५५ के प्रारंभ होने की तारीखः १।	“

३६ का १६ (४)	पुरुषकारत आसामी या निकम्भी आसामी द्वारा प्रावेदन-पत्र कि वह सातेदारी अधिकार प्रवास नहीं करता चाहता ।	३ माल	६ महीने	राज० इट्टेसी (गोपनीय बायि० १५५ के प्रावेदन होने की तारीख से ।	२५ देश
३७	१० उ० ७७०	उद्दरतम सीमा से घाषिक भूमि का समरण ।	६ महीने	बाया १०३ (१) के अन्तर्गत अधिग्राहित तारीख ।	कुछ नहीं
१८	११	रिहायदी मकान के लिए स्थान सिवने के लिए प्रावेदन-पत्र ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	२५ देश
३८ का ३३	३६ का	पट्टों के प्राणलीकरण हेतु आवेदन-पत्र । नालेखट के अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रावेदन-पत्र ।	५ महीने	समादान की तारीख	"
३८ का ३६	४६	चारायादी के निमित्त विनियय हेतु आवेदन-पत्र ।	१ माल	राज० इट्टेसी (गोपनीय) एवं १५५ की प्रारंभ होने की तारीख ।	५० देश
३८	५६	चारियाना की उद्योगपत्रा जाने करने के लिए प्रावेदन-पत्र ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	"
५०	६१ (१)	परिवारन की उद्योगपत्रा जानी करने के लिए प्रावेदन-पत्र ।	"	"	२५ देश
५?	६२ (२)	परिवारन मानसों गई भूमि पर उन्न रखना चाहिए जाने व याजिम नामे जाने के लिए प्रावेदन-पत्र ।	१ माल	उपरोक्ता या प्रकाशन की तापीत की तारीख ।	"
५१ का ५२ (२)		मुहुर आसामी के अधिकारों की अवासन के निष्प्रावेदन-पत्र ।	"	मुख्य पालामी के हिस्से की प्रकाशन की तारीख ।	"

प्रम् संख्या की पारा दि. २	वाह, पावेदन-पन या बचोत का विवाह	परिसोमा (गियाद) की घटविष	वह गाय जब से घटविष का भारकम होता है ।	यद्योवित मायावय इुलक कारी जो निरोप करने के लिये सहाय है ।	तहसीलदार
४३	१७	युगार करते ही रक्षिति के लिए नूरिमारी द्वारा पावेदन-पन ।	कुछ नहीं	२५ रुपए	तहसीलदार
४४	१८	आतामी द्वारा ऐसे युगार जिन्हें मूरिमपत्री करना चाहता है, पाते थे इजाजत के लिए पावेदन-पन ।	"	५० रुपए	एस.डी.ओ.
४५	१९	सपान के प्रादेशकंत के लिए पावेदन-पन ।	काम समाप्त होने को तारीख	२५ रुपए	सहायक कलकर
४६	२०	युगारो की लागत के रजिस्ट्रेशन फॉलिए पावेदन-पन ।	कुछ नहीं	"	तहसीलदार
४७	२१	धारा ७८ में निरिट प्रशार के सुधार ताम्रकमी विवाद के नियंत्रण हेतु पावेदन-पन ।	"	"	
४८	२२	युग लगाने वायावा पहिले से ही तागमे हुए कुशों को हटाने का नियंत्रण करने की प्राप्ति के लिए आवेदन- पन ।	"	"	

		अधिनियम के आरम्भ को तारीख ।	२९ वेदि
४६का	८०	उन बुद्धों के लिए जो इस पारा के प्रत्यक्षतं प्रातेशार आरामी में निहित हो गये हैं लेकिन जो किसी अन्य धर्मिक को समर्पित है, के मुमाचने के अवगतात् हेतु आवेदन-पत्र ।	६ साल
४६का	८१	प्रत्याधिष्ठित भूमि पर जो युआं के स्थानी के अलावा किसी अन्य धर्मिक को समान पर है दी गई है, उन्हें युआं के मुमाचना के लिए आवेदन-पत्र ।	२ साल
४७	८२ (१)	बुद्ध हटाने के लाइसेंस के लिए कुछ नहीं	कुछ नहीं
४७	८२ (२)	धारा ८५ से निर्दिष्ट प्रकार के युआं मध्यस्थी विवाद के नियंत्रण के लिए आवेदन-पत्र ।	"
४८	८६	गौर कानून बुद्ध हटाने पर दण्ड दिये जाने सम्बन्धी रिपोर्ट या धारेदान-पत्र ।	३ साल
४८का	१०२	यमुल करती गई घटिरिक रक्षण की बदूनों के लिए आवेदन-पत्र ।	"
४८का	१०३	समान को संवर्चित कराने के लिए आवेदन-पत्र ।	कुछ नहीं

प्रक्र.	प्रक्र.	प्रक्र.	प्रक्र.	प्रक्र.	प्रक्र.	प्रक्र.	प्रक्र.	प्रक्र.
५६		x	x	x	x			
५०		x	x	x	x			
५१	११६	व्याकुल वेदनीं या समीण हो जाने पर स्थान तथ करने के लिए प्रावेदन-प्रच।						
५२	११७ (१)	किसी प्रगति की उपल सम्भवीयता के निवारे का प्रावेदन-प्रच।						
५३	११७ (२)	स्थान अुपतान करने की रोति तथवनीय विवरण के निष्प वंशनिष्प-हेतु प्रावेदन-प्रच।						
५४	११७ (३)	स्थान को अन्तर्नित करने के लिए प्रावेदन-प्रच।						
५५	१२०	१२० व १२१	स्थान को गुटि करने के लिए प्रावेदन-प्रच।					
५६	१२०	१२० व १२४	स्थान में किसी करने के लिए प्रावेदन-प्रच।					
५७	१२१	१२१ स्थान जमा करने के लिए प्रावेदन-प्रच।						
५८	१२४	जमा पुरा रकम की याविसी के लिए प्रावेदन-प्रच।						

क्रम संख्या	अधि- कारी नियम की पारा	बाद, आवेदन-पत्र वा अरोल का विवरण	परिसीमा (नियादा) की अवधि	बहु समय बहु से अवधि का प्रारम्भ होता है ।	यथोचित यापात्य शुल्क	यापात्य प्रधाना अधि- कारी जो निर्णय करने के लिये सहम है :
१	२					३
१८५	१८६	[१] बण्ड (क) या (घ) के अन्तर्गत— (क) धारा ४६ में वताये गये अक्षियों से किसी के द्वारा । (ख) किसी धन्य दिवति मे— [२] बण्ड (ख) तथा (ग) के प्रारम्भ— १८७ का १८२ का	तीन वर्ष	अधिनियम के आरम्भ होने को तारीख या नियोजित समाप्त होने को तारीख, जो प्रारम्भ हो,	२५ वर्ष	प्रधानक उत्तरार्थ
१८७	१८८	उत्तराम्भ पर जिसमे बहु वेदाल किया गया है पुनः सस्थापित या उसमें खालेश्वरी श्राधिकारों के बर्जन हेतु आवेदन-पत्र । वापिस संस्थापित किये जाने के लिए आवेदन-पत्र ।	१ वर्ष	अधिनियम छारम्भ होने का अंदरूनी या एवा-श्राधिता की तारीख ।	५० वर्ष	सद रिचर्जन वार्षिकर
१८८	१८९					प्रधानक उत्तरार्थ

लघुवाचक कलाकृति		लहंगा वाचक कलाकृति		लहंगा वाचक कलाकृति			
क्रम संख्या	परिचय	क्रम संख्या	परिचय	क्रम संख्या	परिचय		
१८५	समान की शुरुआत के लिए लावेदन-पन ।	१८६	प्राम गोदक द्वारा, प्राविष्टय दिलाये जाने वाले तुनः लक्षणित, जिसे जाने के लिए लावेदन-पन ।	१८७	लुच नहीं लहंगा विहेन होने की वज्रीत ।	१८८	१० वेसे
१८०	१९१	लंगन या तुनः लक्षणित, जिसे जाने के लिए लावेदन-पन ।	१९२	जैरा लातेदार लासामी या झुमियारी, यथा-स्थिति, के समवय में होता है ।	१९३	२५ वेसे	
१९१	१९७	उपचत्वगतिरिणी द्वारा या उनके लिए लक्षण लगाने की व्युत्पत्ति के लुगतान के लिए लावेदन-पन ।	१९४	जैरा लातेदार लासामी या झुमियारी, यथा-स्थिति, के समवय में होता है ।	१९५	२५ वेसे	
१९२	१९८	लापाण तुनः लक्षण-पन के साथ के लिए लावेदन-पन ।	१९९	जैरा लातेदार लासामी या झुमियारी, यथा-स्थिति, के समवय में होता है ।	१९६	१० वेसे	
१९३	१९५	लापकन पारिणी द्वारा या इसके लिए लुप्त लुप्तर काणो के विषय में लावेदन-पन ।	१९७	उपचत्व लारियों द्वारा या उनके लिए लेवेदातिको के समवय में लावेदन-पन ।	१९७	१० वेसे	
१९४	१९६	लहंगा द्वारा या उनके लिए लुप्त लुप्तर के लापकन-पन ।	१९८	उपचत्व लारियों द्वारा या उनके लिए लुप्त लुप्तर के लापकन-पन ।	१९८	१० वेसे	
१९५	१९७	लहंगा द्वारा या उनके लिए लुप्त लुप्तर के लापकन-पन ।	१९९	उपचत्व लारियों द्वारा या उनके लिए लुप्त लुप्तर के लापकन-पन ।	१९९	१० वेसे	
१९६	१९८	लहंगा द्वारा या उनके लिए लुप्त लुप्तर के लापकन-पन ।	२००	जैसा लम सं० २७ का नेतृत्व में है ।	२००	१० वेसे	

१५	विधि- संस्कार की पारा २	वाद, आवेदन-पत्र या अपील का विवरण	परिसीमा (गियाद) की विवरि	वह समय जब से वक्तव्य का आरम्भ होता है ।	यथोचितः यायात्रय शुल्क कारी जो नियंत्रण करने के लिये उत्पन्न है ।	न्यायात्रय वक्तव्या प्रणित कारी जो नियंत्रण करने के लिये उत्पन्न है ।
१६	पारा १११ के अधीन प्रधान विधा विधा १० में निहिट भागलों के संवर्ण में इशारों द्वारा या उनके विषद् प्रावेदन-पत्र के साथ पढ़ते हुए	पारा १११ के अधीन प्रधान विधा १० में निहिट भागलों के संवर्ण में इशारों द्वारा या उनके विषद् प्रावेदन-पत्र	जैसा भूमियारी के सम्बन्ध में होता है ।	जैसा भूमियारी के सम्बन्ध में होता है ।	जैसा भूमियारी के सम्बन्ध में होता है ।	जैसा भूमियारी के सम्बन्ध में होता है ।
१७	पुनरावलोकन (निगरानी) के लिए—	पुनरावलोकन (निगरानी) के लिए	६ महीने	इको या पात्रा को तारीफ में है ।	जैसा फोटो फोम प्रष्ट हो रहा	जैसा फोटो फोम प्रष्ट हो रहा
१८	(१) बोट को आवेदन-पत्र । (२) अन्य राजस्व त्यायात्रयों को आवेदन-पत्र ।	पुनरावलोकन (निगरानी) के लिए बोट को आवेदन-पत्र ।	"	"	"	"
१९	[.....]	पुनरावलोकन (निगरानी) के लिए बोट को आवेदन-पत्र ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
२०	[.....]	पुनरावलोकन (निगरानी) के लिए उत्तम व्यायात्रय को आवेदन-पत्र ।	"	"	"	"
२१	[.....]	पारा ३३२ के अन्तर्गत प्रदत्त पाक्ति के प्रयोग हेतु आवेदन-पत्र ।	"	"	"	"
२२	[.....]	इस्तानत्रय के लिए नियमित्वा को आवेदन-पत्र ।	"	"	"	"

१४	(१) सब इन्डियन स्टाफिकर को	कुप्रभवी	कुप्रभवी	१५ वरे
	(२) भारतस्तर को	"	"	"
	(३) X X X	"	"	"
	(४) बोर्ड ऑफ, या	"	"	एक रूपया
	(५) उच्च न्यायालय को	"	"	देसा कोटि कोरा प्रमाण में है ।
१५	रासे शादी अधिकार या अन्य गुरुत्वाधिकार (casement) या दावितार के अन्तर्गत सामग्री प्राप्तेन-प्रदान ।	"	"	५० रुपये
१६	अपेय अपूर्णियों के भारण कुप्रभवी के लिए आमामी दारा घावेदन-प्रद ।	"	"	"
१७	इन्होंने के नियादन हेतु आवेदन-प्रद ।	"	जेसा सिविल न्यायालय को इन्होंने के सामग्र्य में होता है ।	"
१८	प्राप्तार्थ	"	जेसा सिविल न्यायालय को इन्होंने के सामग्र्य में होता है ।	"
१९	विषाराधीन वाद, प्रमोत या अन्य कार्यवाही के राखने में शावेदन-प्रद वाच नियालित को प्रस्तुत किये जायें—			

क्रम संख्या	प्रधि- नियम की पारा-	वाद, वावेदन-प्रचय या पर्वोल या विवरण	गरिसीमा (मियाद) की प्रवाचित	वह समय जब से व्यवधि का पाराम होता है।	यथोचित न्यायालय शुल्क कारी जो निर्णय करने के तिरे लाभ है।
१	२	(१) उच्च न्यायालय को (२) बोर्ड को (३) अद्य, न्यायालयों को	कुछ नहीं	कुछ नहीं	जैसा कोट फोम एवं से है।
२५	सामाजिक सेवा	इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमों द्वारा मामने के सम्बन्ध में शावेदन- प्रचय जिसकी इस सुची में शावेदन कहीं श्वावस्था नहीं की गई हो।	तीन साल	जब याद का कारण उत्तरन हो।	एक दराया २५ देखे ५० देखे
२६	सामाजिक सेवा	मान	मान	मान	सहायक कालान्तर
२७					
२८					

राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम, १९५७

अधिनियम संख्या २ सन् १९५८

[राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक ७ जनवरी १९५८ को प्राप्त हुई]

शार-पुत्रांगन राजस्थान राज्य की वित्तीय राजस्व विधियों को आवृ, अमेर तथा मुनेत्र द्वारा मैं विभागित करने की व्यवस्था करने हेतु घण्यनियम ।

जूँकि नये राजस्थान राज्य जैसा कि स्टेट लीगंगनाइजेशन एक्ट १९५६ (सेप्टेम्बर महीने के दौरान ३० सप्तमी १९५६) की घारा १० द्वारा निर्मित हुआ, और राजस्थान विधियों में एक-एक लाने के लिये यह इष्टकर है कि प्राक-पुनर्गठन राजस्थान राज्य में प्रयुक्त राजस्थान टिक्कों एक्ट १९५५ (राजस्थान एक्ट सं० ३ सन् १९५५) और राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट १९५६ (राजस्थान एक्ट सं० १५, सन् १९५६) को नये राजस्थान राज्य के आधार, धन्वमर तथा मूलत होतों में वितारित करने के लिये व्यवस्था की जाय और तत्प्रयोजनाये तथा अन्य प्रयोजनों के लिये, जो इसमें आगे बताये गये हैं, इनमें उपर्युक्त संशोधन किये जायें ।

प्रतः गोजस्यान राज्य के विधान मण्डल द्वारा भारत गत्तुराज्य के ग्राम्ये दर्श में दिल्ली स्पेन अधिनियमित किया जाता है—

१. सक्रिय नाम तथा प्रारम्भ-(१) यह अधिकारिय राज्यदान राज्य विभाग (विभाग) अधिकारियम् १६५७ वर्ष के पात्र।

(२) यह ऐसी तारीख से प्रभाव में आईगा जो राज्य युद्धाद गढ़वल में अंशुभाग द्वारा नियत करे।

(यह दिनांक १५-६-१९५८ में प्रभावशील हुआ)

२. परिभाषा—इस विषयमें, प्रबन्ध विषय अद्यता प्रसिद्ध है। इसका उल्लेख
न हो,—

(१) "नियत दिन" से अभियाय पांच १ वी उपलब्ध (२) हे अवधि आठ वी तक
अधिकृत्या द्वारा एक प्रतिवर्षमें के प्राप्ति के लिये नियम लिये गये हैं ।

[२] "राजस्थान राजस्थान विभागी से अनिवार्य" प्रकाश-पृष्ठालय राजस्थान राज्य में राजस्थान विभागी प्रकाश १९५८ (राजस्थान प्रकाश ०० ३, अनु ४६५), राजस्थान विभाग रेकर्ड प्रकाश १९५८ (राजस्थान प्रकाश ०० ३१, अनु २१५) ५६।

३. रामस्यान रामाय विद्यो वा एवं दद्य-निषेध इति एवं सत्र अपावृणुम् अपावृणु विद्यो ऐसी विद्या है जो तदा ऐसी भीषण गुण विकास के अन्तर्गत वही विद्या है जो उसका अनुभूति करने वाले वित्तित है।

४. राजस्थान राजपत्र विभिन्नी में गगाय का दिव—राजस्थान राजपत्र विभिन्नी में सुनेत्र, जब उक्त दिवष दद्दो राम दास धनेश्वर न हो, तो वह इस अविभाजनमें डॉक्टर अमरनाथ वर्षभूषित हो उसे द्वोद्दश—

प्रारब्धतंत्र

क्रम संख्या	निहित के उद्देश्य
-------------	-------------------

का नाम भी दिया जाय जिसमें वह नैपि जिसके समयमें में बाह या "काँसाहटी" है इसका हो और वह एक जाय। यहर बाह, लगान की बातगा के कि! हा तो बाह-नव में हिंन एक जो बेसा विचरण दिया जाया दातव्य एक मार्ग जिसके समयमें बाह हो, दियाया जाय तथा बहुत ही उनी रकम यदि कोई हो, और की बेदखली के लिए है तो बाह-नव या "गांवना-पन में ऐसा कारण या कारणी की पर ऐसी बेदखली का दाया किया है या बांधन किया गया है।

प्रादेश २० लल ६

लगान की प्रत्येक दिनी में वह रकम भी बाज सहित बांड जायी जो ऐसे दरिए इन्हि-दर्द के लिए लगाय हो जिसके बारे में सहायता दी जाय।

प्रादेश २१

हिन्दी के निम्नी अभिरक्षणकी (Assignee) द्वारा दियो की इन्हाये ने इन लगान रकम को नापंगा नहीं दी जायगे जब सह न हो तो नैपि जिसके कराप में लिहत न हो जाय हो, ऐसी इन्हान-लगान का हिंन देसे उपरियम (१) तथा उपरियम (२) के न ३ (३) का उप तद (३) दिगोप्ति दिये जावेद।

प्रादेश २२ लल ११

प्रादेश २३ लल १०

प्रादेश २४ लल १०

इन नियम द्वारा बनोदिन प्रतिनिधियों के अलावा दूसरी प्रतीत के लालक लागत (देसोरेशम) के काल दूसरे लल ११ के साथ प्रदर्शन हुए।

विशेषित दिया गया।
विशेषित दिया गया।

राजस्थान राजस्व विधियाँ (विस्तार) अधिनियम, १९५७

अधिनियम संख्या २ सन् १९५८

[राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक ७ जनवरी १९५८ को प्राप्त हुई]

प्राक-पुनर्गठन राजस्थान राज्य की नियम राजस्व विधियों को आबू, अब्रमेर तथा मुनेश दोनों में विस्तारित करने की ध्यानस्था करने हेतु अधिनियम ।

चूंकि नये राजस्थान राज्य जैसा कि मटेटम रोगर्गोनाइजेशन एकट १९५६ (सेप्टेम्बर १९५६ सं० ३७ सन् १९५६) की घारा १० द्वारा नियमित हुआ, की राजस्व विधियों में एक-हस्ता लाने के लिये यह इष्टकर है कि प्राक-पुनर्गठन राजस्थान राज्य में प्रवृत्त राजस्थान टिनेसी एकट १९५५ (राजस्थान एकट सं० ३ सन् १९५५) और राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एकट १९५६ (राजस्थान एकट सं० १५, सन् १९५६) को नये राजस्थान राज्य के आबू, अब्रमेर तथा मुनेश दोनों में विस्तारित करने के लिये ध्यानस्था की जाय और तत्प्रयोजनार्थं तथा अन्य प्रयोजनों के लिये, जो इसमें आगे बताये गये हैं, इनमें उपलक्त संशोधन किये जाय ।

प्रतः राजस्थान राज्य के विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के आठवें वर्ष में नियम-स्पेष्ण अधिनियमित किया जाता है—

१. संलिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(१) यह अधिनियम राजस्थान राजस्व विधियाँ (विस्तार) अधिनियम १९५७ वहतयेगा ।

(२) यह ऐसी तारीख से प्रभाव में आवेगा जो राज्य सरकार राज्यन्य में अधिमूलता द्वारा नियंत्र करे ।

(यह दिनांक १५-६-१९५८ से प्रभावशील हुआ)

२. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में, जब तक विषय अथवा प्रसंग में अन्यथा अनेकित न हो,—

[१] “नियत दिन” से अभिप्राय पारा १ की उपधारा (२) के प्रतीन जारी की गई अधिगृहणा द्वारा १८ अधिनियम के प्रारम्भ के लिये नियत दिन यो दिन ही है ।

[२] “राजस्थान राजस्व विधियों से अनिप्राय” प्राक-पुनर्गठन राजस्थान राज्य में प्रयाप्त शील राजस्थान टिनेसी एकट १९५५ (राजस्थान एकट सं० ३, सन् १९५५) तथा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एकट १९५६ (राजस्थान एकट सं० १५, सन् १९५६) से है ।

३. राजस्थान राजस्व विधियों दा दंडो दण—नियत दिन पो तथा तत्प्रयोजन राजस्व विधियाँ ऐसी शीति से तथा ऐसी सीमा तां दंडोदित परे जावेनो जो पारा ४ तथा अनुगृही १ में चल्लित है ।

४. राजस्थान राजस्व विधियों में ता याय एप नेद—राजस्थान राजस्व विधियों में एवंत्र, जब तक विषय दृष्टवा संदर्भ द्वारा अनेकित न हो, घोर इग अधिनियम में जैगा अन्यथा उपबंधित हो उसे घोड़कर—

महान के निमित्त प्रावेदिक भूमि परे गांव में विषय है जहाँ प्राम-पंचायत नहीं है और अन्य दशाओं में प्राम-पंचायत को प्रभुत्व दिया जाना चाहिये और उसमें प्रोफिल भूमि रखा। यह प्रयोगत्र जिसके लिये यह भूमि गांवी जाती है ट्राईट्र: प्रगट दिया जाना चाहिये। प्रार्थी को यह भी चाहिये कि यह उस गांव में जिसमें कि यह महान के निमित्त भूमि चाहता है, प्राने भूमि-देवता का पूरा पूरा विकाश दे और यदि यह एक ने अपितः गांवों में भूमि रखता हो तो उसे प्राने समहाँ भूमि-देवों के विद्युत्ता देने चाहिये तथा यह गांव बड़ा देना चाहिये जिसमें कि यह इग अधिनियम को धारा ३१ (१) द्वारा अनुमति दिलायी जा पायदा उठाना चाहता है। प्रार्थी को प्रायेदन-पत्र से यह भी ट्राईट्र निराग चाहिये कि जिस गांव में यह महान के लिये भूमि चाहूँता है उस गांव की आवादी में उसके बड़े में कोई महान नहीं है।

८. क-हृषि-धर्मिक या दस्तकार द्वारा रिहायशी महान के लिये भूमि इसल हेतु आवेदन-पत्र—हृषि-धर्मिक अथवा दस्तकार द्वारा क्षमते रहने के मकान हेतु भूमि-स्थल के लिये आवेदन-पत्र 'प्रपत्र' 'कक्ष' में होगा जो कि धारा ३१ की उपचारा (२) से अधीन होगा।

९. प्राप्त हुआ प्रत्येक प्रार्थना-पत्र एक पृष्ठक मामले के रूप में पजीवित दिया जाना चाहिये और प्रार्थना-पत्र में दिये गये विवरणों की सत्यता तथा प्रावेदित भूमि के उपलब्ध हो सकने अथवा अन्यथा के बारे में हजके के पटवारी से रिपोर्ट मांगी जानी चाहिये।

१०. इस तथ्य का कि प्रार्थना-पत्र एक भूमि विशेष के लिये दिया गया है, प्रार्थी के स्वर्वे पर गांव में ढिडोरा पिटवा कर अथवा सावंतव्यक घोपणा की जाकर प्रवासन किया जायगा और प्रपत्र 'क' के अनुरूप एक नोटिस गांव के खोपाल पर तथा आवेदित भूमि पर १५ दिन की अवधि के लिये चिपकाया जाना चाहिये। नोटिस की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ प्राम-पंचायत को भी, यदि कोई हो, भेजी जायगी।

११. पूर्वामो नियम में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पहिले पटवारी प्रपत्र "स" के अनुरूप भवनी रिपोर्ट नियम ८ के अधीन प्रावेदन-पत्र के बारे में तथा प्रपत्र 'क क' के अनुरूप एक रिपोर्ट नियम ८-के अधीन प्रावेदन-पत्र के बारे में, मध्य नोटिस के जैसा कि प्रकाशित दिया गया हो तथा उप नोटिस के प्रकाशा के एक प्रमाण-पत्र सहित उस भूमि-स्थल का सही नक्शा व सासरा पेश करेगा अतिस पर उसके स्वयं के तथा गांव के पटेल या लम्बरदार के यथाविधि हस्ताक्षर हुए हो।

१२. पटवारी जो चाहिये कि मजूर दिये जाने वाले भूमि-स्थल वा एक नक्शा तैयार करे जिसमें दियायें, सतिराट्स्य भवन तथा ऐसे नाम (लम्बाई ग्रादि) बताए हुए हो जो स्थल की अडोम-पडोम में स्थित स्थायी अथवा अद्व-स्थायी चिन्हों से सम्पूर्ण करते हों। उक्त सभी नाम भूमि-स्थल के रेला-वित्र में बताये जाने चाहिये और यह स्पष्टतया प्रगट हो जाना चाहिये कि रेला-वित्र किस पैमाने पर बनाया गया है। पैसिल हें बने हुए रेला-वित्र जो किसी पैमाने पर तैयार नहीं किये गये हों, स्वीकार नहीं किये जाने चाहिए।

१३. (१) यदि कोई आवश्यित प्राप्त हों तो तहसीलदार अथवा ग्राम पंचायत,

स्वार्थिनी, जो चाहिये कि पहिले उन ग्रामियों को मुनश्वाई करे और उनका निपटारा करे और एवं ऐसे बासित शास्त्र न हो तो तद्देशीलदार या प्राम-पचायत, पयास्तियति, मामले का निपटारा, मिर्च बाज़ा परिन करके, करे।

(२) अधिनियम को घारा ३१ को उत्तरारा (२) के तथा नियम ८-के अबोन प्राप्त विषयों-पश्चों को दगा में, यह जांच की जानी चाहिये कि आया आवेदक उस उप-प्राप्ता के विषयों-हृषि-अधिक अथवा दस्तकार है और उस गाव की आवादी में उस वर्ष अथवा अधिक उत्तर सुनकित दौर पर रह रहा है।

१५. जो भूमि रेलवे की हड़-बंदी में १०० गज की दूरी के भीतर है अथवा 'मरकार शार संगति' सड़कों से ५० गज की दूरी के भीतर है आसामियों को रिहायशी 'महानों' के नियत आवंटित नहीं की जायेगी। ऐसी भूमियाँ जो जयपुर तिटी की भूमिस्पत्त सीमाओं से शाह भील के खेरे में अथवा किसी कस्बे की सीमाओं में पांच मील के खेरे में स्थित हैं कमिशनर द्वीपीहत के बिना आवंटित नहीं की जायेगी।

१५. महानों के निये प्रीमियम (नजराना) मुक्त भूमि-स्थल नीचे लिखे पैमाने के—
पुस्तर मंजूर किये जायें—

(क) आसामी जो वापिक लगान १०० रुपया या अधिक भदा करता हो—

२५० वर्ग गज से अधिक न हो

(ख) आसामी जो वापिक लगान ५० रुपये से १०० रुपये तक अदा करता हो—

२०० वर्ग गज से अधिक न हो

(ग) आसामी जो वापिक लगान ५० रुपये से कम भदा करता हो—

१५० वर्ग गज से अधिक न हो।

(घ) वृषि अनिक अथवा दस्तकार को—

१५० वर्ग गज से अधिक न हो।

१६. उत्तर देश में जब कि आवेदन भूमि में पेड़ लड़े हों, पेड़ों की बीमत जो कि तद्देशीलदार अथवा प्राम पचायन, पयास्तियति, द्वारा नियत की जाय, आवेदक से भूमि वा उसे बदला देने के पहिले बद्दा करती जानी चाहिये।

१७. भूमि-स्थल पर दनों ही इनारत अथवा दुमा आदि की कीमत भी उभी द्रष्टा अमूल जी जानी चाहिये।

अध्याय ४

अधिनियम की घारा ३२ के प्राप्तानों को कार्यान्वयन के द्वारा हेतु नियम

१८. पट्टों (लोज) द्वारा उनको प्रतिपत्तों के प्रत्येक दृढ़ ददा उद्देश्य दर्शाए हैं। (कारप्टर पार्ट्स) प्रत्येक 'द' के प्रत्येक होगी और उनमें वे सभी विवरण होंगे जो उन्हें

वाले अनुमति प्राप्त के लिये निर्दिष्ट विधि होगा ।

(१) विधिष्ठ अनुमति-एवं—

तुम पुरा गही

(२) सामाजिक अनुमति-एवं—

प्रति वृक्ष एवं वाला या प्रति एक वृक्ष
पाल जाये दोनों में से जो भी कम हो ।

श्लोक ५--क

पारा ९८, ६६, १०० तथा १०४ के प्रावधानों को क्रियान्वय करने के लिये नियम ।

३५. क—जहाँ भू-राजस्व निर्दिष्ट विधा आ चुका हो उत्ता ददा में अधिकृतम लगान—
नियम २५-ए के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जहाँ वही भू-राजस्व वस्त्रोदयत के जरिये
भू-सम्पत्तिधारकों पर नवद में निर्दिष्ट वर दिया गया है और उन भू-सम्पत्तिधारकों के
आसामियों द्वारा लगान का मुग़लान नवद में किया जाता है और ऐसे लगान का सेटिलमेण्ट
द्वारा नवद में पहिले ने निर्धारण या किसी संशय व्यावायिक वी डिरी या साता द्वारा निश्चयन
नहीं किया गया है तो ऐसे भू-सम्पत्तिधारकों द्वारा ऐसे आसामियों से बमूल दिया जाने वाला
लगान ऐसे भू-राजस्व की राशि की दो गुना राशि से अधिक नहीं होगा ।

३५. ख—उन दोनों में जहाँ लगान निर्दिष्ट कर दिया गया है अधिकृतम लगान—
नियम २५-ए के प्रावधानों के अधीन रहते हुए जहाँ वही आसामियों द्वारा देय लगान वस्त्रोदयत
के जरिये नवद में निर्दिष्ट विधा जा चुका है और उसका विक्री-आसामियों द्वारा नवद में
भूग़लान-प्रोट हो परन्तु ऐसे विक्री-आसामियों द्वारा मुख्य आसामी (टीनेप्ट-इन-धीक)
को देय नवद लगान सेटिलमेण्ट विभाग द्वारा निर्धारित या किसी संशय व्यावायिक वी डिरी
या आदेह के जरिये अवधा उसके अन्तर्गत नियत नहीं किये गये हैं तो मुख्य आसामी द्वारा इपने
विक्री-आसामियों से बमूल किया जाने वाला लगान, उक्त रूप में निर्धारित या नियत किये
गये लगान की राशि के दुगनी राशि से अधिक नहीं होगा ।

३५. ग—कठियप भाषामों में उच्चतर अधिकृतम लगान—जहाँ भू-सम्पत्तिधारक या
आसामी जो उप पट्टे पर उठाता है, विधवा, या ऐसा विद्राधी हो जो आत्म में २५ वर्ष से बम
हो और दोसों मान्यता-प्राप्त विवाहिय में अध्ययन कर रहा हो तो ऐसे भू-सम्पत्तिधारक द्वारा
आसामी से या मुख्य आसामी द्वारा विक्री-आसामी से बमूल किया जाने वाला लगान,
भू-सम्पत्तिधारक की ददा में निर्धारित भू-राजस्व के तीन गुने तक और आसामी जो
विक्री-पट्टे पर उठाता है की ददा में निर्धारित लगान के तीन गुने तक बढ़ाया जा सकता है ।

३५. घ—जिसी लगान की अधिकृतम दर—जहाँ लगान जिन्ह में देय हो, विक्री-
आसामी द्वारा, अवधस्व दो या पाँच फों या मूर्ख को या ऐसी स्त्री को जो भ्रविकाहिता हो
या पति द्वारा तलाक दी हई हो या पृष्ठक कर दी गई हो अवधा ऐसे व्यक्ति को जो “ निता
या सारीरिक नियोगता या कमज़ोरों के कारण अन्यों भू-मक्षोत्र में काइन करने में
ऐसे व्यक्ति को जो आत्म में २५ वर्ष से अधिक नहीं है और जो किसी मान्यता

में दिवारी के हाँ में अवश्यन कर रहा है, जिस में नुकसान किया जाने वाला अधिकतम लगान कुर पंदाशार के १/५ तक बढ़ाया जा सकता है।

अध्याय ६

प्रधिनियम वीं घोरा १२६ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

२६. कृषि-सम्बन्धी आपत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं (१) विस्तीर्ण घोर (२) अनानीय/दुर्मिथ तथा अनावृष्टि व्यापक आपत्ति मममी जाती हैं और दुपारपात, रोतो (rust) और पड़ना, टिक्की व बाड़ मामान्यतया स्वानीय अर्यान ऐसी आपत्तियाँ हैं जिन्हाँ प्रसर योग्य पर हो पड़ता है। कृषिक-आपत्ति के आरटने पर लगान का स्थगा/हरके अवशा लगान नी दूट करके, सहायता दी जाती है।

२७. आया लगान-स्थगन को सिफारिश की जानी चाहिये इससा निषेध करने के लिये निदान—ऐसी आपत्ति की दशा में जो कि खरीफ को प्रभावित करे लगान-स्थगन काफी होगा परन्तु जब आपत्ति अमावास्यारण रुह में हानिगद हो प्रश्वा पूर्ववर्ती फसलों के नष्ट हो जाने में लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई हो अवशा खरीफ हो मुख्य या असाधारण-तथा महत्वपूर्ण फसल हो सो लगान की दूट के लिये निपारिंग की जा सकेगी।

जब आपत्तियों वा प्रश्वा रख्यों पर पड़े तो साधारणतया लगान की दूट वा प्रस्ताव रक्त जाना चाहिये। खरीफ की फसल वो प्रभावित घरने वाली कृषि-आपत्ति के पड़ने पर साधारणतया लगान वा स्थगन न कि दूट क्यों मजूर दिया जाना है इसका कारण यह है कि खरीफ की फसल (दारां को ढोड़ कर) में सावारएउरा लोगों के लाने के पानाज ही पैदा होने हैं जब कि रख्यी में नारद या लगान देने वाली फसल होती है। इमनिये लगान के स्थगन या दूट के हृप में सहायता की मात्रा वा निश्चयन करते समय यह प्रावदयक है कि खरीफ व रख्यी की उपज के सावेश महत्व पर ध्यान रखा जाय।

२८. शीघ्रता की आवश्यकता—यद्यासम्मर सहायता किसी व्यक्ति द्वारा उठाये गये नुकसान वीं अनुरूप होनी चाहिये। लेकिन आजानों के जारी करने में शीघ्रता का महत्व, नुकसान वे धनुक्षान वा हिंसाव पूरी २ मुद्दना के साथ लगाने की अपेक्षा, कही अधिक है। विनेग हृप से उत्तर दशा में जब कि वह दोष जिसमें नुकसान हुआ हो बहुत दिस्तीर्ण हो तो प्रथम विनेग फसलों को पहुंचे नुकसान में मासूनो फर्ज वा ध्यान न रखते हुए नुकसान की घोषत-दर मान सी जानी च हिये।

२९. सहायता का पैमाना—लगान के हृप में जो जाने वाली सहायता और भूमि में हुए नुकसान के बीच पारस्परिक सम्बन्ध नीचे लियो सारिणी से प्रकट होता है—

साधारण उठाव को एक रख्या
मान वर नुकसान की मात्रा
पानों में बताई गई है।

लगान में सहायता
प्रति रख्या मानों में
बताई गई है।

हुए नुकसान के सामार पर हुए हो गहायना दिया जाता गद्भास मर्ही है और ऐसा करने का प्रबल प्रयत्न भी भावधारकता भी मर्ही है। नुकसान का अनुमान जेतों के बर्गनुकसान लगाया जाता पर्हिंहे न कि घटना अपना जेतों के रिये। इसे जिसे जेतों का वर्गीकरण अपनात की इस पर आधारित होता पाहिये। ऐसा ही सतता है कि अनिष्टित जेतों में नुकसान गमान हुआ हो और अनिष्टित जेतों में भी, नुकसान, यदि कोई हो, गमान ही हुआ हो तो ऐसी दशा में अनुमान प्रयोग प्रयोग में गम्भीर अनिष्टित जेतों में हुए नुकसान का तत्त्व गम्भीर अनिष्टित जेतों में हुए नुकसान का अनुमान लगाया जाय। यद्युगरनों में फगल के अनुपार नुकसान की मात्रा में अन्तर हो सकता है। यदि ऐसा हो तो प्रत्येक गाँव हर कल्प के अनुमार नुकसान का अनुमान लगाना होगा। यह भी आवश्यक ही सतता है कि न के घन फसलों में ही अभिदृष्टि दिया जाय वल्कि एक ही फगल के अनिष्टित अथवा अनिष्टित जेतों में भी अभिदृष्टि दिया जाना पाहिये। अब दूरतों में, जैसे प्रोग्रेस वा बाड़ की दशा में, विसी गाँव का एक मात्र ही शतिष्ठित हुआ हो जाया मिथ्र मित्र भागों में अपना अपना मात्रा में नुकसान हुआ हो। ऐसी दशा में यह आवश्यक होगा कि शतिष्ठित मात्र या उन भागों को जिनमें नुकसान अचल अपना मात्रा में हुआ हो, गाँव के नदीों में चिह्नित भर दिया जाय और ऐसे भाग में पा ऐसे प्रापेक मात्र में हुए नुकसान, वा अनुमान लगाया जाय। इस दशा में यह भी आवश्यक ही सतता है कि प्रापेक मात्र में मिथ्र मित्र फसलों के शीघ्र भी अभिदृष्टि दिया जाय। अपरति से प्रमादित प्रापेक गाँव की दशा में बलवटर द्वारा नुकसान की उस मात्रा के बारे में निश्चित प्रापेक दिये जाने चाहिये जिसमें उस गाँव के खेतों को दिमागित दिये जाने वाले प्रत्येक बर्ग को नुकसान पहुंचा हो। यदि शतिष्ठित खेत बहुत विस्तीर्ण हो तो इस प्रयोजन के लिये साधारणतया यह उचित होया कि गाँवों के गम्भीर घटनाये जायें। नुकसान का सविस्तार-हिसाब लगाने का प्रयत्न करने के पहिले यह अत्यधिकरण है कि नुकसान का निश्चयन करते के निमित्त यह तरीका निर्धारित कर दिया जाय जिसके अनुमार जेतों का वर्गीकरण दिया गया हो। जब एक बार विसी प्राधिकारी द्वारा कुछ निश्चित पर दिये जाय तो इस प्राधिकारी से नीचे घेरों के निसी प्राधिकारी को एक ही बर्ग के खेतों के बोग नुकसान के अनुमान में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(२) अपनाये जाने वाले वर्गीकरण वा निश्चयन करते समय कलष्टर को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि नुकसान के आंकड़े केवल अनुमान पर ही लगाये जा सकते हैं, और वर्गीकरण में अत्यधिक सायथानी भरतने से वर्गीकरण का उद्देश्य ही विकल ही सकता है, वर्षों के देसा करने में गहायना गद्भास-पत्र संपाद करने में असाधारण विलम्ब होगा जिससे वृपतों को काट पहुंचता है।

(३) नुकसान के अनुपान तैयार करने में बलवटर वो यह ध्यान में रखना चाहिये कि सामान्य कफल गम्भीर वह फसल जिसमें मौसम से दीरान मायुली नुकसान हुआ हो और जो अपवाद रवस्तु अच्छी फसल न हो, सापारातया १२-१३ आना फसल समझी जाती है। केवल उन्ही वर्षों में फगल १६ आना मानी जाती है जिनमें फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे वर्ष अपवाद-रवस्तु होते हैं त कि सामान्य। किर भी सामान्य फसल के बारे में हिंदूपत्रों के अनुमार यह धारणा ही गई है कि सामान्य फसल १६ आना फसल है गम्भीर फद्यतों में नुकसान से साप्तर्ण रामान्य नुकसान से है। अब तक कि सावधानी से काम नहीं छिया जाय

इसे नुकसान का अत्यधिक बनुमान समझें-जाने की सम्भावना है, विशेष स्पष्ट से उस दशा में वह कि नुकसान घटना अधिक न होगा-हो।

(५) कवयरों को चाहिये कि कृपकों को हीने वाले नुकसान का अत्यधिक अनावश्यक शास्त्रणी के साथ प्रनुमान लगाने की मात्रहृत कविमारियों की 'साधारण प्रवृत्ति' को रोके तो कि इसको कोई उद्यम करने का खवसर न मिले। सरकार कल्पकरों का ध्यान इस खोर प्रचड़ी ठहर आवश्यक कर देना चाहती है कि नुकसान सम्बन्धी प्रनुमानों को जाव वरिष्ठ प्रधिकारी वांदाएं पूरी सांवयानी से दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि प्रनुमानों में अनावश्यक वृद्धि दरां जाने के कारण सरकार को रोकने की हानि न हो।

३४. "सामान्य संत्र"- (१) यदि आपत्ति ऐसी किसी की हो जिससे बोया हुआ देव न हो जाय जैसा कि काइ के मानसून से हीने वाली वर्षा में कमो होने के कारण होता है, तो कृपकों द्वारा हुए नुकसान का हिसाब लगाते समय, इस प्रकार घट गये दोषों के बारे में अवश्य रिपोर्ट दो जाने चाहिये। सामान्य सिद्धान्त यह है कि ऐसा दोष जो बोया नहीं गया हो विन्तु यदि आपत्ति नहीं आती तो बोयों जौतों, के बारे में यह संभवतः आता है कि उसमें १६ आना नुकसान हुआ है। यह निष्चय करना स्पष्टतया आद्यात छठिन है। कि जो ढेत किसी वर्ष में बोये नहीं गये हैं उनमें से बोनारी ऐसे हैं जो, मरि परिस्थितियां मिश होती हो, बोये जाते। यह मानसून करने का सबसे आमान तरीका यह होगा कि प्रथेक भूमि-संत्र के बोये हुए संत्र की तुक्सना उस भूमि-हेतु के दिसी सामान्य दर्ये में बोये हुए धेत्र से बी जाय। इसके लिये यह प्रावदयक है कि जिस दर्ये में आपत्ति आई हो उस दर्ये को खोनी वी सामान्य दर्ये की छहोंटी से विरहन तुलना बी जाय जो एक वर्ष सांघर्ष दर्ये है और उसमें संघय सहता है। बदलती हुई छेतों वाले संत्रों के सांघर्ष में भी काटन दियो जाते होती है। ऐसा तरीका जिसमें अपेक्षाकृत वर्ष परिवर्त्मने को आवदयकता हो और जो क्षेत्र सीधा हो यह है कि सामान्य दर्ये के साथ तुलना बी जाव रामायण बोये जाने वाले धेत्रफल को प्रतिशत निश्चित कर लियां जाय और यह धारणा बनानी जाय कि जिस दर्ये में आपत्ति आई हो उस दर्ये में भीसम के सामान्य होने की दशा में प्रत्येक भूमि-संत्र का यही प्रतिशत बोया जाता रहता।

(२) बलवटर वा यह वर्ताव होगा कि वह निष्चय करे कि बोया बोये हुए धेत्र में हुई दोनों के दोनों ओर्डर परिवर्त्मने की जानी है और यदि दोनों जानी है तो यह निष्चय करे कि विस दर्ये की सामान्य दर्ये मात्रा जाना चाहिये। यदि आपत्ति होती हो जिसका बोये दूसरे धेत्र पर होई प्रसेक न पड़ा हो धपदा उसका प्रभाव दृढ़त तर्फा दर्या दर्या १० या १५ प्रतिशत से कम हो तो, कोई रियायत नहीं ही जावायी।

३५. प्रारम्भिक रिपोर्ट जो कमिट्टर द्वारा भेजी जायेगी— (१) योंही कलवटर आपत्ति की दिसम तथा दसों द्यावता द्वारा उस कार्यवाही के बारे में जो इस सम्बन्ध में उसे करनी है निष्चय पर वह एक प्रारम्भिक रिपोर्ट कमिट्टर द्वारा प्रेसित होगा। रिपोर्ट में रिपति का दोनों हास्तियों से, पूर्ण विवर होगा। एक सो यह कि रितना तथा आपत्ति से प्रभावित हुआ है दूसरे यह कि सहायता द्वारा अनुमान लगाने वी, हटि से बह धोन को दितने वालों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखता है। प्रत्येक वर्ग को पृष्ठे नुकसान का अनुमान देया जिन गामतों में

१० आतं तुरसान हुप्ता है तो इसे यह समझा जायगा कि ११ एकड़ में ऐसी कलज है जिसको कोई हानि नहीं हुई है १२ एकड़ का तुरसान हुआ है। यह १२ एकड़ का दोन "समवर्ती तुल हानि" का दोन है। यह सुनिश्चय करने के लिये कि इनकार की सामान्यों का पूरी तरह पासन किया गया है, इन इन्ड्राणी की जो वर्ष पर्याप्त संख्या में भूमि-धर्मियों के लिये दारा भी जानी चाहिये। यह कार्य साधारणतया घटारे में उपचार गृहस्था से पूरा किया जा सकता, सेकिन, उन मामलों में जिनमें गोद का कुछ हिस्सा थोके, वाह इत्यादि से हानिपूर्त हो गया हो, उक्से से मदद सेना आवश्यक होगा।

१८. निश्चित समान देने वाले भासामियों के भूमि-दोनों में सहायता (रिलीफ) की गणना—(१) तत्त्वावधान नीने दिये गये प्रपत्र में रिलीफ यतीनी संवार की जायेगी-रिलीफ यतीनी का उद्देश्य लगान में रिलीफ दिये जाने का ठीक प्रकार हिसाब समान है। इष गणना में सबसे पहिसे रिलीफ यतीनी के स्तम्भ ५ में प्रत्येक सेत की समान कुल हानि वाले दोन का इन्द्राज किया जाय और इस स्तम्भ का मीजान समाया जाकर प्रतिभूमि-दोन (होलिङ) समवर्ती कुल हानि का दोन मालूम किया जाना चाहिये।

भूमि-दोन के कुल बोये हुए दोन को मालूम करने के लिये स्तम्भ ४ का भी मीजान लगाया जाना चाहिये। यदि दोन में कभी के कारण कोई तुरसान नहीं हुआ हो, तो सभूतं भूमि-दोन में हुए तुरसान प्रति रुपया आनों में घटक किया जाता है जिसके लिये 'समवर्ती तुल हानि' वाले दोन की तुलना भूमि दोन के उस दोन के साथ की जायगी जो कि आपत्ति-वर्ष में मीसम पर बोया गया था। इस प्रकार सामान्य उत्तर या प्रति रुपया आनों में तुरसान प्रकट किया जाता है। नकद लगान की दशा में मीसम पर लगान का समूचा भतालदा स्तम्भ १० में दर्ज किया जाता है और तब उस मीसम पर देय वास्तविक लगान की गणना, पैरायाक ३ में बताये गये एवं स्तम्भ ११ में लिखे गये पेमाने के अनुसार की जायगी।

रिलीफ यतीनी

सामान्य यतीनी में क्रम संख्या	इषक का नाम व उसके पिता का नाम	खसरा नम्बर (सेत का)	दोन जो बोया गया
१	२	३	४

समान कुल हानि बाला दोन	मीसम में सामान्य दोन	दोन में हुई कभी	दोन में हुई कुल कभी और "समान कुल हानि" का दोन
५	६	७	८

इन्द्राजी वारों में प्रति शब्दा	१३४ इन्द्राजी वारों में मोहम पर लगान का भवानका	१३५ इन्द्राजी वारों में मोहम पर देव लगान,	१३६ इन्द्राजी वारों में दिशेष विवरण
६	१०	११	१२

४६. इन्द्राजी की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, जांच—यह बड़े महत्व की बात है कि उपरा में "समवर्ती बुल हानि" के इन्द्राजी को तथा खतोनी में किये गये इन्द्राजी तथा गणेना की एच्छी प्रकार पूरी पूरी और मुक्तिमिल जांच की जाय; बारण कि उन्होंने पर नकद वास्तविक रिलीफ को पाना आवश्यक नहीं है। यद्यपि इन्सेप्टर लैण्ड रेकार्ड्स इन्द्राजी के सही होने तथा सही हिसाब लगाये जाने के लिये उत्तरदायी होंगा तथा पि कल्कटा की चाहिये कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा भी जांच, करावे, और उसके लिये उपरुक्त प्रतिशत निश्चित कर दे। सब-इंडीजन ग्रामपाल यह देखे कि तहसीलदार तथा अन्य मात्रत अधिकारियों द्वारा जो जांच जी जाय वह वास्तविक रूप से प्रभावकारी हो।

४०. एक-सी क्षति होने के क्षतिपूर्ण मामलों में रिलीफ खतोनी का आवश्यक न होना—यदि इसी गांव में सभी घसेलों को एक सी ही क्षति पहुंची हो तो निःपन्नेह रिलीफ खतोनी संयार किया जाना आवश्यक है क्योंकि उस दशा में रिलीफ का हिसाब नियम २६ में दी गई सारिणी के आधार पर लगाया जायेगा। परन्तु, असिचित देशों को छोड़कर, ऐसी स्थिति बहुत ही कम अवश्यित होती है जब तक कि क्षति बाढ़ के कारण न हो।

४१. शिक्षी-आसामियों को रिलीफ—यदि शिक्षी-आसामियों का क्षेत्र बहुत हो तो उन्हें भी सहायता देसी अनुपात में दी जा सकती है, जिस अनुपात में मुख्य-भासामों को दी जाय।

अध्याय ७

अधिनियम की घारा १३७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

४२. रसोर बहियों और लहसीलदार वा उत्तरदायित-तहसीलदार गरवारी मुद्रागालदय में भेजी गई रसोर बहियों (प्राप्त-प) की मय प्रतिपरतों के भुरादित रखने, डॉर्ट मूमियारियों को भेजे जाने तथा उसकी प्राप्ति व दिनी का निष्पारित प्राप्त में हिंगाव रखे जाने के लिये उत्तरदायी होंगा। यह यह भी देखेगा कि उसके पास हर समय उग्राही तहसील की गायांग आवश्यकता को पूरा करने के लिये रसोर बहियों पर्याप्त संख्या में भीत्र है व यह कि राजीद बहियों के लिये इण्डेप्ट टीका समय पर भेजे जाये तथा इण्डेप्ट अनुपानित या आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तेमार किये जायें और मुद्रागालदय से प्राप्त हुई गम्भीर राजीद-बहियों द्वारा जूम-पारियों को देखी गई रसोर-बहियों का इन्द्राजी मुख्य उप रविस्टर में बर दिया जाय वो कि उत्तरदायित रखा गया हो और यह कि प्राप्ति तथा दिनी गम्भीर उप इन्द्राजी पर

देने के बारे में नहीं होता जो एक प्राप्ति से बहा हो । प्रत्येक गांव या गाँव के हिस्थियों के लिये एक अलग प्राप्यना-पत्र होता ।

५२. अनुसूचियों जो प्राप्यना-पत्र के साथ आगाई आयेगी—प्रत्येक प्राप्यना-पत्र के साथ दो पट्टीयों में अनुसूचियों समाविष्ट आयेगी जिनमें इन लियों के गांव गांव ग्राम "क" में स्थित १ से ६ तक अपेक्षित विवरण बताये जायेंगे जो ऐसे प्राप्येक दोषी (defaulter) विवर के गोदावर में होने विस्तके विलुप्त अवैदार्य कार्यवाही कारावा आहता है । यदि दोषी-विवर एक से अधिक भूमि-पूँजी के संबंध में बताया का देनदार है तो प्रत्येक ऐसा भूमि-दोष असम-पत्र दिताया जायगा ।

५३. प्राप्यना-पत्र के साथ इसीट वही का इस्तुत रिया जाता—प्राप्यना-पत्र के साथ, अधिकारियम की पारा १३७ के प्राप्यनाओं के अन्तर्गत मुद्रित एक या परिवर्त रसीद-बहियों प्रस्तुत करेगा जिनमें बताया की वंशानी करने वाले अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाये जाने के लिये पर्याप्त संख्या में रसीद के फार्म मध्य प्रतिपत्ति होगे ।

५४. प्राप्यना-पत्र का साधापन—प्राप्यना-पत्र का सम्यान मिडिल प्रिया संहिता १६०८ (सं० ५, १६०८) के आंडर ६ के रूप १५ के अनुसारण में बाद-पूँजी (राईडिंग) के समान ही दिया जायगा ।

५५. प्राप्यना-पत्र पर कार्यवाही—ऐसा दिये जाने के पदचात तुरन्त ही प्राप्यना-पत्र को रखने हेतु एक मिसल (फाइल) खोली जायगी जिसमें विवर-मूँजों व आंडेज-मूँजों संस्करण होंगे ।

५६. अनुसूचि की कलक्टर द्वारा जांच—कलक्टर, भूमिधारी या पटवारी द्वारा जगान की वसूली के सम्बंध में रखे गये भागिलेख की जांच करने का किसी भव्य उचित तरीके से अनुसूचियों की जांच करेगा और इस बात में अपने भाग को घास्वत करेगा कि "अप्पिलिंग (claimed) रक्कन देय है और अनुसूचियों में ऐसे परिवर्तन बार संकेत जिन्हे यह प्रावश्यक समझे । कलक्टर यह भी देखेगा कि स्थान ५ में बताई हुई ब्याज के तौर पर जो रकम चाही गई है उसको गणना अधिकारियम में निर्धारित ब्याज-दर (एक आना प्रति रुपया प्रति वर्ष साधारण ब्याज) के अनुपार ठोक वी गई है । स्थान ३ से ६ तक में किये हुए इन्द्राज की जांच करने के बाद और इन ऐसे परिवर्तन, जिन्हे वह आवश्यक समझे, करने के पदचात, कलक्टर स्थान ७ में व. राम दंज वरेगा जिसे वसूल किया जाता वह कूजूर करे ।

५७. वसूली करने वाले कर्मचारीवां—कलक्टर, तदरश्वात अनुसूचियों को, रसीद बहियों के साथ, तहसीलदार वो भेजेगा । तहसीलदार या तो स्वयं बताया की वसूली आरम्भ करेगा अथवा यह काम हिसो भव्य अधिकारी यो सौप देगा जो साधारणतया नांयव-तहसीलदर या भू-अभिलेख निरीक्षक होगा । बताया, रातरव वी बताया की तरह, वसूल को जायेगी ।

५८. अतिरिक्त कर्मचारी वां—कलक्टर, वसूली के लिये अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा ।

५९. अतिरिक्त कर्मचारी वां के लिये को सौप—नियुक्त किये गये अतिरिक्त कर्मचारी

त्रिंशी हर्षा सांवारणतया मतालदे के ४ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये और किसी भी वर्ष में १ प्रतिशत से ज्यादा बढ़ना चाहिये ।

६०. रसीद दिया जाना—जिस अधिकारी को वमूली का काम सौंपा जाये वह प्रत्येक श्रेणी-व्यक्ति को उस रकम की जो उससे वमूल की गई हो एक रसीद उस बही या बहियों में से देता जो कि प्रार्थी द्वारा नियम ५३ के अनुरंगत पेश की गई हो ।

६१. वमूल की बकाया की रकम का अवस्थापन—जिस तहसीलदार ने वमूली की हो, वह, उसने द्वारा इन नियमों के अनुरंगत वमूल की गई रकम को, प्रार्थी अपवा उसके अधिकृत एकेट को, यदि वह उपस्थित हो, लिखित रसीद लेकर दे देगा । यदि प्रार्थी या उसका अधिकृत एकेट उपस्थित न हो, या वमूल शुद्ध रकम को लेना स्कॉकार न करे, अपवा वमूली तहसीलदार या नाशव तहसीलदार के अबावा इसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई हो तो, वमूल शुद्ध रकम, उहसीलदार के राजस्व न्यायालय की अमानत के रूप में दुर्जरी में जमा करा दी जायेगी जो प्रार्थी दो देय होगी और बालान फायल में लगा दिया जायगा । प्रार्थी को अन्तिम भुगतान करने के पहिले, वमूली का वह जुर्ची जो कलकटर ने पारा १६० की टप-धारा (५) के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट बिधा हो, काट दिया जायेगा और नियम ५२ के अनुसार फार्म "c" में तंयार की हुई द्विघड़ी अनुमूलियों में से एक सूची, जिसके सब स्टम्पों में इन्द्राज हो गये हों, प्रार्थी को दे दी जायगी ।

६२. भुगतान की गई रकम का इन्द्राज केंद्र दुक में दिया जाना—जब कभी रकम प्रार्थी या उसके अधिकृत एकेट को दो जाय या न्यायालय में जमा कराई जाय तो उसका इन्द्राज केंद्र दुक में किया जायगा जिसमें पाने वाले अक्ति का नाम तथा रकम बताई जायगी और उस इन्द्राज पर तहसीलदार के हस्ताक्षर होते :

६३. हिसाब का मिलान—एडाड एंट्रेट प्रपा (३) में एक नेबिंस्टर रखेगा, जिसमें समय समय पर वमूल की गई समस्त रकमें दरंग की जायेगी, ऐसी संभी वंशुलियों की सूचनों अकाउण्टेट को दी जायेगी ।

६४. रकमों वो वमूल करने वाला अधिकारी जब कभी तहसील में आये या पमूली के वद्वारा, यथा सम्बद्ध, दोष, अननी देश दुक के इन्द्राज का मिलान अंकाउण्टेट द्वारा रखे गये रोकटर में भी हुई प्रविधियों से किया जायगा ।

अध्याय ११

अधिनियम की धारा १८० के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम

६५. सुदर्शन व गेर एंट्रेटर द्वारा दियो यददा तिक्की द्वारा दियो वे देश दुक की प्रवाली—अधिनियम की धारा १८० के अनुरंगत जो जाने वाली कार्द्रूही में, वहाँ देने द्वारा या दियाँ द्वारा दिया हो, एक

की खोशात पर तथा त्रिंग भूमि के लिए प्रावेदन किया गया है। उस पर विचारात्मक नहा था।

हस्तादार	हस्तादार
पटवारी	पटवारी
पटवारी	पटवारी

रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संसाग है—

निम्न हस्तादारकर्ता के पास कोई आपत्ति देश मही हुई है।

इन हस्तादारकर्ता के पास जो आपत्तियाँ देश की गई हैं वे भी प्रस्तुत हैं, कोई भी ऐसे लिखे अनुसार हैं—

पटवारी..... १८.....

१—नाम गांव य सहस्रीम

२—नाम भासभी (पावेदक) मध्य बहिददत्त, जाति, उम्र उपा निषाप

३—मूल पा विवरण

४—गांवा पावेदक वे वास गांव की गांवादी में वहिते रो कोई महात है या मही

५—मोहना (सोकेलिटो) वा नाम

६—सरसरा न० तथा सेव/सेवी वा नाम

७—भूमि की सावई-बीड़ाई (कोट, इन्हों में)

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
-------	--------	-------	--------

८—कुल दोप्रात (घाँगज, घाँग कोट में)

स्थायी चिन्ह अद्द-स्पसी चिन्ह

९—सोमा के चिन्ह

१०—अभिप्राप जिसके लिए भूमि चाहिए—अर्थात्

पच्छा मकान/कच्चा मकान/पाठोड़/इकडालिया/नीहरा/याडा

११—आपत्तियों का विवरण जो प्रस्तुत हुई हों, यदि कोई हों,

या

१२—पटवारी की रिपोर्ट तथा सिफारिश

प्रपत्र—ख-स

पटवारी की रिपोर्ट

(देखिये नियम ११)

मुद्रादाता नं..... १९.....

... प्रावेदन-पत्र, छवि-कम्पकार अथवा गांव के दस्तकार द्वारा मकान के लिए भूमि दिये जाने हेतु।

बावेदक का नाम तोट्ठु दिनांक होठी पिटवाकर गाव में प्रकाशित किया गया था और गाव के रोपान पर तथा जिस सूमि के लिए बावेदन किया गया है उस सूमि पर चिपकीया गया था।
हमाक्षर पटवारी हस्ताक्षर लेखरदार तारीख

रिपोर्ट नियारित प्रश्न में संलग्न है ।
निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास कोई प्रापत्तियाँ पेश नहीं हुई है—
निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास जो बावेदन-पत्र पेश हुए हैं वे प्रस्तुत हैं ।
पटवारी तारीख

- १—नाम गांव व तहसील
- २—बावेदक का नाम मध्य वहिदयत, जाति, उम्र, निवास स्थान
- ३—बाया बावेदक के पास गाव की आबादी में पहले से कोई बदलाव है या नहीं
- ४—प्राया बावेदक गांव में कृषि कर्मकार/दस्तकार अर्थात् नुहार, कारपेण्टर, मोती, तुम्हार, बुलकर के रूप में काम करता रहा है ।
- ५—प्राया बावेदक गांव में पिछले दस या अधिक बारों से स्थायी तौर पर रहता रहा है
- ६—मोहल्ला (सोकेलिटी) का नाम
- ७—सूमि की सम्बाइ-चौड़ाई (फीट व इन्चों में)
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम
- ८—दुल सेवफल (वर्ग फीट में)
- ९—सीमा के चिन्ह—स्थायी स्थायी
- १०—अभिन्नता जिसके लिए सूमि लाहिए अर्थात् पढ़ा मकान/कच्चा मकान/पाटोड/इकड़ासिया
- ११—ब्रापत्तियों का विवरण जो ऐसा हुआ हो, यदि कोई हो
- १२—पद्धति विवरण
- १३—पटवारी जो रिपोर्ट तथा सिफारिष

प्रपत्र—ग

(देविये नियम १८)

पटवारी प्रतिपाण का नमूना
(देविये पारा ३२)

पुत्र थी जाति लालु विवाही

प्रपत्र छ

हिस्ताव का विवरण

राजस्थान हिनेसी एक्ट की धारा १३८ तथा उसके प्रधीन निर्मित राजस्थान दिनेसी (सरकारी) नियमों का नियम ४७

आसामी का नाम पद विवरण	भूमि या सम्पत्ति का वार्षिक संग्रह विवरण ताकि पहचानी या सायर जा सके ।	लगान या सायर की रकम, यदि कोई हो, जो प्रत्येक वर्ष तथा प्रस्तुत की बातों निकल ही हो ।	स्वाद	विशेष विवरण
योग.....	२	३	४	५
इति योग.....			५०	५१
सारीत.....			५१	५२

नायालय की मुहर

क्रम संस्करा	दोषी (बाकीदार) शब्दिक का नाम व प्रस्ता	बकाया संग्रह जो काविल बमूल है ।	बकाया जो दाताड़ है रकम जो बमूल होती है । रकम जो बमूल होती है । स्वाम ४ व ५ का योग जाता कलादार ने चंद्र किया	रकम जो बमूल होती है । जाता कलादार ने चंद्र किया	रकम जो बमूल होती है । विशेष विवरण
२	२	३	४	५	५

नोट—स्वाम १ से ६ तक प्रार्थी द्वारा भरे जायेंगे । (२) स्वाम ७ से ६ तक कलादार द्वारा भरे जायेंगे ।

१६

۶۲

३५८

१०	११	१२
रक्षा जो प्रार्थी को ले को दी गई मुझे संतुष्टि उसने इसका एजेंट जिसको दी गई	रक्षा जो प्रार्थी को ले को दी गई मुझे संतुष्टि उसने इसका एजेंट जिसको दी गई	रक्षा जो प्रार्थी को ले को दी गई मुझे संतुष्टि उसने इसका एजेंट जिसको दी गई
१३	१४	१५
१६	१७	१८
१९	२०	२१

३८

[नियम ६३]

रजिस्टर जिसे एकाउंटेंट रखेगा

प्रिया	प्रेय एवं साम	गाय घोग य पट्टी	कुल रकम जो वसूल होती है	रकम जो वसूल हुई	तारीख	रकम-जोड़ीयाकी रही
२	३	४	५	६	७	८

(२) मुमावजे के दावे का विवरण-पत्र स्वयं भूमिकारी द्वारा होता है। तो सबडिवीजनल अधिकारी को पेश किया जा सकता है या अधिकृत एजेण्ट के जरिये पेश किया जा सकता है या रसीदी रजिस्टर्ड डाक के जरिये भेजा जा सकता है।

५. धारा २० (२) के अन्तर्गत नोटिस का प्रपत्र—भासामी को धारा २० (२) के अन्तर्गत जारी किया जाने वाला नोटिस प्रपत्र 'ठ' में होगा।

६. सुधारो का मूल्य निर्दिष्ट करने में सम्म विवारणीय मामले—सबडिवीजनल अधिकारी, सुधारो का मूल्य निर्दिष्ट करने में, अधिनियम की धारा २४ में बलित मामलों के अतिरिक्त, सुधार किये जाने में भासामी द्वारा दिये गये राये व शारीरिक-पत्र के योगदान को भी ध्यान में रखेगा।

७. विस्तृपित

८. नालबट के अधिकार की प्राप्ति के लिये आवेदन-पत्र—(१) धारा ३१-के अन्तर्गत नालबट के अधिकार की प्राप्ति के लिये आवेदन-पत्र प्रपत्र 'ट' में होगा और आवेदन आवेदन-पत्र की उत्तरी प्रतिया पेश करेगा जितने व्यक्तियों में नालबट यमूल करने का अधिकार निहित हो।

(२) आवेदन-पत्र सबडिवीजनल अधिकारी को भासामी द्वारा स्वयं या अधिकृत एजेण्ट के जरिये पेश किया जा सकता है अथवा रसीदी रजिस्टर्ड डाक के जरिये भेजा जा सकता है।

९. धारा ३६-क को उप-धारा (२) के अन्तर्गत नोटिस—धारा ३६-क को उप-धारा (२) के अन्तर्गत नोटिस प्रपत्र "ठ" में होगा और नोटिस की एक प्रति भूमिकारी पर तामील की जायगी।

१०. धारा ३५-क (२) के अन्तर्गत मुआवजे के दावे का विवरण-पत्र—प्राप्त नालबट यमूल करने का अधिकार जिस व्यक्ति में निहित हो उसे देय मुआवजे के दावे का विवरण-पत्र प्रपत्र 'ठ' में पेश किया जायगा और तीन प्रतियों में होगा।

मुआवजे के दावे का विवरण-पत्र सबडिवीजनल अधिकारी को या तो स्वयं या अधिकृत एजेण्ट के जरिये दिया जा सकता है अथवा रसीदी रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है।

११. नालबट के अधिकार की व्याप्ति का प्रमाण पत्र प्रपत्र "ठ" में होगा।

अध्याय ३

अधिनियम की धारा ४८-५२ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये
नियम

१२. आवेदन-पत्र के साथ-पेश होने वाले दस्तावेज—अधिनियम की धारा ४८ के अन्तर्गत आवेदन-पत्र में निम्नलिखित विवरण होगा—

(१) जिन भूमि-क्षेत्रों को आवेदन केना चाहता है तथा जिनमें उसने दृष्टि की है एवं वहाँ में देना चाहता है, दोनों के संसरण नं०

(२) विसु खातीनी खाते में उक्त सब मूमिलेन दिये हुए हों। उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि।

(३) विसु डेट खाते से वे सब मूमिलेन सम्बद्ध हों उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि।

(४) विनिमय (एकसचेज) के बाघार

(५) एक विवरण-पत्र जिसमें ऐसे विस्ती पट्टे (लीज), बंधक, या अन्य अधिभार (encumbrance) का घौरा जिसमें कि आवेदक द्वारा विनिमय में दिया जाने वाला मूमिलेन नहिं हो, तथा पट्टा दाता, बंधक ग्रहीता अथवा अधिभार-स्थापक (encumbrancer) का नाम नहीं पता।

(६) यदि नूमिधारी प्रस्तावित विनिमय में पक्ष न हो तो उसका नाम व पता।

१३. नोटिस जारी किया जाना—उपर्युक्त आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर, सहायक कलक्टर, अनियम (opposite parties) को तथा मूमिधारी को और, उस दशा में जब कि, अधिनियम की घारा ५१ के प्रावधान लागू होते हों, पट्टा-दाता बंधक ग्रहीता, तथा अधिभार-स्थापक को यह कारण प्रवठ करने का अधिकार प्रदान करेगा कि वहो न विनिमय के लिये आदेश दे दिया जाय। ऐसे प्रत्येक नोटिस के साथ उस आवेदन-पत्र की एक प्रतिलिपि लगाई जायेगी जो कि आवेदक ने पेश किया हो।

१४. आपत्तियों का निवारा तथा आगे को प्रतिया—(१) सहायक कलक्टर आपत्तियों की, यदि कोई हो, मुनवाई करके निवारा करेगा और ऐसी और जांच जिसे वह आवश्यक सुझाए, करने के पश्चात, आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा यदि वह संतुष्ट न हो जाय कि विनिमय वा आदेश दिये जाने के लिये युक्तियुक्त आपार है।

(२) यदि सहायक कलक्टर संतुष्ट हो जाय कि विनिमय मंदूर किये जाने के लिये युक्ति युक्त आपार विद्यमान हैं तो वह विनिमय की जाने वाली मूमि का मूल्य मालूम करेगा जिसके निमित्त वह प्रत्येक मूमि-खण्ड के द्वेषकर को उसके वायिक, लगान—उस मूमि-वर्ग की उस धरेरी के लगान के अनुसार संगणित किया गया हो—जो घारा २१ के प्रावधानों के अन्तर्गत अंतिम इष से निवित किया गया हो, से गुणा करेगा। मूल्यांकन पर विचार करने के बाद और उस दशा में जब कि घारा ५१ के प्रावधान लागू होते हों, पट्टे (लीज) बंधक या अन्य मार की घातों घापातों (incidents) पर भी विचार करने के पश्चात्, सहायक कलक्टर, आवेदन को पूर्णतया अपना अंदाता मंदूर कर सकेगा।

१५. सामान वा विभाजन—यदि, अधिनियम को घारा ५१ के अन्तर्गत घायंदाही के परिणाम स्वरूप विस्ती मूमिलेन का केवल एक अंदा ही विनिमय में मंदूर किया जाय तो, सहायक कलक्टर, उक्त मूमिलेन के लगान को उक्त अंदा तथा अविष्ट अंदा के बीच विभाजित करेगा।

१६. विनिमय के आदेश देने में पासनीय सिद्धान्त—विनिमय वा आदेश देने में, सहायक कलक्टर निम्नलिखित गिरावतों वा पासन करेगा—

(१) कि वह मूमि बिसे आवेदक दे, मूल्य में तथा किसमें व्यापारमूद उम मूमि के विवरण तथा सम्बन्ध हों किये वह प्राप्त करे।

अध्याय १६

अधिनियम की धारा ७७ के प्रावधानों को कियान्वित करने के लिये नियम

२५. क—धारा ६६ या धारा १७ के अन्तर्गत आवेदन-पत्र का प्रक्रम—प्राविनियम की धारा ६६ के प्रथम परम्परुक के धर्मीन रिसी शासेदार आगामी द्वारा या धारा १७ के धर्मीन भूमिधारी द्वारा प्रपत्त स्वयं के निवाग के लिये एक आवास गृह या पर्यावाहा या और हाउस या हृषि-कायों के लिये कोई धर्म निर्माण जो धारा ६६ के प्रथम परम्परुक में वर्णित अद्वितीय की दूरी के भीतर स्थित भूमिधोन पर बनाया जाना या ग़ा़िया जाना है, वी स्वीकृति के लिये एक आवेदन-पत्र, उस सहित के पटवारी को मार्कं तहसील के तहसीलदार को प्रस्तुत किया जायगा जिसमें उसका भूमिधोन दियत है। आवेदन-पत्र प्राप्त “प प” में होगा और जो विवरण उस प्रपत्त में प्रयोगित हैं वे दिये जायेंगे ।

२५. छ—पटवारी को रिपोर्ट—पटवारी, आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उसे एक सम्भाह के अन्दर प्रपत्र ‘यथ’ के मात्र २ में, प्रपत्री रिपोर्ट के साथ तहसीलदार को पेश करेगा ।

२५. ग—नगरपालिका से विचार-विषय—तहसीलदार, पटवारी वी रिपोर्ट तथा प्रपत्र “यथ” में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित नगरपालिका से यह पूछताद बरेगा कि आया नगरपालिका को, नगरपालिका सीमाओं के भीतर प्रस्तावित निर्माण (जिसके विवरण नगरपालिका को भेजे जाने चाहिए) किये जाने में कोई आपत्ति है और तहसीलदार, नगरपालिका को यह लिखेगा कि यदि एक महीने के भीतर नगरपालिका को ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो यह मान लिया जायगा कि नगरपालिका को कोई आपत्ति नहीं है ।

२५. घ—आवेदन-पत्र का निपटारा - तहसीलदार, पटवारी वी रिपोर्ट तथा नगर पालिका के उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् तथा ऐसो और जाव यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् या तो स्वीकृति दे देगा या आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर देगा ।

२५. ङ—परिस्थितियाँ जिनमें स्वीकृति दी जा सकती है—तहसीलदार स्वीकृति देते समय, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा—

(१) आया प्रस्तावित निर्माण, अधिनियम की धारा ५ के खण्ड (११) के अर्थ में निश्चित रूप से कोई सुधार होगा ।

(२) यदि वह निर्माण जिसके लिये स्वीकृति का आवेदन-पत्र दिया गया है कोई आवास गृह है तो क्या प्रस्तावित आवास गृह भूमि-क्षेत्र पर हृषि-कायों के लिये निराकार आवश्यक है ।

(३) आया प्रस्तावित निर्माण उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह अभीष्ट है अधिक सर्वोत्तम है ।

(४) आया आवेदक के पास पहिले से भूमि-क्षेत्र का सुविधा पूर्वक या लाभप्रद रूप से उपयोग करने या कब्जा रखने के लिये भूमि-क्षेत्र के निकटस्थ कोई मकान है और यदि ऐसा

(६) भूमि-सेत्र पर ही आवास गृह रखने में क्या अधिकार्य है ।

(५) आपा गंव की आवादी में पावेदक का कोई आवास गृह है और यदि है तो या इष्टि-आदों के लिये भूमि-सेत्र पर ही आवास गृह का निर्माण आवश्यक है ।

(६) यदि निर्माण, जिसको स्वीकृति के लिये आवेदन-पत्र दिया गया है, कोई गृह-आदा है तो वहा पगु-बाड़ा/चाड़े पहिले से ही मौजूद हैं और यदि है तो क्या और पगु-बाड़े का निर्माण, पावेदक के पगुओं की सहाया को देखते हुए, आवश्यक है और क्या पगु चाड़े में ऐसे जाने वाला क्षेत्र बहुत अधिक है ।

(७) यदि वह निर्माण, जिसको स्वीकृति के लिये आवेदन किया गया है, कोई स्टोर हाउस है तो क्या भूमि-सेत्र पर पहिले से ही स्टोर हाउस मौजूद या या है और यदि है तो वहा कुल वार्षिक पेंदावार, जिसके स्टोर किये जाने के लिये स्थान की आवश्यकता है, को ध्यान में रखते हुए और स्टोर हाउस का निर्माण आवश्यक है और क्या प्रस्तावित स्टोर हाउस द्वारा ऐसे जाने वाला क्षेत्र बहुत अधिक है ।

(८) यदि वह निर्माण जिसको स्वीकृति के लिये आवेदन किया गया है, कोई गृह-पगुबाड़ा, या स्टोर हाउस के अनावा कोई निर्माण है तो तहसीलदार यह विचार करेगा कि क्या ऐसा कोई निर्माण, भूमिक्षेत्र को सुविधापूर्वक या सामग्रद रूप से उपयोग करने या कब्जे में रखने के लिये आवश्यक है ।

(९) उपर्युक्त स्पष्ट (१) से (८) तक के प्रावधानों के अधीन रहते हुए,

(क) जहाँ भूमि-सेत्र ५० एकड़ से अधिक है तो आवास-गृहों, पगुबाड़ों, स्टोर हाउसों, तथा अन्य निर्माण द्वारा ऐसे जाने वाला क्षेत्रफल कुन मिलाकर एक एकड़ से अधिक नहीं होगा और जहाँ भूमि का क्षेत्रफल पचास एकड़ से अधिक नहीं है तो ऐसे किसी भी सुधारों द्वारा ऐसा जाने वाला क्षेत्रफल भूमि के कुल क्षेत्रफल के १/५ से अधिक नहीं होगा, और

(ख) आसामी या भूमियारों के उपयोग के लिये उसके भूमि-सेत्र पर एक से अधिक आवास गृह नहीं होगा ।

२५. च-परिस्थितियां जिनमें आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जायेगा :— आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जायेगा यदि प्रस्तावित निर्माण :—

(१) कोई ऐसा सुधार नहीं है जैसा कि अधिनियम में परिमापित है ।

(२) उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह असीम्य है, बहुत अधिक लंबाना है या

(३) ऐसा सुधार नहीं है जिसे करने का पावेदक हकदार है ।

२६. आवेदन-पत्र की विषय-कस्तु :— (१) किसी सुधार पर सर्व की गई रकम का निश्चय कराने के लिये आवेदन-पत्र में सुधार की किसी तरफ और दिया जायगा और उसके साथ उस आवाजा की एक प्रति भी होगी जिसके बरिये सुधार किये जाने की स्वीकृति दी गई हो, तथा गर्व की गई रकम का हिस्सा, यथामम्बद वारचरों के साथ, यामिल किया जायगा ।

श्लोकायाम् १६

अधिनियम की धारा ७७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

२५. क—धारा १६ या धारा १७ के भावान्त आवेदन-पत्र का प्रत्र—अधिनियम की धारा १६ के प्रथम परभुक के अधीन इगो जागेदार आवासी द्वारा या धारा १७ के अधीन भूमिधारी द्वारा उपने स्वयं के नियम के लिये एवं आवास शृङ् या पत्र-आवास या ईटोर हाउज-या कृषि-कायों के लिये कोई सम्बन्ध निर्माण जो धारा १६ के प्रथम परभुक में वर्णित था— ध्यास की दूरी के भीतर भूमिधेन पर आवास जाना या नहा किया जाना है, वी स्वीकृति के लिये एक आवेदन-पत्र, उस गठिक के पटवारी की माहौल तहसील के तहसीलदार को प्रस्तुत किया जायगा जिसमें उसका भूमिधेन रिपोर्ट है। आवेदन-पत्र प्राप्त “प घ” में होता और जो विवरण उस प्रपत्र में प्रवेदित है वे दिये जायेंगे ।

२५. ख—पटवारी को रिपोर्ट—पटवारी, आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उसे एक सत्त्वाह के प्रधान प्रपत्र ‘घय’ के भाग २ में, उपनी रिपोर्ट के साथ तहसीलदार को पेता करेगा ।

२५. ग—नगरपालिका से विचार-विधान—तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट तथा प्रपत्र “घय” में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित नगरपालिका से वह पूछताद्द करेगा कि आवास नगरपालिका को, नगरपालिका सीमाओं के भीतर प्रस्तावित निर्माण (जिसके विवरण नगरपालिका को भेजे जाने चाहिए) किये जाने में कोई आपत्ति है और तहसीलदार, नगरपालिका को वह लिखेगा कि यदि एक भीतरे के भीतर नगरपालिका की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह मान लिया जायगा कि नगरपालिका को कोई आपत्ति नहीं है ।

२५. घ—आवेदन-पत्र का निपटारा - तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट तथा नगरपालिका के उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात तथा ऐसी ओर जाव यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् या तो स्वीकृति दे देगा या आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर देगा ।

२५. ङ—परिस्थितियों जिनमें स्वीकृति दी जा सकती है—तहसीलदार स्वीकृति देते समय, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा—

(१) आया प्रस्तावित निर्माण, अधिनियम की धारा ५ के खण्ड (११) के अर्थ में निश्चित रूप से कोई सुधार होगा ।

(२) यदि वह निर्माण जिसके लिये स्वीकृति का आवेदन-पत्र दिया गया है कोई आवास शृङ् है तो क्या प्रस्तावित आवास शृङ् भूमि-धेन पर कृषि-कायों के लिये निवास आवश्यक है ।

(३) आया प्रस्तावित निर्माण उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह अभीष्ट है अधिक लंबाला है ।

(४) आया आवेदन के पास पहिले से भूमि-धेन का सुविधा पूर्वक या लामप्रद रूप से उपयोग करने या कब्जा रखने के लिये भूमि-धेन के निकटस्थ कोई मकान है और यदि ऐसा

अध्याय ७

धारा ८४ के प्रावधानों को कियान्वित करने के लिये नियम

१. साइंस—धारा ८४ की उपधारा (५) में निर्दिष्ट साइंस 'द' (१) विशेष तथा (२) सामान्य हो सकते हैं जो प्राच भूमि पर होंगे।

२. विशेष साइंस—(१) विशेष साइंस वे हैं जो एक महीने से अधिक प्रयोग के लिए जारी नहीं किये जाते हैं।

(२) योई भी विशेष साइंस किन्हीं निर्दिष्ट वृक्षों को अथवा वृक्ष-बांध को हटाने के लिए मंजूर किया जा सकता है और विनालिति गमी प्रयोगों के लिए अथवा उनमें से किन्हीं के लिए हो सकता है अन्य इसी प्रयोग के लिए नहीं—

[क] भूमिधारी अथवा आसामी, यथास्थिति, जो इन्हीं भी विशेष आशयकताओं की पूति के लिए।

[ख] भूमि अथवा उनकी उपज के द्रष्टव्य में उनमें से इसी की आमतिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए।

[ग] गाँव बालों द्वारा अथवा उनकी ओर से इए जाने वाले इन्हीं भी निर्माण-कार्यों में सहयोग देने के लिए।

३. सामान्य साइंस—(१) सामान्य साइंस वे हैं जो एक महीने से अधिक प्रयोग के लिए जारी किये जाते हैं—

(२) इन नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन रहने हुए, अधिकासित (occupied) अथवा अनधिकासित (unoccupied) भूमि पर खड़े हुए समस्त वृक्षों को अथवा इसी वृक्ष-बांध को हटाने वे लिए गामान्य साइंस नीचे लिखे मामलों में जारी किया जा सकता है—

(क) अधिकासित भूमि पर खड़े वृक्षों को हटाने के लिए, जब साइंस देने वाले अधिकारी को यह प्रमाणित करके सतुष्ट कर दिया जाय कि उक्तहेठि वृक्षों को हटाना भूमिधारी या आसामी की कृपि अथवा कृपि-कार्यों के यथास्थिति विस्तार के लिए आवश्यक है।

(ख) अनधिकासित भूमि पर खड़े वृक्षों को हटाने के लिए, जब कि इस प्रकार वृक्ष हटाना।

[१] कृपि के विस्तार के लिए, अथवा

[२] नये वृक्ष लगाने के लिए, या

[३] फलदार वृक्षों की दस्ता में, जब कि वे बहुत पुराने, जीर्ण हो गये हों और उनका कीण होना आरम्भ हो गया हो, या

(४) जब कि ऐसे वृक्ष हटाने पर उनसे भूमि की उच्चता पर प्रभाव पड़ता हो अथवा अन्य प्रकार से भूमि अथवा खड़ी फसलों को यदि कोई हो, सति पहुंचती हो।

१. परम्परा बहुत (२) / (३) भीतर (४) की दर्शा में, "डिवीजन के डिवीजनल कॉरिस्ट अधिकारी ने बदल सालाह सी जायेगी और उसकी सलाह के घनुसार ही 'लाइसेंस बारी' किया जायेगा। यदि ताईसेंस देने वाला अधिकारी डिवीजनल कॉरिस्ट अधिकारी, की सलाह से घनुसार न हो- तो, वह उसी परामर्श कारण सिखते हुए मामले को चीफ कंजरवेटर कॉरिस्ट, राजस्थान को राय के लिए प्रेरित करेगा। लाइसेंस बारी करने वाला अधिकारी, चीफ कंजरवेटर, कॉरिस्ट की राय से भोग्य होगा और उसकी राय के घनुसारण में ही लाइसेंस 'बारी' किया जायेगा।

२५. विज्ञोर्वित—

२५. लाइसेंस फीस—(१) विशेष लाइसेंस विधुलक जारी किया जायेगा और वह जारी होने की तारीख से एक महीने की अवधि के लिए होगा अपदेश यदि उसमें उनसे कम अवधि लिखी होई है तो उस कम अवधि के लिए भी और उसके पुनः नवीकरण की घनुसति नहीं होगी।

(२) सामान्य साइसेंस प्रति बूक एक आना अंयों प्रति एकड़ पांच रुपयाँ जो भी कम हो, जीस देने पर जारी किया जायेगा।

(३) इस नियम को कोई भी आत्म, उस दशा में जब कि लाइसेंस समाप्त हो गया हो नया लाइसेंस जारी किये जाने में झकाट नहीं डालिये अर्थात् कि नया लाइसेंस पूर्णतया इन नियमों के घनुसार जारी किया जाय।

३६. लाइसेंस जारी करते समय व्याज में रखने योग्य दाते—(१) लाइसेंस स्वीकार करने के पहले, लाइसेंस देने वाला अधिकारी उन आधारों की जांच करेगा जिन पर आवेदक लाइसेंस लेना चाहता है तथा उनकी न्यायोक्तियाँ के सम्बन्ध में भी जांच करने और केवल ऐसे बुक या वृत्तों को हटाने की अनुमति देगा जिनका हटाया जाना, दूसरों को हानिप्रद हुए दिनों अपदेश सामान्य ग्राम अर्थ व्यवस्था को नाराज या गड़बड़ किये दिना, आवेदक की विशेष ग्राम-इकाईओं को प्रूति के लिए पर्याप्त हो।

(२) सामान्य लाइसेंस मंदूर करते समय निम्नलिखित दाते जो व्याज में रखी जायेगे—

(क) कि प्रस्तावित बुक को हटाना सामान्य यनता के सिए हितकर तथा आमग्रद मिठ होने वाला हो तथा उनकी ईघन व छक्कड़ी की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने वाला हो तथा आवेदक के हित में हो बंदरते कि उसका हित जन-हित के प्रतिकूल न हो।

(ल) कि प्रेस्टोविंट बुकों को हटाये जाने से,

[१] भूमि के अंतर्याक्त लाली हो जाने की सम्भावना न हो,

[२] भूमि का कटाव होने की सम्भावना न हो,

[३] इपि अर्थ अंदरस्था के हिंगड़ने की सम्भावना न हो,

३७. लाइसेंस की दाते—अधिनियम के अन्तर्गत मंदूर किये गये प्रत्येक लाइसेंस की एक दर्ता यह होती है—

(क) बुक लाइसेंस में स्थित हुए समय के भीतर और उसकी दातों के घनुसार हटाये जायें।

(त) तृष्णा, पहोची भी युग्मि, सरी कागजों, या अपना तृष्णा, या महानों को कोई जटि न पहुँचाते हुए हृष्टाये जायेंगे।

३८. साइरेंस का निरीक्षण—इन नियमों के धारार्थ जारी दिये गये समस्त साइरेंसों का निरीक्षण किसी भी राजस्व घविलारी, किसी भी करिए अधिकारी अपना युक्ति अधिकारी भी दद में यह साइरेंस युक्ति से भीये दद का न हो, द्वारा किया जा सकेगा और साइरेंस को दातों का कोई भी उस्लेपन या उसे जारी करने में कोई भी अधिविभाग या अधिकारी द्वारा जिसने उसे पकड़ा है साइरेंस मंजूर करने वासे अधिकारी के मोटिव में मार्ह जायेगी।

३९. साइरेंस रद्द किया जाना—यह प्राधिकारी जो अधिनियम के प्रत्यंत साइरेंस जारी करने में सहम है, उसे किसी भी प्रमय रद्द कर सकेगा यह कि—

[१] साइरेंसधारी, साइरेंस की किन्हीं दातों या प्रतिशब्दों का उस्लेपन करता है प्रतिशब्द ३८ में व्यवसित रीति से साइरेंस को निरीक्षण के लिए पेश करने में प्रसफ़न रहता है।

[२] दाद में पता लगता है कि साइरेंसधारी ने, साइरेंस प्राप्त करने के लिए, तर्झों को गलत स्पष्ट में प्रस्तुत किया है।

४०. साइरेंस का समर्पण—(१) लाइसेंस, उसकी घवित समाप्त होने के १५ दिन के भीतर, साइरेंस मंजूर करने वासे अधिकारी को समर्पण कर दिया जायगा।

२) साइरेंस रजिस्टर-साइरेंसों का एक रजिस्टर प्रपत्र 'द' में प्रत्येक तहसील में रखा जायगा।

अध्याय ८

अधिनियम की धारा ११४ तथा ११७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

४१. लगान की दरों का प्रकाशन—लगान दर अधिकारी, लगान की दरों तथा उसके द्वारा धारा १११ से ११३ तक के अधीन तैयार किए गए रेकार्ड के सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों को प्रकाशित करेगा, तत्सम्बन्धी आपत्तियों वा निपटारा करेगा तथा अपने प्रस्ताव तथा स्वयं द्वारा तैयार किए गए रेकार्ड को, ऐसे संशोधनों के पश्चात् जिन्हे वह उचित समझे, ऐसी रीति से जो कि राजस्थान सेटिलमेण्ट मैन्युअल (सेटिलमेण्ट धारीसं) में ऐसे मामलों के बारे में निर्धारित की जाय, बोर्ड को प्रेपित करेगा।

कुछ मामलों में लगान सम्बन्धी विवाद

४२. तहसीलदार द्वारा खोल—धारा ११७ (२) में विभिन्न आवेदन-पत्र के प्राप्त होने पर, तहसीलदार, आवेदकों की उपस्थिति में सुनवाई के लिए एक तारीख नियत करेगा। विहङ्ग

तथा दो एक नोटिस तारीख के रायमें जिसमें उपस्थिति के लिए सुमित्र "तथा" व्यक्त दृष्टि और उपस्थिति के साथ आवेदन की एक प्रतिनिधि होगी^{१}} महसूसों से ऐसे समूचे साथ भी बारू उपस्थित होने की अपेक्षा की जायगी इतिहास पर ही भरोसा रखते हों।

४३. उपुक्त तारीख पर उहसीलदार विस्तृप्त पक्ष से पूछ कर "यह निरचय करेगा कि शायर यह (विस्तृप्त) दावे को स्वीकार करता है । उस दिन भी मैं जब कि विस्तृप्त पक्ष दावे से सीधारं दावे, उहसीलदार उद्दुसार प्रथमा निरुप्त दे देगा ।"

जहाँ विस्तृप्त पक्ष इस प्रकार स्वीकार न करे, तहसीलदार दोनों का संबूत सेख बढ़ करेगा, उस्तावें तथा "भौतिक साध्य" जो उसके समक्ष पेश की जाय निरीक्षण करेगा तथा याचन्द्र रायवात में किए हुए इन्द्राज, यदि कोई हो, जो भी जांच करेगा और तरपत्तात प्रथमा निरुप्त देगा ।

अध्याय ६

धारा १३६-१४० के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

४४. सामान वा तहसील में जमा कराना—उहसीलदार एके रजिस्टर रखेगा जिसमें जमा शुद्ध हर रकम के विषय में जीवे लिखा विवरण होगा—

- (१) जमा शुद्ध रकम की कम से०
- (२) तारीख जिसको ग्राप्त हुई ।
- (३) जमा कराने वाले का नाम, वर्तित, जाति तथा निवास-स्थान ।
- (४) भविनियम की धारा १३६ के ग्रन्तांत निविट उस घटक का नाम, वर्तित, जाति तथा निवास-स्थान जिसके पक्ष में जमा कराई गई है ।
- (५) रकम जो जमा हुई ।
- (६) तारीख जिसको देखते में जमा हुई तथा चालान दा नम्बर ।

भुगतान

- (७) भुगतान या वापिसी के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र की कम संख्या ।
- (८) भुगतान या वापिसी के लिए आवेदन-पत्र वो तारीख ।
- (९) भुगतान या वापिसी की मात्रा वो तारीख ।
- (१०) नाम, वर्तित, जाति तथा निवास-स्थान वग घटक का जिसे भुगतान या वापिसी (रिफंड) जो आता हुई ।
- (११) रकम जिसके भुगतान की मात्रा हुई ।
- (१२) तारीख जिसको देखते में भुगतान दा वापिसी जो गई ।

(१३) राजस्यान अन्तर्गत फाइलेजात एवं एकाउन्ट्स हस्त के आदीजिल १२८ के प्रभावेत
- दद्यात राशियों (Lapsed) ।

४५. प्रत्येक जमा मुद्दा राशि को तहसीलदार याचार्यवाच भीष्म निष्ठाप्य जरकारी देवरी
में जमा करेगा और देवरी की रसीद पाइए पर एवं जायेगी ।

४६. यदि देवरी में जमा कराये जाने वे तारीग रजिस्टर में दर्ज करदे गई हो, तो
तहसीलदार रजिस्टर पर जपने हस्ताक्षर करेगा जो इस बात का प्रतीक (token) होगा कि
रजिस्टर में की गई प्रतिष्ठियों सही है ।

४७. नियम ४४, ४५ व ४६ के ग्रावारानों का वासन हो जाने के बाद तो व्यापारमय
प्रपत्र "P" में एक नोटिस कारी करेगा जो नियम ४४ द्वारा निर्धारित रजिस्टर के स्थान ४ में
निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम होगा ।

४८. किसी जमा के भुगतान के लिए कोई आज्ञा पारित हो जाने पर, राजस्यान जनरल
फाइलेजाल एण्ड एकाउन्ट्स हस्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक बाउचर उग्र व्यक्ति को दिया
जायगा जिसके पश्च में भुगतान के लिए आज्ञा दी गई हो ।

४९. जो एकम दी जानी हो वह प्रत्येक बाउचर में तथा उसके प्रतिपत्र (काउन्टर
फाइल) में तहसीलदार द्वारा स्वयं जपने हुए से अको में लिखी जायगी ।

५०. बाउचर का न० तथा तारीख, भुगतान हेतु प्राप्त घावेदन-पत्र के रेकाउं में रखी
जायेगी ।

५१. यदि कोई बाउचर उस तारीख से जिसको कि लिखा गया हो भुगतान हेतु पेश नहीं
किया जाय तो उसका रूपया दिया जाने से इकार कर दिया जायगा और एक नया बाउचर (क)
मूल बाउचर समर्पित या रद्द किये जाने पर रूपया (क) यदि बाउचर खो गया हो, देवरी से
उसका रूपया न दिया जाने का प्रमाण-पत्र तहसीलदार जो मिलने पर, सिया जाना चाहिये ।

५२. रद्द किया हुआ प्रत्येक बाउचर देवरी को भेजा जायगा और मूल बाउचर वो
प्रतिपत्र पर एक नोट उसे रद्द किये जाने का मता दिया जायगा ।

५३. जब देवरी से भुगतान कर दिये जाने की मूलना प्राप्त हो तो, भुगतान की तारीख
रजिस्टर में लिखी जायेगी और तहसीलदार रजिस्टर पर जपने हस्ताक्षर करेगा जो इसका
प्रतीक होगा कि भुगतान सम्बन्धी इन्द्राज सही है ।

५४. यदि जमा की हुई एकम को लेने के लिए तीन वर्ष तक कोई दावा न करे तो,
तहसीलदार जमा कराने वाले व्यक्ति को तलब करेगा और उससे जमा मुद्दा एकम को वापिसी
के लिए लिखित घावेदन-पत्र पेश करने का निर्देश देगा । घावेदन-पत्र प्राप्त होने पर, और
तहसीलदार द्वारा, उस व्यक्ति की पर्याप्त पहचान कर लिए जाने के बाद जो तज्ज्ञों पर उप-
रिक्षित होते हैं, तथा जमा कराने वाला होने का दावा करता है, जो प्रक्रिया होगी वह उसी
प्रक्रिया के अनुरूप होगी जो कि भूमिधारियों के घावेदन-पत्रों के सम्बन्ध में होती है ।

५५. तहसील का पेशकार, अनधिकृत समस्त राशियों का तहसीलदार के नोटिस में
लाने के लिए उत्तरदायी होगा; और वह इस प्रयोजनार्थ जनवरी से ग्राहम होने वाली प्रत्येक

मियारी के प्रबन्ध संस्थान में राजिस्टर को निरोक्तातु एवं हस्ताक्षरों के बिए तहसीलदार को देख दैता।

५४. दूपरी के नस्तों में किये हुए इन्ड्राज के साथ समय-समय पर आवश्यक भीसाम दरा समादोदन किया जायगा।

अध्याय १०

अधिनियम की धारा १४७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

५७. प्रमुख बाटने के समय बाबार में प्रचलित भावों का एक नवघा, जैसा कि धारा १४७ में निर्दिष्ट है, बसवटर छारा, राज्यान्यान लैण्ड रेकाइंस मैन्युफ्ल के पैरा २४३ में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक तहसील से उसे भेजे गये विवरणों के प्राप्तार पर तैयार किया जायगा। इस प्रकार तैयार किये गये नक्तों की एक प्रति प्रत्येक सम्बन्धित तहसील में भेजी जायगी जो कि तहसील के नाटिस बोर्ड पर स्थार्ड जायगा।

अध्याय ११

अधिनियम की धारा १६१, १७०, १७४ से १७६ तक, १७७ तथा १८८ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम।

आसामियों को बेंद्रहुली का नोटिम

५८. आवेदन पत्र को विषय वस्तु—(१) अधिनियम की धारा १६१ के प्रन्तर्गत तहसीलदार की पता किये जाने पासे आवेदन-पत्र में नोटे लिखी जाते होंगी—

(क) मूर्मियारी का नाम, पिता का नाम, जाति और निवास-स्थान

(ख) आवेदन विषय हैसियत से, आमामी को बेंद्रहुली किये जाने की मोग बरता है मस्तन आदा भू-सम्पत्ति आरक के रूप में, या बनूदून लगान-दर पर अनुदान प्रहीना के रूप में, यद्यका मुख्य आमामी के रूप में जिमने वा मूर्मि की जिमनी पट्टे पर उठाया हो जिमने बदलकर आहता है।

(ग) आमामों का नाम, पिता का नाम, जाति तथा निवास-स्थान

(घ) लगान व आज़ की कुल रकम जिसे पिये दाता किया है यद्य इस हिसाब के किसी प्रत्येक विश्व के मानवधर में जितनी रकम बढ़ाया जाया आज़ की लगाई गई है।

(इ) मूर्मि-लेन में रामाविट प्रत्येक ट्लाट का योष्ठा मं० यद्य दोनों ओर उस तहसील, जिला, गाँव, धोक व पट्टी का नाम जिसमें मूर्मि सिद्ध है।

[१] आसामी का साम, बस्तियत, बालि, रुपा निशाच-रेणु एवं दर्ढी-बर्षी खुदकाशत आसामी, वेर लातेदार आसामी या घिरमी-घोरामी।

[२] नाम गाँव, लहानील व बिसा

[३] नाम घोर व पट्टी

[४] लेत का लातारा वं० मय थोड़फल

[५] भूमि-देव का सामन

[६] आपार जिन पर बेदरसी आही आही है (पारा १८० के खाड (क) ऐ (ग) तक देसिये) तथा

[७] भूमिपारी की बिजो-खाशत की भूमि का बिस्म-वार कुम बोपपल ६५. आवेदन-पत्र के साथ निम्नसिद्धित दस्तावेज देने किये जायेगे—

(१) खतोनी की एक प्रमाणीकृत प्रतिलिपि जिसमें वह भूमि सम्मिलित हो जिसमें बेदरसी आही आती है ।

(२) सम्बन्धित सेवट की प्रमाणीकृत प्रतिलिपि ।

(३) धारा १८० के खण्ड (स) या (ग) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र होने की दशा में उसके साथ उस पट्टे (सीज) या चिकमी-पट्टे (सध-सीज) की एक प्रमाणीकृत प्रतिलिपि होगी जो कि धारा ४५ या धारा ४६, यथास्थिति, के अन्तर्गत मंजूर की गई हो ।

(४) धारा १८० के खण्ड (स) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र होने की दशा में, आवेदन-पत्र के साथ, उक्त खण्ड में निर्दिष्ट समयावधि के बारे में गदत गिरदावरी की एक प्रमाणीकृत प्रतिलिपि भी शामिल होगी और उस खण्ड में निर्दिष्ट पट्टे (सीज) या चिकमी-पट्टे की प्रमाणीकृत प्रतिलिपि भी शामिल की जायगी ।

(५) आवेदन-पत्र के साथ आवेदक के खतोनी की एक प्रमाणीकृत प्रतिलिपि भी शामिल होगी जिससे आवेदक की सुदकाशत को संभूएं भूमि प्रकट हो सके ।

६५. धारा १८० के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदन-पत्र सिविल प्रक्रिया सहित (नं० ५ घोक १८०८) के घाउंडर ६ के रूप १५ के भनुसार प्लोडिंग की तरह सरयापित किया जायगा ।

६६. ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसे समस्त व्यक्तिगत पदा (पार्टी) बनाये जायेंगे जिनकी भूमि खुदकाशत के रूप में भवाप्त की जाने वाली हो और आवेदक आवेदन-पत्र के साथ उसकी उतनी प्रतिलिपियां शामिल करेगा जितने आसामियों को नोटिस दिया जाना हो ।

६७. यदि आवेदन-पत्र में नियम ६३-६६ में व्येदित समस्त बातें पूरी कर दी गई हों तो असिस्टेंट कलकटर उक्त भूमि में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों को प्रपत्र 'म' से नोटिस आरी करेगा ।

६८. नोटिस की तामील के बिषेकीस वही होगी जो कि राजस्व न्यायालय के सम्मनों तथा आदेशिकार्तों (प्रोसेस) की तामील के लिये होती है ।

६९. नोटिस की तामील अधिनियम की धारा १६९ की उपधारा (५) द्वारा निर्धारित

‘७०. असिस्टेंट कलक्टर आवधारों की, यदि नहीं हो, मुनवाइ करके उसका निर्णय करेगा प्रीर यदि वह संतुष्ट हो जाय कि आवेदन-पत्र मंजूर किया जाता-बीहैरासी हो उसके द्वारा किये गये किसी सुधार कार्य के लिये मुगवान किया जाने प्रोग्राम, मुकाबले की उपलब्ध करेगा और यांचित सूमि से या ऐसे नाम-से जिसे वह उचित समझे आसामी को देखन लिये जाने की आज्ञा देगा जो कि इस घटने के अधीन हाँगी कि ‘आसामी’ को, अधिनियम के प्रावधारों के प्रनुसार निश्चित किया गया ; मुकाबला उसे भविष्यके द्विदर-मुगवान कर दिया जाय जो कि असिस्टेंट कलक्टर नियत करे।

‘७१. यदि मुंबांवडां असिस्टेंट कलक्टर द्वारा नियत को गई अवधिमें भविदा नहीं किया जाय तो आवेदन-पत्र खारिज कर दिया जायगा और आसामी को खार्चा दिया जायगा।

‘७२. ‘लगान’ का विभाजन—यदि योसामी उसके मूर्मिक्षेत्र के बैंक एक भाग से हो वेदांत लिया जाने को हो तो असिस्टेंट कलक्टर वह सगान निश्चित करेगा जो कि वचे हुए मूर्मि-माग के लिये आसामी यदा करेगा। इस प्रकार देय सगान का समूचे मूर्मिक्षेत्र के लिये यहाँ दिये जाने वाले सगान के साथ वही अनुपात होगा जो कि आसामी के कब्जे में रही हुई अवशिष्ट मूर्मि का भूल्यांवान समूचे मूर्मिक्षेत्र के दोषफल के साथ रखता है।

अध्याय १३

अधिनियम की धारा १७६-१८८ के प्रावधारों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

अवैध बंदखली के लिये उपाय (दादेंसी)

७३. अधिनियम की धारा १८६ के अन्तर्गत आवेदन-पत्र में निम्नसिद्धि जारी होंगी—

- (१) योसामी का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, तथा निवास-स्थान इस विस्तृत;
- (२) नाम गाँव, तहसील व बिला;
- (३) नाम घोक व पट्टी;
- (४) मूर्मिधारों का नाम, उसके पिता का नाम, जाति सेपां नियास-स्थान;
- (५) धन्य अवैध यो सत्सम्पद कला किये हुए हो; उसका नाम, पिता का नाम, जाति, निवास-स्थान;
- (६) बंदखली के सहरा संबंदर;
- (७) बंदखली का दौनस्तल;
- (८) संविहारी योविष संग्रह, ठंगा;
- (९) बंदखली यो बंदखली हटने की सारीत।

७४. आवेदन-पत्र के साथ उसकी उतनी ही प्रतिदिविया यांत्रिक कलेज मूर्मिधारी तर्फ बन्दा रखे हुए धन्य अवैध यो सत्सम्पद पर नोटिस संसारे दिया जाता है।

स्वामित्व के अधिकार का प्राप्त उठाने वालों पर ऐसी ही, जिविस न्यायालय द्वारा उन व्यक्तियों की उन्नति के लिये जिनके भीच में उत्त प्रदन उत्तम हुआ है गोटिंग आरी काने के दाढ़े घाडेशिका-गुरुक दासित करने के लिये कहेगा और रेकाई को जिविस न्यायालय को प्रेरित करने की आज्ञा में यह दर्ज करेगा कि उत्त घाडेशिका-गुरुक बगूम कर दिया गया है। घाडेशिका-गुरुक कोई भी स्टाप्स के लिया जायगा ।

८८. पांडी को गोटिंग—जहाँ जिविस न्यायालय में रेकाई इग लेन के साथ प्राप्त हो कि घाडेशिका गुरुक उत्त न्यायालय में जमा करा दिया गया है जिसने रेकाई भेजा है तो, जिविस न्यायालय दोनों पांडी को, घपने द्वारा गुणवाई के लिये नियत प्रथम तारीके लिये जिना गुरुक लोटिंग जारी करेगा ।

८९. जिविस न्यायालय को प्रेयण—जहाँ स्वामित्व के अधिकार सम्बन्धी कोई तनकीह अधिनियम की घारा २२९ (१) के अधीन राष्ट्रव न्यायालय द्वारा कायम की जाय तो उत्त न्यायालय मुकदमे के समूचे कागजात को हिस्ट्रिक्ट जज को भेजेगा और डिस्ट्रिक्ट जज तुरन्त ही उसे सिविल न्यायालय को उत्त तनकीह के निर्णयार्थ भेज देगा ।

९०. रजिस्टर मुकदमे में इन्ड्राज—अहसमद जिविल कोटि को कागजात भेजने की तारीख रजिस्टर मुकदमे में साल स्थाही से स्तम्भ “विदेश विवरण” में दर्ज करेगा। जब रेकाई सिविल कोटि से उत्त तनकीह पर निर्णय के साथ वापिस प्राप्त हो तो, रेकाई की वापिसी की तारीख उसी प्रकार रजिस्टर मुकदमे में साल स्थाही से स्तम्भ “विदेश विवरण” में दर्ज की जायगी ।

९१. कागजात का नर्थो ‘क’ और नर्थो ‘ल’ में यांगोकरण—रेकाई को अभिलेखामार में भेजने के पहिले अहसमद न्यायालय, फाइल के कागजात की जिनमें वे भी दामिल हैं जो सिविल न्यायालय ने बढ़ाये ही, बांबंद करेगा ‘नर्थो क’ और नर्थो ‘ल’ में रखेगा और उस बांबंदरण के अनुसार जिविस न्यायालय से वापिस प्राप्त हुई फाइल की सामान्य मूल्य में दर्ज किये हुए प्रत्येक कागज पर नोट करेगा ।

९२. सिविल न्यायालय द्वारा प्रेयण—अधिनियम की घारा २४२ के अधीन, टिनेसी सम्बन्धी प्रश्न के लिये रेकाई प्राप्त होने पर, कलबटर तुरन्त ही उसे उपयुक्त राष्ट्रव न्यायालय को उत्त तनकीह के निर्णयार्थ भेज देगा ।

९३. प्रेयण रजिस्टर में इन्ड्राज—रेकाई प्राप्त होने पर, अहसमद नियम १४ के अन्तर्गत रखे हुए रजिस्टर में उसका इन्ड्राज तुरन्त करेगा और रेकाई पर रजिस्टर का कमाक लिख देगा। जब रेकाई वापिस सिविल न्यायालय को, राष्ट्रव न्यायालय के निर्णय के साथ, भेजा जाय तो रेकाई को वापिस भेजे जाने की तारीख उसी प्रकार रजिस्टर के स्तम्भ “विदेश विवरण” में दर्ज की जायगी ।

९४. प्रेयण रजिस्टर—अधिनियम की घारा २४२ के अन्तर्गत प्राप्त हुए कागजात के लिए, एक प्रेयण रजिस्टर प्रत्येक सहायक कलबटर के न्यायालय में रखा जायगा जो कि नीचे जिले प्रश्न में होगा—

प्रेषण	सिविल कोर्ट की फाइल पर मुकदमे का सं.	नाम सिविल कोर्ट,	जिला ब	पदों के नाम
क्रमांक		जिसने प्रेषण किया है	मांव	

६५. प्रेषण फाइल—(क) सिविल कोर्ट के रेकाउंट में, जब कि वह राजस्व न्यायालय में हो, वहाये गये कागजात 'नरथो क' और 'नृत्यी स' में दर्शीकृत नहीं लिए जायेंगे बल्कि अलग 'प्रेषण फाइल' के रूप में रखे जायेंगे। किन्तु प्रत्येक कागज पर कर्मक लिख दिया जायगा जब कि उसे पष्टाई इष्टेक्षण में दर्ज किया जाय और प्रेषण फाइल में रखा जाय।

(क) जब राजस्व न्यायालय घपना निर्णय दे दे तो 'प्रेषण फाइल' तुरन्त ही सिविल न्यायालय के रेकार्ड में जोड़ दो जायगी और इस प्रकार तैयार किया गया रेकार्ड मय निर्णय के, उस सिविल न्यायालय को वापिस कर दिया जायगा जिससे प्रारम्भ में प्राप्त हुआ था।

९६. प्रेषण को माहवारी नश्तों में घसाया जाना—सिविल न्यायालयों से प्राप्त हुए प्रेषण, मुकदमों की प्रगति सम्बन्धी माहवारी रिपोर्ट में खलग बताये जायेंगे जो कि राजस्व न्यायालयों द्वारा कलकटा को भेजी जाती है और मुकदमों के दायर होने तथा निवटारा होने सम्बन्धी विवरण—पत्र में भी बताये जायेंगे।

अध्याय १६

शपथ-पत्र सम्बन्धी नियम

६०. दापय-पत्र के अनुसार दापय लेना—दिवी राजस्व न्यायालय या अधिकारी के सामने पेश किया जाने वाला प्रत्येक दापय-पत्र तदर्थं नियुक्त किये गये धोप कमिशनर के समदृ दापय लेने के बाद पेश किया जायगा।

६८. फोस—शपथ-पत्र के सहायता की दिये फोस एक रसाया होगी।

६६. व्यवितरणी स्थानों का पुरा विवरण दिया जाना—सापय-पत्र में उमके ग्रनुमार द्वारा दापय लेने वाले व्यक्ति का ऐसा सम्मुखी विवरण होगा जिससे उमकी पहचान भली भाँति की जाए। उसका नाम, उसके पिता का नाम, पर्यंत, समाज में उसका 'दर्जा' या पद, या सके उदाहरणार्थ, उसका नाम, उसके पिता का नाम, पर्यंत, समाज में उसका 'दर्जा' या पद, पेशा, पंथा, व्यवसाय आदि—प्राप्तार, और उसका वास्तविक निवास-स्थान सापय-पत्र में

मेरे यह व्यापक सत्य हैं, इसकोई भी बात सुना ही नहीं जाती है और इसका भी भी कोई प्रिया नहीं है।"

प्रपत्र भर (जे)

(रेख्ये नियम ४-रेख्या बोई)

सातेदारी प्रधिकार के प्रोटोकूल होने तथा गुपार-कायो में प्रधिकारों के लिये मुकाबले के दावे का विवरण-पत्र ।

व्यापासय..... राजदिवीजनम् प्रधिकारी..... दिका.....
सातेदारी प्रधिकार प्रोटोकूल हो जाने तथा गुपार-कायो में प्रधिकार होने का दावा ।

महोदय,

जैसा कि राजस्थान टिनेसी व्यविनियम १९५५ की बारा २० की उपेषारा (१) तथा टिनेसी (राजस्थ मण्डल) नियम ४ द्वारा अवैधित है, मैं, घरने गुदकास्त के आसामी/गिरकमी आसामी द्वारा (क) सातेदारी प्रधिकार प्रोटोकूल कर लेने तथा (ग) गुपार-कायो में प्रधिकारों के लिये मुक्ते देय मुकाबले का दावा प्रस्तुत करता हूँ।

२—मूमिघारी तथा आसामी का विवरण निम्नलिखित है—

(१) नाम, वल्दियत, आयु, तथा पूरा पता—भूमिघारी (दावेदार)

(२) नाम, वल्दियत, आयु तथा पूरा पता गुदकास्त-आसामी/दिकमी आसामी जिले प्रधिकार प्रोटोकूल हुए हैं ।

(३) नाम गांव व नाम तहसील

(४) संबट नं०

(५) खसगा नं० व नाम खेत, यदि कोई हो,

(६) सिचित या भसिचित

(७) मिट्टी की किसम

(८) ठीक दोनकल जिसमें धारा १९ के अधीन प्रधिकार प्रोटोकूल हुए ।

(९) विगत बन्दोबस्त में सरकी स्वीकृत लगान-दर घण्या यदि आरा २५ की उपचारा

(१०) का खण्ड (ल) लागू होता है तो, विगत बन्दोबस्त में सरसदृश भूमि के लिये अडोत पहोंस में स्वीकृत लगान-दर ।

(११) गुपार-कायो का अधीरा जिसमें आसामी को प्रधिकार प्रोटोकूल हुए ।

(१२) वर्ष जिसमें गुपार-कायो किया गया ।

(१३) जिस समय गुपार-कायो गया उस समय सरकी लगान ।

(१४) गुपार-कायो की बर्तमान स्थिति ।

(१५) मुधार-कायं से जूमि की अगवे दस वर्षों में किये हुद तक लाम पहुँचने की उम्मीद बढ़ना है।

(१६) सुधार-कामों में अधिकारों के लिये प्रच्छयित भुआवजे की रकम।

(१३) बुधार-कादा न प्राप्त है।
 (१४) बुल मझावजे को रकम जो दोनों के लिये अधिष्ठित की गई है।

(१८) विद्येय विवरण

हस्ताक्षर

प्रपञ्च (के)

(देखिये नियम ५-रेवेन्यू बोर्ड)

प्रपत्र-नोटिस जो पारा २० की उप-धारा (२) के अचीन होगा।

नोटिस

न्यायालय सद्विद्वीजनल अधिकारी ब्रिला मुकदमा नं.

.....મન ૧૯૬૧

विष्णु निवासी ग्रामेदर

संग्रहालय

..... विद्या

सातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो जाने के बारण मुआवजे के दावे का विवरण चूंकि उपरोक्त प्रावेदक ने, जैसा कि राजस्थान टिलेसी अधिनियम १६५५ (राज. अधिनियम ३, सन् १६५५) की धारा २० की उप-धारा (१) तथा राजस्थान टिलेसी (राजस्व मण्डल) नियम १६५५ के नियम ५ द्वारा अनेकित है, सातेदारी अधिकार तथा तुम्हारे द्वारा किये गये मुधार-कायी में अधिकार प्रोद्भूत हो जाने के बारण उसे देय मुआवजे के लिये दावा विवरण महित पेश किया है, अतः तुमको एतद्वारा उन्न दिया जाता है कि इस घायानन्य में या तो स्वयं व्यक्तिगत या अपने बकील जिसे मुख्दमे के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दे दी गई हो, एवं जो इस मुख्दमे में सब प्रदर्शों का उत्तर दे सके अथवा जिसके साप्त ऐसा व्यक्ति हो जो मुख्दमे की पूरी जानकारी रखता हो और सब प्रदर्शों का उत्तर दे सके, के मार्फत, तारीख..... को हाजिर हो (तारीख ऐसी नियत की जायगी ताकि घासामी को दम से पम तीस दिन मिल जाय जिनमें वह अपनी प्रापत्तियाँ पेश कर सके)। साथ में मुआवजे के दावे के विवरण-पत्र को एक प्रतिलिपि दाखिल की जाती है और यदि तुम, इस विवरण-पत्र में दिये हए व्योरे को उहाँ नहीं मानते हो तो तुमको, उपर्युक्त तारीख पर, उन हमस्त दस्तावेजों को जिन पर तुम अपने दावे के समर्थन हेतु जरोगा रखना चाहते हो, पेश करने का मादेदा दिया जाता है।

मूलित हो कि उपर्युक्त वारीत पर तम्हारे उपस्थितन होने पर, मुख्यमा दम्हारी अनुरस्थिति में मुना जाकर उसका निरांय कर दिया जायगा।

प्रेपत्र छ (पन)

(दैनिक नियम १०-रेष्टगृह बोई)

ब्रह्मनियम की पारा ३६-के धन्तर्गत नोटिस का उत्तर ।

मायासमय.....एस. बी. औ.....त्रिला

मुख्यमा मे.....सन् १९९

थी.....यह.....मावेदक

यनाम

थो.....यह.....विषयी

नालबट अधिकार की प्राप्ति के लिये मावेदक-पत्र

महोदय,

पापके नोटिस दिनोंके.....के उत्तर मे, मैं एनद्वारा नियेदन करता हूँ कि
मैं मावेदक-पत्र का नीचे तिसे प्राप्तारों पर प्रतिशाद मही करना चाहता हूँ:—

(प्रापार बतलाये जाय)

मैं मुमादने का दावा करता हूँ और त्रियका विवरण नीचे दिया जाता है ।

पारा ३६-के धन्तर्गत नालबट प्राप्त करने हेतु मुमादने का दावा ।

१-मावेदक धर्याति उस व्यक्ति का जो भूमिधारी से मिल है और जिसमें नालबट
अधिकार निहित है, नाम.....वल्डियतजाति.....उम्र.....तथा
निवास स्थान..... ।

२-मावेदक (नालबट की प्राप्ति के लिये) का नामवल्डियत
जाति.....उम्रतथा निवास स्थान.....

३-भूमिधारी का नाम.....वल्डियतजाति.....उम्र.....तथा
निवास स्थान.....

४-उस भूमि का विवरण जिसमें मावेदक धर्या करतेरारी अधिकार प्रोद्भूत हो जाने
का दावा करता है—नाम गोव, घोक व पट्टी, नाम तहसील, सदियीजन तथा त्रिला,
खारा नं०, खेत/खेतो का नाम, यदि कोई हो तथा दोषफल (बीघे) मे ।

५-यदि नालबट नकाद में वसूल किया जाता हो तो रकम जो विछले पांच वर्षों मे अदा
की गई ।

६-यदि नालबट जिसमें वसूल की जाती है तो उपर्युक्ती की मात्रा जो विछले २० वर्षों मे
नालबट के हव मे दी गई ।

७-कुल अवधि जिसके द्वारान मावेदक को उत्तर कुए मे नालबट प्रोद्भूत हुआ है जिसके
बारे मे दावा किया गया है ।

६-कुए का घोरा-घर्षण्

- [१] नाम कुक्का, ससरा नं. जिसमें स्थित है।
- [२] निर्माण का समय
- [३] वर्तमान स्थिति
- [४] केनकल जो सामान्य वर्ष में सिचित होता है (बीघों/एकड़ों में)
- [५] ऐसे कुए की वर्तमान निर्माण-लागत घोसत।
- [६] कुए की उपयोगिता को घासामी सम्भावित अवधि।

७-विशेष विवरण।

हस्ताक्षर.....वहन्द.....जाति.....निवास स्थान..... (दावेदार)

प्रपत्र द (ओ)

(दिल्ली नियम ११-रेवेन्यू बोर्ड)

धारा ३६-ए के अन्तर्गत नालहट के हस्ताक्षरण का प्रणाम-पत्र.....के अधायालय में।

मुकदमा नं.सन् १६६

.....पुत्र.....मावेदक
बनाम
.....पुत्र.....प्रतिपक्ष।

यह प्रमाणित किया जाता है कि—

(१) श्री.....पुत्र.....जाति.....घायु.....निवासी.....तहसील.....जिला.....ने सारोक.....से नीचे वर्णित कुए के संबंध में नालहट का अधिकार प्राप्त किया है।

(२) यह कि उक्त घासामी एक मुरत राति किलों में जोह. की होती तथा प्रत्येकतारीख को देय होगी, मुआवजे के रूप मेंह. (दाढ़ों में) रुपये की नालहट के अधिकार के स्वामी को देने के लिये तिस्तेवार होगा।

(३) यह कि मुआवजे की पूरी रकम का मुक्ताव कर दिया गया है घासामी, मुआवजे की रकम का किलों में, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, मुक्ताव करने को सहमत हो गया है और उक्त मुआवजा, भूमिकौत तथा सपष्ट पर, भगाव तथा राजस्व के पदचार प्रभार (charge) रहेगा। घासामी तब तक भूमि-कौत को इस्तान्तरित करने के लिये सदाच नहीं होगा तब तक कि मुआवजे की उत्तोक कुन रकम का पूरा मुआवजा न बर दिया गया हो।

कुए का प्रियरण

१-दोष या पट्टी कहित गांव का नाम

पोयला दिलोक.....के प्रतींग में भीमे निषेध प्रतुषार निवेदन है,

(१) कि में भीमे विलित भूमि का सातेशर प्राप्तामी / पुद्दात वा प्राप्तामी/गेर सातेशर प्राप्तामी / दिक्कमी प्राप्तामी वा घोर मेरे अविश्वास की व्यवहित.....इन्हीं वार्ता भी ।

(२) कि में इस भूमि को राज्य गरकार/.....(भूमिपारी) हे लेकर भारण करता हूँ ।

(३) कि उस इसारे में वर्ण.....में भयकर सूता/पराम.....(नाम विवाह) पड़ा था । अथवा हि मुझे.....कारणों से यांव छोड़ा पड़ा था तथा अरने कुटुम्ब तथा मंडेशी आदि को साथ सेकर.....(स्थान) दो जाना पड़ा था ।

(४) कि जब मुझे मालूम हुआ कि विवाह का गमय निकल चुका है घोर सामाज्य स्थिति पैदा हो गई है मैं अपने यांव को तारीत.....को या बागपाल की तारीत को बालिम द्या गया ।

(५) हि यांव मे बाहर जाने की मेरे तारीत प्रतुमानित.....यी ।

(६) कि यह भ्रायेदन-पन पोयला की तामील / प्रकाशन की तारीत मे एक वर्ण की अवधि के भीतर है ।

(७) कि मेरी इस भारणा के समर्थन मे कि मेरे यांव पश्चीम पड़ोस ऊपर वर्ण (३) में विलित व्यापक विवाह/वारणों से छोड़ा था, मैं निम्नतितिन दमावेजी साथ प्रस्तुत करता हूँ और तारीख सुनवाई को अपने गवाह पेश करूँगा ।

दमावेजी सान्द्य का विवरण

अतः प्रार्थना है कि मुझे पुनर्स्थापित किया जाकर भूमि मुझे वापिस दिलाये जाने को आज्ञा प्रदान की जाय । जो कि तारीख वापिसी तक मुझसे काविल वगूल लगान की बकाया रकम, अधिनियम के प्रावधानों के प्रतुसरण में, परित्या-गवाहविय को दामिल करते हुए, घदा करने की दाता होगी ।

भूमि का विवरण

१-नाम यांव मय नाम घोक व पट्टी

तहसील.....जिला.....

२-खसरा नं. तथा ब्लैट/सेतों के नाम

३-दोप्रफल बीघो/एकड़ों में

हस्ताक्षर.....

४-वापिक लगान

जासामी

तारीख.....

प्रपत्र-क-फ-(आर. आर.)

(देखिये नियम २५-क)

भाग-१

राजस्थान टिनेसी अधिनियम १९५५ की घारा-६६-६७ के प्रभावात् अधिनियम की घारा ५ के खण्ड (११) के उप-खण्ड (क) में बलित-सुधार कार्य करने की मंजूरी ।
सेवा में,

त्रहसीलदार

त्रहसील.....

(पटवारी सकिल नं..... के माफ़त)

श्रीमान्,

मैं जैसा कि राजस्थान टिनेसी अधिनियम १९५५ की घारा ६६ के प्रथम परन्तुक तथा राज. टिनेसी (रेवेन्यू बोर्ड) नियम १९५५ के नियम २५-क द्वारा अपेक्षित है, एतद्वारा, सुधार-कार्य जिसका विवरण नीचे दिया गया है, करने की मंजूरी प्रदान किये जाने हेतु आवेदन करता हूँ :—

१. नाम आवेदक, मय वलिदयत व.पता
२. स्थिति (बातेदार आसामी/भूमिधारी/जागीरदार/अमीनदार/विस्वेदार).....
३. भूमि का विवरण
 - (क) नाम गाँव (ए) लकड़ा नं० (ग) देशफल (एकड़)
 ४. भूमि की शहर या कस्बा की नगरपालिका सीमाओं से दूरी
 ५. सुधार-कार्य जिसके लिये मंजूरी चाही जाती है, का विवरण—
 - (क) लकड़ा नं० जिसमें सुधार कार्य किया जाता है ।
 - (ख) सुधार कार्य का ठीक किस्म रहने का मकान/पशुपाड़ा/स्टोर हाउस/धन्य निर्माण
 - (ग) विवरण, देशफल जिसमें सुधार कार्य होगा, सम्बाइ, छोड़ाइ
 - (घ) सुधार कार्य की घनुमानित सांख्य
 ६. अधिनियम की घारा ५ के खण्ड (११) के उप-खण्ड (क) में बलित जिसके विवरण मान सुधार का नम्बर तथा विवरण ।
 ७. यदि भूमि में रहने का मकान बनाने की घनुमति हेतु आवेदन-पत्र है तो
 - (क) आया आवेदक के पास गाँव दी आवादी में रहने का मकान है, यदि ऐसा है तो आवादी से उस लकड़ा नं० की दूरी जिसमें रहने का मकान बनाने का विचार है—
 - (ख) गाँव दी आवादी को छोड़ाइ, भूमि के आउपास वा आवेदक की कोई इमारत

या निर्माण मोदूद है (अधिनियम की भाग ५ के नाम (११) के उल्लंग
(त) की पद सं० (४))

- (ग) आया उग महान में शिव बनाने का विचार है तब इसमें रहेगा ।
८. यदि भूमि में पशुपाला बनाने की अनुमति हेतु प्रावेदन पत्र है तो
(क) मोदूदा पशुपालों, यदि जोई हो, की संख्या व विवरण
(त) आवेदक के पास तुल मदेशी वित्ती है गंकाल
९. यदि भूमि में स्टोर हाउस बनाने का विचार है तो
(क) मोदूदा स्टोर हाउलों की संख्या व विवरण
(त) भूमि की विद्युत तीन वर्गों में हुई तुल उपलब्ध
(ग) मोदूदा ताम्र में उपज पहा और दूसे रथी जाती है तथा
(घ) दोनों जिसमें स्टोर बनाया जायगा

हस्ताक्षर.....

संत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी मर्यादातम जानकारी तथा विवरण के अनुसार सही है और यह कि मैंने सत्य बात कही है और इसी भी हम्म को दबाया या छुपाया नहीं है ।

हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

भाग २

पटवारी की रिपोर्ट

यह प्रावेदन-पत्र निम्न हस्ताक्षरकर्ता (नाम) पटवारी सकिल को दिनांक को प्राप्त हुई थी ।

२. ऊपर भाग १ में दिये गये विवरणों की जाँच लेता सम्बत को स्थीर रखी के द्वारा ज से और जमावन्दी (लेवट लतोनी) सम्बत से करली गई है और सही पाई गई है अथवा अमुक बातें गही नहीं हैं ।

३. आवेदक सातेदार आराधी/भूमिधारी/जागीरदार/अधीनदार/विहवेदार है और भाग १ की नम सं० ३ में बतलाई गई भूमि में कृषि करता है या उग भूमि में खेती नहीं करता है के द्वारा खेतों की जारी है ।

४. उसके पास भूमि-देवता (होल्डिंग) में निवास-शृङ् है जिसमें……………भूमि पिरी है और वह भूमि कुल भूमि देवता (होल्डिंग) के……………माग के घरावर है ।

५. उसका गोव की आबादी में निवास शृङ् है जो भूमि देवता से……………की दूरी पर है या उसका गांव की आबादी में कोई निवास शृङ् नहीं है ।

६. उसके पास अपनी भूमि (होल्डिंग) को सुविधापूर्वक/लाभप्रद तरीके से उपयोग या अभिधारण में लाने के लिये अपनी भूमि के पास, गोव की आबादी को छोड़कर, मकान है/कोई मकान नहीं है ।

७. वहां पर……………पशुवाड़े हैं जिनका कुल देवतफल……………है जो भूमि का……………माग है अथवा भूमिकेन में कोई पशुवाड़ा नहीं है ।

८. रजिस्टर माल प्रमाणी के अनुसार आवेदक के पास कुल……………पशु है ।

९. (क) भूमि में……………स्टोर हाउस है जिनका देवतफल……………है जो भूमि के……………माग के घरावर है या भूमि में कोई स्टोर हाउस नहीं है ।

(ख) जिसवारों, मिलान लघरों तथा घन्य रेकार्ड के अनुसार आवेदक की भूमि की अनुमानित वापिक उपज……………मन है जिसके लिये स्टोर हाउस को आवश्यकता है ।

सहस्रीलदार को प्रस्तुत है ।

तारीख……………

हस्ताक्षर
पटवारी संकिल

प्रपत्र न (एस)

(देखिये नियम ३१)

अधिनियम की घारा ८४ (५) के अन्तर्गत लाइसेन्स

क्रमांक	ठारीख	सामान्य या विशेष	लाइसेन्सधारी का नाम यथा पूरा पता
१	२	३	४
अवधि	ऐड जिन्हें हटाये जाने वी या भूमि जिसे साक दिये जाने वी अनुमति दी गई	विदेश विवरण	
	संख्या या देवतफल दिनम या छोमार'		विविष्ट परिस्थिति
५	६	७	८

१—उपर्युक्त साइटेशन दारी को कारोबार अधिकार में तता उत्तर विलास अद्य शातों के बच्चीन रहते हुए तथा राजस्वान टिक्की प्रविनियम ११५५ (प्रविनियम नं० ३, गम १९५५) के प्राकाधारों के अधीन रहते हुए और एग शां के अधीन रहते हुए कि गिरावे या हटाने में भूमि, तभी ही फलाने, याए या ऐडो या पढ़ोगियों के घटानों को हिन्दी प्रकार की शब्द न पहुंचाई जाएगी, गिरावे तथा हटाने की घटुमति दी जाती है।

२—यह साइटेशन, राजस्व प्रिकारी, फरिस्ट प्रिकारी या बुनिंग प्रिकारी को सब इन्सपेक्टर युनिस दे भीते पर का न हो, द्वारा मात्रे जाने पर निरीश्वर के विषे देश किया जाना चाहिए।

३—साइटेशन का उस्तंपन करते हुए ऐडों को हटाने पर कानून के घटुमार मारी सास्तियों आरोपित की जाती है जिनमें पुर्माना, साइटेशन का रह किया जाना, तथा तकड़ी की जाती भी शामिल है।

४—यह साइटेशन, अवधि पूरो होने पर १५ दिन के भीतर उत्त प्रिकारी को समर्पित कर दिया जाना चाहिए जिसने जारी किया हो।

मुहर

दिनांक

साइटेशन देने जाना प्रिकारी

प्रपत्र म (टी)

(देलिये नियम ४७ रेवेन्यू बोर्ड)

सगान जमा कराने का यारा १९६ के घमतांन नोटिस

न्यायालय तहसीलदार " तहसील बिला मुकदमा
नं० सन् १९६

श्री (विवरण व पता) आसामी

बनाम

श्री (विवरण व पता) भूमिधारी

सेवा मे,

श्री नाम, विवरण निवास स्थान " भूमिधारी

चूंकि श्री तुम जाति निवासी ने जो नीचे वर्णित भूमि के सम्बन्ध में तुम्हारा आसामी होने का दावा करता है मेरे न्यायालय मे, आवेदन देने की तारीख को सगान की बकाया को नीचे वर्णित कित्तों/कित्तत की चढ़ी हुई रकम, जमा करादी है, तुमको रकम जमा हो जाने की सूचना दी जाती है और तुम्हें बादेश किया जाता है कि तारीख को न्यायालय में उपस्थित होकर रकम पाने का अपना हक्क सावित करो।

भूमिका विवरण

नाम शब्द	नाम थोक व पट्टी	खसरा नं० खेतों के व	देशफल (बीपाँ) एकड़ों में ४
१	२	३	४

जमा की हुई रकम का व्यौंता

वर्ष जिसकी किस्तें/वड़ी हुई रकम है।	रकम	तारीख जिसको जमा की गई
तारीख.....	तहसीलदार.....	तहसील.....

प्रपत्र म (यू.)

(देखिये नियम ६० रेवेगू शोहे)

धारा १६९ के अनुसार (मूर्मिशारी द्वारा) आसामी को नोटिस-वाचत लगान का भुगतान करने अवश्य भुगतान न करने पर बेदखल किये जाने ।

न्यायालय तहसीलदार..... तहसील..... जिला.....
 मुकदमा नं०..... सन् १९६.....
 श्री..... (विवरण व निवास स्थान)..... आवेदक (मूर्मिशारी)
 बनाम
 श्री..... (विवरण व निवास स्थान)..... विषयों
 सेवा में,

(नाम, विवरण व निवास स्थान)..... आसामी

जू.कि उपरोक्त व्यक्ति ने जो कि स्वयं को आवश्यक मूर्मिशारी बहता है, एक आवेदन-पत्र इस न्यायालय में देखा रखा है जिसमें श्रीने वर्णित लगान वी बकाया के भुगतान के लिये घीर भुगतान न करने पर बेदखल किये जाने वा नोटिस आपको दिये जाने वी प्राप्तना वी गई है ।

झीर जू.कि श्रीने वर्णित मूर्मि के सम्बन्ध में लगान वी बकाया के ए..... आवश्यक लगान के लिये उपरोक्त मूर्मिशारी को बाबिल भुगतान दराये जाते हैं, अतः आवश्यक नोटिस दिया जाता है ति, इस नोटिस वी तामील री सोस दिन-बाद, लगान वी बकाया के रखे रहा करो या हाजिर होकर उग दावे वी स्तीकार करो अपवा उपवा प्रतिवाद करो । ऐसा न रखने वी या दराया में, आवेदन-पत्र वी, आपकी मनुष्यिति में, मुनवाई वी जाकर उगाहा निर्णय दिया जाएगा ।

१२-उपर्युक्त लाइसेन्सिंग की, सारोल नेहों की सारोल अवधि में हाथा ऊपर बहुत अध्य राती है जबीन रहते हुए तथा राजस्वान टिकेसी प्रविनियम ११५५ (प्रविनियम नं० १, दर्श ११५५) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए और इन दाने के अधीन रहते हुए कि गिराने या हटाने में भूमि, दाढ़ी हुई कसतां, पाता या नेहों या पहाड़ियों के मदानों को हिणी प्रहार की दाति न पड़ पाई जायगी, गिराने तथा हटाने की प्रमुखता दी जाती है ।

२—यह साइरोसा, राजकी प्रधिकारी, फरिस्ट प्रधिकारी या पुनिंग प्रधिकारी जो गव-इन्सपेक्टर पुलिस ते नीचे पद का न हो, द्वारा माँगे जाने पर निरीकण के विषे देख किया जाना चाहिए।

३—साइरेन्स का उत्तर्यन करते हुए पेहँचों को हटाने पर कानून के प्रयुक्ति सारी दास्तियों व्यापकित की जाती है जिनमें जुर्माना, साइरेन्स का रद्द किया जाता, तथा सकारी की जब्ती मो दामिल है।

४—यह साइसेन्स, अरपि पूरी होने पर १५ दिन के भीतर उस अविकारी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए जिसने जारी किया हो ।

पुस्तक

दिनांक

काइसेन्स देने वाला अधिकारी

प्रपञ्च म (टी)

(देखिये निष्पम ४७ रेवेम्प्रा बोइं)

संग्रह जमा कराने का धारा १३६ के प्रत्यक्षत नोटिस

न्यायालय तहसीलदार तहसील विधा मुख्दमा
न० सन् १९६६

थी (विवरण य पता) मासांसी

五

थी..... (विवरण व पत्र) भूमिधारी

सेवा ये,

श्री.....नाम, विवरण निवास स्थान.....भूमिधारी

चूंकि थी.....पुढ़.....वाति.....निवासी.....ने
जो नीचे बर्छित भूमि के सम्बन्ध में तुम्हारा आसादी होने का दावा करता है मेरे ग्यारालय
में, जावेदान देने की सारोल को सगात की बकाया को बीचे बर्छित कियतों/कियत की चड़ी हुई
रकम, जमा करादी है, तुमसों रकम जमा हो जाने को सूखना दी जाती है और तुम्हें आदेश
दिया जाता है कि.....सारोल.....को ग्यारालय में उपस्थित होकर रकम पाने
का महक सावित करो ।

न्यायालय	रहसीलदार	रहसील	जिला
मुकदमा नं.	सन् १९६६		
सरकार दनाम	विवरण व निवास स्थान		विपक्षी
नाम, विवरण व निवास स्थान	(पासारी)		

संसा से, नाम, विवरण व निवास स्थान (प्राप्ताधीन)

नाम, विवरण एवं निवास स्थान ।

कूँकि नोचे दरिंदुर भूमि के सम्बन्ध में उगांन की बकाया के तुम्हारे जिम्मे हूँ.....
सरकार को मुगतान योग्य हैं, तुमको, इस नोटिस की ताबील से तीस दिन के बन्दर बकाया
ही रकम अदा करने का अथवा उपस्थित होकर उसको स्वीकार करने या उसका प्रतिवाद करने
जा नोटिस दिया जाता है। ऐसां न करने की दशा में आवेदन-पत्र की सुनवाई तथा निर्णय
तुम्हारी अनुपस्थिति में किया जायगा।

द्विसाव का व्यौरा

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	गांव	घोक व पट्टी	खसरा नं०	सेतु नं०	दोप्रकल्प बोधा/एकड़
१	२	३	४	५	६	इन दोप्रकल्प.....

..... देते की संस्था
मूर्मि के सम्बन्ध में सगान वो हित है, जो नविय्य में आपको धरा करनी है, इस
लार है—

भूमि का संग्रह जो भविष्य में प्रदान किया जाएगा।

रवी की विरत
बाबू दिनोंके सदा जो क्षेत्रे हम्मान्नर ए प्रायासय की मुहर देते

दार्शनी किया गया ।

व्यापारदेश की मुहर

४८ वार्षिक

• 100 •

हमारे

(दहसीलदार)

प्रपञ्च य-(धी)

(देतिये नियम १० रेखे, बोर्ड)

लगान की बकाया के निमित्त इसी हिंदो के प्रतिरूप देय रकम के मुगतान के लिये या भुगतान न करने की दशा में वेदवस्त्री का आतामी बो पारा १७४ के परीक्षा

नोटिस

- न्यायालय (स्थान) "मुख्यमंत्री न०" सन् १९६
 श्री "(विवरण व पता)" हिंदोटार (भूमिपारी)
 बताम
 श्री "(विवरण व पता)" निर्णीत अरणी (आतामी)

सेवा में—

(नाम, विवरण तथा नियाग स्थान)

जूँकि उपरोक्त घटकि ने, जो रक्ष्य को तुम्हारा भूमिपारी बताता है, इस न्यायालय में लगान की बकाया के निमित्त एक हिंदी का नियादान करने का आवेदन-पत्र पेश किया है जिसमें तुम्हारे नाम एक नोटिस तुम्हारे जिम्मे आशी निकल रही रकम को मुगतान बरने या भुगतान न करने की दशा में तुम्हें वेदवस्त्र लिये जाने की प्रायंना की है।

और जूँकि नीचे वर्णित भूमि के सम्बन्ध में लगान की बकाया तथा नीचे दिये गये सबूतों के ५० तुम्हारे द्वारा उपर्युक्त भूमिपारी को देय होने का दावा किया गया है, एवं दावा तुम्हें नोटिस दिया जाता है कि, नोटिस की तामील से दो महीने के अन्दर, उपरोक्त रकम न्यायालय में जमा करो अथवा रकम जमा न करन की दशा में कारण घटायो कि तुम्हें तुम्हारी भूमि से क्यों न वेदवस्त्र कर दिया जाय और यह भी घटायो कि यदि तुम्हारी वेदवस्त्री का आदेश जारी कर दिया जाय तो क्या तुम्हारे द्वारा किये गये किसी मुपार-काय के लिये तुम कोई भुगतान जारी करते हो। ऐसा न करने की दशा में तुम्हें नीचे वर्णित भूमि से वेदवस्त्र किये जाने का आदेश जारी किया जायगा,—

हिसाब का विवरण

बर्य व किस्त	लगान जो देना है	लगान जो देय दिया गया	बकाया	घाज	हिंदो द्वारा स्वीकृत सबूत	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७

योग

कुल योग

भूमि का विवरण

बिना	उहसीस	गांव	पोक व पट्टी	खसरा नं० (खेत)	लेत्रफल (लेत) बीघा/एकड़
१	२	३	४	५	६

स्वतों की संस्था.....
 बुल लेत्र फल.....
 आज दिनांक..... सन् १९६..... को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी
 किया गया ।

दिनांक.....	सन् १९६	हस्ताक्षर.....
.....	एद
.....	न्यायालय की मुहर

प्रपत्र-र--(डब्ल्यू)

(देविये नियम ६० रेव० बोहं)

अवैध हस्तान्तरण अवधा शिक्षी-पट्टे पर देने के कारण वैदेशी के विस्तृ फारागु
 बतलाने का आसामी को पारा १७५ के बन्दगत

नोटिस

..... के न्यायालय..... (स्थान)..... मुकदमा नं..... दाता..... १९६
 श्री..... (विवरण व पता)..... आवेदक (भूमिपारी)
 नाम
 श्री..... (विवरण व पता)..... आसामी
 घोर

श्री..... (नाम, विवरण तथा निवास स्थान)..... (दाता १७५ को १७५ का
 ना १७५ का दाता १७५ का दाता १७५ का दाता)
 दाता १७५ का दाता १७५ का दाता)

देवामें,

(नाम विवरण, निवास स्थान).....

शू. कि उपर्युक्त व्यक्ति ने, जो स्वर्ण को मुम्हाय भूमिपारी का दाता है, इह विवरण
 राबस्थान दिनेसी विवियम १७५ की पारा १७५ के दाता है, जो दाता है,

लेनी वी तुम मैजाएँ...
तुम लैपड़ा.....

आज दिनोंके..... या॒ १९५..... को मेरे हस्ताक्षर के आधार की मुहर गे
री किया गया ।

तारीख.....

मुहर आधार

हस्ताक्षर.....

पद.....

प्रपत्र—घ (घाई)

(दिये गये नियम १७-रेप. बोर्ड)

अधिनियम की पारा १८१ के अन्तर्गत भुवराइन के आसामी/गाँर सामेश्वर आसामी/
शंकमी-आसामी को वेदखली का नोटिस

आधार कलाकार कलाकार..... जिसा..... मुख्यमान..... १६६

घो..... (नाम, विवरण व पता)—आवेदक (भूमिधारी)

उवा मे,

(नाम, विवरण व पता) आसामी

हूँ कि उपर्युक्त भूमिधारी ने राजस्थान टिनेसी अधिनियम, १९५५ की पारा १८० के
अन्तर्गत भीचे दिये गये आधारों पर, तुम्हें तुम्हारो भीचे वालिंग भूमि से वेदखल किये जाने का
प्रावेदन-पत्र पेश किया है, यह नोटिस वेदखली तुम्हारे नाम अधिनियम की पारा १८१ की
उपचारा (३) के प्रावधानों के अनुसरण में जारी किया जाता है। तुम्हें इसके जरिये सूचित
किया जाता है कि—

(क) यदि तुम वेदखली का विरोध करना चाहते हो तो तुम, इष नोटिस को तुम पर
कामीत होने से तीस दिन के अन्दर, इसका प्रतिवाद करो, और

(ख) यदि इस नोटिस की तामील से तीस दिन के अन्दर तुम उपस्थित होकर वेदखली
के दावित को स्वीकार कर लेते हो तो तुम पर किसी खर्च का भार नहीं होगा। सूचित हो कि,
उपर्युक्त अधिकार के अन्दर उपस्थित न होने की दशा में, वेदखली का आदेश तुम्हारे चिनाफ परित
किया जायगा।

वेदखली के आधार

भूमि का विवरण

जिला	संहसोल	गांव	दोक व पट्टी	तसरा नं०	दोनफल (खेत)	भूमि का लगान
१	२	३	४	५	६	७

खेतों की कुल सं.

कुल दोनफल

आज दिनांक सन् १९६... को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से
जारी किया गया
तारीख हस्ताक्षर
.. मृदूर न्यायालय पद

प्रपत्र स. (जैड) (देखिये नियम ७८ रेव. बोर्ड)

अधिनियम की घारा १८६ के अन्तर्गत नोटिस

न्यायालय सहायक कलक्टर जिला मुकदमा नं०.... सन् १९६...
श्री (नाम, विवरण व पता) .. आवेदक (आसामी)

बनाम

श्री (नाम, विवरण व पता) विषयी (भूमिपारी)
औरश्री (नाम, विवरण व पता) विषयी (भूमि की पद
वस्त्रा दिये हुए है)

कैवा में—

(नाम, विवरण तथा पता) विषयी

पूँकि उपरोक्त व्यक्ति ने, जो स्वयं को श्री का दाकुमारी बताया है, इग
न्यायालय में घारा १८६ के अन्तर्गत पुनर्स्थापित दिये जाने का इय आशार पर आवेदननाम देख
दिया है कि उसे नीचे बणित भूमि से बेस्ताल/बद्दल विहोन

(क) अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व विषय विद्वित रीति के प्रतिकूल, का

(ख) अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात, उसके प्रारम्भान्तों का उल्लंघन करते हुए,
कर दिया गया है, परतः यह नोटिस तुम को अधिनियम की उपुँग घारा की उपाया (१)

